[2020] 2 एस. सी. आर 297

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन

वी.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

(2018 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 528)

04 मार्च, 2020

[आर. एफ. नरीमन, अनिरुद्ध बोस और

वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 17 , 20-22 , 26 , 38 , 45 जे. ए., 45 एल, 45 यू, 45 डब्ल्यू, 45 जेड-45 जेडओ-भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) ने जारी किया" विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य।05.04.18 और वृत्ताकार डी. टी. डी. 06.04.18 क्रमशः, जिसने निर्देश दिया जिन संस्थाओं को इसने विनियमित किया (i) आभासी मुद्राओं (वी. सी.) से निपटने/निपटान करने वाली किसी भी व्यक्ति/व्यावसायिक संस्थाओं के साथ सौदा नहीं करना या उन्हें सेवाएं प्रदान नहीं करना और (ii) संबंध से बाहर निकलने के लिए, यदि उनके पास पहले से ही एक है, तो ऐसे व्यक्तियों/व्यावसायिक संस्थाओं के साथ-याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई (ऑनलाइन और डिजिटल सेवा उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विशेष उद्योग निकाय; ऑनलाइन क्रिप्टोकरेंसी चलाने वाली कंपनियां)परिसंपत्तियों के विनिमय मंच; इसके शेयरधारक/संस्थापक और व्यक्तिगत क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्ति व्यापारी) अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास आभासी मुद्रा विनिमय (वी. सी. ई.) के माध्यम से वी. सी. में व्यापार की गतिविधि को प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे कानूनी निविदा नहीं हैं, लेकिन व्यापार योग्य वस्तुएँ/डिजिटल वस्तुएँ, जो 1934 के अधिनियम या 1949 के अधिनियम के नियामक ढांचे के भीतर नहीं आती हैं और वी. सी. देश की ऋण प्रणाली के भीतर भी नहीं आती हैं ताकि भारतीय रिजर्व बैंक को इसके तहत सक्षम बनाया जा सके।1934 के अधिनियम की प्रस्तावना जो इसे मुद्रा के संचालन का अधिदेश देती है और अपने लाभ के लिए देश की ऋण प्रणाली-आयोजितः 2016 के संशोधन अधिनियम के बाद, आर. बी. आई. को अब संचालन करने का दायित्व सौंपा गया है।भारत में मौद्रिक नीति ढांचा-1934 अधिनियम, 1949 अधिनियम और 2007 का अधिनियम संचयी रूप से भारतीय रिजर्व बैंक को अन्य बातों के साथ-साथ अपने लाभ के लिए देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करने के लिए बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान करता है; अपने लाभ के लिए देश की वित्तीय प्रणाली को विनियमित करता है; भुगतान प्रणाली या एक प्रणाली प्रतिभागी को निर्देश जारी करने के लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में किसी ऐसे कार्य में संलग्न है जिसके परिणामस्वरूप प्रणालीगत जोखिम अपर्याप्त रूप से नियंत्रित होने की संभावना है या जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की संभावना है।भुगतान प्रणाली, मौद्रिक नीति या देश की ऋण नीति और प्रणाली प्रदाताओं या प्रणाली प्रतिभागियों को निर्देश जारी करना याआम तौर पर कोई अन्य व्यक्ति, भुगतान प्रणाली को विनियमित करने के लिए या किसी भी भुगतान प्रणाली

के प्रबंधन या संचालन के हित में या सार्वजनिक हित में-मामले में शामिल क़ानून के पाठ और संदर्भ के आधार पर, विभिन्न न्यायालयों में क्षेत्राधिकारों ने संपत्ति से लेकर वस्तु तक, गैर-पारंपरिक मुद्रा से लेकर भुगतान साधन से लेकर धन तक विभिन्न श्रेणियों से संबंधित आभासी मुद्राओं की पहचान की है-याचिकाकर्ता"यह तर्क कि वी. सी. केवल वस्तु/वस्तुएँ हैं और इन्हें कभी भी वास्तविक धन नहीं माना जा सकता है और वे एक गतिविधि कर रहे हैंजिस पर आर. बी. आई. के पास वैधानिक रूप से कोई शक्ति नहीं है, स्वीकार नहीं किया जाता है-याचिकाकर्ताओं का तर्क कि विवादित निर्णय अधिकार से बाहर है, खारिज कर दिया जाता है।विवादित परिपत्र वीसी में उपयोग/व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, निषेध वीसी में व्यापार के खिलाफ नहीं है-यह बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ है, एक वर्ग के संबंध मेंलेन-देन-इसके अलावा, जब जून 2013 से लेकर 2018 तक की घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक लगभग पांच वर्षों से इस मुद्दे पर विचार कर रहा था, तो भारतीय रिज़र्व बैंक को दिमाग का उपयोग न करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वर्ष-इसके अलावा, यह तर्क कि विवादित परिपत्र कानून में दुर्भावना से दूषित है और शक्ति का एक रंगीन प्रयोग है, को बनाए नहीं रखा जा सकता है-विवादित परिपत्र पर एम. एस. गिल परीक्षण के आधार पर भी हमला नहीं किया जा सकता है-इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर. बी. आई. के पास बहुत व्यापक शक्तियां हैं, हालांकि, शक्ति की उपलब्धता उस तरीके और सीमा से अलग है जिससे इसका उपयोग किया जा सकता है-आर. बी. आई. ने अब तक नहीं पाया है, वी. सी. ई. की गतिविधियों ने वास्तव में प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिस तरह से आर. बी. आई. द्वारा विनियमित संस्थाएं कार्य करती हैं-जब आर. बी. आई. का लगातार रुख यह है कि उन्होंने वी. सी. पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और जबभारत सरकार कई बार कॉल करने के बावजूद कॉल लेने में असमर्थ हैदो मसौदा विधेयकों सहित कई प्रस्तावों के साथ आने वाली समितियाँ, जिनमें से दोनों ने बिल्कुल विपरीत पदों की वकालत की, यह नहीं है यह मानना संभव है कि आक्षेपित उपाय आनुपातिक है - विवादित परिपत्र डी. टी. डी. 06.04.18 आनुपातिकता के आधार पर अलग रखा जाता है-कथन dtd। 05.04.18 , हालांकि चुनौती दी गई है, लेकिन यह एक वैधानिक निर्देश की प्रकृति में नहीं है और इसलिए इसे अलग करने का सवाल ही नहीं उठता है-वित्त अधिनियम, 2016-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949-एस. एस. 5 , 8 , 21 , 22 , 27 , 29 ए, 30 (1 बी), 35 एए, 35 एबी,35 ए (1) (ए), 36 (1) (ए), 36 एए-भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 – एसएस। 2 (1) ; 2 (1) (जी), (एच), (आई), (पी) और एसएस।3 , 4 (1) , 10 (2) , 11 , 17 , 18

- केंद्रीय खाद्य और सेवा कर अधिनियम, 2017 - धारा 2 (75)-भारत का संविधान-Art.19 (1) (g)। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934-भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना-चर्चा का उद्देश्य।भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934-की प्रस्तावना; s.45L (1) आयोजित: वाक्यांश "अपने लाभ के लिए देश की ऋण प्रणाली", के रूप में

प्रस्तावना के पैराग्राफ 1 में पाया जाता है, उप-सेकंड में दोहराया जाता है। (1) एस. 45 एल-दोनों के बीच केवल अंतर यह है कि प्रस्तावना का अनुच्छेद 1 ऋण प्रणाली के संचालन के बारे में बात करता है, जबकि एस। 45 एल (1) ऋण प्रणाली के विनियमन के बारे में बात करता है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949-रिजर्व बैंक की शक्ति भारत के तहत-चर्चा की गई।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934। 3 (1) आयोजित किया गया:" एस में दिखाई देने वाली मुद्रा का प्रबंधन। 3 (1) यह आवश्यक नहीं है कि यह कानून द्वारा मान्यता प्राप्त मुद्रा के प्रबंधन तक ही सीमित हो, बल्कि इसमें वह भी शामिल होगा जो नकली मुद्रा बनाने या मुद्रा की भूमिका निभाने में सक्षम है।

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 -चर्चा की।

प्रशासनिक कानून-शक्ति और द्वेष का रंगीन प्रयोगभारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) ने अपने द्वारा विनियमित संस्थाओं को परिपत्र जारी कर निर्देश दिया है कि वे आभासी मुद्राओं (वी. सी.) से निपटने/निपटान करने वाली किसी भी व्यक्ति/व्यावसायिक संस्था के साथ सौदा न करें या उन्हें सेवाएं प्रदान न करें और यदि उनके पास ऐसी मुद्राएं हैं तो ऐसे व्यक्तियों/व्यावसायिक संस्थाओं के साथ संबंध से बाहर निकलें-याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आर. बी. आई. द्वारा सार्वजनिक हित का आह्वान, एक हथियार के रूप में, कथित रूप से आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, उपभोक्ताओं या व्यापारियों के लाभ के लिए, शक्ति का एक रंगीन अभ्यास है-आयोजित: टिकने योग्य नहीं-एक बार जब यह हो जाता है यह स्वीकार करते हुए कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जनहित में निर्देश जारी करने की शक्तियां हैं, आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, उपभोक्ताओं या व्यापारियों को कवरेज से बाहर करना असंभव है-शक्ति के रंगीन प्रयोग का गठन करने के लिए, अधिनियम को दुर्भावना से किया गया होगा और शक्ति का प्रयोग विनियमित [2020] 2 एस. सी. आर. की रक्षा के उद्देश्य से नहीं किया गया होगा। संस्थाओं या आम जनता, लेकिन उन लोगों को मारने के उद्देश्य से जो लक्षय बनाते हैं-कानून में द्वेष का गठन करने के लिए, यह कार्य उचित या संभावित कारण के बिना गलत तरीके से और जानबूझकर किया गया होना चाहिए-विवादित परिपत्र उनमें से किसी की श्रेणी में नहीं आता है।

प्रशासनिक कानून-सांविधिक प्राधिकरण-भारतीय रिज़र्व बैंक की शक्ति और अन्य सांविधिक जीवों और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच अंतर-पर चर्चा की गई।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - s.35A (1)-भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने परिपत्र जारी कर उन संस्थाओं को निर्देश दिया जिन्हें उसने विनियमित नहीं किया है आभासी मुद्राओं (वी. सी.) से निपटने/निपटान करने वाली किसी भी व्यक्ति/व्यावसायिक संस्थाओं से निपटने या उन्हें सेवाएं प्रदान करने के लिए और ऐसे व्यक्तियों/व्यावसायिक संस्थाओं के साथ संबंध से बाहर निकलने के लिए याचिकाकर्ताओं की याचिका जो सार्वजनिक हित को व्यक्त करती है। एस में। 35 ए (1) (ए) को एक विस्तृत अर्थ नहीं दिया जा सकता है-आयोजित: पावर यू / s.35A निर्देश जारी करने के लिए चार के तहत प्रयोग किया जाना हैआकस्मिकताएँ-(i) लोक हित (ii) बैंकिंग नीति का हित (iii) जमाकर्ताओं का हित और (iv) बैंकिंग कंपनी का हित। अभिव्यक्ति "बैंकिंग नीति" को एस में परिभाषित किया गया है। 5 (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी नीति का अर्थ (i) बैंकिंग प्रणाली के हित में (ii) मौद्रिक स्थिरता के हित में और (iii) मजबूत आर्थिक विकास जनहित इन तीनों क्षेत्रों में व्याप्त है यही कारण है कि एस। 35 ए (1) (ए) को आक्षेपित परिपत्र में लागू किया जाता है।

भारत का संविधान-Art.19 (1) (g)-भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने परिपत्र जारी कर अपने द्वारा विनियमित संस्थाओं को सौदा नहीं करने का निर्देश दिया

आभासी मुद्राओं (वी. सी.) से निपटने/निपटान करने वाली किसी भी व्यक्ति/व्यावसायिक संस्था को सेवाएं प्रदान करना या प्रदान करना और ऐसे व्यक्तियों/व्यावसायिक संस्थाओं के साथ संबंध से बाहर निकलने के लिए-याचिकाकर्ताओं की याचिका (ऑनलाइन और डिजिटल सेवा उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विशेष उद्योग निकाय; ऑनलाइन क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों के आदान-प्रदान मंच चलाने वाली कंपनियां; इसके शेयरधारक/संस्थापक और

गुप्त संपत्ति व्यापारी) कि कानून द्वारा गैरकानूनी घोषित नहीं की गई किसी गतिविधि का पूर्ण निषेध, विशेष रूप से एक अधीनस्थ कानून जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के माध्यम से, Art.19 (1) (g) का उल्लंघन है: वी. सी. के माध्यम से गुप्त मुद्राओं की खरीद और बिक्री

आदान-प्रदान शौक के रूप में या व्यापार/व्यवसाय के रूप में हो सकते हैं-ऐसे व्यक्ति जो आभासी मुद्राओं को खरीदने और बेचने में संलग्न हैं, जैसे शौक का मामला कला पर अपना दावा नहीं कर सकता है। 19 (1) (छ), जिसके लिए कवर किया गया है

इसमें केवल भारत का पेशा, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय इंटरनेट और मोबाइल संगठन v हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

इसलिए शौकीनों, जो तीन श्रेणियों में से एक हैं

नागरिक (शौकीन, वी. सी. और वी. सी. एक्सचेंजों में व्यापारी), सीधे चुनौती यू/आर्ट से बाहर निकल जाते हैं। 19 (1) (छ)-नागरिकों की दूसरी और तीसरी श्रेणियाँ, अर्थात् जिन्होंने खरीद और बिक्री की है।

वीसी अपने व्यवसाय या व्यापार के रूप में, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वीसी एक्सचेंज चला रहे हैं, वे निश्चित रूप से कला के आधार पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। 19 (1) (जी)।

शब्द और वाक्यांश-"मुद्रा", "मुद्रा नोट", "भारतीय मुद्रा" "धन", "विनियमित"-परिभाषा और अर्थ -

चर्चा की।

रिट याचिकाओं को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपी गई भूमिका, सौंपे गए कार्य और प्रदत्त शक्तियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) अब

केवल आर. बी. आई. पर। "अपने लाभ के लिए देश की ऋण प्रणाली" वाक्यांश, जैसा कि प्रस्तावना के पैराग्राफ 1 में पाया गया है, धारा 45 एल की उप-धारा (1) में दोहराया गया है। दोनों के बीच एकमात्र

अंतर यह है कि प्रस्तावना का अनुच्छेद 1 ऋण प्रणाली के संचालन के बारे में बात करता है, जबकि धारा 45 एल (1) ऋण प्रणाली के विनियमन के बारे में बात करता है। धारा 45 एल की उप-धारा (1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त निर्देशों को जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक धारा 45 एल की उप-धारा (3) के तहत कुछ चीजों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है, उनमें से एक "ऐसी वित्तीय संस्था के व्यवसाय का मुद्रा और पूंजी बाजार के रुझानों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है"। आर. बी. आई. अधिनियम, 1934 की पूरी तरह से सावधानीपूर्वक जांच से पता चलेगा कि देश की ऋण/वित्तीय प्रणाली का संचालन/विनियमन इसके लाभ के लिए एक ऐसा सूत्र है जो उन सभी प्रावधानों को जोड़ता है जो उन्हें शक्तियां प्रदान करते हैं।आर. बी. आई., नीति निर्धारित करने और निर्देश जारी करने दोनों के लिए। [पैरा 6.15,6.16,226 और 6:30] [352-सी, ई; 355-एफ-जी; 356-जी-एच]

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 संचयी रूप से

भारतीय रिज़र्व बैंक (आई) को अपने [2020] 2 एस. सी. आर. के लिए देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करने के लिए बहुत व्यापक शक्तियों को मान्यता और प्रदान करता है।

लाभ (ii) केंद्र सरकार से मुद्रा का प्रबंधन संभालना (iii) भारत में किसी भी स्थान पर वैध मुद्रा वाले बैंक नोट बनाने और जारी करने का एकमात्र अधिकार होना (iv) देश की वित्तीय प्रणाली को उसके लाभ के लिए विनियमित करना (v) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्षय के निर्धारण में अपनी बात रखना (vi) बैंकिंग कंपनियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना (vii) भुगतान प्रणालियों को विनियमित करना और उनका पर्यवेक्षण करना (viii) भुगतान प्रणाली के लिए मानकों और दिशानिर्देशों को निर्धारित करना।

भुगतान प्रणाली का उचित और कुशल प्रबंधन (ix) किसी भुगतान प्रणाली या प्रणाली प्रतिभागी को निर्देश जारी करने के लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में किसी ऐसे कार्य में संलग्न है जिसके परिणामस्वरूप प्रणालीगत जोखिम अपर्याप्त रूप से नियंत्रित होने की संभावना है या जो भुगतान प्रणाली, मौद्रिक नीति या देश की ऋण नीति को प्रभावित करने की संभावना है और (x) प्रणाली प्रदाताओं या प्रणाली प्रतिभागियों या किसी अन्य व्यक्ति को आम तौर पर, भुगतान प्रणाली को विनियमित करने के लिए या प्रबंधन के हित में या किसी अन्य व्यक्ति को निर्देश जारी करने के लिए।

किसी भी भुगतान प्रणाली का संचालन या जनहित में। [पैरा 6.5] [364-डी-एच]

1.3 वी. सी. की पहचान तय करना

इस वास्तविकता से सहमत हो गए हैं कि आभासी मुद्राएं वास्तविक धन के रूप में उपयोग करने में सक्षम हैं, लेकिन वे सभी इनकार मोड में चले गए हैं (जैसे कि कहावत बिल्ली अपनी आँखें बंद कर रही है औरयह सोचकर कि पूरी तरह से अंधेरा है) यह दावा करके कि वीसी के पास कानूनी निविदा का दर्जा नहीं है, क्योंकि वे किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा समर्थित नहीं हैं। लेकिन माल की एक वस्तु किस रूप में काम करने में सक्षम है, यह कानून में मान्यता प्राप्त करने के तरीके से अलग है। यह उतना ही सच है जितना कि वीसी को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि यह सच है कि वे वास्तविक मुद्रा के कुछ या अधिकांश कार्यों को करने में सक्षम हैं। [अनुच्छेद 6.59,662] [381 डी-ई, 382 ई-जी] भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

1.4 अदालत को नहीं लगता कि आर. बी. आई. की भूमिका और शक्ति केवल तभी काम में आ सकती है जब किसी चीज़ ने वास्तव में कानूनी निविदा का दर्जा प्राप्त कर लिया हो। अदालत को यह भी नहीं लगता कि आर. बी. आई. को अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए, किसी चीज में सभी चार होने चाहिए। मुद्रा की विशेषताएँ या कार्य। [पैरा 6.65] [384 ए-बी]

1.5 में शामिल क़ानून के पाठ के आधार पर

मामला और (ii) संदर्भ के आधार पर, विभिन्न न्यायालयों ने संपत्ति से लेकर वस्तु तक, गैर-पारंपरिक मुद्रा से लेकर भुगतान साधन से लेकर धन तक, विभिन्न श्रेणियों से संबंधित आभासी मुद्राओं की पहचान की है। जबकि प्रत्येक

ये विवरण सत्य हैं, इनमें से कोई भी संपूर्ण सत्य नहीं है। आभासी मुद्राओं की पहचान तय करने का प्रयास करने वाले प्रत्येक न्यायालय ने जैन धर्म के अनेकांतवाद दर्शन (गैर-निरंकुशता का सिद्धांत जो सापेक्षवाद और बहुलवाद की स्वीकृति को प्रोत्साहित करता है) में केवल 4 अंधे लोगों के रूप में काम किया, जो एक हाथी का वर्णन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में हाथी की केवल एक भौतिक विशेषता का वर्णन करते हैं। आर. बी. आई. भी इस दुविधा में फंस गया था। कुछ भी भारतीय रिज़र्व बैंक को "अन्य समान उपकरणों" की श्रेणी के तहत वी. सी. को अधिसूचित करके शॉर्ट सर्किट अपनाने से नहीं रोक सका।

फेमा, 1999 की धारा 2 (एच) 'मुद्रा' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है "सभी मुद्रा नोट, डाक नोट, डाक आदेश, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, यात्रियों के चेक, क्रेडिट पत्र, विनिमय पत्र और वचन पत्र, क्रेडिट कार्ड या इसी तरह के अन्य उपकरण। जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। आखिरकार, वचन पत्र, चेक, विनिमय पत्र आदि भी बिल्कुल मुद्रा नहीं हैं, बल्कि केवल 2 व्यक्तियों या समकक्षों के बीच ऋण के वैध निर्वहन (या सृजन) के रूप में काम करते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि वीसी हैं

केवल सामान/वस्तुएँ और इन्हें कभी भी वास्तविक धन नहीं माना जा सकता है। एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि कुछ संस्थान आभासी रूप से स्वीकार करते हैं

वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए वैध भुगतान के रूप में मुद्राएं, इस निष्कर्ष से बच नहीं सकती हैं कि आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ता और व्यापारी ऐसी गतिविधि करते हैं जो पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में आती है। द.

एक केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का वैधानिक दायित्व है कि (i) मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करना, (ii) वित्तीय प्रणाली को विनियमित करना और (iii) देश की भुगतान प्रणाली को पटरी पर लाना सुनिश्चित करना, उन्हें स्वाभाविक रूप से उन सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए मजबूर करेगा जो [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

देश की मौद्रिक, मुद्रा, भुगतान, ऋण और वित्तीय प्रणालियों के लिए संभावित जोखिम के रूप में। यदि एक अमूर्त संपत्ति कुछ परिस्थितियों में धन के रूप में कार्य कर सकती है (यहां तक कि एक नकली संपत्ति के बिना भी)

मुद्रा) तब भारतीय रिज़र्व बैंक निश्चित रूप से इस पर ध्यान दे सकता है और इससे निपट सकता है। इसलिए याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि वे ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जिस पर आर. बी. आई. को वैधानिक रूप से कोई अधिकार नहीं है। [पैरा 6.85-6.87] [393 जी, 394 ए-जी]

1.6 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 3 के तहत मुद्रा के प्रबंधन के लिए अधिकार का एकमात्र भंडार भारतीय रिज़र्व बैंक है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास धारा 22 (1) के तहत बैंक नोट जारी करने और भारत सरकार द्वारा उसे आपूर्ति किए गए मुद्रा नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्षय को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत दर निर्धारित करने के लिए सशक्त मौद्रिक नीति समिति में भागीदारी करके देश की मौद्रिक नीति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए, जो कुछ भी देश की वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा पैदा कर सकता है या उस पर प्रभाव डाल सकता है, उसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित या प्रतिबंधित किया जा सकता है, भले ही उक्त गतिविधि ऋण प्रणाली या भुगतान प्रणाली का हिस्सा न हो। अभिव्यक्ति

" धारा 3 (1) में दिखाई देने वाली मुद्रा का प्रबंधन आवश्यक रूप से उसके प्रबंधन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। कानून में मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त है लेकिन इसमें यह भी शामिल होगा कि क्या है

नकली या मुद्रा की भूमिका निभाने में सक्षम। यह विडंबना है कि आभासी मुद्राएँ जो एक केंद्रीय प्राधिकरण (जैसे कि भारतीय रिज़र्व बैंक) के राक्षस को मारने के लिए (इसके निर्माता सतोशी के अनुसार)

अवतार लेती हैं, उसी केंद्रीय प्राधिकरण से बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच की मांग करती हैं ताकि अवतार का उद्देश्य पूरा हो सके। डिजिटल मुद्रा/बिटक्वाइन का निर्माण ही मुक्त करने के लिए था

मौद्रिक प्रणाली केंद्रीय प्राधिकरण के गुलाम होने से और निजी हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से संचालित होने से। इसलिए, अधिकारातीत तर्क को तब स्वीकार नहीं किया जा सकता जब बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच का प्रावधान बिना किसी कारण के हो। लंबे समय तक केंद्रीय प्राधिकरण के हस्तक्षेप को केंद्रीय प्राधिकरण के अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में माना जाता है। इसलिए, यह माना जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस तरह की गतिविधि को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने की आवश्यक शक्ति है। [अनुच्छेद 6.90,6.91] [395 डी-जी; 396 ए-बी] भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

1.7 यदि कुछ भी हो, तो शक्ति केवल विनियमित करने की है, निषेध करने की नहीं।

किसी गतिविधि के पूर्ण निषेध के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के विवादित निर्णयों का अनुमान सही नहीं हो सकता है। द.

विवादित परिपत्र वीसी के उपयोग या व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। यह केवल आर. बी. आई. द्वारा विनियमित संस्थाओं को निर्देश देता है कि वे व्यापार में लगे लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान न करें या वी. सी. में व्यापार को सुविधाजनक न बनाएं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (1) (ए) बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार देती है -

बैंकिंग कंपनियों को कुछ प्रकार के लेन-देन या लेन-देन के वर्ग में प्रवेश करने से सावधान करें या प्रतिबंधित करें। यह प्रतिबंध वी. सी. में व्यापार के खिलाफ नहीं है। लेन-देन के एक वर्ग के संबंध में यह बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ है। तथ्य यह है कि वी. सी. ई. की कार्यप्रणाली स्वतः ही लकवाग्रस्त हो जाती है याविवादित परिपत्र के कारण अपंग, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि यह पूर्ण निषेध के बराबर है। जब तक वी. सी. में व्यापार करने वाले उन्हें भारत में फिएट मुद्रा में परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं और जब तक कि वी. सी. ई. बैंकिंग चैनलों के माध्यम से अपने सेवा शुल्क या कमीशन को फिएट मुद्रा में एकत्र नहीं करना चाहते हैं, तब तक वे

इस परिपत्र से प्रभावित नहीं होंगे। मान लीजिए पीयर-टू-पीयर

वी. सी. खरीदें और बेचें, जो परिपत्र से गंभीर रूप से प्रभावित हैं, क्योंकि व्यापार को सुविधाजनक बनाकर वे जो कमीशन कमाते हैं, उसे फिएट मुद्रा में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। दिलचस्प बात यह है कि याचिकाकर्ता एक ओर तर्क देते हैं कि पूर्ण निषेध है और दूसरी ओर तर्क देते हैं कि परिपत्र वास्तविक व्यापार को कम करने के अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता है, हालांकि यह विनिमय को पंगु बना देता है। यदि इस प्रस्तुति का पहला भाग सही है, तो दूसरा नहीं हो सकता है और यदि दूसरा

भाग सही है, तो पहला नहीं हो सकता है। जब भारतीय रिज़र्व बैंक किसी नीति को तैयार करने और उसे लागू करने के लिए निर्देश जारी करने, दोनों के लिए उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है, तो ऐसे निर्देश स्वयं अधिनियम के पूरक बन जाते हैं। विवादित परिपत्र का उद्देश्य बैंकिंग कंपनियों को कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकना है। परिपत्र वास्तव में संस्थाओं को संबोधित हैआर. बी. आई. द्वारा विनियमित और उन लोगों के लिए नहीं जो आर. बी. आई. के शुद्ध दायरे में नहीं आते हैं। लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस तरह की शक्ति का प्रयोग, [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके द्वारा विनियमित संस्थाओं पर, याचिकाकर्ताओं जैसे कुछ प्रतिष्ठानों को संपार्श्विक क्षति हुई है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की पहुंच के भीतर नहीं आते हैं। एक सांविधिक प्राधिकारी की शक्तिकुछ करने के लिए सामान्य रूप से उन व्यक्तियों/संस्थाओं के संदर्भ में परीक्षण किया जाना चाहिए जिनके अधिकार का प्रयोग किया जाता है। ऐसे मामलों में यह सवाल उठाया जाना चाहिए कि क्या प्राधिकरण के पास वह कार्य करने या ऐसा निर्देश जारी करने की शक्ति थी, जिसे वह संबोधित करता है। जबकि वे व्यक्ति जो संपार्श्विक से पीड़ित हैं

क्षति निश्चित रूप से कार्रवाई को चुनौती दे सकती है, ऐसी चुनौती बिजली की उपलब्धता के लिए एक बहुत ही कमजोर चुनौती होगी। [पैरा 6,94, 6.99 और 6.104,6.105] [397C-G, 398A, 401-F-G, 403 A-B]

1.8 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 18 इंगित करती है कि (i) भारतीय रिजर्व बैंक क्या कर सकता है (ii) वे व्यक्ति जो ऐसा कर सकते हैं।

किया और (iii) वह उद्देश्य जिसके लिए यह किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, धारा 18 भारतीय रिज़र्व बैंक (आई) को इलेक्ट्रॉनिक, गैर-इलेक्ट्रॉनिक सहित भुगतान प्रणालियों के विनियमन से संबंधित नीतियों को निर्धारित करने का अधिकार देती है।

इलेक्ट्रॉनिक, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों को प्रभावित करना

घरेलू लेन-देन और (ii) ऐसे निर्देश देना जो वह आवश्यक समझे। आर. बी. आई. धारा 18 के तहत ये कर सकता है। दूसरे पहलू पर आते हुए, धारा 18 के तहत जिन व्यक्तियों की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, वे हैं (i) प्रणाली प्रदाता (ii) प्रणाली प्रतिभागी और (iii) कोई अन्य व्यक्ति या ऐसी कोई एजेंसी। "सिस्टम प्रदाता" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया है।

धारा 2 (1) (क्यू) के तहत एक व्यक्ति का अर्थ है जो एक अधिकृत भुगतान प्रणाली संचालित करता है। "सिस्टम प्रतिभागी" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया है।

धारा 2 (1) (पी) में किसी बैंक या भुगतान प्रणाली में भाग लेने वाले किसी अन्य व्यक्ति का अर्थ है, जिसमें प्रणाली प्रदाता भी शामिल है। इसके अलावा

अभिव्यक्ति 'प्रणाली प्रदाता' और 'प्रणाली प्रतिभागी', धारा 18 में 'कोई अन्य व्यक्ति' और 'ऐसी कोई भी एजेंसी' का भी उपयोग किया गया है। जिन उद्देश्यों के लिए धारा 18 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, उन्हें भी धारा 18 में दर्शाया गया है। वे हैं (i) भुगतान प्रणालियों का विनियमन (ii) भुगतान प्रणाली का ब्याज।किसी भी भुगतान प्रणाली का प्रबंधन और संचालन और (iii) लोक हित। विवादित परिपत्र मुख्य रूप से उन बैंकों को संबोधित है जो अनुभाग के अर्थ के भीतर "प्रणाली प्रतिभागी" हैं।

2 (1) (पी)। बैंकों के पास निश्चित रूप से एक दाता और एक लाभार्थी के बीच भुगतान की एक प्रणाली है, जो अभिव्यक्ति भुगतान प्रणाली के अर्थ के भीतर आती है। इसलिए, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की समग्र योजना में, भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

2007 , यह कहना असंभव है कि आर. बी. आई. के पास नीतियां बनाने और व्यवस्था वाले बैंकों को निर्देश जारी करने की शक्ति नहीं है।प्रतिभागियों, लेन-देन के संबंध में जो इसके अंतर्गत आएंगे

भुगतान दायित्व या भुगतान निर्देश की श्रेणी, यदि भुगतान प्रणाली नहीं है। इसलिए, धारा 18 के इर्द-गिर्द घूमता तर्क विफल होना चाहिए। [पारस 6.106-6.109,6.111] [402B, D-G, G-H, 403-A, D-E]

2. शक्ति के प्रयोग की विधिः

संतुष्टि/मन का अनुप्रयोग/प्रासंगिक और अप्रासंगिक विचारवर्तमान मामले के तथ्यों में, आर. बी. आई. को विवेक का उपयोग न करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। वास्तव में, मुद्दा यह है कि कैसे

आभासी मुद्राओं से निपटने के लिए जून 2013 से आर. बी. आई. के साथ गतिरोध बना हुआ है। जून 2013 से लेकर आई. डी. 1 तक की घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि आर. बी. आई. बिना कोई चरम कदम उठाए लगभग पांच वर्षों से इस मुद्दे पर विचार कर रहा था।इसलिए, आर. बी. आई. को शायद ही दिमाग का उपयोग न करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। यदि कोई मुद्दा बार-बार किसी वैधानिक प्राधिकरण के सामने आया था और इस तरह के प्राधिकरण ने उन लोगों को चेतावनी भी जारी की थी जिनके प्रभावित होने की संभावना है, तो यह शायद ही कहा जा सकता है कि कोई दिमाग का उपयोग नहीं था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए (1) और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 जेए और 45 एल द्वारा आवश्यक "संतुष्टि" पर पहुंचने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक को एक शोध प्रबंध लिखने या निर्णय लिखने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में, आर. बी. आई. पर प्रासंगिक विचारों पर ध्यान नहीं देने या अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में नहीं रखने का आरोप भी नहीं

लगाया जा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने केवल उन विचारों को ध्यान में रखा है जिन्हें एफ. ए. टी. एफ., बी. आई. एस. आदि जैसे विभिन्न देशों के बहुराष्ट्रीय निकायों और नियामकों ने ध्यान में रखा है। यह दिनांकित 24-12-2013 की प्रारंभिक प्रेस विज्ञप्ति से भी देखा जा सकता है, जो दिनांकित 06-04-2018 के विवादित परिपत्र से अधिक विस्तृत है। जब लगभग पाँच वर्षों की अवधि में एक सांविधिक प्राधिकारी द्वारा उठाए गए कदमों की एक श्रृंखला विस्तार से खुलासा करती है कि उनकी कार्रवाई का कारण क्या था, तो श्रृंखला के अंतिम आदेशों को अलग से देखना और यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि प्राधिकरण द्वारा प्राप्त संतुष्टि उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं होती है। किसी भी मामले में, इस अदालत द्वारा 21-08-2019 पर पारित एक आदेश के अनुसार, RBI ने याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का एक विस्तृत बिंदु-वार जवाब दिया। इन अभ्यावेदनों में, [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ताओं ने उन सभी विचारों पर प्रकाश डाला है जिन्हें उन्होंने प्रासंगिक माना है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04-09-2019 और 18-09-2019 पर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया दी है। इसलिए, यह तर्क कि दिमाग का कोई उपयोग नहीं था और प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखने के लिए छोड़ दिया गया था, बाद के विकास को देखते हुए अपनी शक्ति खो देता है। [पारस 6.113,6.116-6.118] [404B, 405A-D, 406G H, 407A-B]

3. कानून में द्वेष/रंगीन व्यायाम

विवादित परिपत्र किसी विशेष ग्राहक के किसी विशेष खाते को फ्रीज या बंद करने का आदेश नहीं देता है। विवादित परिपत्र में केवल इतना ही कहा गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं वी. सी. के साथ काम करने या निपटान करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के साथ अपने संबंधों से तीन महीने के भीतर बाहर निकल जाएंगी।

एक इकाई की कई गतिविधियों में से एक के लिए संपार्श्विक क्षति जो वैधानिक प्राधिकरण के दायरे में नहीं आती है, उसे शक्ति के रंगीन प्रयोग के रूप में या कानून में द्वेष द्वारा दूषित नहीं किया जा सकता है। शक्ति के रंगीन प्रयोग का गठन करने के लिए, यह कार्य दुर्भावना से किया गया होना चाहिए और शक्ति का प्रयोग सुरक्षा के उद्देश्य से नहीं किया गया होना चाहिए।विनियमित निकाय या आम जनता, लेकिन उन लोगों को मारने के उद्देश्य से जो लक्षय बनाते हैं। कानून में द्वेष का गठन करने के लिए, यह कार्य भारत के उचित इंटरनेट और मोबाइल संगठन के बिना गलत तरीके से और जानबूझकर किया गया होना चाहिए।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

या संभावित कारण। विवादित परिपत्र उनमें से किसी की श्रेणी में नहीं आता है। यह तर्क कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक हथियार के रूप में 'जनहित' का आह्वान, कथित रूप से आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, उपभोक्ताओं या व्यापारियों के लाभ के लिए, शक्ति का एक रंगीन अभ्यास है, भी कारगर नहीं है। एक बार जब यह मान लिया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास जनहित में निर्देश जारी करने की शक्तियां हैं, तो आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, उपभोक्ताओं या व्यापारियों को कवरेज से बाहर करना असंभव है। वास्तव में, 2013 से आर. बी. आई. द्वारा बार-बार जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति से संकेत मिलता है कि आर. बी. आई. जनता के सदस्यों को नहीं चाहता था, जिसमें उपयोगकर्ता, उपभोक्ता और उपभोक्ता शामिल हैं।

वीसी के व्यापारी, यहाँ तक कि दूर से यह सोचने के लिए कि आभासी मुद्राओं को कानूनी निविदा का दर्जा प्राप्त है या वे किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा समर्थित हैं। वीसी वास्तव में क्या करते हैं या नहीं करते हैं, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि वे वास्तविक मुद्राओं के कुछ कार्यों को करने में सक्षम हैं। इसलिए, यदि आर. बी. आई. भोली-भाली जनता को यह भ्रम होने से रोकने के लिए कदम उठाता है जैसे कि वी. सी. एक वैध कानूनी निविदा का गठन कर सकते हैं, तो इस प्रकार उठाए गए कदम वास्तव में हैं।

अच्छे विश्वास में लिया गया। दिसंबर 2013 से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बार-बार चेतावनी देना जनता के हितों की रक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से एक वास्तविक प्रयास का संकेत देता है। इसलिए, यह तर्क कि विवादित परिपत्र कानून में द्वेष से दूषित है और यह शक्ति का एक रंगीन प्रयोग है, बनाए नहीं रखा जा सकता है। धारा 35ए के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति का उपयोग चार आकस्मिकताओं के तहत किया जाना है, अर्थात् (i) जनहित (ii) बैंकिंग नीति का हित (iii) जमाकर्ताओं का हित और (iv) बैंकिंग कंपनी का हित। "बैंकिंग नीति" शब्द को धारा 5 (सी. ए.) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई भी नीति (i) बैंकिंग प्रणाली के हित में (ii) मौद्रिक स्थिरता के हित में और (iii) मजबूत आर्थिक विकास। जनहितइन तीनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। यही कारण है कि धारा 35ए (1) (ए) को विवादित परिपत्र में लागू किया गया है। इसलिए, यह तर्क कि विवादित निर्णय शक्ति का एक रंगीन प्रयोग है और इसे कानून में द्वेष से दूषित किया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। [पारस 6.120,6.122,6.123 और 6.125] [407E-G; 408C-G; 409A-B; F-G]

4. एम. एस. गिल रीजनिंग

विवादित परिपत्र पर दो कारणों से एम. एस. गिल परीक्षण के आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है। पहला यह है कि सभापति में, सभी

इस मामले में एम. एस. गिल का हथियार क्यों धुंधला हो जाएगा, इसका कारण यह है कि इस मामले के लंबित रहने के दौरान, इस अदालत ने 21-08-2019 पर एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें RBI को एक बिंदुवार जवाब देने का निर्देश दिया गया था।रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया विस्तृत प्रतिनिधित्व। उक्त आदेश के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने 04-09-2019 और 18-09-2019 पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी। इसलिए, एम. एस. गिल परीक्षण पर आधारित तर्क अपनी शक्ति खो चुका है। [पैरा 6.126] [410A-D]

5. अन्य हितधारकों का प्रतीक्षा करें और देखें दृष्टिकोण

इन हितधारकों में से प्रत्येक को एक अलग कार्य करना है और वे इसके आधार पर एक दृष्टिकोण रखने के हकदार हैं।

प्रिज्म जिसके माध्यम से वे इस मुद्दे को देखने के लिए बाध्य हैं। इसलिए इसे नहीं अपनाने के लिए आर. बी. आई. को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

दूसरों की तरह दृष्टिकोण। [पैरा 6.128] [411B-C]

6. अन्य देशों का प्रकाश-स्पर्श दृष्टिकोण

न्यायालय के न्यायिक निर्णय को अन्य देशों ने जो किया है या नहीं किया है, उससे रंग नहीं दिया जा सकता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण यह केवल न्यायिक निर्णय लेने के सिद्धांतों के संबंध में सहायता करता है न कि मौजूदा वैधानिक योजना के आधार पर की गई कार्रवाई की वैधता का परीक्षण करने के लिए। [पैरा 6.129] [411E]

7. याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए एहतियाती कदम

तथ्य यह है कि उन्नत के. वाई. सी. मानदंड ग्राहक की गुमनामी को हटा सकते हैं, लेकिन वी. सी. की नहीं। द.

अदालत यह कहने में विशेषज्ञ नहीं है कि क्या रखे गए सुरक्षा वाल्वों से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान हो सकता था। [पैरा 6.131] [412A C]

8. विभिन्न प्रकार के वी. सी. को विभिन्न उपचारों की आवश्यकता होती है।

एक ही आभासी मुद्रा में एक दिशा हो सकती है।

या उस योजना के आधार पर द्विदिशात्मक प्रवाह जिसके साथ भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

इकाइयाँ उठती हैं। इसके अलावा, सवाल यह है कि क्या बेनामी है

छद्म को गुमनाम छोड़ कर अकेले वीसी को प्रतिबंधित किया जा सकता था, यह विशेषज्ञों के लिए है और इस अदालत को फैसला नहीं करना है। किसी भी मामले में

मामले में, आर. बी. आई. द्वारा लिया गया रुख यह है कि उन्होंने वी. सी. पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसलिए, यह सवाल नहीं उठता कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक को विभिन्न वीसी के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था। [पैरा6.135] [413ई-एफ]

9. डी. एल. टी. की स्वीकृति और वी. सी. की अस्वीकृति एक विरोधाभास है

तकनीकी प्रगति/नवाचार की स्वीकृति के बारे में कुछ भी तर्कहीन नहीं है, लेकिन इस तरह के नवाचार के उत्पाद को अस्वीकार करना है। "इसे ले लो या छोड़ दो" विकल्प जैसा कुछ नहीं है। [पैरा 6.137] [413H, A]

10. आर. बी. आई. के निर्णय न्यायिक सम्मान के योग्य नहीं हैं।

आर. बी. आई. विधायिका के एक अधिनियम द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य वैधानिक निकाय की तरह नहीं है। यह एक प्राणी है, जिसे अपने निर्माता से भी मुक्त होने के जनादेश के साथ बनाया गया है। यही कारण है कि इसे एक अधिदेश दिया गया है-(i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की प्रस्तावना के तहत, देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को अपने लाभ के लिए संचालित करने के लिए औरदेश में मौद्रिक नीति ढांचे का संचालन करना (ii) धारा 3 (1) के तहत, धारा 20 के तहत केंद्र सरकार से मुद्रा का प्रबंधन लेना (iii), केंद्र सरकार के खाते के लिए धन स्वीकार करने का कार्य करना, उसके खाते में जमा राशि तक का भुगतान करना और उसका विनिमय, प्रेषण और अन्य बैंकिंग कार्य करना।

धारा 21 (1) के तहत संघ के सार्वजनिक ऋण (iv) के प्रबंधन सहित संचालन, भारत में केंद्र के सभी धन, प्रेषण, विनिमय और बैंकिंग लेनदेन के लिए।

सरकार को धारा 22 (1) के तहत (v) सौंपा गया है,

केंद्र सरकार से। इसलिए, आर. बी. आई. को किसी अन्य वैधानिक निकाय के बराबर नहीं माना जा सकता है जो केवल अपने स्वामी की सेवा करता है। यह विशेष रूप से बहिष्करण के लिए कुछ चीजें करने के लिए सशक्त है यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी। इसलिए, अपने निर्णयों को एक कार्यकारी निर्णय से भी नीचे रखने से अधिनियम की योजना के लिए हिंसा होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 एक पूर्व-संवैधानिक विधान है, जो [2020] 2 एस. सी. आर. द्वारा संविधान में बना रहा।

संविधान के अनुच्छेद 372 (1) के अनुसार। फर्क यह हैअन्य वैधानिक जीवों और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच यह है कि वैधानिक जीव जो कर सकते हैं, वह कार्यपालिका द्वारा भी किया जा सकता है।

अन्य कानूनों में प्रतिनिधि को दी गई शक्ति के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, संशोधन किया जा सकता है या वापस भी लिया जा सकता है। लेकिन शक्ति

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 (1) के तहत केंद्रीय बैंक से मुद्रा का प्रबंधन संभालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदान किया गया।

सरकार को हटाया नहीं जा सकता। भारत में धारा 22 (1) द्वारा प्रदत्त बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार भी किसी अन्य बैंक या प्राधिकरण को नहीं दिया जा सकता है। आर. बी. आई. अपने अधिकार के आधार पर, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का सदस्य है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया जा सकता है और किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदान किया जाता है। इसलिए, यह कहना कि यह किसी भी अन्य वैधानिक प्राधिकरण की तरह है, जिसके निर्णय उचित सम्मान को आमंत्रित नहीं कर सकते हैं, के लिए हिंसा करना है अधिनियम की योजना। वास्तव में, सभी देशों में केंद्रीय बैंक/प्राधिकरण हैं, जिन्हें तकनीकी रूप से देश की सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त है। ऐसी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, एक निश्चित

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कार्यकाल दिया जाता है, ताकि वे राजनीतिक इच्छाओं में न फंसें। इसलिए, तर्ककि आर. बी. आई. द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय किसी भी सम्मान की गारंटी नहीं देता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पारस 6.139,6.141] [414-D-G; 416-B-E, H]

11.1 अनुच्छेद 19 (1) (छ) चुनौती और आनुपातिकता

वी. सी. के माध्यम से गुप्त मुद्राओं की खरीद और बिक्री

आदान-प्रदान शौक के रूप में या व्यापार/व्यवसाय के रूप में हो सकते हैं। इन दोनों के बीच अंतर यह है कि पहले वाले में लाभ का उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी, जबकि दूसरे में ऐसा ही होगा। ऐसे व्यक्ति जो आभासी मुद्राओं को खरीदने और बेचने में संलग्न हैं, बस एकशौक का मामला अनुच्छेद 19 (1) (जी) पर अपना दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें केवल पेशा, व्यवसाय, व्यापार या अन्य चीजें शामिल हैं।

व्यवसाय। इसलिए शौकीनों, जो नागरिकों की तीन श्रेणियों (शौकीनों, वीसी और वीसी एक्सचेंजों में व्यापारियों) में से एक हैं, अनुच्छेद के तहत चुनौती से तुरंत बाहर निकल जाते हैं। 19 (1) (जी)। नागरिकों की दूसरी और तीसरी श्रेणी, अर्थात् वे जिन्होंने वी. सी. की खरीद और बिक्री को अपना व्यवसाय बनाया है।

या व्यापार, और जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वीसी एक्सचेंज चला रहे हैं, वे निश्चित रूप से भारत के अनुच्छेद इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन v के आधार पर अपना दावा पेश कर सकते हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

19 (1) (जी)। तकनीकी रूप से, नागरिकों की दूसरी श्रेणी यह दावा नहीं कर सकती कि भारतीय रिज़र्व बैंक के विवादित निर्णय से उनका व्यापार या व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो गया है। नागरिक जिन्होंने आभासी मुद्राओं को खरीदने और बेचने का व्यापार शुरू किया है आक्षेपित परिपत्र (i) द्वारा या तो क्रिप्टोकरेंसी-से-क्रिप्टोकरेंसी जोड़े में व्यापार करने (ii) या इसमें संग्रहीत मुद्राओं का उपयोग करने पर प्रतिबंध नहीं है।

उनके बटुए, उन लोगों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए भुगतान करने के लिए जो उन्हें भारत के भीतर या विदेश में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आभासी मुद्राओं को शब्द के वास्तविक अर्थ में कहीं भी संग्रहीत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे किसी भी भौतिक आकार या रूप में मौजूद नहीं हैं। वास्तव में जो संग्रहीत किया जाता है वह निजी कुंजी है, जिसका उपयोग सार्वजनिक पते और लेनदेन हस्ताक्षर तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है।

जिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में आभासी मुद्राओं के मालिकों की निजी और सार्वजनिक कुंजी संग्रहीत की जाती है, उसे डिजिटल वॉलेट कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के बटुए हैं अर्थात् (i) कागजी बटुआ जो अनिवार्य रूप से एक दस्तावेज है जिसमें एक सार्वजनिक पता होता है

मुद्रा और एक निजी कुंजी प्राप्त करना जो मालिक को पते में संग्रहीत आभासी मुद्राओं को खर्च करने या स्थानांतरित करने की अनुमति देता है (ii) मोबाइल वॉलेट, जो एक उपकरण है जो एक ऐप के रूप में चलता है

स्मार्टफोन, जहाँ निजी चाबियाँ संग्रहीत की जाती हैं, मालिक को सीधे फोन से क्रिप्टोक्यूरेंसी में भुगतान करने में सक्षम बनाता है (iii) वेब वॉलेट, जिसमें निजी चाबियाँ एक सर्वर पर संग्रहीत की जाती हैं जो लगातार ऑनलाइन होती हैं (iv) डेस्कटॉप वॉलेट, जिसमें निजी चाबियाँ हार्ड ड्राइव में संग्रहीत की जाती हैं और (v) हार्डवेयर वॉलेट, जहाँ निजी चाबियाँ पेन ड्राइव जैसे हार्डवेयर उपकरण में संग्रहीत की जाती हैं। डेस्कटॉप वॉलेट को छोड़कर उपरोक्त सभी प्रकार के वॉलेट बहुत अधिक लचीलेपन की अनुमति देते हैं, जिसमें उन्हें दुनिया में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। शायद डेस्कटॉप बटुए को छोड़कर अधिकांश बटुए में बहुत गतिशीलता है और वे आगे बढ़ गए हैं।सीमाएँ। इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को भी विवादित परिपत्र द्वारा बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचने से रोका जाता है, विवादित परिपत्र ने कई अन्य तरीकों को पंगु नहीं बनाया है जिसमें क्रिप्टोकरेंसी अभी भी बाजार में या उसके माध्यम से अपना रास्ता खोज सकती हैं। जिन व्यक्तियों को विवादित परिपत्र से घातक झटका लगा है, वे केवल वे हैं जो वीसी एक्सचेंज चला रहे हैं और वे भी नहीं जो व्यापार कर रहे हैं

वीसी में। [पारस 6.147-6.154] [419-F-H; 420-A-H; 421-A-D] [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा चिह्नित, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वास्तव में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया, इस अदालत द्वारा 21-08-2019 पर पारित आदेश के अनुसार। आर. बी. आई. ने अनुलग्नक बी में ऊपर निकाले गए दिनांकित 18-09-2019 के जवाब का भी विश्लेषण किया है, याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाए गए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय, यह देखने के लिए कि क्या विवादित उपाय के उद्देश्य को कम घुसपैठ उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय यह पता लगाने के लिए कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाए गए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की प्रतिक्रिया अधिक विस्तार से नहीं देखी जा सकती है।याचिकाकर्ता केवल काल्पनिक थे। लेकिन साथ ही अदालत ने

तीन महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, अर्थात् (i) कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय में वीसी एक्सचेंजों की गतिविधियों को वास्तव में प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं पाया है, जिस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं कार्य करती हैं (ii) कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिया गया और दिनांकित अपने उत्तर में शामिल किया गया सुसंगत रुख यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में वीसी को प्रतिबंधित नहीं किया है और (iii) यह कि 02-11-2017 पर गठित अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति ने भी, जिसने शुरू में एक विशिष्ट कानूनी ढांचे की सिफारिश की थी, जिसमें एक नया कानून, अर्थात् क्रिप्टोक्यूरेंसी-टोकन विनियमन, शामिल है।

मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर डिजिटल क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों की बिक्री और खरीद की अनुमति देने के विचार के साथ ठीक था। लेकिन एक साल के भीतर, उसी अंतर-मंत्रालयी समिति की अंतिम रिपोर्ट फरवरी 2019 में प्रस्तुत की गई।निजी क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई

एक कानून के माध्यम से मुद्राओं को "भारत के इंटरनेट और मोबाइल संगठन पर प्रतिबंध" के रूप में जाना जाएगा।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा अधिनियम का विनियमन,

2019 " . विधेयक के मसौदे में भारत के क्षेत्र में खनन, उत्पादन, धारण, बिक्री, लेन-देन, जारी करने, हस्तांतरण, क्रिप्टोक्यूरेंसी के निपटान या उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव था। साथ ही, विधेयक में (i) भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा एक कानूनी निविदा के रूप में डिजिटल रुपये के निर्माण और (ii) भारत में विदेशी मुद्रा के रूप में किसी भी आधिकारिक विदेशी डिजिटल मुद्रा की मान्यता पर विचार किया गया। उक्त अधिनियम के मामले में

(2019) अगर ऐसा होता, तो एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा होती, जिसके निर्माण और प्रसार के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक/केंद्र सरकार का एकाधिकार होता। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई थी। आज

की तारीख में स्थिति यह है कि वी. सी. पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वी. सी. में व्यापार और वी. सी. एक्सचेंजों के कामकाज को विवादित परिपत्र द्वारा उनकी जीवन रेखा, अर्थात् नियमित बैंकिंग क्षेत्र के साथ इंटरफेस को डिस्कनेक्ट करके कोमा में भेज दिया जाता है। सबसे बुरी बात यह है कि यह किया गया है (i) इसके बावजूद कि भारतीय रिजर्व बैंक को इन एक्सचेंजों के काम करने के तरीके में कुछ भी गलत नहीं लगा है। और (ii) इस तथ्य के बावजूद कि वी. सी. पर प्रतिबंध नहीं है। आर. बी. आई. की चिंता उसके द्वारा विनियमित संस्थाओं के बारे में है और होनी चाहिए। आज तक, आर. बी. आई. ने यह रुख नहीं रखा है कि उसके द्वारा विनियमित संस्थाओं में से कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक हैं।

वी. सी. एक्सचेंज चलाने वाले प्लेटफॉर्म। इसमें कोई संदेह नहीं कि आर. बी. आई.इसके पास न केवल पहले बताए गए 3 अधिनियमों की वैधानिक योजना को देखते हुए, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में इसके विशेष स्थान और भूमिका को देखते हुए भी बहुत व्यापक शक्तियां हैं। इन शक्तियों का प्रयोग निवारक और उपचारात्मक उपायों दोनों के रूप में किया जा सकता है। लेकिन शक्ति की उपलब्धता इसका उपयोग करने के तरीके और सीमा से अलग है। जब भारतीय रिज़र्व बैंक का लगातार यह रुख है कि उन्होंने कुलपतियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और जब भारत सरकार दो मसौदा विधेयकों सहित कई प्रस्तावों के साथ आने वाली कई समितियों के बावजूद निर्णय लेने में असमर्थ है, दोनों ने बिल्कुल विपरीत स्थिति की वकालत की है, तो हमारे लिए यह मानना संभव नहीं है कि विवादित उपाय आनुपातिक है। [पारस 6.166-6.173] [439-A-E; 440-E-F; 441-C

जी; 442-ए-डी] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. इसलिए, याचिकाकर्ता सफल होने के हकदार हैं और विवादित परिपत्र दिनांक 06-04-2018 को दरकिनार किया जा सकता है।

आनुपातिकताक आधार पर। तदनुसार, रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है और 06-04-2018 दिनांकित परिपत्र को अलग कर दिया जाता है। 05-04-2018 दिनांकित वक्तव्य, हालांकि एक रिट याचिका में चुनौती दी गई है, एक वैधानिक निर्देश की प्रकृति में नहीं है और इसलिए इसे अलग करने का सवाल ही नहीं उठता है। एक और मुद्दा बाकी है। यह डिसीडियम इंटरनेट लैब्स प्राइवेट के खाते को फ्रीज करना है। लिमिटेड, जो याचिकाकर्ता नं। 6 2018 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 373 में। मान लीजिए, उक्त याचिकाकर्ता द्वारा की गई गतिविधियों को गैरकानूनी घोषित नहीं किया गया था। आर. बी. आई. का यह सकारात्मक मामला है कि उन्होंने वास्तव में इन खातों पर रोक नहीं लगाई।

याचिकाकर्ता नं. 6 . इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को खाते को डीफ्रीज करने और धन जारी करने का निर्देश देने के लिए बाध्य है। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वर्ली शाखा को चालू खाता संख्या डीफ्रीज करने के लिए तुरंत निर्देश

जारी करे। 3677101984 याचिकाकर्ता नं. 6 2018 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 373 में और खाते में पड़ी निधियों को लागू दर पर ब्याज के साथ कंपनी को जारी करना। [पैरा 7.1 -

7.4] [442 ई-एच, 443 ए-सी]

श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड और अन्र बनाम भारत संघ और अन्य। (1990) 3 एससीसी 223: [1990] 1 एस. सी. आर. 909; जयंतीलाल अमृत लाल शोधन बनाम। एफ. एन. राणा एयर 1964

एससी 648: [1964] एस. सी. आर. 294-अनुसरण किया गया।

एम एस गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त (1978) 1 एस. सी. सी. 405 [1978] 2 एस. सी. आर. 272; राजस्थान राज्य बनाम। बसंत नाहटा (2005) 12 एस. सी. सी. 77: [2005] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 1-लागू नहीं होता है।

सी. आई. टी वी. कस्तूरी एंड संस लिमिटेड (1999) 3 एस. सी. सी. 346: [1999] 1 एससीआर 1207; धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड वी.

व्यापार कर आयुक्त (2006) 5 एस. सी. सी. 624: [2006] 2 पूरक। एस. सी. आर. 673; केशवलाल खेमचंद एंड संस प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ (2015) 4 एस. सी. सी. 770 [2015] 2 एस. सी. आर. 51; स्टार इंडिया प्रा. लिमिटेड। वी. विभाग. औद्योगिक नीति और संवर्धन और अन्य। (2019) 2 एससीसी 104: [2018] 14 एस. सी. आर. 128; खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम। कर्नाटक राज्य (1995) 1 एससीसी 574: [1994] 4 पूरक। एस. सी. आर. 477; सेंट जॉन्स शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाम।

क्षेत्रीय निदेशक, भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

एन. सी. टी. ई. (2003) 3 एस. सी. सी. 321: [2003] 1 एससीआर 975; उदय सिंह डागर बनाम। भारत संघ (2007) 10 एस. सी. सी. 303: [2007] 6 एससीआर 707; पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड v. भारतीय रिजर्व बैंक (1992) 2 एस. सी. सी. 343 [1992] 1 एस. सी. आर. 406; आईसी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड बनाम। एपीएस स्टार इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2010) का आधिकारिक परिसमापक 10 एससीसी 1: [2010] 12 एस. सी. आर. 644; गणेश बैंक ऑफ कुरुनवाड़ लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। (2006) 10 एससीसी 645: [2006] 5 पूरक। एस. सी. आर. 437; अध्यक्ष, अखिल भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड बनाम के. श्याम कुमार और अन्य। (2010) 6 एससीसी 614: [2010] 6 एससीआर 291; पीआरपी निर्यात और अन्य बनाम। मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार और अन्य।

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (2013) 8 एस. सी. सी. 519: [2013] 7 एस. सी. आर. 654-निर्भर। के. रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य 1985 (2) एस. सी. सी. 116 [1985] 2 एस. सी. आर. 1028; गोदावरी पान मसाला

उत्पाद आई. पी. लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम भारत संघ (2004) 7 एस. सी. सी. 68 [2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 239; भारत संघ और ए. एन. आर. बनाम। साइनामाइड इंडिया लिमिटेड एंड एन. आर. (1987) 2 एस. सी. सी. 720: [1987] 2 एससीआर 841; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम बाबू राम उपाध्याय एयर 1961 एससी 751: [1961] एससीआर 679; डी. के. वी प्रसाद राव बनाम सरकार. ए. पी. एयर 1984 ए. पी. 75; पंजाब राज्य और अन्र बनाम गुरदियाल सिंह और अन्य। (1980) 2 एससीसी 471: [1980] 1 एस. सी. आर. 1071; कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) इलाहाबाद और अन्र बनाम। राजा राम जैसवाल (1985) 3 एस. सी. सी. 1: [1985] 3 एस. सी. आर. 995; कलाभारती विज्ञापन बनाम। हेमंत विमलनाथ नरीचनिया और अन्य (2010) 9 एससीसी 437: [2010] 10 एससीआर 971; मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम। एसोसिएशन। प्रबंधन अध्ययन और ए. एन. आर. (2009) 6 एससीसी 171: [2009] 6 एस. सी. आर. 663; बिहार लोक सेवा आयोग बनाम सैयद हुसैन अब्बास रिज़वी और अन्र। (2012) 13 एससीसी 61: [2012]

11 एससीआर 1032; उत्कल ठेकेदार और जॉइनरी (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम। उड़ीसा राज्य और अन्य। (1987) 3 एससीसी 279: [1987] 3 एस. सी. आर. 317; महारानी मिल्स बनाम। नगरपालिका समिति, वर्धा (1958) एससीआर 1102; आर. के. गर्ग बनाम। भारत संघ (1981) 4 एससीसी 675: [1982] 1 एस. सी. आर. 947; बाल्को [2020] 2 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कर्मचारी संघ (विनियमित) v. भारत संघ और अन्य,

अश्वथनारायण सेट्टी बनाम। कर्नाटक राज्य (1989) पूरक (1) एस. सी. सी. 696 [1988] 3 पूरक। एस. सी. आर. 155; टी. वेलायुधन बनाम भारत संघ (1993) 2 एससीसी 582: [1993] 1 एस. सी. आर. 832; दिल्ली विज्ञान मंच बनाम भारत संघ (1996) 2 एससीसी 405: [1996] 2 एस. सी. आर. 767; भावेश डी. पैरिश बनाम। भारत संघ (2000) 5 एससीसी 471: [2000] 1 पूरक। एस. सी. आर. 291; उगार शुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य। (2001) 3 एससीसी 635: [2001] 2 एस. सी. आर. 630; सरकार। आंध्र प्रदेश और अन्य बनाम। पी. लक्ष्मी देवी (2008) 4 एससीसी 720: [2008] 3 एस. सी. आर. 330; विलियनूर इयार्काई पडुकप्पु मैयम बनाम। भारत संघ (2009) 7 एससीसी 561: [2009] 9 एससीआर 225; डी. जी. विदेशी व्यापार बनाम कनक निर्यात (2016) 2 एस. सी. सी. 226 [2015] 15 एस. सी. आर. 287; जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम त्रिकुटा रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि. लिमिटेड (2018) 11 एस. सी. सी. 260 [2017] 9 एस. सी. आर. 642; पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. भारत संघ (2019) 8

एस. सी. सी. 416; मो. यासीन वी. नगर क्षेत्र समिति (1952) एससीआर 572; बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम। भारत संघ (1972) 2 एससीसी 788: [1973] 2 एस. सी. आर. 757; मो. फारुक वी. मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (1969) 1 एस. सी. सी. 853 [1970] 1 एस. सी. आर. 156; आधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बनाम। मध्य प्रदेश राज्य। (2016) 7 एससीसी 353: [2016] 3 एस. सी. आर. 579-संदर्भित।

मॉस वी। हैनकॉक (1899) 2 क्यू. बी. 111; विस्कॉन्सिन सेंट्रल लिमिटेड बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका 585 यूएस 2018,138 एस. सी. टी. 2067 (2018) ; एसईसी वी। ट्रेंडन शेवर्स मामला संख्या 4: 13 - सी. वी. 416 (6 अगस्त, 2013) संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। उलब्रिच्ट 31 एफ।

सप. 3 डी 540 (2014); संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। फाइला 39 एफ। सप. 3 डी 544 (2014); कॉइनफ्लिप इंक सी. एफ. टी. सी. डॉकेट नं.

15-29 दिनांक 17-09-2015; भारत के तेरा एक्सचेंज इंटरनेट और मोबाइल संगठन के मामले में v.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

एलएलसी। सी. एफ. टी. सी. डॉकेट सं. 15-33 दिनांकित 24-09-2015; में। बी. एफ. एक्स. एन. ए. इंक., डी/बी/ए बी. आई. टी. एफ. आई. एन. ई. एक्स. सी. एफ. टी. सी. का मामला

डॉकेट सं. 16-19 दिनांकित 02-06-2016; संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम।

मुर्गियो 209 एफ. सप. 3 डी 698 (2016); जिंस वायदा व्यापार आयोग v. पैट्रिक मैकडॉनेल 18 सी. वी.-361 दिनांकित 03-06-2018; कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग

आयोग v. माई बिग कॉइन पे, इंक. आदि। 18 - सीवी-10077 आरडब्ल्यूजेड दिनांक 26-09-2018; फ्लोरिडा राज्य बनाम। मिशेल

अबनेर एस्पिनोजा एफ 14-2923 ने 22-07-2016 पर निर्णय लिया;

फ्लोरिडा राज्य बनाम। मिशेल अब्नेर एस्पिनोजा 264 सो। 3 डी 1055 (2019); बी2 सी2 लिमिटेड बनाम। क्वाइन पीटीई लिमिटेड [2019] एसजीएचसी (आई) 3; राष्ट्रीय प्रांतीय बैंक बनाम। 1248 में एन्सवर्थ [1965] 1 एसी 1175; क्वाइन पीटीई लिमिटेड बनाम। बी2 सी2 लिमिटेड [2020] एस. जी. सी. ए. (आई) 02; ए. ए. वी. अज्ञात व्यक्ति और अन्य पुनः बिटक्वाइन [2019] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 3556 (कॉम); औपनिवेशिक बैंक बनाम। व्हिन्नी [1885] 30 सीएचडी; स्केटवर्केट बनाम। डेविड हेडक्विस्ट केस सी-264/14 दिनांकित 22-10-2015; एलोय डी

फ्रीटास वी। मंत्रालय के स्थायी सचिव

कृषि, मत्स्य पालन, भूमि और आवास [1999] 1

एसी 69; हुआंग बनाम। गृह राज्य सचिव

विभाग [2007] यूकेएचएल 11; बैंक मेलाट बनाम। एचएम

ट्रेजरी (नंबर 2) [2013] यूकेएससी 39; इलिनोइस चुनाव

बी. डी. वी. समाजवादी श्रमिक पार्टी (1979) 440 यू. एस. 173

संदर्भित किया गया।

" डिजिटल गोल्ड: बिटक्वाइन एंड द इनसाइड स्टोरी ऑफ द मिसफिट्स एन मिलियनेयर्स ट्रायिंग टू रीइनवेंट मनी "-बुक बाय नथानी

पॉपर; और आभासी मुद्रा, कर नीति प्रभाग, मिशिगन ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रकाशित ट्रेजरी अपडेट (वॉल्यूम। 1 (1 नवंबर 2015)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1999] 1 एससीआर 1207

उस पर भरोसा करें

पैरा 6.69

[2006] 2 पूरक। एससीआर 673

उस पर भरोसा करें

पैरा 6.7

[2015] 2 एससीआर 51

उस पर भरोसा करें

पैरा 6.88

[2018] 14 एससीआर 128

उस पर भरोसा करें

पैरा 6.92

[1985] 2 एससीआर 1028

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.92

[2004] 3 पूरक। एससीआर 239

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.93 [2020] 2

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1994] 4 पूरक। एससीआर 477

उस पर भरोसा करें

पैरा

अप्रयोज्य रखा गया

[2005] 3 पूरक। एससीआर 1

पैरा

[1987] 2 एससीआर 841

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.

उस पर भरोसा करें

[2003] 1 एससीआर 975

पैरा

[2007] 6 एससीआर 707

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1992] 1 एससीआर 406

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1961] एससीआर 679

पैरा

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 1984 ए. पी. 75

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2010] 12 एससीआर 644

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1964] एससीआर-294

पीछा किया।

पैरा

[1990] 1 एससीआर 909

पीछा किया।

पैरा

[2006] 5 पूरक। एससीआर 437

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1980] 1 एससीआर 1071

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1985] 3 एससीआर 995

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2010] 10 एससीआर 971

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2009] 6 एससीआर 663

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2012] 11 एससीआर 1032

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1987] 3 एससीआर 317

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1958] एससीआर 1102

संदर्भित किया गया है

पैरा

अप्रयोज्य रखा गया

[1978] 2 एससीआर 272

पैरा

[2010] 6 एससीआर 291

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2013] 16 एससीआर 1107

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1982] 1 एससीआर 947

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2001] 5 पूरक। एससीआर 511

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2019] 3 एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1974] 3 एससीआर 760

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1975] 2 एससीआर 715

संदर्भित किया गया है

पैरा इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

[1987] 1 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.140

[1988] 3 पूरक। एससीआर 155

पैरा 6.140

संदर्भित किया गया है

[1993] 1 एससीआर 832

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.140

[1996] 2 एससीआर 767

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.140

[2000] 1 पूरक। एससीआर 291

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.140

[2001] 2 एससीआर 630

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.140

[2008] 3 एससीआर 330

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.140

[2009] 9 एससीआर 225

पैरा 6.140

संदर्भित किया गया है

[2015] 15 एससीआर 287

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.140

[2017] 9 एससीआर 642

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.140

(2019) 8 एस. सी. सी. 416

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.140

[1952] एससीआर 572

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.142

[1973] 2 एससीआर 757

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.142

[1970] 1 एससीआर 156

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.142

[2016] 3 एससीआर 579

पैरा 6.156

संदर्भित किया गया है

[2013] 7 एससीआर 654

उस पर भरोसा करें

पैरा 6.172

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लिखित याचिका (सिविल) सं।

528 2018 से।

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत]

के साथ

2018 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 373।

नकुल दीवान, श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , असीम सूद, जयदीप

रेड्डी, अलीपक बनर्जी, प्रद्युम्न गोहिल, श्रीमती तरुणा सिंह गोहिल, सुश्री रानू पुरोहित, सुश्री सेनू निजार, अरमान प्रताप सिंह, आदित्य कुमार, बृजेश उज्जैनवाल, रिदम बुआरिया, सुश्री पायल चंदा, मयंक पांडे, अविनाश मेनन, सुश्री तान्या दयाल, रोहन एंड्रयू नाइक, वी. पी. सिंह, राघव सेठ, सुश्री सायोबानी बानो, शिवम, भारत मक्कर, गुरप्रीत सिंह अजमानी, सुश्री श्रद्धा देशमुख, रजत नायर, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

[2020] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

1. कहानी की रेखा:

1.1 . भारतीय रिजर्व बैंक (इसके बाद, "आर. बी. आई".) ने 5 अप्रैल को "विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य" जारी किया।

2018 , जिनमें से अनुच्छेद 13 ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं को निर्देश दिया (i) आभासी मुद्राओं से निपटने या निपटान करने वाली किसी भी व्यक्ति या व्यावसायिक संस्थाओं के साथ सौदा या सेवाएं प्रदान नहीं करने के लिए और (ii) ऐसे व्यक्तियों/व्यावसायिक संस्थाओं के साथ संबंध से बाहर निकलने के लिए, यदि उनके पास पहले से ही एक है, तो आभासी मुद्राओं (वीसी) के साथ लेनदेन या निपटान।

1.2 . उक्त वक्तव्य के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने धारा 35 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 अप्रैल, 2018 को एक परिपत्र भी जारी किया।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (1) (ए) और धारा 56 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 जेए और 45 एल (इसके बाद, "आर. बी. आई. अधिनियम, 1934") और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के साथ, आर. बी. आई. द्वारा विनियमित संस्थाओं को निर्देश देते हुए (i) आभासी मुद्राओं में सौदा नहीं करने के लिए और न ही किसी व्यक्ति या संस्था को आभासी मुद्राओं से निपटने या निपटान करने में सुविधा प्रदान करने के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए। मुद्राएँ और (ii) ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं के साथ संबंध से बाहर निकलने के लिए, यदि वे पहले से ही उन्हें ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहे थे।

1.3 . उक्त वक्तव्य और परिपत्र को चुनौती देते हुए और उत्तरदाताओं को निर्देश देने की मांग करते हुए कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बैंकिंग तक पहुंच प्रदान करने से रोकें या रोकें नहीं।

एसोसिएशन ऑफ इंडिया 'जो ऑनलाइन और डिजिटल सेवा उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं में कुछ कंपनियां शामिल हैं जो ऑनलाइन क्रिप्टोक्यूरेंसी संपत्ति विनिमय मंच चलाती हैं, इन कंपनियों के शेयरधारक/संस्थापक और कुछ व्यक्तिगत क्रिप्टोक्यूरेंसी हैं। परिसंपत्ति व्यापारी। यहाँ यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि दूसरी रिट याचिका में कुछ याचिकाकर्ता युवा उच्च तकनीक उद्यमी हैं जिन्होंने प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से स्नातक किया है।

देश में प्रौद्योगिकी।

आर. बी. आई. के विवादित वक्तव्य और परिपत्र की सामग्री:

1.4 . इन रिट याचिकाओं में आर. बी. आई. द्वारा जारी दिनांक 05-04-2018 का वक्तव्य विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतियों को निर्धारित करता है। (i) भारत के इंटरनेट और मोबाइल संगठन के विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से उपाय।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

((ii) वित्तीय बाजारों का विस्तार और गहनता (iii) मुद्रा प्रबंधन में सुधार (iv) वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देना और (v) डेटा प्रबंधन को सुविधाजनक बनाना। उक्त कथन का अनुच्छेद 13 जो

"मुद्रा प्रबंधन" शीर्षक के तहत आता है जो सीधे आभासी मुद्राओं से संबंधित है और वही इसका अपमानजनक हिस्सा है।

आक्षेपित कथन। इसलिए, केवल आक्षेपित कथन के पैराग्राफ 13 को निम्नानुसार निकाला गया है:

13. आभासी मुद्राओं से रिंग-बाड़ लगाने वाली विनियमित इकाइयाँ

अंतर्निहित आभासी मुद्राओं सहित तकनीकी नवाचारों में वित्तीय प्रणाली की दक्षता और समावेशिता में सुधार करने की क्षमता है। हालाँकि, आभासी मुद्राएँ (वी. सी.), जिन्हें विभिन्न रूप से क्रिप्टोकरेंसी के रूप में भी जाना जाता है

मुद्राएँ और क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियाँ उपभोक्ता संरक्षण, बाजार की अखंडता और मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताओं को बढ़ाती हैं।

मुद्राएँ। संबद्ध जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं किसी भी व्यक्ति या व्यवसाय के साथ काम नहीं करेंगी या उन्हें सेवाएं

प्रदान नहीं करेंगी। वी. सी. के साथ काम करने वाली या निपटाने वाली संस्थाएं। विनियमित संस्थाएं जो पहले से ही ऐसी सेवाएं प्रदान करती हैं, वे एक निर्दिष्ट समय के भीतर संबंध से बाहर हो जाएंगी। इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया जा रहा है।

अलग से।

1.5 . 06-04-2018 दिनांकित परिपत्र पूरी तरह से आभासी मुद्राओं और उनसे निपटने पर प्रतिबंध से संबंधित है। यह परिपत्र वैधानिक है, जो (i) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (ii) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1934 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

1949 और (iii) भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007। इस परिपत्र को अपनी शत्रुता में निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

आभासी मुद्राओं (वी. सी.) में लेनदेन पर प्रतिबंध

24 दिसंबर, 2013,1 फरवरी, 2017 और 05 दिसंबर, 2017 ने उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को आभासी के बारे में आगाह किया। विभिन्न जोखिमों के संबंध में बिटक्वाइन सहित मुद्राएँ

ऐसी आभासी मुद्राओं से निपटने में संलग्न।

[2020] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. संबद्ध जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि, तत्काल प्रभाव से, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं वीसी में सौदा नहीं करेंगी या किसी भी व्यक्ति या संस्था को वीसी के साथ व्यवहार करने या निपटान करने में सुविधा प्रदान करने के लिए सेवाएं प्रदान नहीं करेंगी। ऐसी सेवाएँ

इनमें खातों का रखरखाव, पंजीकरण, व्यापार, निपटान, समाशोधन, आभासी टोकन के खिलाफ ऋण देना, उन्हें संपार्श्विक के रूप में स्वीकार करना, उनके साथ काम करने वाले विनिमयों के खाते खोलना और संबंधित खातों में धन का हस्तांतरण/प्राप्ति शामिल हैं।

वी. सी. की खरीद/बिक्री।

3. विनियमित संस्थाएं जो पहले से ही ऐसी सेवाएं प्रदान करती हैं, वे इस परिपत्र की तारीख से तीन महीने के भीतर संबंध से बाहर हो जाएंगी।

4. ये निर्देश शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए जाते हैं।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (1) (ए) के साथ पठित धारा 35 ए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (1) (ए) के साथ पठित धारा 35 ए और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 जेए और 45 एल द्वारा प्रदत्त

और भुगतान की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) और

निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007। 2. स्थापना

2.2 . यह संभवतः पहली बार था जब भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने वित्तीय मामलों में बदलते व्यावसायिक माहौल में प्रौद्योगिकी जोखिमों पर ध्यान दिया। जून 2013 की स्थिरता रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 3,60 में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन और मोबाइल तकनीकों का उपयोग आभासी मुद्राओं के प्रसार को बढ़ा रहा है। इसलिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि वे घटनाक्रम नियामक, कानूनी और कानूनी रूप में चुनौती पेश करते हैं।

परिचालन जोखिम। उक्त रिपोर्ट के बॉक्स 3 में विशेष रूप से आभासी मुद्रा योजनाओं के बारे में बताया गया है और इसकी शुरुआत आभासी मुद्रा को भारत के इंटरनेट और मोबाइल संगठन के रूप में परिभाषित करके की गई है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

इसके द्वारा जारी और नियंत्रित अनियमित डिजिटल मुद्रा का प्रकार

डेवलपर्स और एक विशिष्ट आभासी समुदाय के सदस्यों द्वारा उपयोग और स्वीकार किया जाता है। उक्त रिपोर्ट के बॉक्स 3.4 में यह घोषित किया गया था कि "नियामक उनसे जुड़े संभावित जोखिमों को निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन भुगतान विकल्पों और आभासी मुद्राओं के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं"।

2.3 . जून 2013 में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (इसके बाद, "एफ. ए. टी. एफ".), जिसे इसके फ्रांसीसी नाम, ग्रुप डी एक्शन फाइनेंशियर से भी जाना जाता है, एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में जी-7 की पहल पर धन शोधन से निपटने के लिए नीतियां विकसित करने के लिए की गई थी।

जिसे "नए भुगतान उत्पाद और सेवा मार्गदर्शन" (एन. पी. पी. एस. मार्गदर्शन, 2013) के रूप में जाना जाने लगा। यह वास्तव में पूर्व-भुगतान कार्ड, मोबाइल भुगतान और इंटरनेट आधारित भुगतान सेवाओं के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण के लिए एक मार्गदर्शन था। लेकिन इस मार्गदर्शन में 'डिजिटल मुद्रा', 'आभासी मुद्रा' या 'इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा' अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया था, न ही यह इंटरनेट आधारित मुद्राओं से अलग आभासी मुद्राओं पर केंद्रित था।भुगतान प्रणालियाँ जो वास्तविक मुद्रा में लेन-देन की सुविधा प्रदान करती हैं

(जैसे पेपैल, अलीपे, गूगल चेकआउट आदि)। इसलिए, फुलर को बढ़ावा देने के लिए एफ. ए. टी. एफ. द्वारा एक अल्पकालिक टाइपोलॉजी परियोजना शुरू की गई थी। परिवर्तनीय आभासी मुद्रा प्रणालियों में शामिल पक्षों की समझ और एक जोखिम मैट्रिक्स विकसित करने के लिए।

2.4 . 24-12-2013 पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को संभावना के बारे में आगाह किया गया था।वित्तीय, परिचालन, कानूनी और ग्राहक सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी जोखिम जिनके लिए वे खुद को उजागर कर रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भुगतान के माध्यम के रूप में वी. सी. का निर्माण, व्यापार या उपयोग किसी भी केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है और इसलिए प्रेस विज्ञप्ति में वर्णित कई जोखिम पैदा हो सकते हैं।

2.5 . 27-12-2013 पर, समाचार पत्रों ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भारत में 2 बिटक्वाइन ट्रेडिंग फर्मों पर पहली बार छापे की सूचना दी।

अहमदाबाद, नाम से, आरबीटको। इन और बायसेलबिटको। में। उसी वर्ष अक्टूबर में संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा छापेमारी किए जाने के बाद, यह किसी बिटक्वाइन ट्रेडिंग फर्म पर भारत की पहली और विश्व स्तर पर दूसरी छापेमारी बताई गई थी।2.6 . इसके बाद, एफ. ए. टी. एफ. द्वारा जून 2014 में "आभासी मुद्रा की प्रमुख परिभाषाएँ और संभावित ए. एम. एल./सी. एफ. टी. जोखिम" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें वैध उपयोगों और [2020] 2 एस. सी. आर. से जुड़े संभावित जोखिमों दोनों पर प्रकाश डाला गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आभासी मुद्राएँ। एफ. ए. टी. एफ. की इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण महत्व यह है कि इसमें 2 महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया है। एफ. ए. टी. एफ. की रिपोर्ट में 'आभासी मुद्रा' को मूल्य के डिजिटल प्रतिनिधित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। डिजिटल रूप से व्यापार किया जाता है और (1) विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है; और/या (2) खाते की एक इकाई; और/या (3) मूल्य का भंडार, लेकिन कानूनी निविदा स्थिति नहीं है। एफ. ए. टी. एफ. की रिपोर्ट में 'क्रिप्टोकरेंसी' को भी परिभाषित किया गया है।

मतलब एक गणित-आधारित, विकेंद्रीकृत परिवर्तनीय आभासी मुद्रा

एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मूल्य हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक और निजी कुंजी पर भरोसा करके क्रिप्टोग्राफी द्वारा संरक्षित और हस्ताक्षरित

सिफारिशें इस प्रकार हैं:A. देशों को जोखिमों की पहचान करने, मूल्यांकन करने और समझने और ऐसे जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से कार्रवाई करने के लिए। राष्ट्रीय प्राधिकरण वी. सी. उत्पादों और सेवाओं का एक समन्वित जोखिम मूल्यांकन करेंगे जो:

(1) सभी संबंधित अधिकारियों को यह समझने में सक्षम बनाता है कि विशिष्ट आभासी मुद्रा उत्पाद और सेवाएं कैसे कार्य करती हैं और नियामक को कैसे प्रभावित करती हैं।

धन शोधन रोधी (संक्षेप में 'ए. एम. एल.')/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (संक्षेप में 'सी. एफ. टी.') उपचार उद्देश्यों के लिए अधिकार क्षेत्र;

(2) समान जोखिम वाले समान उत्पादों और सेवाओं के लिए समान ए. एम. एल./सी. एफ. टी. उपचार को बढ़ावा देना।

B. जहाँ देश आभासी मुद्रा उत्पादों को प्रतिबंधित कर रहे हैं और

सेवाओं में, उन्हें अन्य बातों के अलावा, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद के वित्तपोषण के जोखिमों पर प्रतिबंध के प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या प्रतिबंध ऐसी भुगतान गतिविधियों को भूमिगत कर देगा, जहां वे ए. एम. एल./सी. एफ. टी. नियंत्रणों के बिना काम करेंगे।

2.8 . एफ. ए. टी. एफ. ने अक्टूबर 2015 में "इमर्जिंग" पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम "। रिपोर्ट को चार भागों में विभाजित किया गया था, जिसके शीर्षक थे (i) परिचय (ii) आतंकवादी संगठनों का वित्तीय प्रबंधन (iii) पारंपरिक आतंकवादी वित्तपोषण के तरीके और तकनीक और (iv) उभरते आतंकवादी वित्तपोषण खतरों और कमजोरियों। यहाँ तक किरिपोर्ट के भाग 3 में यह स्वीकार करते हुए कि बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से धन को स्थानांतरित करने के पारंपरिक तरीके आतंकवादी संगठनों के लिए धन की आवाजाही का सबसे कुशल तरीका है, रिपोर्ट में इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया v में नए भुगतान उत्पादों और सेवाओं के उद्भव को स्वीकार किया गया है।

सर्विस बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]रिपोर्ट से। रिपोर्ट में आतंकवाद के विभिन्न तरीकों पर ध्यान दिया गया, जैसे कि स्व-वित्त पोषण, क्राउड फंडिंग, सोशल नेटवर्क फंड जुटाना आदि। आभासी मुद्राओं पर आते हुए, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है

■बहती हुई:

" आभासी मुद्राएँ उभरी हैं और उनके सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल पर निर्मित भुगतान बुनियादी ढांचे में निवेश को आकर्षित किया है। येभुगतान तंत्र एक नई विधि प्रदान करना चाहते हैं

इंटरनेट पर मूल्य संचारित करना। साथ ही, आभासी मुद्रा भुगतान उत्पाद और सेवाएँ (वी. सी. पी. पी. एस.) एम. एल./टी. एफ. जोखिम प्रस्तुत करती हैं। एफ. ए. टी. एफ. ने इनका प्रारंभिक आकलन किया।

रिपोर्ट आभासी मुद्रा की प्रमुख परिभाषाओं में एम. एल./टी. एफ. जोखिम

संभावित ए. एम. एल./सी. एफ. टी. जोखिम। एक चरणबद्ध दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, एफ. ए. टी. एफ. ने बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मार्गदर्शन भी विकसित किया है प्रतिच्छेदन जो विनियमित वित्तीय प्रणाली को प्रवेश द्वार प्रदान करता है, विशेष रूप से परिवर्तनीय आभासी मुद्रा विनिमायकों में।

आभासी मुद्राएँ जैसे कि बिटक्वाइन, एक महान मुद्रा का प्रतिनिधित्व करते हुए

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निधियों का हस्तांतरण। जबकि मूल खरीद मुद्रा दिखाई दे सकती है (जैसे, बैंकिंग के माध्यम से)

प्रणाली), आभासी मुद्रा के सभी निम्नलिखित हस्तांतरण हैंपता लगाना मुश्किल है। अमेरिकी गुप्त सेवा ने देखा है कि

अपराधी ऐसी आभासी मुद्राओं की तलाश और खोज कर रहे हैं जो प्रस्तावः उपयोगकर्ताओं और लेन-देन दोनों के लिए गुमनामी; अवैध आय को एक देश से दूसरे देश में जल्दी से स्थानांतरित करने की क्षमता; कम अस्थिरता, जिसके परिणामस्वरूप कम विनिमय जोखिम होता है; व्यापक

आपराधिक भूमिगत में गोद लेना; और विश्वसनीयता।

कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी उपयोग के बारे में चिंतित हैं।आतंकवादी संगठनों द्वारा आभासी मुद्राएँ (वी. सी.)। उन्होंने आतंकवादी संगठनों से संबद्ध वेबसाइटों का उपयोग होते देखा है

बिटक्वाइन दान के संग्रह को बढ़ावा देना। इसके अलावा,

उदाहरण के लिए, आईएसआईएल से जुड़े एक ब्लॉग पर एक पोस्ट का उपयोग करने का प्रस्ताव है वैश्विक चरमपंथी प्रयासों के वित्तपोषण के लिए बिटक्वाइन "। (जोर दिया गया)

उपरोक्त निष्कर्षों के समर्थन में, रिपोर्ट ने एक केस स्टडी का भी संकेत दिया, जो एक अली शुकरी अमीन की गिरफ्तारी से संबंधित है, जिसने स्वीकार किया कि उसके 4000 फॉलोअर्स के साथ एक ट्विटर अकाउंट था। उसने दावा किया कि उसने अपने ट्विटर हैंडल का उपयोग आईएसआईएल को धन के

प्रावधान को छिपाने के लिए आभासी मुद्रा का उपयोग करने के बारे में निर्देश प्रदान करने के लिए किया था। एक लेख में, जिसके लिंक पर उन्होंने अपने अनुयायियों को ट्वीट किया था, यह विस्तार से बताया गया था कि कैसे जिहादी अपने प्रयासों को पूरा करने के लिए आभासी मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। (यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रिपोर्ट में यह भी ध्यान दिया गया है कि कैसे प्रीपेड कार्ड और अन्य इंटरनेट आधारित भुगतान सेवाओं का उपयोग आतंक के वित्तपोषण के लिए भी किया जा सकता है)।

2.9 . बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (इसके बाद, "बी. आई. एस".) जो स्विट्जरलैंड के कानूनों के तहत स्थापित एक निगमित निकाय है,

बहुत पहले 1930 में हेग में हस्ताक्षरित एक समझौते के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक सहित विभिन्न देशों के 60 केंद्रीय बैंकों के स्वामित्व में कई समितियाँ हैं, जिनमें से एक "भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति" (सीपीएमआई) है। इस समिति ने खुदरा भुगतान में नवाचारों से निपटने के दौरान डिजिटल मुद्राओं पर ध्यान देना शुरू किया। इस समिति ने सीपीएमआई कार्य समूह के भीतर एक उप-समूह का गठन किया खुदरा भुगतान, डिजिटल मुद्राओं का विश्लेषण करने के लिए। उप-समूह के निष्कर्षों के आधार पर, बी. आई. एस. के सी. पी. एम. आई. ने नवंबर 2015 में डिजिटल मुद्राओं पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उप-समूह ने डिजिटल मुद्राओं के विकास से संबंधित तीन प्रमुख पहलुओं की पहचान की, जिनमें से एक यह था कि डिजिटल मुद्रा योजनाओं में शामिल परिसंपत्तियों में आम तौर पर कुछ मौद्रिक विशेषताएं होती हैं जैसे कि भुगतान के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन किसी भी प्राधिकरण द्वारा समर्थित नहीं होते हैं। उक्त रिपोर्ट के कार्यकारी सारांश के तहत नोट 1 में, यह इस प्रकार कहा गया था: हालाँकि डिजिटल मुद्राओं में आम तौर पर कुछ होती हैं, लेकिन मुद्रा की सभी विशेषताएँ नहीं होती हैं, वे भी हो सकती हैं

किसी वस्तु या अन्य संपत्ति की विशेषताएँ। उनका कानूनी व्यवहार क्षेत्राधिकार से क्षेत्राधिकार में भिन्न हो सकता है। " (जोर दिया गया) उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 में "केंद्रीय बैंकों, डिजिटल मुद्राओं और उनके अंतर्निहित विकेंद्रीकृत भुगतान तंत्र के लिए निहितार्थ" पर चर्चा की गई है। उक्त पैराग्राफ में, रिपोर्ट ने संकेत दिया कि "डिजिटल मुद्राएं विश्वसनीय तीसरे पक्ष के बिना सहकर्मी भुगतानों को निपटाने के लिए एक तकनीक का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसमें एक गैर-संप्रभु मुद्रा शामिल हो सकती है"। हालाँकि रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यधारा की वित्तीय प्रणाली पर डिजिटल मुद्राओं का प्रभाव उस समय न के बराबर है, लेकिन अगर डिजिटल मुद्राओं को व्यापक रूप से अपनाया जाता है तो रिपोर्ट में बताए गए कुछ निहितार्थ वास्तव में साकार हो सकते हैं। रिपोर्ट में दो जोखिमों को नोट किया गया था और वे थे कंज्यूमर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया v.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

सुरक्षा और परिचालन जोखिम। लेकिन जहाँ तक वितरित खाता है

प्रौद्योगिकी की बात करें तो रिपोर्ट सकारात्मक थी। हालाँकि, रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि डिजिटल मुद्राओं के साथ बैंक नोटों के व्यापक प्रतिस्थापन से केंद्रीय बैंकों की गैर-ब्याज भुगतान देनदारियों में गिरावट आ सकती है और अगर डिजिटल मुद्राओं को अपनाने और उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, तो मौजूदा मौद्रिक मुद्रा की मांग बढ़ सकती है।

समुच्चय और मौद्रिक नीति का संचालन प्रभावित हो सकता है। फिर भी, रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में, इन जोखिमों को साकार करने के लिए निजी डिजिटल मुद्राओं का उपयोग बहुत कम है।

2.10 . दिसंबर 2015 में, भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की गई थी, और इसमें "वित्तीय क्षेत्र विनियमन" पर एक अध्याय शामिल था। आभासी मुद्रा योजनाओं जैसे प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों से उत्पन्न चुनौतियों से भी उन्होंने निपटा। उक्त रिपोर्ट के बॉक्स 3.1 में, यह संकेत दिया गया था कि हालांकि प्रारंभिक चिंताओं के उद्भव पर

आभासी मुद्रा योजनाएं अंतर्निहित डिजाइन, उनके मूल्य में अत्यधिक अस्थिरता के प्रकरण और उनकी अनाम प्रकृति के बारे में थीं जो वैश्विक धन शोधन नियमों के खिलाफ जाती हैं और उनके अस्तित्व को संदिग्ध बना देती हैं। हालाँकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि नियामकों और अधिकारियों को विकास के साथ तालमेल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया के कई सबसे बड़े बैंकों ने निजी ब्लॉक चेन की स्थापना और प्रौद्योगिकी के उपयोग को मानकीकृत करने के लिए एक उद्योग-व्यापी मंच बनाने के लिए एक संयुक्त प्रयास का समर्थन करना शुरू कर दिया है।

2.11 . दिसंबर 2016 में, भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आई। इसने फिन टेक में हो रहे तेजी से विकास पर ध्यान दिया

(वित्तीय प्रौद्योगिकी) विश्व स्तर पर और नियामकों को प्रौद्योगिकी (रेगटेक के रूप में नामित) को अपनाने के लिए तैयार होने का आह्वान किया। उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.22 में नए उत्पादों और सेवाओं के परीक्षण और विनियमित और अनियमित संस्थाओं को सहायता/मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नियामक सैंडबॉक्स और नवाचार केंद्रों की स्थापना की पहचान की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आभासी मुद्राओं जैसे तेज गति वाले नवाचारों ने एक ओर डेटा सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जोखिम और चिंताएं पैदा की हैं और दूसरी ओर मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर दूरगामी संभावित प्रभाव डाला है। रिपोर्ट में इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि दुनिया भर के कई केंद्रीय बैंकों ने शुरू में उन पर चिंता करने के बाद अपनी डिजिटल मुद्रा बनाने की व्यवहार्यता की जांच शुरू कर दी थी।1 1 विनियामक सैंडबॉक्स एक नियंत्रित/परीक्षण नियामक वातावरण में नए उत्पादों/सेवाओं के प्रत्यक्ष परीक्षण को संदर्भित करता है।

2.12 . जनवरी 2017 में, बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (आई. डी. आर. बी. टी.) की स्थापना 1996 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी।

बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के चौराहे पर काम करने वाले संस्थान ने "भारत में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग" पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया। अध्याय 3 में ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों से निपटने के दौरान, श्वेत पत्र में डिजिटल मुद्रा के फायदे और नुकसान को भी सूचीबद्ध किया गया है। जबकि इंगित किए गए लाभ थे

2.13 . 01-02-2017 पर, RBI ने फिर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को आगाह किया। ऊँची एड़ी पर करीब सेयह प्रेस विज्ञप्ति, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,

अप्रैल 2017 में एक अंत:विषय समिति का गठन किया गया था जिसमें विशेष सचिव (आर्थिक मामले) और आर्थिक मामले, वित्तीय सेवा, राजस्व, गृह मामले, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति का कार्य (i) भारत और विश्व स्तर पर कुलपतियों की स्थिति का जायजा लेना, (ii) मौजूदा वैश्विक नियामक और कानूनी संरचनाओं की जांच करना और (iii) कुलपतियों से निपटने के लिए उपायों का सुझाव देना था। समिति को 3 महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था।

2.14 . अंत:विषय समिति की रिपोर्ट 25-07-2017 पर प्रस्तुत की गई थी और इसमें कुछ सिफारिशें थीं जो इस प्रकार हैं

निम्नलिखित है:

(i) एक बहुत ही स्पष्ट और स्पष्ट चेतावनी जारी की जानी चाहिए।

सार्वजनिक मीडिया आम जनता को सूचित करता है कि

सरकार बिटक्वाइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को सिक्के या मुद्रा नहीं मानती है। ये न तो विनिमय का कानूनी रूप से वैध माध्यम हैं और न ही मूल्य को संग्रहीत करने का वांछनीय तरीका है। सरकार यह भी नहीं मानती है कि लोगों के लिए किसी ऐसी चीज का उपयोग या निवेश करना वांछनीय है जिसका कोई वास्तविक उपयोग नहीं है।

अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य।

((ii) सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से एक बहुत ही स्पष्ट और स्पष्ट चेतावनी जारी की जानी चाहिए, जिसमें उन सभी लोगों को सलाह दी जानी चाहिए जो ऐसा करने की पेशकश कर रहे हैं।

इन मुद्राओं को खरीदें या बेचें, या विनिमय के लिए एक मंच की पेशकश करें

इन मुद्राओं, इसे तुरंत रोकने के लिए।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

(iii) जिन लोगों ने इन मुद्राओं को सद्भावना से खरीदा है और इन्हें धारण कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जानी चाहिए कि वे इन्हें किसी भी अधिकार क्षेत्र में उतार दें जहां ऐसा करना अवैध नहीं है।

(iv) सभी उपभोक्ता संरक्षण और प्रवर्तन एजेंसियों को उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह दी जानी चाहिए जो इन चेतावनियों के बावजूद, इन मुद्राओं के व्यापार के लिए खरीद/बिक्री या मंच की पेशकश में लिप्त हैं, क्योंकि यह धारणा होगी कि यह अवैध, धोखाधड़ी या कर चोरी के साथ किया जा रहा है। इरादा।

(v) यदि सरकार उपरोक्त सिफारिशों से सहमत है, तो डी. ई. ए., आर. बी. आई., एस. ई. बी. आई., डी. ओ. आर., डी. ओ. एल. ए., उपभोक्ता मामले और एम. ई. आई. टी. वाई. के सदस्यों के साथ एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो यह सुझाव दे कि क्या विधायी सहित कोई आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

कब्जा, व्यापार और उपयोग करने के लिए आवश्यक परिवर्तन

क्रिप्टोकरेंसी-मुद्राएं स्पष्ट रूप से अवैध और दंडनीय हैं।

(vi) अंत में, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं

सिफारिशें बनाने या व्यापार करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए हैं।क्रिप्टोकरेंसी में।

वित्तीय और विनियामक प्रौद्योगिकी पर नई समिति का लक्षय भारत को फिनटेक समाधानों को अपनाने और देश के भीतर नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए तैयार करने में मदद करना था। 2.16 . आई. डी. 1 पर, भारत सरकार ने सचिव (आर्थिक मामलों के विभाग) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसमें सचिव, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय शामिल थे।

प्रौद्योगिकी, अध्यक्ष, एस. ई. बी. आई. और डिप्टी गवर्नर, आर. बी. आई. (अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति) वी. सी. के संबंध में की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाइयों का प्रस्ताव करेंगे।

2.17 . उस समय सिद्धार्थ डालमिया और विजय पाल डालमिया नाम के दो व्यक्तियों ने डब्ल्यू. पी. (सी) No.1071 में एक रिट याचिका दायर की थी।

2017 भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रत्यर्थियों को अवैध घोषित करने और [2020] 2 एस. सी. आर. पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने के लिए एक अनिवार्य रिट जारी करने की मांग की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सभी आभासी मुद्राओं के साथ-साथ सभी वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगा दें

जो आभासी मुद्राओं में लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है। इसी तरह, एक अन्य व्यक्ति, नाम से, द्वैपायन भौमिक ने 2017 के डब्ल्यू. पी. (सी) No.1076 में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उत्तरदाताओं को बिटक्वाइन (क्रिप्टोक्यूरेंसी) के प्रवाह को विनियमित करने और बिटक्वाइन और अन्य क्रिप्टोक्यूरेंसी मुद्राओं के निषेध/विनियमन पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करने का निर्देश देने के लिए एक रिट जारी करने की मांग की गई। 13.11.2017 पर, इस न्यायालय ने दोनों रिट याचिकाओं में नोटिस का आदेश दिया।

2.18 . लगभग उसी समय, अर्थात्, नवंबर 2017 में, फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर नियामक कार्य समूह की स्थापनाआर. बी. आई., वित्तीय स्थिरता द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार और

विकास परिषद उप-समिति ने बहुत पहले अप्रैल 2016 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह रिपोर्ट, अनुच्छेद 2.1.3.2 में, डिजिटल मुद्राओं से संबंधित है। इसने 'डिजिटल मुद्राओं' को परिभाषित किया जिसका अर्थ है निजी विकासकर्ताओं द्वारा जारी किया गया और खाते की अपनी इकाई में अंकित मूल्य। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि "डिजिटल मुद्राएं अनिवार्य रूप से एक फिएट मुद्रा से जुड़ी नहीं होती हैं, लेकिन प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों द्वारा विनिमय के साधन के रूप में स्वीकार की जाती हैं।"

2.19 . इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2017 में एक और प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें पहले की प्रेस विज्ञप्ति में व्यक्त की गई चिंताओं को दोहराया गया। द.

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने भी 29 12-2017 पर एक बयान जारी कर वीसी के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को आगाह किया कि उन्हें कानूनी निविदा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और निवेशकों को उनमें भाग लेने से बचना चाहिए।

2.20 . 01-02-2018 पर, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में

उन्होंने कहा कि सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी निविदा या सिक्का नहीं माना और अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण में या भुगतान के हिस्से के रूप में इन मुद्राओं के उपयोग को समाप्त करने के लिए सभी उपाय किए।

प्रणाली, सरकार द्वारा ली जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सक्रिय रूप से ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी के उपयोग का पता लगाएगी

डिजिटल अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने के लिए।2.21 . केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी. बी. डी. टी.) ने 05-03-2018 दिनांकित एक कार्यालय ज्ञापन द्वारा विभाग को प्रस्तुत किया

आर्थिक मामले, एक मसौदा योजना जो क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध का प्रस्ताव करती है। लेकिन मसौदा योजना ने एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण की वकालत की, जितने लोग

पहले से ही क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर चुके थे। इस योजना में उन पर प्रतिबंध लगाने से पहले विधायी संशोधन करने की सलाह भी दी गई थी।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

2.22 . मार्च के मध्य में होने वाली जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के मद्देनजर

2.23 . मार्च 2018 में अपने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के बाद जी-20 द्वारा जारी विज्ञप्तियह भी स्वीकार किया कि अंतर्निहित क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों सहित तकनीकी नवाचार में वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था की दक्षता और समावेशिता में सुधार करने की क्षमता है

व्यापक रूप से। लेकिन इसने यह भी नोट किया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियां उपभोक्ता और निवेशक संरक्षण, बाजार की अखंडता, कर चोरी, धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के संबंध में मुद्दों को उठाती हैं। हालांकि क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों में संप्रभु मुद्राओं की प्रमुख विशेषताओं का अभाव था, लेकिन कुछ बिंदु पर, उनके वित्तीय स्थिरता निहितार्थ हो सकते हैं। इसलिए, विज्ञप्ति में एफ. ए. टी. एफ. मानकों को लागू करने और आह्वान करने का संकल्प लिया गया

परिसंपत्तियाँ और उनके जोखिम। 2.24 . 02-04-2018 पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार को एक ई-मेल भेजा, जिसमें गुप्त संपत्तियों को विनियमित करने पर एक टिप्पणी संलग्न की गई थी। यह संदर्भ में था कि

आभासी मुद्रा पर अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति की पिछली बैठक की चर्चा का रिकॉर्ड। इस नोट में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने और उसे विनियमित करने के फायदे और नुकसान की जांच की गई और सुझाव दिया गया कि इसे उपयुक्त कानूनी प्रावधानों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

2.25 . इसके तुरंत बाद, इन रिट याचिकाओं में आक्षेपित 05-04-2018 का वक्तव्य और 06-04-2018 का परिपत्र आया

आर. बी. आई. द्वारा जारी किया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग उसी समय (अप्रैल 2018), अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट (या एक पूर्ववर्ती) प्रस्तुत की।

2 एफ. एस. बी. की स्थापना जी-20 द्वारा अप्रैल 2009 में जी-7 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा 1999 में स्थापित वित्तीय स्थिरता मंच के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी।

रिपोर्ट में) एक मसौदा विधेयक के साथ जिसे क्रिप्टोक्यूरेंसी टोकन और क्रिप्टोक्यूरेंसी संपत्ति (प्रतिबंध, नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2018 के रूप में जाना जाता है। 3.

2.26 . लेकिन इस बीच, कुछ कंपनियाँ जो ऑनलाइन क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियाँ चलाती हैं, शेयरधारकों के साथ मंचों का आदान-प्रदान करती हैं।

उन कंपनियों के संस्थापकों और कुछ व्यक्तिगत गुप्त संपत्ति व्यापारियों ने 2018 की डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 373 नामक पहली रिट याचिका दायर की, जिसमें उपरोक्त कथन दिनांक 05-04-2018 और परिपत्र दिनांक 06-04-2018 को चुनौती दी गई। 01-05-2018 पर इस रिट याचिका को रिट याचिकाओं WP (C) संख्या के साथ टैग करने का निर्देश दिया गया था। 1071 और 2017 का 1076 जिसने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध या विनियमन की मांग की।

2.27 . 11-05-2018 पर, सभी तीन रिट याचिकाएँ, अर्थात् WP (C) संख्या। 1071 और 2017 का 1076 और 2018 का 373, सुनवाई के लिए आया। में।

2.28 . तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक स्थानांतरण याचिकाओं के साथ आया और स्थानांतरण याचिकाओं को 17-05-2018 पर बोर्ड पर लिया गया और एक निर्देश दिया गया यह जारी किया गया था कि कोई भी उच्च न्यायालय विवादित परिपत्र दिनांक 06-04-2018 से संबंधित किसी भी रिट याचिका पर विचार नहीं करेगा। इस न्यायालय ने 2017 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 1071 में याचिकाकर्ताओं को आर. बी. आई. को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए एक अंतरिम आदेश भी पारित किया, जिसमें आर. बी. आई. को कानून के अनुसार इससे निपटने के लिए एक और निर्देश दिया गया था।

2.29 . इस बीच, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दूसरी रिट याचिका दायर की, जिसका नाम डब्ल्यू. पी. है।(ग) 2018 की सं. 528 और 03-07-2018 पर उक्त रिट याचिका में नोटिस का आदेश दिया गया था। ऐसा करते समय, इस न्यायालय ने संघ द्वारा पहले से प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, का निपटारा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी किया। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभ्यावेदन पर विचार किया और दो जारी किए

दिनांकित संचार 06-07-2018 और 09-07-2018।

2.30 . 23-07-2018 पर, SEBI ने 2018 के विधेयक पर अपनी टिप्पणियां आर्थिक मामलों के विभाग को भेजीं। उनकी प्राथमिक आपत्ति

बिल यह था कि वे क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों और टोकन के नियामकों के लिए सबसे उपयुक्त नहीं हैं।

3 2018 के विधेयक का भविष्य ज्ञात नहीं है लेकिन 'क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019 का विनियमन' नामक एक नया विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. सर्विस बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

2.31 . इसके बाद वर्ष 2017 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आई। इसमें एक अलग बॉक्स II था। 3. 2 "क्रिप्टोकरेंसी: विकास हो रहा है।

अंग्रेजी "। उसी का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

" हालांकि क्रिप्टोक्यूरेंसी वर्तमान में प्रणालीगत जोखिम पैदा नहीं कर सकती है, लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता उपभोक्ता और निवेशक संरक्षण और बाजार की अखंडता के लिए गंभीर चिंता पैदा करती है। विशेष रूप से, बिटक्वाइन ने दिसंबर 2017 के चरम मूल्य से लगभग दो महीनों में बाजार पूंजीकरण में लगभग 200 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान किया। कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, समग्र क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार लगभग 800 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। जनवरी 2018 में अरबों।

ग्राहक की समस्याओं/विवादों के समाधान के लिए रूपरेखाक्रिप्टोकरेंसी द्वारा भुगतान के रूप में समाधान एक अधिकृत केंद्रीय एजेंसी के बिना सहकर्मी-से-सहकर्मी आधार पर होता है जो इस तरह के भुगतानों को नियंत्रित करता है। कर से बचने सहित अवैध गतिविधियों के लिए इसके उपयोग की उच्च संभावना है। द.

बेनामी/छद्म नाम प्रणाली में समकक्षों के बारे में जानकारी की अनुपस्थिति उपयोगकर्ताओं को धन शोधन विरोधी कानूनों के अनजाने में उल्लंघन के अधीन कर सकती है।

(ए. एम. एल.) के साथ-साथ आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए कानून (सी. एफ. टी.) (भुगतान और बाजार अवसंरचना पर समिति सी. पी. एम. आई., 2015)। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बी. आई. एस.) ने हाल ही में चेतावनी दी है कि क्रिप्टोकरेंसी का उद्भव एक बुलबुला, एक पोंजी योजना और एक पर्यावरणीय आपदा का संयोजन बन गया है, और नीतिगत प्रतिक्रियाओं (बी. आई. एस.,

2018) . वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ. ए. टी. एफ.) ने भी

यह देखा गया कि क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग पैसे के लिए किया जा रहा है

धनशोधन और आतंकवादी वित्तपोषण। दुर्व्यवहार को रोकने और सख्ती से सीमित करने के लिए एक वैश्विक रूप से समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है। विनियमित वित्तीय संस्थानों के साथ अंत:संबंध।

वैश्विक स्तर पर, क्रिप्टोकरेंसी के लिए नियामक प्रतिक्रियाएँ

कुछ अधिकार क्षेत्रों [2020] 2 एस. सी. आर. में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तुलनात्मक रूप से हल्के स्पर्श नियामक दृष्टिकोण के लिए '। प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एस. ई. सी.) और

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सी. एफ. टी. सी.) संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिप्टोकरेंसी के प्राथमिक नियामकों के रूप में उभरा है, जहां अधिकांश अन्य क्षेत्राधिकारों की तरह ये परिसंपत्तियां कानूनी निविदा स्थिति का आनंद नहीं लेती हैं। एशियाई देशों ने

क्रिप्टोक्यूरेंसी खिलाड़ियों की अनुभवी अत्यधिक एकाग्रता

जापान और दक्षिण कोरिया दुनिया में क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्ति बाजारों के सबसे बड़े शेयरों के लिए जिम्मेदार हैं। बिटक्वाइन के मामले में,

दुनिया भर में आधे लेनदेन जापान में किए जाते हैं। सितंबर 2017 में, जापान ने अपने द्वारा लेनदेन को मंजूरी दी

क्रिप्टोकरेंसी में आदान-प्रदान। चीन के एक्सचेंजों ने असमान रूप से बड़ी मात्रा में वैश्विक बिटक्वाइन व्यापार की मेजबानी की

हाल ही में उनके प्रतिबंध तक। [.....]

इस मोर्चे पर विकास की निगरानी करने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ व्यापार एक्सचेंज से पीयर-टू-पीयर मोड में स्थानांतरित हो सकते हैं, जिसमें नकदी का अधिक उपयोग भी शामिल हो सकता है। संभावनाएँ

इस प्रकार ए. एम. एल./सी. एफ. टी. और कराधान के मुद्दों पर चिंताओं को बढ़ाने के लिए गुप्त मुद्रा विनिमय गृहों का काले पूल/नकदी और अपतटीय स्थानों पर पलायन पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। (जोर दिया गया)

2.32 . इस पृष्ठभूमि में, सभी चार रिट याचिकाएं अर्थात् डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या। 1071 और 2017 का 1076 (प्रतिबंध की मांग) और डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या। 373 और 2018 का 528 (अप्रत्यक्ष प्रतिबंध को चुनौती देते हुए) सुनवाई के लिए आया,स्थानांतरण याचिकाओं के साथ, 25-10-2018 पर, जब इस न्यायालय को सूचित किया गया कि भारत संघ ने पहले ही एक समिति का गठन कर दिया है और यह अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रही है। इसलिए, रिट याचिकाओं को स्थगित कर दिया गया ताकि समिति अपनी सिफारिशें दे सके।

2.33 . ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार गठित समिति ने आभासी मुद्राओं के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई का संकेत देते हुए 28-02-2019 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक विधेयक जिसे "क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और विनियमन" के रूप में जाना जाता है आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019 "भी तब तक तैयार किया जा चुका था जिसे लोकसभा में पेश किया जाना था। समिति की

इस रिपोर्ट के साथ, 27-11-2017,22-02-2018, और 09-01-2019 पर आयोजित बैठकों में समिति की चर्चा के कार्यवृत्त संलग्न किए गए हैं। अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति की दिनांक 1 की रिपोर्ट की सामग्री को तभी अच्छी तरह से समझा जा सकता है जब हम समिति की बैठकों की चर्चाओं के रिकॉर्ड को देखें। 27-11-2017 पर आयोजित चर्चाओं का अभिलेख भारत के इंटरनेट और मोबाइल संगठन v को दर्शाता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

कि अंतर-मंत्रालयी समिति का प्रारंभिक विचार था कि प्रतिबंध लगाने के विकल्प को लागू करना मुश्किल था और यह कि यह कुछ संचालकों को भूमिगत भी कर सकता है, इस तरह के उपयोग को प्रोत्साहित करता है

अवैध उद्देश्यों के लिए मुद्राएँ। लेकिन यह आम तौर पर सहमत था

उक्त बैठक में कहा गया कि वीसी को मुद्रा नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, 22-02-2018 पर आयोजित बैठक में, डिप्टी गवर्नर, RBI ने प्रारंभिक हस्तक्षेप किया और प्रतिबंध विकल्प का उपयोग करने के पक्ष में तर्क दिया। अंततः समिति के अन्य सदस्य सहमत हो गए और उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया किआर. बी. आई. और सी. बी. डी. टी. द्वारा एक मसौदा कानून सहित वी. सी. पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार किया जा सकता है और प्रस्तुत किया जा सकता है। क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों को विनियमित करने के विकल्पों पर आर्थिक मामलों के विभाग के भीतर एक विस्तृत पत्र तैयार करने का भी संकल्प लिया गया। उसी के बाद, 2019 में आयोजित अगली बैठक में यह संकल्प लिया गया कि कुछ मुद्दों पर पुनर्विचार करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया जाना चाहिए। आखिरकार, अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति ने उपरोक्त रिपोर्ट दिनांक 28-02-2019 प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

खाते की इकाई और/या मूल्य का भंडार, हालांकि इसे कानूनी निविदा का दर्जा नहीं है। ii. प्रारंभिक सिक्का प्रस्ताव (इसके बाद, "आई. सी. ओ".) कंपनियों के लिए फिएट मुद्रा या क्रिप्टोकरेंसी के बदले में डिजिटल टोकन जारी करके धन जुटाने का एक तरीका है, लेकिन जारी करने के साथ एक स्पष्ट जोखिम है

ICOs के रूप में कई कंपनियाँ बिना किसी ठोस उत्पाद के धन जुटाना चाह रही हैं। वर्ष 2018 में 983 आई. सी. ओ. एस. जारी किए गए थे, जिनके माध्यम से 20 अरब अमेरिकी डॉलर की धनराशि जारी की गई थी।उठाया गया।

iii. आभासी मुद्राओं को विभिन्न देशों द्वारा अलग-अलग कानूनी व्यवहार प्रदान किया जाता है, जो विनिमय लेनदेन से लेकर विनिमय के तरीके तक होते हैं।

कानूनी निविदा को भुगतान। चीन जैसे देशों ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

iv. गैर-आधिकारिक आभासी मुद्राओं का खनन बहुत संसाधन है

भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है जो एक पर्यावरणीय आपदा साबित हो सकती है।

वी. वे केंद्रीय बैंकों की अपने आदेशों को पूरा करने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं।

vi. चीन ने न केवल क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है, बल्कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने फ़ायरवॉल का भी इस्तेमाल किया है। चीन ने भी रोक दिया वीचैट से क्रिप्टोक्यूरेंसी केंद्रित खाते और बाइडू से क्रिप्टोक्यूरेंसी संबंधित सामग्री। हालाँकि, चीनी व्यापारी इन प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए वीपीएन का उपयोग करते हैं।

अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति की दिनांकित रिपोर्ट 28-02-2019 ने अंततः कुछ सिफारिशें कीं जिनमें पूर्ण प्रतिबंध शामिल था।

निजी क्रिप्टोकरेंसी पर।

प्रतिबंध लगाया, लेकिन विशेष रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा क्रिप्टोक्यूरेंसी से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थानों के इंटरफेस को समाप्त करने के लिए उठाए गए रुख का भी समर्थन किया। 2.35 . वास्तव में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विवादित परिपत्र के मुद्दे पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड (जी-20 के) द्वारा अप्रैल 2019 में जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को प्रस्तुत 'क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्ति नियामक निर्देशिका' नामक एक दस्तावेज़ में भी ध्यान दिया गया था। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि आर. बी. आई. के पास प्रत्यक्ष रूप से गुप्त परिसंपत्तियों को विनियमित करने का कानूनी अधिकार नहीं है, इस निर्देशिका ने संकेत दिया कि वी. सी. से जुड़े जोखिमों से अपनी विनियमित संस्थाओं को बचाने के लिए, आर. बी. आई. ने विवादित परिपत्र जारी किया है।

2.36 . जून 2019 में 'आभासी परिसंपत्तियों और आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के लिए मार्गदर्शन' शीर्षक के तहत जारी एक रिपोर्ट में, एफ. ए. टी. एफ. ने एफ. ए. टी. एफ. 2012 और 2015 की सिफारिशों में जोखिम-आधारित दृष्टिकोण की वकालत की। उसी समय, इस मार्गदर्शन ने मान्यता दी कि एक क्षेत्राधिकार के पास विवेक हैउपभोक्ता संरक्षण, सुरक्षा और मजबूती या मौद्रिक नीति जैसे मार्गदर्शन में संबोधित नहीं किए गए अन्य नीतिगत लक्षयों का समर्थन करने के लिए वी. ए. गतिविधियों और वी. ए. एस. पी. को प्रतिबंधित करना। लेकिन मार्गदर्शन में यह भी सुझाव दिया गया है कि जो देश वी. ए. गतिविधियों या वी. ए. एस. पी. को प्रतिबंधित करते हैं, उन्हें यह भी आकलन करना चाहिए कि इस तरह के प्रतिबंध से उनके धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

2.37 . यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवादित परिपत्र से अवगत थी। यह देखा जा सकता है

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा राज्य सभा में उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में 16-07-2019 पर दिए गए उत्तर से (अतारांकित प्रश्न संख्या। 2591)। नकारात्मक में जवाब देते हुए, यह सवाल कि क्या सरकार ने भारत के इंटरनेट और मोबाइल संगठन में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया था।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक सलाह, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र जारी करता रहा है। 2.38 . 22-07-2019 पर, अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति की रिपोर्ट, प्रतिबंध की सिफारिश करते हुए, "क्रिप्टोक्यूरेंसी पर प्रतिबंध" विधेयक के मसौदे के साथ

इन दो रिट याचिकाओं (प्रतिबंध की मांग) में की गई प्रार्थनाओं का काफी हद तक जवाब मिला।2.39 . इसके बाद, वर्तमान रिट याचिकाओं को सुनवाई के लिए लिया गया और इस न्यायालय ने 21-08-2019 पर एक अंतरिम निर्देश पारित किया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को दिनांकित 29-05-2018 और 30-05-2018 अभ्यावेदनों का एक विस्तृत बिंदु-वार जवाब देने का निर्देश दिया गया। आर. बी. आई. द्वारा दिनांकित 29-05-2018 और 30-05-2018 अभ्यावेदनों को पहले ही दिया गया जवाब इस न्यायालय द्वारा अपर्याप्त पाया गया और इसलिए यह निर्देश दिया गया। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04-09-2019 और 18-09-2019 पर एक विस्तृत बिंदु-वार जवाब दिया। इसके बाद, वर्तमान रिट याचिकाओं को सुनवाई के लिए लिया गया।

3. फ्लैशबैक

3.1 . (वर्ल्ड वाइड वेब) स्थलों पर की गई पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है कि यह डिजिटल मुद्रा सभ्यता सिर्फ 12 साल (अधिकतम 37 साल) पुरानी है। लेकिन ये उत्खनन इसलिए आवश्यक हो गए क्योंकि आभासी मुद्राएं, जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है जैसे कि क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियां, क्रिप्टोक्यूरेंसी, डिजिटल परिसंपत्तियां, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, डिजिटल मुद्रा आदि, एक सटीक और सटीक परिभाषा से परे हैं, जिससे उन्हें केवल कानूनी निविदा की श्रेणी या केवल वस्तु/वस्तु या स्टॉक की श्रेणी से संबंधित होने के रूप में पहचानना असंभव हो जाता है। 3.2 . ऐसा प्रतीत होता है कि आभासी मुद्रा क्या है, इसे परिभाषित करने के किसी भी प्रयास को "नेति, नेति" नामक निषेध के वैदिक विश्लेषण का पालन करना चाहिए।

दत्तात्रेय की अवधूत गीता में कहा गया है, 'कि तुम हो' जैसे वाक्यों से, हमारा अपना या जो असत्य है और 5 तत्वों से बना है, उसकी पुष्टि होती है, लेकिन श्रुति कहती है 'यह वह नहीं है'। नेति नेति की अवधारणा कुछ अकथनीय की अभिव्यक्ति है, लेकिन

जो उस के सार को पकड़ने का प्रयास करता है जिस पर कोई अन्य परिभाषा लागू नहीं होती है। यह पहेली पूरी तरह से गुप्त मुद्राओं पर लागू होगी और इसलिए यह फ्लैशबैक, इसकी उत्पत्ति में, ताकि इसके डीएनए को अनुक्रमित किया जा सके।

3.3 . हालाँकि ऐसा प्रतीत होता है कि डिजिटल नकदी का विचार पहली बार एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक डेविड ली चौम द्वारा पेश किया गया था।क्रिप्टोग्राफर बहुत पहले 1983 में एक शोध पत्र में और वास्तव में उनके द्वारा 1990 में डिजिकैश नाम की एक कंपनी के माध्यम से लॉन्च किया गया था।

कंपनी ने 1998 में दिवालियापन के लिए आवेदन किया, जिसमें डिजिकैश डिजी क्रैश बन गया। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी के निर्माण की वास्तविक कहानी शुरू हुई,

अधिक वैज्ञानिक तरीके से, न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार नथानिएल पॉपर के अनुसार, 1997 में, जब एडम बैक नाम के एक ब्रिटिश साइफरपंक ने हैशकैश नामक एक योजना जारी की, जिसने डिजिटल कैश परियोजना को रोकने वाली कुछ समस्याओं को हल करने का दावा किया। लेकिन इस कार्यक्रम की अपनी कमियां थीं। निक स्ज़ाबो नामक एक अन्य साइफरपंक, बिटगोल्ड नामक एक अवधारणा के साथ आया, जिसने हैशकैश की कमियों को हल करने का प्रयास किया। जल्द ही, वेई दाई नाम का एक अमेरिकी बी-मनी नामक चीज़ लेकर आया। हेल फिन्नी, एक और अमेरिकी ने अपना बनाया

स्वयं का विकल्प। लेकिन उन सभी का एक समान लक्षय था, जो एडम बैक द्वारा प्रकट किया गया था:

" हम जो चाहते हैं वह पूरी तरह से गुमनाम, अति कम लेनदेन लागत है,

विनिमय की हस्तांतरणीय इकाइयाँ। अगर हम ऐसा करते हैं। बैंक अप्रचलित डायनासोर बन जाएंगे जिनके वे हकदार हैं

बन जाता है "।

3.4 . लेकिन इन सभी प्रयोगों ने बाधाओं को मारना जारी रखा, जब तक कि सतोशी नाकामोतो (जो अभी भी गुमनाम हैं) का उदय नहीं हुआ।

नेटनागरिकों की दुनिया। ऐसा प्रतीत होता है कि सतोशी ने अगस्त 2008 में एडम बैक को एक ई-मेल भेजा था जिसमें उनके द्वारा तैयार एक श्वेत पत्र संलग्न किया गया था जिसे 'बिटक्वाइन' कहा जाता था। नथानिएल पॉपर ने अपनी पुस्तक में सतोशी ने अपने लेख में जो कुछ कहा है, उसका सार सरल शब्दों में आम आदमी की समझ के लिए दिया है:

" जारी करने के लिए किसी केंद्रीय बैंक या कंपनी पर निर्भर रहने के बजाय

और पैसे पर नज़र रखें-मौजूदा वित्तीय प्रणाली के रूप मेंऔर चौम के डिजिकैश ने किया-इस प्रणाली को स्थापित किया गया था ताकि

5 उनकी पुस्तक "डिजिटल गोल्ड" से: बिटक्वाइन और मिसफिट्स और करोड़पतियों की अंदरूनी कहानी जो पैसे को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।

6 साइफरपंक एक कार्यकर्ता हैं जो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के मार्ग के रूप में मजबूत क्रिप्टोग्राफी और गोपनीयता बढ़ाने वाली तकनीकों के व्यापक उपयोग की वकालत करते हैं। इस शब्द को नवंबर 2006 में ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में जोड़ा गया था।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. सर्विस बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

प्रत्येक बिटक्वाइन लेन-देन और प्रत्येक उपयोगकर्ता की होल्डिंग्स को डिजिटल धन का उपयोग करने वाले सभी लोगों के कंप्यूटरों द्वारा ट्रैक और रिकॉर्ड किया जाएगा, एक सांप्रदायिक रूप से बनाए गए डेटाबेस पर जिसे ब्लॉकचैन के रूप में जाना जाएगा।

जिस प्रक्रिया के माध्यम से यह सब हुआ, उसकी कई परतें थीं, और विशेषज्ञों को भी यह समझने में महीनों लगेंगे कि वे सभी एक साथ कैसे काम करते हैं। लेकिन प्रणाली के बुनियादी तत्व कर सकते हैं

मोटे शब्दों में स्केच किया गया था, और सातोशी के पेपर में थे, जिसे बिटक्वाइन श्वेत पत्र के रूप में जाना जाता था।

पेपर के अनुसार, सिस्टम के प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास एक या अधिक सार्वजनिक बिटक्वाइन पते हो सकते हैं-जैसे कि बैंक खाता संख्या और प्रत्येक पते के लिए एक निजी कुंजी। किसी दिए गए पते से जुड़े सिक्कों को केवल उस व्यक्ति द्वारा खर्च किया जा सकता था जिसके पास पते के अनुरूप निजी कुंजी हो। निजी कुंजी पारंपरिक कूटशब्द से थोड़ी अलग थी, जिसे किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा यह जांचने के लिए रखा जाना चाहिए कि उपयोगकर्ता सही कूटशब्द दर्ज कर रहा है या नहीं। बिटक्वाइन में, सतोशी ने सार्वजनिक-प्रमुख क्रिप्टोग्राफी के चमत्कारों का उपयोग किया

एक उपयोगकर्ता उपयोगकर्ता के लिए इसे संभव बनाने के लिए-आइए उसे फिर से एलिस कॉल करें-एक लेनदेन पर हस्ताक्षर करने के लिए, और यह साबित करने के लिए कि उसके पास निजी कुंजी है,

एक बार जब एलिस ने अपनी निजी कुंजी के साथ एक लेनदेन पर हस्ताक्षर किए तो वह इसे अन्य सभी कंप्यूटरों पर प्रसारित करेगी। बिटक्वाइन नेटवर्क। वे कंप्यूटर जाँच करते कि ऐलिस के पास वे सिक्के हैं जो वह खर्च करने की कोशिश कर रही थी। वे सभी बिटक्वाइन लेनदेन के सार्वजनिक रिकॉर्ड से परामर्श करके ऐसा कर सकते थे, जिसकी एक प्रति नेटवर्क पर कंप्यूटरों के पास थी। एक बार जब कंप्यूटरों ने पुष्टि की कि एलिस के पते पर वास्तव में वह पैसा था जो वह खर्च करने की कोशिश कर रही थी, तो एलिस के लेनदेन के बारे में जानकारी हाल के सभी लेनदेनों की सूची में दर्ज की गई थी, जिसे कहा जाता है

एक ब्लॉक, ब्लॉक चेन पर। [.....] इस जटिल प्रक्रिया का परिणाम कुछ ऐसा था जो

भ्रामक रूप से सरल लेकिन पहले कभी संभव नहीं था: एक वित्तीय नेटवर्क जो केंद्रीय प्राधिकरण के बिना धन बना और स्थानांतरित कर सकता है। कोई बैंक नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी नहीं, कोई नियामक नहीं। इस प्रणाली को इस तरह से तैयार किया गया था कि धारक के अलावा कोई और न हो

एक निजी चाबी खर्च कर सकती है या संबंधित धन ले सकती है [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक विशेष बिटक्वाइन पते के साथ। इसके अलावा, सिस्टम के प्रत्येक उपयोगकर्ता को विश्वास हो सकता है कि, समय के हर क्षण, सिस्टम में हर किसी के स्वामित्व का केवल एक सार्वजनिक, अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड होगा। इस पर विश्वास करने के लिए, उपयोगकर्तासातोशी पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि डिजिकैश के उपयोगकर्ताओं को डेविड चौम पर भरोसा करना था, या डॉलर के उपयोगकर्ताओं को फेडरल रिजर्व पर भरोसा करना था। उन्हें बस बिटक्वाइन सॉफ्टवेयर चलाने वाले अपने स्वयं के कंप्यूटरों पर भरोसा करना था, और सतोशी ने जो कोड लिखा था, वह ओपन सोर्स था, और इसलिए समीक्षा करने के लिए सभी के लिए उपलब्ध था। यदि उपयोगकर्ताओं को सातोशी के सॉफ्टवेयर द्वारा निर्धारित नियमों के बारे में कुछ पसंद नहीं आया, तो वे नियमों को बदल सकते हैं। जो लोग बिटक्वाइन नेटवर्क में शामिल हुए, वे वास्तव में बैंक और टकसाल दोनों के ग्राहक और मालिक थे।

3.5 . कि सातोशी और साइफरपंक्स जिन्होंने भाग लिया

प्रारंभिक प्रयोगों ने बिटक्वाइन को एक विकल्प के रूप में विकसित किया

केंद्रीय एजेंसियों द्वारा मुद्रा के अवमूल्यन की समस्याओं का मुकाबला करने के लिए पारंपरिक मुद्रा को स्वयं सतोशी ने स्पष्ट किया था जब उन्होंने कहा था: पारंपरिक मुद्रा के साथ मूल समस्या वह विश्वास है जो इसे काम करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय बैंक पर भरोसा किया जाना चाहिए कि वह मुद्रा को कमजोर नहीं करेगा, लेकिन फिएट मुद्राओं का इतिहास उस विश्वास के उल्लंघन से भरा हुआ है।

} }

3.6 . जिस बात ने लोगों को सतोशी के प्रस्ताव की ओर आकर्षित किया, वह यह था कि केंद्रीय बैंकों के पास पैसे की असीमित छपाई में कोई प्रतिबंध नहीं था,

इस प्रकार सभी बचत और होल्डिंग्स का अवमूल्यन करते हुए, बिटक्वाइन सॉफ्टवेयर में यह सुनिश्चित करने के लिए नियम थे कि नए सिक्के बनाने की प्रक्रिया 21 के बाद बंद हो जाएगी। दुनिया में लाखों लोग बाहर थे। जब हेलसिंकी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की छात्रा मार्टी मालमी ने परियोजना में सुधार

करने और इसका विपणन करने के लिए सातोशी के साथ हाथ मिलाया, तो उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में दर्शन को तैयार किया:

" एकाधिकारवादी केंद्रीय बैंकों की अनुचित मौद्रिक नीतियों और मुद्रा आपूर्ति पर केंद्रीकृत शक्ति के अन्य जोखिमों से सुरक्षित रहें। बिटक्वाइन प्रणाली की मुद्रा आपूर्ति की सीमित मुद्रास्फीति पूरे नेटवर्क में समान रूप से (सीपीयू शक्ति द्वारा) वितरित की जाती है, न कि बैंकिंग अभिजात वर्ग के लिए एकाधिकार।

3.7 . इसलिए, यह किसी भी संदेह से परे है कि पिछले कुछ वर्षों में इसके कायापलट (या जीन उत्परिवर्तन) के बावजूद, बिटक्वाइन, क्रिप्टोकरेंसी की दौड़ का एडम या मनु, था

फिएट मुद्रा के विकल्प के रूप में विकसित किया गया।

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के इस जन्म चार्ट को रखते हुए v. सर्विस बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]सभी मुद्राओं को ध्यान में रखते हुए, आइए अब देखें कि याचिकाकर्ता कैसे आर. बी. आई. के विवादित फैसलों से व्यथित हैं, जिनके आधार पर वे चुनौती देते हैं।

मुझे और औचित्य को आर. बी. आई. द्वारा प्रदान करने की मांग की गई।

4. पृष्ठभूमि स्कोर (याचिकाकर्ताओं का)

4.1 . एक रिट में याचिकाकर्ताओं के गीत का विषय, जैसा कि विद्वान वकील श्री असीम सूद द्वारा ठीक किया गया है, को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

I. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वीसी एक्सचेंज के माध्यम से आभासी मुद्राओं में व्यापार की गतिविधि को प्रतिबंधित करने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि:

(i) आभासी मुद्राएं कानूनी निविदा नहीं हैं, बल्कि व्यापार योग्य वस्तुएं/डिजिटल वस्तुएं हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के नियामक ढांचे के भीतर नहीं आती हैं।

((ii) आभासी मुद्राएँ देश की ऋण प्रणाली के अंतर्गत भी नहीं आती हैं, ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की प्रस्तावना पर वापस आने में सक्षम बनाया जा सके, जो भारतीय रिज़र्व बैंक को ऋण प्रणाली को संचालित करने का आदेश देता है।

अपने लाभ के लिए देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली।

(iii) न तो धारा 45 जेए के तहत अपने लाभ के लिए देश की वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने की शक्ति, और न ही भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल के तहत प्रदान की गई देश की ऋण प्रणाली को विनियमित करने की शक्ति, जो सार्वजनिक हित में और संतुष्टि पर पहुंचने पर प्रयोग

की जा सकती है, इतनी लोचदार है कि उन वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है जो वित्तीय प्रणाली या ऋण के दायरे में नहीं आते हैं।

देश की व्यवस्था।

((iv) "जनहित में" निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए (1) (ए) के तहत और धारा के तहत प्रदत्त किसी विशेष लेनदेन में प्रवेश करने के खिलाफ बैंकिंग कंपनियों को सावधान करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति।

36 (1) (क) देश की बैंकिंग सेवाओं के लिए आभासी मुद्रा विनिमय द्वारा पहुंच से इनकार करने वाले व्यापक निर्देशों के मुद्दे पर विस्तार न करें, जैसा कि "जनहित" अभिव्यक्ति में दिखाई देती है।

एक कानून में विशेष प्रावधान से अपना रंग लेना चाहिए

कानून का संदर्भ।

(v) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10 (2) के तहत भुगतान प्रणालियों के उचित और कुशल प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्ति और उक्त अधिनियम की धारा 18 के तहत [2020] 2 एस. सी. आर. से संबंधित नीतियों को निर्धारित करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भुगतान प्रणालियों का विनियमन और भुगतान प्रणालियों से संबंधित व्यवसाय के संचालन से संबंधित निर्देश देना,

संतुष्ट होने पर सार्वजनिक हित में प्रयोग करने योग्य, आभासी मुद्रा विनिमय पर भी लागू नहीं होता है, क्योंकि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं "भुगतान" अभिव्यक्ति की परिभाषा के भीतर नहीं आती हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (i) के तहत प्रणाली।

II. यह मानते हुए लेकिन यह स्वीकार नहीं करते हुए कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वी. सी. ई. एस. द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से निपटने की शक्ति है, इस तरह के अभ्यास का तरीका

कुछ अच्छी तरह से स्थापित मापदंडों पर शक्ति का परीक्षण किया जा सकता है। वे हैं -

(i) मन/संतुष्टि/प्रासंगिक और अप्रासंगिक का अनुप्रयोग

विचार-विमर्श

(iii) एम. एस. गिल तर्क ((iv) अंशांकन/आनुपातिकता

III. अन्य सभी हितधारक जैसे भारत सरकार का आर्थिक कार्य विभाग, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आदि ने वास्तव में क्रिप्टोकरेंसी के सकारात्मक और लाभकारी पहलुओं को डिजिटल परिसंपत्तियों और वितरित लेजर प्रौद्योगिकी के रूप में मान्यता दी है, जिससे क्रिप्टोकरेंसी निकलती हैं और इसलिए केवल एक नियामक व्यवस्था की सिफारिश की है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना किसी तर्कसंगत आधार के एक विपरीत स्थिति ली है।

IV. दुनिया की कई विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ, बहुराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकाय और विभिन्न देशों की अदालतेंउन्होंने गुप्त मुद्राओं को स्कैन किया है, लेकिन उनके बारे में कुछ भी हानिकारक नहीं पाया है और यहां तक कि भारत सरकार द्वारा गुप्त मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून लाने का प्रयास अभी भी अपने तार्किक अंत तक नहीं पहुंचा है।

वी. आर. बी. आई. को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए था कि याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों ने आवश्यक सावधानी बरती है जिनमें शामिल हैं - नकद लेन-देन से बचना, के. वाई. सी. मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना, अपनी मर्जी से और केवल समान रूप से समान रूप से लेन-देन की अनुमति देना

देश।

VI. आर. बी. आई. ने इस तथ्य पर अपना दिमाग नहीं लगाया है कि हर क्रिप्टोकरेंसी गुमनाम नहीं है। यूरोपीय संसद की रिपोर्ट भी

वी. सी. को गुमनाम और छद्म-गुमनाम में वर्गीकृत किया गया। इसलिए, यदि लेनदेन की गुमनामी की समस्या का समाधान करने की मांग की गई है, तो भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

केवल अनाम वीसी को प्रतिबंधित करने के कम से कम आक्रामक विकल्प का सहारा लेकर भी यही हासिल किया जा सकता था।

VII. यह एक विरोधाभास है कि आर. बी. आई. को ब्लॉक चेन तकनीक स्वीकार्य है, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी स्वीकार्य नहीं है।VIII. राज्य की आर्थिक नीतियों के प्रति न्यायिक सम्मान के नियम का लाभ भारतीय रिज़र्व बैंक को उपलब्ध नहीं है, क्योंकि विवादित परिपत्र एक सांविधिक निकाय कॉर्पोरेट द्वारा शक्ति का प्रयोग है और न तो एक विधान है और न ही कार्यकारी शक्ति का प्रयोग है। किसी भी मामले में, प्रक्रिया के लिए कानून में कोई सम्मान नहीं है, लेकिन केवल प्रक्रिया से निकलने वाली राय के लिए

है। विवादित उपाय किए जाने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया था और इसलिए, विवादित निर्णय ज्ञान या विशेषज्ञता पर भी आधारित नहीं हैं।

IX. जबकि सामान्य हित में बनाए गए कानून के तहत लगाए गए उचित प्रतिबंधों के माध्यम से किसी व्यापार या व्यवसाय का विनियमन

संविधान के अनुच्छेद 19 (6) द्वारा जनता को बचाया गया है, कानून द्वारा गैरकानूनी घोषित नहीं की गई गतिविधि का पूर्ण निषेध, विशेष रूप से एक अधीनस्थ कानून जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के माध्यम से, अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन है। क्या कोई निर्देश "विनियमन" या "निषेध" के समान होगा, यह निर्देश के प्रभाव पर निर्भर करता है।

4.2 . विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नकुल दीवान द्वारा निर्धारित अन्य रिट याचिका (2018 का डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 373) में याचिकाकर्ताओं की दलीलें इस प्रकार हैं:

I. आक्षेपित परिपत्र का तत्काल प्रभाव पूरी तरह से है

आभासी मुद्रा बाजार और औपचारिक भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों को गंभीर बनाना, वास्तव में वीसी के व्यापार पर विधायी प्रतिबंध के बिना, जिससे नकदी और काला-बाजार लेनदेन को बढ़ावा मिलता है।II. विवादित परिपत्र विभिन्न वी. सी. योजनाओं जैसे कि बंद वी. सी. योजनाओं, एकदिश प्रवाह वी. सी. योजनाओं और द्विदिश प्रवाह वी. सी. योजनाओं के बीच के अंतर पर ध्यान देने में विफल रहता है और केवल द्विदिश प्रवाह योजनाओं को लक्षित करके एकदिश प्रवाह योजनाओं और द्विदिश प्रवाह योजनाओं के बीच अनुचित रूप से अंतर करता है।

III. वी. सी. धन के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि वे धन की चार विशेषताओं अर्थात् विनिमय का माध्यम, खाते की इकाई, को पूरा नहीं करते हैं। मूल्य का भंडार और ऋण का अंतिम निर्वहन और चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है, इसलिए उनके पास इसे विनियमित करने की कोई शक्ति नहीं है।

IV. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक अर्थों में समझा जाने वाला धन और कानूनी अर्थों में समझा जाने वाला धन अलग-अलग हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर जैसे विभिन्न क्षेत्राधिकारों में अदालतों के पास है।

वीसी को कभी-कभी धन या धन के समान या कभी-कभी वस्तुओं/अमूर्त संपत्तियों के रूप में समझा जाता था। V. विवादित परिपत्र स्पष्ट रूप से मनमाना है, जो गैर-उचित वर्गीकरण पर आधारित है और यह असमान प्रतिबंध लगाता है।

VI. किसी अनुच्छेद को अतिरिक्त वाणिज्य के रूप में प्रतिबंधित करने का निर्णय विधायी नीति का विषय है और यह विधायी अधिनियम से उत्पन्न होना चाहिए। और किसी कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा नहीं।

4.3 . उपरोक्त कानूनी दलीलों के अलावा, श्री नकुल दीवान विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि

विवादित परिपत्र, एक रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं में से एक द्वारा संचालित आभासी मुद्रा विनिमय (वी. सी. ई.) को आई. डी. 1 पर बंद कर दिया गया था, दूसरे याचिकाकर्ता द्वारा संचालित वी. सी. ई. गैर-चालू हो गया था, हालांकि उनकी वेबसाइट अभी भी खुलती है और वी. सी. ई. डिस्कडियम इंटरनेट लैब्स प्राइवेट नाम के एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा चलाया जाता है। लिमिटेड, न केवल गैर-परिचालन बन गया, बल्कि

रु. की राशि। 12 उनके खाते में पड़े करोड़ों रुपये भी जब्त कर लिए गए। हालांकि, पीयर-टू-पीयर (पी2 पी) आधार पर काम करने से अकेले कॉइनडीसीएक्स नाम का एक वीसीई बच जाता है।

4.4 . उनकी अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में, श्री असीम सूद

और विद्वान वकीलों, श्री नकुल दीवान ने इस अदालत और अन्य अदालतों के कई फैसलों पर भरोसा किया। जब हम उनकी दलीलों को विश्लेषण के लिए उठाएंगे तो हम उनका उल्लेख करेंगे।

5. एस. सी. आर. आई. पी. टी. (भारतीय रिज़र्व बैंक का)

5.1 . आर. बी. आई. ने इन रिट याचिकाओं में से एक में जवाबी हलफनामा दायर किया है, जिसमें पूरे मामले को शामिल किया गया है। लेकिन की दलीलों पर RBI की प्रतिक्रिया याचिकाकर्ता न केवल जवाबी-हलफनामे में उपलब्ध हैं, बल्कि कुछ अंतरिम के अनुसार उनके द्वारा जारी किए गए कुछ संचारों में भी उपलब्ध हैं।

5.2 . उदाहरण के लिए, इस न्यायालय ने लंबी दलीलें सुनने के बाद 2019 में एक अंतरिम निर्देश पारित किया, जिसमें रिजर्व बैंक कोभारत 29 05-2018 और 30-05-2018 दिनांकित अभ्यावेदनों का विस्तृत बिंदुवार जवाब देगा। उक्त अंतरिम निर्देश के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04-09-2019 और 18-09-2019 पर एक विस्तृत बिंदु-वार जवाब दिया।

इसलिए, इन मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के रुख को न केवल भारत के इंटरनेट और मोबाइल संगठन से अलग किया जाना चाहिए।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

प्रति-शपथपत्र, लेकिन इन रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान रिट याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों को जारी किए गए आदेशों/उत्तरों से भी।

5.3 . संक्षेप में, द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ताओं, जैसा कि श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा व्यक्त किया गया है, का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

(i) आभासी मुद्राएं मूल्य का भंडार, भुगतान का माध्यम और खाते की इकाई जैसे मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं।

मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त।((ii) आभासी मुद्रा विनिमयों में उपभोक्ता विवादों/शिकायतों से निपटने के लिए कोई औपचारिक या संरचित तंत्र नहीं है।

(iii) आभासी मुद्राएँ अपनी गुमनामी/छद्म-गुमनामी के कारण अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने में सक्षम हैं।

(iv) आभासी मुद्राओं के बढ़ते उपयोग से अंततः भारतीय मुद्रा और ऋण प्रणाली की मौद्रिक स्थिरता समाप्त हो जाएगी।

(v) भारतीय रिज़र्व बैंक का विवादित निर्णय विधायी है और एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा लिए गए आर्थिक नीतिगत निर्णय के दायरे में है। न्यायालय से एक व्यावहारिक दृष्टिकोण की गारंटी देना।

(vi) विवादित निर्णय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त व्यापक शक्तियों की सीमा के भीतर है।

(vii) किसी को भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के नेटवर्क पर व्यापार करने का निरंकुश मौलिक अधिकार नहीं है। (viii) विवादित निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 द्वारा गारंटीकृत किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं।

(ix) विवादित निर्णय अत्यधिक, ज़ब्त करने वाले या असमान नहीं हैं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रभावित पक्षों को बैंकों के साथ अपने संबंधों को तोड़ने के लिए तीन महीने का समय दिया है। यह वर्ष 2013 से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हितधारकों को बार-बार जारी की गई चेतावनियों के अलावा है।

(x) 2013 की प्रेस विज्ञप्ति का दायरा केवल उपभोक्ता संरक्षण से कहीं अधिक व्यापक था। RBI ने वीसी के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को आगाह किया संभावित वित्तीय, परिचालन, कानूनी, ग्राहक सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी जोखिमों के बारे में जो वे खुद को उजागर कर रहे थे।

(xi) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी रिपोर्टों में ध्यान में रखी गई सामग्री, उन समितियों की रिपोर्ट जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक एक पक्ष था और सावधानियाँ

आर. बी. आई. द्वारा 5 वर्षों की अवधि में बार-बार जारी किया गया, जो आर. बी. आई. की ओर से दिमाग के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करेगा। वे यह भी दर्शाते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ा, बल्कि बहुत सावधानी और सावधानी के साथ आगे बढ़ा। इसलिए, उनके द्वारा प्राप्त संतुष्टि बहुत अधिक थी और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। विवादित परिपत्र पर विचार करने का मानक सामग्री का अस्तित्व है न कि ऐसी सामग्री की पर्याप्तता या पर्याप्तता।

(xii) किसी भी मामले में, आभासी मुद्राओं पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है या

विनियमित संस्थाओं द्वारा वितरित खाता प्रौद्योगिकी के उपयोग पर।(xiii) उपभोक्ताओं के हितों, भुगतान के हितों की रक्षा के लिए सार्वजनिक हित में विवादित निर्णय आवश्यक थे और

देश की निपटान प्रणालियों और आभासी मुद्राओं की उच्च अस्थिरता के संपर्क में आने से विनियमित संस्थाओं की सुरक्षा के लिए। आरबीआइ ने कहा

लोक हित में इस तरह के पूर्व-खाली उपाय करने के लिए सशक्त और कर्तव्यबद्ध और विनियमित करने की शक्ति में निषेध करने की शक्ति शामिल है।

(xiv) विवादित निर्णय आवश्यक थे क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में, वी. सी. लेनदेन को भुगतान प्रणाली नहीं कहा जा सकता है, बल्कि केवल पीयर-टू-पीयर लेनदेन कहा जा सकता है जिसमें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत एक प्रणाली प्रदाता शामिल नहीं है। इसके बावजूद वी. सी.

(xvii) आर. बी. आई. या कोई अन्य सरकारी प्राधिकरण वी. सी. और उनके उत्पादन को कम करने, सीमित करने, विनियमित करने या नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा।लेन-देन, जिसके परिणामस्वरूप हमेशा मौजूद और अपरिहार्य वित्तीय जोखिम होते हैं।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

6. प्लॉट का अनफोल्डिंग

6.1 . उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स और प्रतिद्वंद्वी विवादों के आलोक में, आइए अब देखें कि हमारे सामने कथानक कैसे सामने आता है।

I. आर. बी. आई. के लिए कोई शक्ति नहीं (अल्ट्रा वायर्स)

6.2 . हमले का पहला आधार वी. सी. और वी. सी. ई. एस. से निपटने, विनियमित करने या यहां तक कि प्रतिबंध लगाने की आर. बी. आई. की शक्ति के इर्द-गिर्द घूमता है। इस तर्क की पूरी नींव याचिकाकर्ताओं द्वारा लिए गए रुख पर टिकी हुई है कि वीसी धन या अन्य कानूनी निविदा नहीं हैं, बल्कि केवल

वस्तुएं/वस्तुएं हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के दायरे से बाहर हैं। वास्तव में, 06-04-2018 दिनांकित भारतीय रिज़र्व बैंक का विवादित परिपत्र शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था

इन तीनों अधिनियमों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदान किया गया। इसलिए, यदि आभासी मुद्राएं किसी भी या सभी द्वारा कवर किए गए विषय के अंतर्गत नहीं आती हैं

इन तीन अधिनियमों और जिन पर आर. बी. आई. का वैधानिक नियंत्रण है, तब याचिकाकर्ताओं का यह तर्क देना सही होगा कि परिपत्र अधिकार से बाहर है।

6.3 . इसलिए यह आवश्यक है कि (i) पहले भारतीय रिजर्व बैंक जैसे केंद्रीय बैंक को ऐतिहासिक रूप से सौंपी गई भूमिका, शक्तियों और कार्यों को देखा जाए।

भारतीय रिजर्व बैंक और उपरोक्त तीनों अधिनियमों की वैधानिक योजना को प्रदान किया गया और सौंपा गया और (ii) फिर यह जांच करने के लिए कि ये आभासी मुद्राएं वास्तव में क्या हैं। इसलिए, हम इस संबंध में अपनी चर्चा को दो भागों में विभाजित करेंगे, पहला भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका, शक्तियों और कार्यों से संबंधित और दूसरा आभासी मुद्राओं की पहचान से संबंधित।

सौंपी गई भूमिका, सौंपे गए कार्य और शक्तियाँ

केंद्रीय बैंक के रूप में आर. बी. आई. को प्रदान किया गया 6.4 . भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के अधिनियम 2 के तहत (i) बैंक नोट जारी करने को विनियमित करने, (ii) देश में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से भंडार रखने और

((iii) अपने लाभ के लिए देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली का संचालन करना। अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक जैसे केंद्रीय बैंक की भूमिका (i) मुद्रा (ii) मुद्रा आपूर्ति और (iii) ब्याज दरों का प्रबंधन करना है। केंद्रीय बैंक की अनूठी विशेषता यह है कि राज्य में मौद्रिक आधार बढ़ाने पर उसका एकाधिकार है और इसका नियंत्रण है।

राष्ट्रीय मुद्रा की छपाई में। केंद्रीय बैंक वस्तुतः नकदी संकट से जूझ रहे बैंकों के लिए "अंतिम उपाय के ऋणदाता" के रूप में कार्य करता है।

6.5 . इतिहासकार आधुनिक केंद्रीय बैंकों के उदय का पता सुरंग अधिनियम, 1694 के माध्यम से 27-07-1694 पर दिए गए रॉयल चार्टर के तहत बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना से लगाते हैं। 1694 में इस बैंक की स्थापना वास्तव में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं थी, बल्कि

6.6 . जहाँ तक भारत का संबंध है, केंद्रीय बैंक के कार्य मूल रूप से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को प्रदान किए गए थे। वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1920 के तहत। इंपीरियल बैंक की स्थापना क्यों और किस तरीके से की गई, यह देखना काफी दिलचस्प है। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने भारत के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था,

तीन प्रेसीडेंसी बैंक थे, एक कलकत्ता में, दूसरा बॉम्बे में और तीसरा मद्रास में। इन तीनों बैंकों की स्थापना क्रमशः

1809 , 1840 और 1843 को कुछ निर्दिष्ट सीमाओं तक नोट जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। लेकिन इस विशेषाधिकार को 1862 में कागजी मुद्रा अधिनियम के तहत वापस ले लिया गया, जिसमें भारत सरकार के पास नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार निहित था।

1913 में नियुक्त वित्त और मुद्रा ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता महसूस की, प्रस्ताव अमल में नहीं आया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रेसीडेंसी बैंकों ने खुद एकीकरण का समर्थन किया।इसलिए, तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों के एकीकरण का प्रावधान करने वाला इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया विधेयक सितंबर 1920 में पारित किया गया और जनवरी 1921 में लागू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समझौते के बाद केंद्रीय बैंकों की स्थापना की प्रवृत्ति ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गति पकड़ी।

1920 में ब्रुसेल्स और 1922 में जेनोआ में सम्मेलन आयोजित किए गए। 6.8 . लेकिन ब्रिटिश निर्यातकों की मदद के लिए एक अत्यधिक मूल्यवान विनिमय दर के रखरखाव ने औपनिवेशिक प्रशासन के बीच टकराव को जन्म दिया।

और भारतीय व्यापारिक हित। कांग्रेस ने अवमूल्यन की मांग की और इसलिए इस मामले की जांच के लिए 1925 में एक शाही आयोग का गठन किया गया। भारतीय मुद्रा और वित्त पर यह शाही आयोग, जिसे हिल्टन इंटरनेट और भारत का मोबाइल संगठन भी कहा जाता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

युवा आयोग (जिस पर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने भी एक बयान दिया) ने 1926 में भारत के लिए एक मजबूत केंद्रीय बैंक के निर्माण की सिफारिश की। यद्यपि सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए स्वर्ण मानक और भारतीय रिजर्व बैंक विधेयक, 1927 के रूप में जाना जाने वाला एक विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन इसे 10-02-1928 पर वापस ले लिया गया था। 1930 के बाद से रिजर्व बैंक की स्थापना का सवाल उठा।

जब देश के लिए संवैधानिक सुधार किए गए तो उन्हें नई गति मिली।

6.9 . भारतीय संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया

मार्च 1933 में, यह माना गया कि राजनीतिक प्रभाव से मुक्त एक रिजर्व बैंक की स्थापना करनी होगी और इसे पहले से ही सफलतापूर्वक संचालित किया जाना चाहिए।

6.11 . इसलिए सितंबर 1933 में लंदन समिति की सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक का मसौदा तैयार किया गया। 1934 में,विधेयक पारित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 01-04-1935 पर देश के केंद्रीय बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया। रिजर्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व हस्तांतरण) अधिनियम, 1948 के तहत बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था।

6.12 . एक बार भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के बाद, देश की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका और वैधानिक रूप से इसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कार्यों और शक्तियों की सराहना करना आसान हो जाएगा।

6.13 . जैसा कि आर. बी. आई. अधिनियम की प्रस्तावना से पता चलता है,

भारतीय रिजर्व बैंक का गठन तीन प्रकार का था-(i) बैंक नोट जारी करने को विनियमित करना (ii) देश में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से भंडार रखना और (iii) देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को उसके लाभ के लिए संचालित करना। 6.14 . वास्तव में, अधिनियम की मूल प्रस्तावना में केवल तीन पैराग्राफ थे। लेकिन प्रस्तावना के पैराग्राफ 2 और 3 को प्रतिस्थापित किया गया।

2016 के अधिनियम 28 द्वारा 3 नए पैराग्राफ के साथ। अनुच्छेद 2 और 3

2016 में प्रतिस्थापित मूल प्रस्तावना और पैराग्राफ 2 से 4 को एक सारणीबद्ध कॉलम में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

[2020] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पैराग्राफ 2 से 4 अब प्रतिस्थापित किए गए हैं

पैराग्राफ 2 और 3 जैसा कि वे मूल रूप से थे

और जहाँ आधुनिक होना आवश्यक है

और जहाँ वर्तमान में

मौद्रिक प्रणालियों का अव्यवस्थितकरण

चुनौती का सामना करने के लिए मौद्रिक नीति ढांचा

दुनिया यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि क्या

एक तेजी से जटिल अर्थव्यवस्था;

के लिए एक स्थायी आधार के रूप में उपयुक्त होगा भारतीय मुद्रा प्रणाली;

और जहाँ का प्राथमिक उद्देश्य

मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए है।

लेकिन जहाँ इसे बनाना समीचीन है

विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए;

के आधार पर अस्थायी प्रावधान

और जहाँ मौद्रिक नीति

मौजूदा मौद्रिक प्रणाली, और छोड़ने के लिए

मौद्रिक मानक का प्रश्न सबसे उपयुक्त है

भारत में फ्रेमवर्क द्वारा संचालित किया जाएगा

भारत को विचार करने के लिए जब

भारतीय रिजर्व बैंक;

इसे बनाने के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट और स्थिर स्थायी उपायों को तैयार करना संभव है;

6.15 . इसे नए प्रतिस्थापित पैराग्राफ से देखा जा सकता है।

कि आर. बी. आई. अब भारत में मौद्रिक नीति ढांचे को संचालित करने की बाध्यता के साथ निहित है। मौद्रिक नीति के प्राथमिक उद्देश्य का संकेत पैराग्राफ 3 में दिया गया है जो कहता है कि

मूल्य स्थिरता बनाए रखना मुख्य उद्देश्य है, जबकि विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पैराग्राफ 2 एक तेजी से जटिल होती अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना करने के लिए एक आधुनिक मौद्रिक नीति ढांचे की आवश्यकता को स्वीकार करता है।

6.16 . इसलिए, यह स्पष्ट है कि अधिनियम 28 के तहत संशोधन के बाद

2016 से, मौद्रिक नीति ढांचे के संचालन का कार्य विशेष रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा गया है।

6.17 . हालांकि "मौद्रिक नीति" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है

अधिनियम, "मौद्रिक नीति" शीर्षक के तहत एक पूरा अध्याय जिसमें धारा 45Z से 45ZO शामिल है, को अध्याय IIIF के रूप में जोड़ा गया था। इस अध्याय के प्रावधानों को अन्य प्रावधानों पर ओवरराइडिंग प्रभाव दिया गया है

अधिनियम, धारा 45Z के तहत। धारा 45 जेडए (1) के तहत केंद्र सरकार

आर. बी. आई. के परामर्श से हर 5 साल में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्षय निर्धारित करने का अधिकार है। मुद्रास्फीति लक्षय को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत दर का निर्धारण धारा 45 जेडबी के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाना है।

6.18 . आर. बी. आई. की स्थापना का उद्देश्य भी खंड में लिखा गया है।

3 (1) . इसमें कहा गया है कि "भारतीय रिजर्व बैंक नामक एक बैंक का गठन केंद्र सरकार से मुद्रा के प्रबंधन को संभालने और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंकिंग का व्यवसाय करने के उद्देश्य से किया जाएगा"।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

6.19 . अधिनियम के अध्याय III में भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बैंकिंग कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है। धारा 17 आर. बी. आई. को कई लेन-देन करने के लिए अधिकृत करती है।

उसमें सूचीबद्ध व्यवसायों के प्रकार, जिनमें से एक, उप-धारा (15) में निर्दिष्ट है, बैंक नोट बनाना और जारी करना है। धारा 20, जो अध्याय III का हिस्सा है, भारतीय रिज़र्व बैंक को (i) केंद्र सरकार के खाते के लिए धन स्वीकार करने के लिए बाध्य करती है (ii) अपने खाते में जमा की गई राशि तक का भुगतान करने के लिए और (iii) अपने विनिमय, प्रेषण और संघ के सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन सहित अन्य बैंकिंग कार्यों को करने के लिए। धारा 21 के तहत, केंद्र सरकार बाध्य है -

भारत में अपना सारा धन, प्रेषण, विनिमय और बैंकिंग लेनदेन भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपें। धारा 22 (1) के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है (हालांकि, केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है)। धारा 28ए (2) के तहत रुपये के मूल्य के भारत सरकार के नोट जारी करने के लिए। 1 / -) . यह मुद्रा नोट भी जारी कर सकता है

भारत सरकार, केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों पर, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए। धारा 22 की उप-धारा (2) एक कदम आगे बढ़कर यह निर्धारित करती है कि उस तारीख को और उससे

जो अध्याय III लागू होता है, केंद्र सरकार कोई भी मुद्रा नोट जारी नहीं करेगी।

6.20 . धारा 26 (1) प्रत्येक बैंक नोट को भारत में किसी भी स्थान पर भुगतान में एक कानूनी निविदा बनाती है, जिसकी गारंटी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है।

चूँकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंक नोट केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत एक कानूनी निविदा है, इसलिए केंद्र सरकार के पास धारा 26 की उप-धारा (2) के तहत किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की किसी भी श्रृंखला को कानूनी मुद्रा घोषित करने की शक्ति भी निहित है। लेकिन यह केवल भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिश पर ही किया जा सकता है।

6.21 . धारा 38 के तहत, केंद्र सरकार को आर. बी. आई. के अलावा किसी भी रुपये को प्रचलन में लाने से प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह, आर. बी. आईप्रचलन के उद्देश्य के अलावा रुपये के सिक्के के निपटान पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

6.22 . अध्याय III ख जिसमें गैर-बैंकिंग से संबंधित प्रावधान हैं

जमा और वित्तीय संस्थान प्राप्त करने वाले संस्थानों (एन. बी. एफ. सी.) में दो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, एक धारा 45 जे. ए. में और दूसरा धारा में।

45 एल. धारा 45 जे. ए. की उप-धारा (1) इस प्रकार है:

45 जे. ए. नीति और निर्गम निर्धारित करने के लिए बैंक की शक्ति

दिशा निर्देश। (1) यदि बैंक संतुष्ट है कि जनहित में या देश की वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने के लिए [2020] 2 एस. सी. आर.

इसका लाभ या किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कार्यों को जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकारक तरीके से या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल तरीके से संचालित होने से रोकने के लिए, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह नीति निर्धारित कर सकती है।

और सभी या किसी भी गैर-बैंकिंग वित्तीय को निर्देश दें।

आय मान्यता, लेखांकन से संबंधित कंपनियाँ

मानकों, खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए उचित प्रावधान करना, परिसंपत्तियों के लिए जोखिम भार के आधार पर पूंजी पर्याप्तता और तुलनपत्र से बाहर की वस्तुओं के लिए ऋण रूपांतरण कारक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के एक वर्ग द्वारा धन की तैनाती से संबंधित या

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जैसा भी मामला हो, और ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इस प्रकार निर्धारित नीति और इस प्रकार के निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होंगी।

जारी किया गया।

6.23 . यह देखा जा सकता है कि उपरोक्त प्रावधान में प्रस्तावना के पैराग्राफ 1 में पाए जाने वाले कुछ शब्दों का उपयोग किया गया है। जबकि

प्रस्तावना का अनुच्छेद 1 देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को अपने लाभ के लिए संचालित करने की भारतीय रिज़र्व बैंक की शक्ति के बारे में बताता है, धारा 45 जेए देश की वित्तीय प्रणाली को अपने लाभ के लिए विनियमित करने की भारतीय रिज़र्व बैंक की शक्ति के बारे में बताती है।

6.24 . धारा 45 जे. ए. की मुख्य विशेषता यह है कि यह अधिकार प्रदान करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, दोनों (i) नीति निर्धारित करने के लिए और (ii) कुछ मामलों के संबंध में सभी एनबीएफसी को निर्देश देने के लिए। चिंताओं की मांग की गई

6.25 . धारा 45 एल एक और चिंता को संबोधित करती है, अर्थात् देश की ऋण प्रणाली का विनियमन इसके लाभ के लिए। अनुभाग 45 एल इस प्रकार पढ़ता है:

(1) यदि बैंक अपने लाभ के लिए देश की ऋण प्रणाली को विनियमित करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से संतुष्ट है तो वह है -

ऐसा करने के लिए आवश्यक, यह भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों या वित्तीय संस्थानों का, ऐसे अंतराल पर और ऐसे समय के भीतर, ऐसे विवरण, जानकारी या विवरण बैंक को प्रस्तुत करना। ऐसे वित्तीय संस्थानों के व्यवसाय से संबंधित या

संस्था, जैसा कि सामान्य या बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है

विशेष आदेश;

(ख) ऐसी संस्थाओं को या तो आम तौर पर या विशेष रूप से ऐसी किसी संस्था को उनके द्वारा या वित्तीय संस्थानों या संस्था के रूप में उनके द्वारा व्यवसाय के संचालन से संबंधित निर्देश देना। (2) उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत बैंक में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

वित्तीय संस्था द्वारा दी जाने वाली जानकारी या विवरण

संस्था निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले से संबंधित हो सकती है, अर्थात्, चुकता पूंजी, भंडार या अन्य देनदारियाँ, निवेश चाहे सरकारी प्रतिभूतियों में हो या अन्यथा,

जिन व्यक्तियों को, और जिन उद्देश्यों और अवधियों के लिए वित्त प्रदान किया जाता है, और नियम और शर्तें, जिनमें शामिल हैं

ब्याज की दरें, जिन पर यह प्रदान की जाती है।

(3) किसी भी वित्तीय संस्थान को निर्देश जारी करने में

उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसार, बैंक उन शर्तों को ध्यान में रखेगा जिनमें और जिनके उद्देश्यों के लिए -

संस्था की स्थापना की गई है, इसकी वैधानिक जिम्मेदारियां,

यदि कोई हो और ऐसे वित्तीय संस्थान के व्यवसाय का प्रभाव मुद्रा और पूंजी बाजारों के रुझानों पर पड़ने की संभावना है।

6.26 . यह देखा जा सकता है कि "देश की ऋण प्रणाली या उसका लाभ" वाक्यांश, जैसा कि प्रस्तावना के पैराग्राफ 1 में पाया गया है, धारा 45 एल की उप-धारा (1) को दोहराया गया है। केवल इन दोनों में अंतर है

प्रस्तावना का वह अनुच्छेद 1 संचालन के बारे में बताता है

धारा 45 एल की उप-धारा (1) के खंड (बी) द्वारा प्रस्तावित, भारतीय रिजर्व बैंक धारा 45 एल की उप-धारा (3) के तहत कुछ बातों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है।निंग्स, उनमें से एक "इस तरह के वित्तीय व्यवसाय का प्रभाव" है

मुद्रा और पूंजी के रुझानों पर प्रतिस्थापन के प्रभाव पड़ने की संभावना है।

आर्केट्स "।

6.27 . अधिनियम के अध्याय IIID में व्युत्पन्न, मुद्रा बाजार या प्रतिभूतियों आदि में लेनदेन के विनियमन के प्रावधान हैं। द."मुद्रा बाजार साधन" अभिव्यक्ति को धारा 45यू के खंड (बी) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

45यू (बी) "मुद्रा बाजार साधनों" में कॉल या नोटिस मनी, सावधि धन, रेपो, रिवर्स रेपो, जमा का प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक उपयोग बिल, वाणिज्यिक पत्र और एक वर्ष तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता का ऐसा अन्य ऋण साधन शामिल है।

बैंक समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है;

6.28 . धारा 45W भारतीय रिज़र्व बैंक को ब्याज दरों या ब्याज दर उत्पादों से संबंधित नीति निर्धारित करने और उसमें निर्देश देने का अधिकार देती है।

देश की वित्तीय प्रणाली को उसके लाभ के लिए विनियमित करने के उद्देश्य से प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार उपकरणों आदि में काम करने वाली सभी या किसी भी एजेंसी की ओर से। धारा 45W (1) इस प्रकार है:

45 डब्ल्यू. व्युत्पन्न, मुद्रा में लेन-देन को विनियमित करने की शक्ति

(1) बैंक लोक हित में,

या देश की वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने के लिए

लाभ, ब्याज दरों या ब्याज दर उत्पादों से संबंधित नीति निर्धारित करें और प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार उपकरणों, विदेशी मुद्रा, व्युत्पन्न या अन्य में काम करने वाली सभी एजेंसियों या उनमें से किसी को उस ओर से निर्देश दें। समान प्रकृति के उपकरण जो बैंक समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है:

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत जारी किए गए निर्देश निष्पादन या निपटान की प्रक्रिया से संबंधित नहीं होंगे।

प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 4 के तहत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर उसमें उल्लिखित लेनदेन के संबंध में व्यापार।

6.29 . यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 45W (1) में केवल लेन-देन की एक सचित्र सूची है। यह उपरोक्त प्रावधान में दिखाई देने वाले "समान प्रकृति के अन्य उपकरण" अभिव्यक्ति के उपयोग से देखा जाता है।6.30 . आर. बी. आई. अधिनियम, 1934 की पूरी तरह से सावधानीपूर्वक जांच से पता चलेगा कि ऋण/वित्तीय प्रणाली का संचालन/विनियमन

देश अपने लाभ के लिए एक ऐसा सूत्र है जो उन सभी प्रावधानों को जोड़ता है जो भारतीय रिजर्व बैंक को नीति निर्धारित करने और निर्देश जारी करने दोनों की शक्तियां प्रदान करते हैं।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

6.31 . आर. बी. आई. अधिनियम, 1934 एकमात्र ऐसा अधिनियम नहीं है जिससे आर. बी. आई. को अपनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 भी भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए कुछ काम करने की शक्ति का एक स्रोत है। इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से देखा जा सकता है। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बताए गए विधेयक की मुख्य विशेषताओं में से एक "भारतीय रिज़र्व बैंक की शक्तियों का विस्तार करना था ताकि वह आपातकाल के समय में बैंकिंग कंपनियों की सहायता कर सके"। 6.32 . बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5, जिसमें व्याख्या खंड शामिल है, "बैंकिंग नीति" अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है।

धारा 5 का खंड (ग)। यह परिभाषा इस प्रकार है:

5 (ग) "बैंकिंग नीति" से ऐसी कोई भी नीति अभिप्रेत है जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर बैंकिंग प्रणाली के हित में या मौद्रिक स्थिरता या सुदृढ़ आर्थिक विकास के हित में निर्दिष्ट की जाती है, जिसमें जमाकर्ताओं के हितों, जमाओं की मात्रा और बैंक के अन्य संसाधनों और समान आवंटन की आवश्यकता और इन जमाओं और संसाधनों के कुशल उपयोग को ध्यान में रखा जाता है।

6.33 . चूंकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 आर. बी. आई. अधिनियम, 1934 और आर. बी. आई. के राष्ट्रीयकरण के बाद जारी किया गया था, इसलिए धारा 5 (सी. ए.) आर. बी. आई. अधिनियम, 1934 से "बैंकिंग प्रणाली का हित" और "मौद्रिक स्थिरता का हित" और "आर्थिक विकास" जैसे कुछ शब्दों को उधार लेती है।

6.34 . बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 8 एक बैंकिंग कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीदारी या लेनदेन करने से रोकती है।

माल की बिक्री या अदला-बदली। धारा 8 का स्पष्टीकरण भी परिभाषित करता है

धारा 8 के प्रयोजनों के लिए "माल" शब्द। धारा 8 इस प्रकार है:

8 - व्यापार पर प्रतिबंध -

धारा 6 या किसी अनुबंध में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बैंकिंग कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माल की खरीद या बिक्री या विनिमय में सौदा नहीं करेगी, सिवाय इसके कि

संग्रह या बातचीत के लिए या इसके साथ प्राप्त किया गया उप-धारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट व्यवसाय

धारा 6:

बशर्ते कि यह धारा ऐसे किसी भी मामले में लागू नहीं होगी उपखंड (ओ) के अनुसरण में निर्दिष्ट व्यवसाय

धारा 6 की धारा (1)।स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "माल" का अर्थ कार्रवाई योग्य संपत्ति के अलावा हर प्रकार की चल संपत्ति है।

उप-धारा (1) के खंड (ए) में निर्दिष्ट दावे, स्टॉक, शेयर, धन, सर्राफा और विशिष्ट वस्तुएं और सभी साधन।

धारा 6.

6.35 . धारा 21 आर. बी. आई. को बैंकिंग कंपनियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले अग्रिमों के संबंध में नीति निर्धारित करने का अधिकार देती है। द.

नीति का निर्धारण (i) लोक हित (ii) जमाकर्ताओं के हित या (iii) बैंकिंग नीति के हित में हो सकता है। एक बार जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारा 21 (1) के तहत कोई नीति निर्धारित की जाती है, तो सभी बैंकिंग कंपनियां नीति का पालन करने के लिए बाध्य होती हैं।

6.36 . भारत में कोई भी कंपनी तब तक बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस न हो। धारा 22 (1) के तहत, आर. बी. आई. के पास शक्ति है -

6.37 . प्रत्येक बैंकिंग कंपनी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 (1) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को मासिक विवरणी जमा करने के लिए बाध्य है। अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र। आर. बी. आई. को धारा 29ए के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं, यहां तक कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी।

बैंकिंग कंपनी के किसी भी सहयोगी उद्यम के मामले। धारा 29ए की उप-धारा (2) के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक किसी बैंकिंग कंपनी के किसी भी सहयोगी उद्यम का निरीक्षण भी करा सकता है। विशेष आचरण करने की शक्तिबैंकिंग कंपनी के खातों का लेखा परीक्षण भी धारा 30 (1बी) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को दिया जाता है।

6.38 . बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए अधिकार प्रदान करती है

रिजर्व बैंक बैंकिंग कंपनियों को निर्देश जारी करेगा। इस तरह के निर्देश बैंकिंग कंपनियों के लिए बाध्यकारी हैं। धारा 35ए के तहत निर्देश जारी किए जा सकते हैं (i) जनहित में (ii) बैंकिंग नीति के हित में (iii) बैंकिंग कंपनी के मामलों को जमाकर्ताओं या स्वयं बैंकिंग कंपनी के हितों के प्रतिकूल तरीके से संचालित होने से रोकने के लिए और (iv) बैंकिंग कंपनी के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए। धारा 35ए (1) इस प्रकार है:

35ए. निर्देश देने की रिजर्व बैंक की शक्ति। (1)

जहां रिजर्व बैंक संतुष्ट है कि भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

((क) लोक हित में; या ((क) बैंकिंग नीति के हित में; या

(ख) किसी भी बैंकिंग कंपनी के मामलों को रोकने के लिए

जमाकर्ताओं या उनके हितों के लिए प्रतिकूल तरीके से बैंकिंग कंपनी; या

(ग) किसी भी बैंकिंग कंपनी का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना।

आम तौर पर, बैंकिंग को निर्देश जारी करना आवश्यक है।

आम तौर पर या किसी भी बैंकिंग कंपनी में

विशेष रूप से, यह समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो उसे उचित लगे और बैंकिंग कंपनियां या बैंकिंग कंपनी, जैसा भी मामला हो, इसका पालन करने के लिए बाध्य होगी।

दिशा निर्देश।

6.39 . 2017 के संशोधन अधिनियम 30 द्वारा अंत:स्थापित धारा 35 एए और धारा 35 एबी (दिवाला और दिवालियापन के अधिनियमन के अनुसार) संहिता, 2016), भारतीय रिजर्व बैंक को क्रमशः (i) किसी भी बैंकिंग कंपनी को दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देती है, यदि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा अधिकृत किया गया है और (ii) किसी भी बैंकिंग कंपनी को संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देती है।

6.40 . धारा 36 (1) (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी विशेष लेन-देन या वर्ग में प्रवेश करने के खिलाफ बैंकिंग कंपनियों को सावधान करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है। लेन-देन। धारा 36 (1) (ए) इस प्रकार है:

36. रिजर्व बैंक की आगे की शक्तियाँ और कार्य। - (1) द.

रिजर्व बैंक-(क) बैंकिंग को सावधान या प्रतिबंधित कर सकता है।

आम तौर पर या किसी भी बैंकिंग कंपनी में

विशेष रूप से किसी विशेष लेन-देन में प्रवेश करने के खिलाफ

या लेन-देन का वर्ग, और आम तौर पर किसी को भी सलाह देते हैं

बैंकिंग कंपनी;

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 का भाग IIA और IIAB रिजर्व बैंक (i) को धारा 36AA के तहत हटाने की शक्तियां प्रदान करता है।

निदेशक मंडल का अधिनिर्णय। 6.41 . लंबे समय तक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी शक्तियों को केवल उपरोक्त 2 अधिनियमों, अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1934 से प्राप्त किया।

1949. लेकिन समय बीतने के साथ, जैसे-जैसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था बढ़ी और [2020] 2 एस. सी. आर.

6.42 . विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह देखा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक को विभिन्न भुगतानों को विनियमित करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है गैर-बैंकों, कार्ड कंपनियों, अन्य भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और खुदरा भुगतान के लिए प्रस्तावित छत्र संगठन सहित भारत में निपटान प्रणाली। यह अधिनियम भारतीय रिज़र्व बैंक को (i) भुगतान प्रणालियों के प्राधिकरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने (ii) भुगतान प्रणालियों के लिए संचालन और तकनीकी मानक निर्धारित करने (iii) प्रणाली प्रदाताओं को निर्देश और दिशानिर्देश जारी करने (iv) सूचना के लिए कॉल करने और सेवा प्रदाताओं से रिटर्न और दस्तावेज प्रस्तुत करने (v) प्रणाली प्रदाताओं के सिस्टम और परिसरों का ऑडिट और निरीक्षण करने का अधिकार देता है।

(vi) प्रणाली प्रदाताओं के कर्तव्यों को निर्धारित करना और (vii) अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए विनियम बनाना।

6.43 . धारा 2 (1) (i) "भुगतान प्रणाली" को परिभाषित करती है। खंड इस प्रकार है:

समाशोधन, भुगतान या निपटान सेवा या वे सभी, लेकिन इसमें स्टॉक एक्सचेंज शामिल नहीं है; स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "भुगतान प्रणाली" में क्रेडिट कार्ड संचालन को सक्षम करने वाली प्रणालियाँ शामिल हैं,

डेबिट कार्ड संचालन, स्मार्ट कार्ड संचालन, धन हस्तांतरण

संचालन या इसी तरह के संचालन;

6.44 . भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत आर. बी. आई. विनियमन के लिए नामित प्राधिकरण है और

अधिनियम के तहत भुगतान प्रणालियों का पर्यवेक्षण।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. सर्विस बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]6.45 . अधिनियम का अध्याय III "भुगतान एम. एस. के प्राधिकरण" से संबंधित है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 4 (1) में प्रावधान है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा कोई भी व्यक्ति जो भुगतान प्रणाली शुरू करना या शुरू करना चाहता है, वह रिजर्व से प्राधिकरण लेगा।

इस संबंध में। धारा 4 (1) इस प्रकार है:

4. भुगतान प्रणाली बिना प्राधिकरण के काम नहीं करेगी। - (1)रिजर्व बैंक के अलावा कोई भी व्यक्ति भुगतान प्रणाली शुरू या संचालित नहीं करेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत और उसके अनुसार

के तहत रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकरण के साथ

इस अधिनियम के प्रावधान:

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा

को (क) इस अधिनियम के प्रारंभ पर छह से अधिक अवधि के लिए मौजूदा भुगतान प्रणाली का निरंतर संचालन।

ऐसी शुरुआत के महीनों बाद, जब तक कि ऐसी अवधि के भीतर, ऐसी भुगतान प्रणाली का संचालक प्राधिकरण प्राप्त नहीं करता है।इस अधिनियम के तहत या इस अधिनियम की धारा 7 के तहत प्राधिकरण के लिए किए गए आवेदन को रिजर्व बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है;

(ख) कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के विधिवत नियुक्त अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है।

वह व्यक्ति जिसे भुगतान देय है;

(ग) एक कंपनी जो अपनी होल्डिंग कंपनी या अपनी किसी सहायक कंपनी या किसी अन्य कंपनी से भुगतान स्वीकार करती है जो उसी होल्डिंग की सहायक कंपनी भी है। कंपनी;

(घ) कोई अन्य व्यक्ति जिसके बाद रिजर्व बैंक ऐसा कर सकता है।

मौद्रिक नीति या कुशलता के हितों पर विचार करना भुगतान प्रणालियों का संचालन, किसी भी भुगतान प्रणाली का आकार या किसी अन्य कारण से, अधिसूचना द्वारा, से छूट

इस धारा के प्रावधान।

6.46 . अधिनियम के अध्याय IV में भारतीय रिज़र्व बैंक की नियामक और प्रत्यक्ष शक्तियों को निर्दिष्ट किया गया है। धारा 10 के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान प्रणालियों के उचित और कुशल सुधार के लिए कुछ मानकों और दिशानिर्देशों को लागू करने का अधिकार है। खंड इस प्रकार है:

10. मानकों को निर्धारित करने की शक्ति। - (1) रिजर्व बैंक

समय-समय पर 2 एस. सी. आर. लिख सकते हैं।

(क) भुगतान निर्देशों का प्रारूप और आकार और आकार

इस तरह के निर्देशों का;

(ख) भुगतान प्रणालियों द्वारा बनाए रखे जाने वाले समय;

(ग) भुगतान प्रणाली के भीतर या तो कागज, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या किसी अन्य तरीके से धन के हस्तांतरण का तरीका,बैंकों के बीच या बैंकों और अन्य प्रणालियों के बीच

प्रतिभागियों;

(घ) भुगतान के साथ पालन किए जाने वाले ऐसे अन्य मानक

आम तौर पर प्रणालियाँ;

(ई) सहित भुगतान प्रणालियों की सदस्यता के लिए मानदंड

सदस्यता की निरंतरता, समाप्ति और अस्वीकृति;

(च) वे शर्तें जिनके अधीन प्रणाली प्रतिभागी

ऐसे निधि अंतरणों और अधिकारों में भाग लेगा और

ऐसी निधियों में प्रणाली प्रतिभागियों के दायित्व।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिजर्व बैंक समय-समय पर ऐसे दिशा-निर्देश जारी कर सकता है:

जैसा कि यह उचित और कुशल के लिए आवश्यक मान सकता है

भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन आम तौर पर याकिसी विशेष भुगतान प्रणाली का संदर्भ।

6.47 . अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान है कि प्रणाली में कोई भी बदलाव भुगतान प्रणाली की संरचना या संचालन को प्रभावित करेगा और इसके लिए रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। धारा 11 में लिखा है -

कमियाँ:

11. भुगतान प्रणाली में परिवर्तन की सूचना। - (1) कोई व्यवस्था नहीं

प्रदाता प्रणाली में कोई भी परिवर्तन करेगा जो भुगतान प्रणाली की संरचना या संचालन को प्रभावित करेगा।

बिना

(क) रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति; और (ख) प्रणाली को कम से कम तीस दिनों की सूचना देना।

रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद प्रतिभागी: बशर्ते कि देश की मौद्रिक नीति के हित में या सार्वजनिक हित में, रिजर्व बैंक सिस्टम प्रदाता को खंड (बी) या इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया v के तहत सिस्टम प्रतिभागियों को नोटिस दिए बिना भुगतान प्रणाली में कोई भी बदलाव करने की अनुमति दे सकता है।

सर्विस बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

सिस्टम प्रदाता को अधिक समय के लिए नोटिस देने की आवश्यकता होती है

तीस दिनों से अधिक।(2) जहां रिजर्व बैंक को किसी भी कारण से प्रस्तावित परिवर्तन पर कोई आपत्ति है, वह ऐसी आपत्ति को सूचित करेगा।

सिस्टम प्रदाता से प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर सिस्टम प्रदाता को।

(3) प्रणाली प्रदाता, रिजर्व बैंक से आपत्तियों की प्राप्ति के दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणियों को रिजर्व बैंक को भेजेगा और प्रस्तावित परिवर्तन रिजर्व बैंक से अनुमोदन की प्राप्ति के बाद ही प्रभावी हो सकते हैं।

रिजर्व बैंक।

6.48 . धारा 17 आर. बी. आई. को भुगतान या प्रणाली प्रतिभागी को निर्देश जारी करने का अधिकार देती है, जो आर. बी. आई. की राय में ऐसा कार्य कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप प्रणालीगत जोखिम अपर्याप्त रूप से लागू होने की संभावना है या भुगतान प्रणाली, मौद्रिक या देश की ऋण नीति को प्रभावित करने की संभावना है। खंड इस प्रकार है:

(क) एक भुगतान प्रणाली या एक प्रणाली प्रतिभागी किसी भी कार्य, चूक या पाठ्यक्रम में संलग्न है, या शामिल होने वाला है ।ऐसा आचरण करना जिसके परिणामस्वरूप प्रणालीगत जोखिम होने की संभावना है

अपर्याप्त रूप से नियंत्रित; या

(ख) खंड (क) के तहत किसी भी कार्रवाई से भुगतान प्रभावित होने की संभावना है।

प्रणाली, मौद्रिक नीति या देश की ऋण नीति,

रिजर्व बैंक लिखित रूप में ऐसे लोगों को निर्देश जारी कर सकता है

भुगतान प्रणाली या प्रणाली प्रतिभागी को इसकी आवश्यकता होती है, जैसे कि

(i) कार्य, चूक या आचरण के पाठ्यक्रम में शामिल होने से रोकना और बचना या प्रणाली प्रतिभागियों को कार्य, चूक या आचरण के पाठ्यक्रम से रोकना और बचना सुनिश्चित करना; या((ii) रिजर्व बैंक की राय में, स्थिति को सुधारने के लिए ऐसे कार्य करना जो आवश्यक हो।

6.49 . भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 18, भारतीय रिजर्व बैंक को प्रणाली प्रदाताओं को निर्देश जारी करने का अधिकार देती है

ई प्रणाली प्रतिभागी या आम तौर पर कोई अन्य व्यक्ति, [2020] 2 एस. सी. आर.

भुगतान प्रणालियों को विनियमित करना या किसी भी भुगतान प्रणाली के प्रबंधन या संचालन के हित में या सार्वजनिक हित में। खंड इस प्रकार है:

18. सामान्य रूप से निर्देश देने की रिजर्व बैंक की शक्ति।

पूर्वगामी के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

रिजर्व बैंक, यदि यह संतुष्ट है कि इस उद्देश्य के लिए -

या लोक हित में, भुगतान प्रणालियों के विनियमन से संबंधित नीतियों को निर्धारित करना आवश्यक है, जिनमें शामिल हैं - घरेलू लेन-देन को प्रभावित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक, गैर-इलेक्ट्रॉनिक, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियाँ

लिखित रूप में निर्देश जो सिस्टम के लिए आवश्यक हो सकते हैं

प्रदाता या प्रणाली प्रतिभागी या कोई अन्य व्यक्ति या तो आम तौर पर या ऐसी किसी एजेंसी के लिए और विशेष रूप से, संबंधित

भुगतान प्रणालियों से संबंधित व्यवसाय के संचालन के लिए।

6.50 . इस प्रकार, आर. बी. आई. अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 संचयी रूप से

आर. बी. आई. (i) को संचालित करने के लिए बहुत व्यापक शक्तियों को मान्यता देना और उन्हें प्रदान करना।

देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली अपने लाभ के लिए (ii) केंद्र सरकार से मुद्रा का प्रबंधन अपने हाथ में लेना (iii) भारत में किसी भी स्थान पर वैध मुद्रा के रूप में बैंक नोट बनाने और जारी करने का एकमात्र

अधिकार होना (iv) देश की वित्तीय प्रणाली को उसके लाभ के लिए विनियमित करना (v) उपभोक्ता मूल्य के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्षय के निर्धारण में अपनी राय रखना।

सूचकांक (vi) बैंकिंग कंपनियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए (vii)उचित और कुशल प्रबंधन के लिए मानकों और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिए भुगतान प्रणालियों (viii) का विनियमन और पर्यवेक्षण करना।

भुगतान प्रणाली (ix) का भुगतान प्रणाली या एक प्रणाली प्रतिभागी को निर्देश जारी करने के लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में किसी ऐसे कार्य में संलग्न है जिसके परिणामस्वरूप प्रणालीगत जोखिम को अपर्याप्त रूप से नियंत्रित किया जा सकता है या भुगतान प्रणाली को प्रभावित करने की संभावना है।

देश की नीति या ऋण नीति और (x) प्रणाली प्रदाताओं या प्रणाली प्रतिभागियों या आम तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने के लिए या किसी भी भुगतान प्रणाली के प्रबंधन या संचालन के हित में या सार्वजनिक हित में निर्देश जारी करना।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

6.51 . देश की अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका पर ध्यान देने के बाद, उन्हें सौंपे गए कार्य औरविभिन्न कानूनों के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियां, आइए हम कार्य करें

आभासी मुद्राओं की पहचान तय करने का अभ्यास।

वी. सी. की पहचान तय करना

6.52 . जैसा कि हमने इस निर्णय के भाग 3 में कहा है, आभासी मुद्राओं की सटीक पहचान सटीकता से परे है। कुछ लोग इसे आदान-प्रदान कहते हैं। कुछ लोग इसे स्टॉक कहते हैं और कुछ लोग इसे अच्छा/वस्तु कहते हैं। विचारों के विचलन को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है, अगर वे विचार विनियमन के डर से प्रेरित नहीं हैं। लेकिन अगर कोई इसे प्रस्तुत करता है

शेयर बाजार के एक नियामक को मुद्रा और इसे मुद्रा बाजार के एक नियामक के सामने एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है और इसी तरह, परिभाषा न केवल एक उचित आणविक संरचना से दूर रहेगी, बल्कि विनियमन से भी दूर रहेगी। यही वह जगह है जहाँ कानून की समस्या है। एक ऑनलाइन प्रकाशन, जियोपॉलिटिकल फ्यूचर्स एल. एल. सी. के संस्थापक और अध्यक्ष जॉर्ज फ्रीडमैन ने इस दुविधा का सारांश इस प्रकार दिया: बिटक्वाइन न तो मछली है और न ही

मुर्गी। लेकिन जब कोई वस्तु मौजूद नहीं होती है तो इसे एक वस्तु के रूप में मूल्य निर्धारण करना और इसे एक मुद्रा के रूप में व्यवहार करने की कोशिश करना, दोनों ही समस्याग्रस्त लगते हैं। समस्या यह नहीं है

कि यह सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है और न ही यह विनियमित है। समस्या यह है कि यह देखना मुश्किल है कि यह क्या है।

6.53 . अब यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि सतोशी ने पुराने जमाने के सोने के एक डिजिटल अनुरूप की कल्पना की, एक नए प्रकार का सार्वभौमिक धन जो हर किसी के स्वामित्व में हो सकता है और कहीं भी खर्च किया जा सकता है। इसे केंद्रीय प्राधिकरण के बिना चतुराई से बनाए गए केंद्रीकृत नेटवर्क के साथ रहने के लिए डिज़ाइन किया गया था। सतोशी ने स्वयं इसे "एक नई इलेक्ट्रॉनिक नकदी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जो पूरी तरह से पीयर-टू-पीयर है, जिसमें कोई विश्वसनीय तीसरा पक्ष नहीं है"।

6.54 . यह सच है कि हालांकि, इसके जन्म के समय, इसकी कल्पना केवल पैसे के विकल्प के रूप में की गई थी, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी ने अलग-अलग आकार धारण किए।

पिछले दशक और उससे अधिक समय में विभिन्न रंग और विभिन्न उपयोगिता मूल्य। कई अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एजेंसियां/निगरानीकर्ता यह पता लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ये क्या हैं और वे अपनी राय में भी विभाजित हैं। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय को 22-01-2019 पर प्रस्तुत एक रिपोर्ट मेंमुद्रा कोष (आईएमएफ), अपने यूरोप कार्यालय के निदेशक जेफरी फ्रैंक्स द्वारा, 'क्रिप्टोकरेंसी और मौद्रिक नीति' शीर्षक के तहत, इसे निम्नानुसार इंगित किया गया है:

[2020] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1. मुद्रा समय के साथ, प्रथागत मांगों को पूरा करने के लिए विकसित हुई है, लेकिन इसके मूल कार्य जैसे (ए) मूल्य के भंडार को बनाए रखना; (बी) भुगतान के साधन के रूप में कार्य करना और (सी) भुगतान की एक इकाई के रूप में कार्य करना।

2. एक गुप्त मुद्रा की चार बुनियादी विशेषताएं होती हैं। बिटक्वाइन की तरह, वे (ए) प्रकृति में डिजिटल (बी) निजी (सी) वैश्विक और (डी) एक स्वायत्त और केंद्रीकृत एल्गोरिदम पर चलते हैं।

ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी (2) पारंपरिक मुद्रा के बारे में चिंताएँ औरबैंकिंग, जो 2008 में उप-प्रमुख बंधक संकट और अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों/मात्रात्मक सहजता (3) गोपनीयता संबंधी चिंताओं और (4) सरकार की भूमिका के बारे में राजनीतिक विचारों से उत्पन्न हुआ।

6.56 . आई. एम. एफ. की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टोकरेंसी मुद्राओं के तीन बुनियादी कार्यों के मामले में खराब प्रदर्शन करती हैं। जबकि दुकान

जनवरी 2017 से दिसंबर 2017 तक मूल्य में वृद्धि हुई 2000%, वहाँ

वर्ष 2018 के दौरान भी गिरावट आई थी। भुगतान के साधन के रूप में, आई. एम. एफ. की रिपोर्ट के अनुसार, गुप्त मुद्राओं की स्वीकृति बहुत कम है और माइक्रोसॉफ्ट, डिश नेटवर्क आदि जैसी कुछ कंपनियों ने सीमित लेनदेन के लिए गुप्त मुद्राओं को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। खाते की एक इकाई के रूप में, अब तक किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत गुप्त मुद्राओं में नहीं है।

6.57 . मौद्रिक नीतियों पर इसके संभावित प्रभाव पर

सरकार, आई. एम. एफ. रिपोर्ट निम्नलिखित कहती है:

" लेकिन भविष्य में, बड़ी क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स हो सकती हैं

मौद्रिक नीति प्रबंधन को जटिल बनाना "

अंततः रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, वे इस प्रकार हैं:

आज की क्रिप्टोकरेंसी अच्छा काम नहीं करती हैं।

धन के मुख्य कार्यों को पूरा करना।

उन्हें कुछ लोग वैचारिक रूप से पसंद कर सकते हैं,

तकनीकी या मौद्रिक नीति के कारण।

वे जिस ब्लॉक चेन तकनीक का उपयोग करते हैं, उसमें कुछ हैं

गोपनीयता बनाए रखना।लेकिन वे कर चोरी के रास्ते भी खोलते हैं और

आपराधिक गतिविधि।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

6.58 . याचिकाकर्ताओं का दावा है कि आज आभासी मुद्रा पैसा नहीं है

या अन्य कानूनी निविदा, लेकिन अच्छी/व्यापार योग्य वस्तु और इसलिए इसे विनियमित करने/प्रतिबंधित करने में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। आर. बी. आई. ने यह भी रुख अपनाया है कि वी. सी. को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन वे इस आधार पर विवादित निर्णयों को सही ठहराना चाहते हैं कि वी. सी. का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जा सकता है। इसलिए, यह देखना आवश्यक है कि वीसी को कैसे परिभाषित किया गया था (i) विभिन्न क्षेत्राधिकारों में नियामकों द्वारा और (ii) विभिन्न देशों की सरकारों और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा, वैधानिक उपकरणों और गैर-वैधानिक निर्देशों के माध्यम से और (iii) विभिन्न क्षेत्राधिकारों की अदालतों द्वारा।

वी. सी. एस. की परिभाषा-नियामकों द्वारा

आभासी मुद्रा की परिभाषा

एस. नं. नियामक

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वीसी मूल्य के डिजिटल प्रतिनिधित्व हैं, जो जारी किए जाते हैं।

1 .

निजी विकासकर्ताओं द्वारा और उनके में नामित

कोष 7

8

खाते की अपनी इकाई।

वी. सी. की अवधारणा में "मुद्राओं" की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें जारीकर्ताओं (जैसे इंटरनेट या मोबाइल कूपन और एयरलाइन मील) के सरल आई. ओ. यू. एस. से लेकर सोने जैसी परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित वी. सी. और बिटक्वाइन जैसी "क्रिप्टोकरेंसी" शामिल हैं।मूल्य के डिजिटल प्रतिनिधित्व के रूप में, वी. सी. डिजिटल मुद्राओं की व्यापक श्रेणी में आते हैं।

लेखा की इकाई। वी. सी. मुद्रा या धन की कानूनी अवधारणा से कम हैं।

8 3 उद्योग की तेजी से विकसित होने वाली प्रकृति को देखते हुए, एक सार्वभौमिक परिभाषा अभी तक सामने नहीं आई है और जल्दी से बदल सकती है क्योंकि वीसी पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन जारी है।9 9 इस प्रकार के वी. सी. मौजूदा मूर्त परिसंपत्तियों या राष्ट्रीय मुद्राओं के संयोजन और जारीकर्ता की साख योग्यता द्वारा समर्थित होते हैं।

[2020] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्तमान में, वी. सी. धन से जुड़ी तीन आर्थिक भूमिकाओं को पूरी तरह से पूरा नहीं करते हैं: वी. सी. की उच्च मूल्य अस्थिरता मूल्य के एक विश्वसनीय भंडार के रूप में काम करने की उनकी क्षमता को सीमित करती है; वी. सी. का वर्तमान छोटा आकार और सीमित स्वीकृति नेटवर्क विनिमय के माध्यम के रूप में उनके उपयोग को महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित करता है; अब तक, इस बात के बहुत कम प्रमाण हैं कि वी. सी. का उपयोग मूल्य के विश्वसनीय भंडार के रूप में किया जाता है।

लेखा की एक स्वतंत्र इकाई।जून 2015: 10

2 .

वित्तीय कार्रवाई कार्य

आभासी मुद्रा मूल्य का एक डिजिटल प्रतिनिधित्व है।

बल

जिसका डिजिटल रूप से व्यापार किया जा सकता है और यह (1) विनिमय के माध्यम के रूप में; और/या (2) खाते की एक इकाई के रूप में; और/या (3) मूल्य का एक भंडार के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसका कानूनी निविदा दर्जा नहीं है (अर्थात। , जब किसी लेनदार को निविदा दी जाती है, तो किसी भी अधिकार क्षेत्र में भुगतान का एक वैध और कानूनी प्रस्ताव होता है। यह किसी भी अधिकार क्षेत्र द्वारा जारी नहीं किया जाता है और न ही गारंटी दी जाती है, और उपरोक्त कार्यों को केवल आभासी उपयोगकर्ताओं के समुदाय के भीतर समझौते द्वारा पूरा करता है।मुद्रा।

अक्टूबर 2018: 11

आभासी संपत्ति एक डिजिटल-मूल्य का प्रतिनिधित्व है जिसका डिजिटल रूप से व्यापार किया जा सकता है, या हस्तांतरण किया जा सकता है, और इसका उपयोग भुगतान या निवेश उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। आभासी परिसंपत्तियों में सपाट मुद्राओं, प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के डिजिटल प्रतिनिधित्व शामिल नहीं हैं जो पहले से ही एफ. ए. टी. एफ. की सिफारिशों में कहीं और शामिल हैं।

एफ. ए. टी. एफ. लागू करने के उद्देश्यों के लिए

मूल्य "।2012 : 1 2

3. यूरोपीय केंद्रीय बैंक

एक विषाणु मुद्रा एक प्रकार का अनियमित, डिजिटल मुद्रा है, जिसे आमतौर पर इसके डेवलपर्स द्वारा जारी और नियंत्रित किया जाता है, और एक विशिष्ट विषाणु समुदाय के सदस्यों के बीच उपयोग और स्वीकार किया जाता है। यह

परिभाषा को भविष्य के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता हो सकती है यदि

मूलभूत विशेषताएँ बदलती हैं।

10 जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के लिए मार्गदर्शन-आभासी मुद्राएँ, एफ. ए. टी. एफ., पृष्ठ 26 (जून 2015) पर उपलब्ध है: / /डब्ल्यू. डब्ल्यू. फतफ-गाफी। ओ. आर. जी./मीडिया/एफ. टी. एफ./दस्तावेज़/रिपोर्ट/मार्गदर्शन-आर. बी. ए.-आभासी-मुद्राएँ। पी. डी. एफ. (अंतिम बार 27 पर पहुँचा गया)

02-2020) . " एफ. ए. टी. एफ. की सिफारिशों की शब्दावली (अक्टूबर 2018 को अद्यतन) यहां उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. फतफ-गाफी। org/शब्दावली/u-z/(अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)।12 आभासी मुद्रा योजनाएं, यूरोपीय केंद्रीय बैंक, पृष्ठ 13 (अक्टूबर 2012) पर उपलब्ध है: // डब्ल्यू. डब्ल्यू. ईसीबी। यूरोप। ईयू/पब/पीडीएफ/अन्य/आभासी मुद्रा योजनाएं 201210 एन। पी. डी. एफ. (अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

2017 : 13 विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत परिभाषा के अभाव में, 'आभासी मुद्राओं' को डिजिटल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

मूल्य का प्रतिनिधित्व जो नहीं होने के बावजूद

केंद्रीय बैंक या किसी अन्य द्वारा जारी किया जा रहा है

तुलनीय सार्वजनिक प्राधिकरण, न ही

' संलग्न ', कुछ अपवादों के अधीन, एक सपाट मुद्रा के लिए, स्वेच्छा से स्वीकार किए जाते हैं,

और इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार किया, एक मूर्त के बिना, वास्तविक-विश्व प्रतिनिधित्व।

'वायरुटल करेंसी' की यह परिभाषा विकेंद्रीकृत, पीयर-टू-पीयर वीसी को ई-मनी या इंटरनेट (सॉफ्टवेयर) आधारित योजनाओं से अलग बताती है, जो केवल लेन-देन की सुविधा प्रदान करती हैं।

फिएट मुद्रा में या केंद्रीय बैंक में अंकित

जारी की गई डिजिटल मुद्राएँ-जो कानूनी निविदा स्थिति से रहित होने के बावजूद, कम से कम कुछ हद तक, अपने उपयोगकर्ता के भीतर समझौते के माध्यम से धन के तीनों पारंपरिक कार्यों को पूरा करती हैं। समुदाय। हालाँकि, यह परिभाषा केंद्रीय रूप से जारी डिजिटल मुद्राओं तक नहीं फैली है, जैसे कि केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राएँ, जो लिखने के समय विचाराधीन हैं।

अधिकार क्षेत्र।

2014 में यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण: 14 वी. सी. को एक डिजिटल प्रतिनिधित्व के रूप में परिभाषित किया गया है

ऐसा मूल्य जो न तो किसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता हैया सार्वजनिक प्राधिकरण और न ही आवश्यक रूप से संलग्न। एफ. सी. को, लेकिन इसका उपयोग प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों द्वारा विनिमय के साधन के रूप में किया जाता है और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित, संग्रहीत या व्यापार किया जा सकता है।

यूरोपीय प्रतिभूतियाँ और

4 .

क्रिप्टोकरेंसी-संपत्तिः एक प्रकार की निजी संपत्ति जो

बाजार प्राधिकरण 1 5

मुख्य रूप से क्रिप्टोग्राफी पर निर्भर करता है और

वितरित लेजर प्रौद्योगिकी (डी. एल. टी.) या

उनके कथित भाग के रूप में समान तकनीक

या अंतर्निहित मूल्य। क्रिप्टोक्यूरेंसी-परिसंपत्ति का अतिरिक्त अर्थ एक ऐसी परिसंपत्ति है जो किसी केंद्रीय द्वारा जारी नहीं की जाती है।

बैंक।

13 फोबस अथानासियू, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और अनुबंध के प्रसंस्करण पर डिजिटल नवाचार का प्रभावः कानूनी जोखिमों का अवलोकन, कानूनी कार्य पत्र श्रृंखला, संख्या 16, यूरोपीय केंद्रीय बैंक (अक्टूबर 2017) पर उपलब्ध हैः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. ईसीबी। यूरोप। ईयू/पब/पी. डी. एफ./एस. सी. पी. एल. पी. एस./ई. सी. बी. एलडब्ल्यूपी16। एन। पी. डी. एफ.? 344b9327fec 917bd7a8fd70864a94f6e (अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)।

14 'आभासी मुद्राओं' पर ई. बी. ए. की राय, पृष्ठ 11,13 (जुलाई 2014) पर उपलब्ध हैः //ईबा। यूरोप। ईयू/साइटें /

डिफ़ॉल्ट/दस्तावेज़/फाइलें/दस्तावेज़/10180/657547/81409 बी 94-4222-45 डी7-बीए 3 बी-7 डीईबीबी5863 एबी57/ईबीए-ऑप 2014-08% 20 ओपिनियन% 20 ऑन% 20 वर्चुअल% 20 करेंसी। पी. डी. एफ. (अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)।

15 सलाह-प्रारंभिक सिक्का प्रस्ताव और क्रिप्टोकरेंसी-परिसंपत्तियाँ (जनवरी 2019) यहां उपलब्ध हैं: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस्मा। यूरोप। ईयू/साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल/लाइब्रेरी/एस्मा 50-157-1391 _ क्रिप्टोक्यूरेंसी _ एडवाइस। पी. डी. एफ. (अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)।

क्रिप्टोकरेंसी क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित होती है।

वित्तीय आचरण

5 .

अथॉरिटी यूनाइटेड

मूल्य या संविदात्मक का डिजिटल प्रतिनिधित्व

राज्य 1 6

अधिकार जो डी. एल. टी. के रूपों द्वारा संचालित होते हैं और

संग्रहीत, हस्तांतरित या व्यापार किया जा सकता है

जबकि गुप्त परिसंपत्तियों का उपयोग विनिमय के साधन के रूप में किया जा सकता है, उन्हें मुद्रा या धन नहीं माना जाता है, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड और जी20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री दोनों बैंक गवर्नर पहले ही तय कर चुके हैं। वे.

मूल्य का एक अच्छा भंडार होने के लिए बहुत अस्थिर हैं,

उन्हें व्यापक रूप से विनिमय के साधन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, और उनका उपयोग एक इकाई के रूप में नहीं किया जाता है

खाता।

2014 : 17

6 .

आंतरिक राजस्व

" विषाणु मुद्रा "का उपयोग वस्तुओं के भुगतान के लिए किया जा सकता है

सेवा, विभाग कोषागार, संयुक्त राज्य अमेरिका

या सेवाएँ, या निवेश के लिए आयोजित। आभासी

मुद्रा मूल्य का एक डिजिटल प्रतिनिधित्व है जो निकासी के माध्यम, खाते की एक इकाई और/या मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करता है।

परिवर्तनीय वी. सी. को यू. एस. के लिए संपत्ति माना जाता है।

संघीय कर उद्देश्य। सामान्य कर सिद्धांत

कि संपत्ति के लेन-देन पर लागू होता है आभासी मुद्रा का उपयोग करके लेनदेन करने के लिए। वीसी है

ऐसी मुद्रा के रूप में नहीं माना जाता है जो उत्पन्न कर सके

अमेरिकी संघीय के लिए विदेशी मुद्रा लाभ या हानि

कर उद्देश्य।

2018 : 18 विषाणु मुद्रा, जैसा कि आम तौर पर परिभाषित किया गया है, मूल्य का एक डिजिटल प्रतिनिधित्व है जो

एक देश के पारंपरिक तरीके के समान मुद्रा।

17 आई. आर. एस. आभासी मुद्रा मार्गदर्शनः आभासी मुद्रा को अमेरिकी संघीय कर उद्देश्यों के लिए संपत्ति के रूप में माना जाता है; संपत्ति लेनदेन के लिए सामान्य नियम लागू होते हैं (मार्च 2014) जो यहां उपलब्ध हैः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईआरएस। gov/न्यूज़रूम/IRS-आभासी-मुद्रा-मार्गदर्शन (27-02-2020 पर अंतिम बार पहुँचा गया) और HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईआरएस। जीओवी/पब/आईआरएस-ड्रॉप/एन-14 21. पी. डी. एफ. (अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)।आई. आर. एस. करदाताओं को याद दिलाता है कि वे आभासी मुद्रा लेनदेन (मार्च 2018) की रिपोर्ट करें जो यहां उपलब्ध हैः // डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईआरएस। gov/न्यूज़रूम/IRS-रिमाइंडर-टैक्सपेयर्स-टू-रिपोर्ट-वर्चुअल-करेंसी-ट्रांजैक्शन (आखिरी बार 27 02-2020 पर एक्सेस किया गया)।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

प्रतिभूति और विनिमय

बिटक्वाइन को एक विकेंद्रीकृत, पीयर-टू-पीयर विषाणु मुद्रा के रूप में वर्णित किया गया है जिसका उपयोग इस तरह किया जाता है

7 .

आयोग, संयुक्त राज्य अमेरिका

मुद्रा-इसे अमेरिकी डॉलर जैसी पारंपरिक मुद्राओं के लिए बदला जा सकता है, या आमतौर पर ऑनलाइन सामान या सेवाएं खरीदने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

पारंपरिक मुद्राओं के विपरीत, बिटक्वाइन काम करता है।

केंद्रीय प्राधिकरण या बैंकों के बिना और नहीं है

19

जापानी येन लेकिन किसी सरकार या अन्य निकाय का समर्थन नहीं है। 20 अधिनियम (यू. एस. कमोडिटी) की धारा ला (9)

जिंस वायदा

8 .

व्यापार आयोग,

विनिमय अधिनियम) "वस्तु" को परिभाषित करता है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, "सभी सेवाएं, अधिकार और

अमेरिका

ऐसे हित जिनमें भविष्य में वितरण के लिए अनुबंध वर्तमान में या भविष्य में किए जाते हैं। 7 यू. एस. सी. §1 ए (9)। "वस्तु" की परिभाषा व्यापक है। देखें, उदाहरण के लिए, शिकागो शहर का व्यापार मंडल बनाम। एस. ई. सी., 677 एफ. 2 डी. 1137,1142 (7 वां सिर। 1982)। बिटक्वाइन और अन्य आभासी मुद्राएँ परिभाषा में शामिल हैं और

उचित रूप से वस्तुओं के रूप में परिभाषित। 21

9 .

वित्तीय अपराध

आभासी मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है जो कुछ वातावरणों में मुद्रा की तरह काम करता है।

प्रवर्तन

नेटवर्क, विभाग

लेकिन वास्तविक की सभी विशेषताएँ नहीं हैं

मुद्रा। विशेष रूप से, आभासी मुद्रा

ट्रेजरी, यू. एस. ए 22

किसी भी अधिकार क्षेत्र में कानूनी निविदा का दर्जा नहीं है।

21 के मामले में: कॉइनफ्लिप, इंक., डी/बी/ए डेरिवेबिट, और फ्रांसिस्को रियोर्डन, सी. एफ. टी. सी. डॉकेट नंबर 15-29। 2015 डब्ल्यू. एल. 5535736 (सितंबर 17,2015) पर उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सीएफटीसी। सरकार/साइटें/डिफ़ॉल्ट/फाइलें/आई. डी. सी./समूह/सार्वजनिक/@प्रवर्तन/दस्तावेज/कानूनी अपील/एन. एफ. कोइनफ्लिप्रोडर 09172015। पी. डी. एफ. (अंतिम बार 27-02 2020 पर पहुँचा गया)। 22 मार्गदर्शन-आभासी मुद्राओं का प्रशासन, आदान-प्रदान या उपयोग करने वाले व्यक्तियों (मार्च 2013) के लिए फिनसेन के विनियमों का अनुप्रयोग, जो यहां उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. फिनसेन।

जीओवी/साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल/साझा/एफआईएन-2013 जी001। पी. डी. एफ. (अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)।

[2020] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह मार्गदर्शन "परिवर्तनीय" आभासी मुद्रा को संबोधित करता है। इस प्रकार की आभासी मुद्रा या तोवास्तविक मुद्रा में समतुल्य मूल्य है, या

यह वास्तविक मुद्रा के विकल्प के रूप में कार्य करता है।

क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल प्रतिनिधित्व है

10 . कनाडा का राजस्व

ऐसा मूल्य जो वैध नहीं है। यह एक डिजिटल

एजेंसी (सी. आर. ए.) 2 3

परिसंपत्ति. जो पक्षों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में काम करती है।

जो इसका उपयोग करने के लिए सहमत हैं।

सी. आर. ए. आम तौर पर क्रिप्टोकरेंसी के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे

व्यक्ति वस्तु या सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए सहमत होते हैं। और कानूनी मुद्रा के बिना उस विनिमय को पूरा करें। आभासी मुद्रा भी खरीदी जा सकती है।

या वस्तु की तरह बेचा जाता है। 2 24

23 क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोगकर्ताओं और कर पेशेवरों के लिए मार्गदर्शिका (27 जून 2019 को अंतिम बार संशोधित) यहां उपलब्ध है: / /डब्ल्यू. डब्ल्यू. कनाडा। सी. ए./एन./राजस्व-एजेंसी/कार्यक्रम/कनाडा-राजस्व-एजेंसी-क्रा/अनुपालन/डिजिटल मुद्रा/क्रिप्टोक्यूरेंसी-गाइड। एच. टी. एम. एल. (अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)। 24 आभासी मुद्रा (अंतिम बार 26 जून 2019 को संशोधित) यहां उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. कनाडा। सी. ए./एन./राजस्व-एजेंसी/कार्यक्रम/के बारे में-कनाडा-राजस्व-एजेंसी-क्रे/अनुपालन/डिजिटल-मुद्रा। एच. टी. एम. एल. (अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)।

सर्विस बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]सांख्यिकीय प्रभावों के अंतर्गत नीतियाँ और

सरकारों के सांख्यिकीय निर्देश

देश वैधानिक

वी. सी. को परिभाषित करने वाला खंड/लेख

अधिनियमन /

गैर-वैधानिक

निर्देशात्मक

अनुच्छेद 2 (5): "आभासी मुद्रा" शब्द

जापान

भुगतान

जैसा कि इस अधिनियम में उपयोग किया गया है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से कोई भी है:

सेवा अधिनियम,

2009

(i) संपत्ति का मूल्य (जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी अन्य वस्तु पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज किया जाता है, और जापानी मुद्रा, विदेशी मुद्राओं और मुद्रा-मूल्यवर्गित परिसंपत्तियों को छोड़कर; वही निम्नलिखित वस्तु में लागू होता है) जिसका उपयोग अनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में भुगतान के उद्देश्य से किया जा सकता है। वस्तुओं की खरीद या पट्टे पर देना या सेवाओं के प्रावधान की प्राप्ति और इसे समकक्षों के रूप में कार्य करने वाले अनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भी खरीदा और बेचा जा सकता है, और जिसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है।

प्रणाली; और

((ii) संपत्ति का मूल्य जो समकक्षों के रूप में कार्य करने वाले अनिर्दिष्ट व्यक्तियों के साथ पूर्ववर्ती वस्तु में निर्धारित के साथ पारस्परिक रूप से आदान-प्रदान किया जा सकता है, और जिसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है।

प्रणाली।

2019 इस अधिनियम में संशोधन (अप्रैल 2020 से लागू होने वाला) "आभासी मुद्रा" शब्द के स्थान पर "क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियां (एंगोशिसन)" शब्द का उपयोग करता है।

2019 के संशोधन ने एफ. आई. ई. ए. (वित्तीय साधन और विनिमय अधिनियम) के तहत व्युत्पन्न विनियमों के अधीन व्युत्पन्न लेनदेन की अंतर्निहित परिसंपत्तियों को परिभाषित करने के उद्देश्यों के लिए "वित्तीय साधन" शब्द में गुप्त परिसंपत्तियों को जोड़ा, और इसलिए वही विनियम अन्य पर लागू होते हैं।

एफ. आई. ई. ए. के तहत व्युत्पन्न लेनदेन गुप्त परिसंपत्ति व्युत्पन्न लेनदेन पर लागू होंगे। इन विनियमों में कुछ आचरण विनियम शामिल हैं, जैसे नोटिस की आवश्यकता [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यापार से पहले, और करने पर प्रतिबंध

गलत बयान, निर्णायक प्रदान करते हैं

निर्णय, और बिन बुलाए कार्य में संलग्न होना

आग्रह करना।

माल्टा विरुटल

अनुच्छेद 2 (2): " आभासी वित्तीय परिसंपत्ति "या" वीएफए "

2 .

इसका अर्थ है किसी भी प्रकार का डिजिटल माध्यम अभिलेखन।

वित्तीय

जिसका उपयोग विनिमय के डिजिटल माध्यम के रूप में किया जाता है,

परिसंपत्ति अधिनियम,

खाते की इकाई, या मूल्य का भंडार और वह है

2018

नहीं -

(क) इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा;((ख) एक वित्तीय साधन; या

(ग) एक आभासी टोकन;

" आभासी टोकन "का अर्थ है डिजिटल माध्यम रिकॉर्डिंग का एक रूप जिसकी उपयोगिता, मूल्य या अनुप्रयोग

केवल माल के अधिग्रहण तक ही सीमित है

या सेवाएँ, या तो पूरी तरह से डी. एल. टी. प्लेटफॉर्म के भीतर या जिसके संबंध में इसे जारी किया गया था या डी. एल. टी. प्लेटफॉर्म के सीमित नेटवर्क के भीतर।

धारा 1 (2): आभासी मुद्रा का अर्थ है

कनाडा

की आय

3 .

अपराध (धन। (ए) मूल्य का एक डिजिटल प्रतिनिधित्व जो हो सकता है

धनशोधन) भुगतान या निवेश उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है जो और आतंकवादी एक फिएट मुद्रा नहीं है और यह आसानी से किया जा सकता है

धन के लिए या किसी अन्य आभासी के लिए वित्तपोषण का आदान-प्रदान

नियम, मुद्रा जिनका आसानी से आदान-प्रदान किया जा सकता है

200225

निधियाँ; या (ख) एक गुप्त लिपि प्रणाली की एक निजी कुंजी

जो किसी व्यक्ति या संस्था को पहुँच प्रदान करता हैसंदर्भित मूल्य के डिजिटल प्रतिनिधित्व के लिए

पैराग्राफ (ए) में।

बहामास भुगतान

गुप्त मुद्राओं के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है।

4 .

लेकिन सेंट्रल बैंक के अनुसार, बहामास

वाद्ययंत्र

नियम जो एक के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं

(निगरानी)नियम,

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं की प्रणाली, गुप्त मुद्राओं पर लागू होती है।

2017

अनुच्छेद 2 (1): इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा या ई-मुद्रा का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत मौद्रिक मूल्य जैसा कि जारीकर्ता पर दावे द्वारा दर्शाया गया है, जो निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए धन की प्राप्ति पर जारी किया जाता है -

भुगतान लेनदेन करना और जो है

व्यक्तियों द्वारा भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया गया

जारीकर्ता के अलावा, और इसमें मौद्रिक शामिल है मूल्य चुंबकीय रूप से या किसी अन्य मूर्त या अमूर्त उपकरण (जैसे सिम कार्ड या सॉफ्टवेयर) में संग्रहीत किया जाता है।

25 जैसा कि जून 2019 में संशोधित किया गया था, जो संशोधन अभी तक लागू नहीं हुआ है।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

एक विधेयक विचाराधीन है जो आभासी मुद्राओं को अपराध कानून (अपराध की आय विधेयक, 2018) के दायरे में लाएगा। विधेयक के खंड (2) में परिभाषित किया गया है: आभासी मुद्रा "मूल्य के एक डिजिटल प्रतिनिधित्व के रूप में जिसका डिजिटल रूप से व्यापार किया जा सकता है और उपयोग किया जा सकता है

(ए) विनिमय का एक माध्यम; (बी) खाते की एक इकाई; या (सी) मूल्य का एक भंडार, जिसे कानूनी निविदा का दर्जा नहीं है या जिसमें कोई प्रतिभूति नहीं है।

या किसी भी अधिकार क्षेत्र में गारंटी।

" मुद्रा या धन "का अर्थ है किसी भी अधिकार क्षेत्र का सिक्का और कागजी धन जिसे कानूनी निविदा के रूप में नामित किया गया है या जिसे भुगतान के साधन के रूप में आभासी मुद्रा सहित विनिमय के माध्यम के रूप में पारंपरिक रूप से उपयोग और स्वीकार किया जाता है।

धारा 3 (9): क्रिप्टोकरेंसी (आभासी)

एस्टोनिया

पैसा।

मुद्राएँ) डिजिटल में दर्शाए गए मूल्य हैं

लॉन्ड्रिंग

ऐसा प्रपत्र जो डिजिटल रूप से हस्तांतरणीय, परिरक्षित हो,

और आतंकवादी

या व्यापार योग्य और वह जो प्राकृतिक व्यक्ति या

वित्तपोषण

कानूनी व्यक्ति भुगतान साधन के रूप में स्वीकार करते हैं,

रोकथाम

लेकिन यह किसी भी देश की कानूनी निविदा नहीं है।

अधिनियम, 2017

या कोष (बैंकनोट या सिक्के, बैंकों द्वारा रखे गए धर्मशास्त्रीय धन, या इलेक्ट्रॉनिक धन)।

धारा 1 (2): आभासी मुद्रा-एक डिजिटल

उस पर कानून

लातविया

मूल्य का प्रतिनिधित्व जो हो सकता है

रोकथाम

डिजिटल रूप से हस्तांतरित, संग्रहीत या व्यापार किया गया और

पैसा।

विनिमय के साधन के रूप में कार्य करता है, लेकिन नहीं किया है

लॉन्ड्रिंग

और आतंकवाद

भुगतान के कानूनी साधन के रूप में मान्यता प्राप्त है, बैंकनोट और सिक्के के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है,

और

गैर-नकद धन और इलेक्ट्रॉनिक धन, और है

प्रसार

भुगतान में उपार्जित मौद्रिक मूल्य नहीं

वित्तपोषण, के रूप में

निर्दिष्ट मामलों में उपयोग किया जाने वाला उपकरण

में संशोधन किया गया

कानून की धारा 3, खंड 10 और 11 में

2017

भुगतान सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक पर

पैसा;

लिकटेंस्टीन के कारण परिश्रम

अनुच्छेद 2 (1) (1): आभासी मुद्राएँ होंगी

अधिनियम, 2019

डिजिटल मौद्रिक इकाइयों के रूप में समझा जाता है, जिनका कानूनी निविदा के लिए आदान-प्रदान किया जा सकता है, जिनका उपयोग वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने या मूल्य को संरक्षित करने के लिए किया जाता है और इस प्रकार कानूनी निविदा का कार्य ग्रहण करता है।

[2020] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8 . इज़राइल

धारा 11 ए (7) का पर्यवेक्षण वित्तीय परिसंपत्ति को परिभाषित करता है।

वित्तीय परिसंपत्ति में आभासी मुद्रा शामिल है। 2 26

सेवा कानून, 5776-2016

9 . जर्सी

अनुच्छेद 4 (4): ' आभासी मुद्रा 'का अर्थ है कोई भी

की आय

मुद्रा जो (जबकि स्वयं जारी नहीं की जा रही है)

अपराध

किसी भी अधिकार क्षेत्र द्वारा या कानूनी निविदा द्वारा) -

(विविध

संशोधन)

(क) डिजिटल रूप से मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है;

(मुकुट

(जर्सी)

(ख) लेखा की एक इकाई है;

निर्भरता

नियम-कानून

(ग) विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है; और

2016

(घ) किसी भी रूप में पैसे के लिए डिजिटल रूप से आदान-प्रदान करने में सक्षम है।अनुच्छेद 4 (5): संदेह से बचने के लिए, आभासी मुद्रा में कोई भी शामिल नहीं है।

उपकरण जो मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है या संग्रहीत करता है (चाहे वह डिजिटल हो या अन्यथा) जिसका उपयोग केवल उपकरण के जारीकर्ता के परिसर में या उसके साथ वाणिज्यिक समझौते के तहत माल और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

10. मेक्सिको

यह आभासी परिसंपत्तियों को प्रतिनिधित्व के रूप में परिभाषित करता है

वित्तीय

तकनीक

इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत और उपयोग किया गया मूल्य

संस्थाएं

सभी प्रकार के भुगतान के साधन के रूप में जनता

कानून, 2018

कानूनी लेन-देन, जो केवल हो सकता है

इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित। 27

(अध्याय पर

आभासी परिसंपत्तियाँ)

आभासी मुद्रा को 'अन्य अमूर्त' के रूप में माना जाता है

11. ऑस्ट्रिया

मंत्रालय

वस्तु '। 28

वित्त

आभासी मुद्रा को 'वस्तु' के रूप में माना जाता है। 29.

12. चेक गणराज्य

उप राज्यपाल

गणराज्य

चेक गणराज्य

नेशनल बैंक

26 दुनिया भर में क्रिप्टोक्यूरेंसी का विनियमन-इज़राइल, द लॉ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की रिपोर्ट, वैश्विक कानूनी अनुसंधान केंद्र (जून 2018) पर उपलब्ध है। //डब्ल्यू. डब्ल्यू. लोक। सरकार/कानून/सहायता/क्रिप्टोकरेंसी/दुनिया

सर्वेक्षण। पीएचपी #मेक्सिको (अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)। 28 दुनिया भर में क्रिप्टोक्यूरेंसी का विनियमन-ऑस्ट्रिया, द लॉ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की रिपोर्ट, वैश्विक कानूनी अनुसंधान केंद्र (जून 2018) पर उपलब्ध है। //डब्ल्यू. डब्ल्यू. लोक। सरकार/कानून/सहायता/क्रिप्टोकरेंसी/दुनियासर्वेक्षण। पीएचपी #ऑस्ट्रिया (अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)। दुनिया भर में क्रिप्टोक्यूरेंसी का विनियमन-चेक गणराज्य, द लॉ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की रिपोर्ट, वैश्विक कानूनी अनुसंधान केंद्र (जून 2018) पर उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. लोक। सरकार/कानून/सहायता/क्रिप्टोकरेंसी /

विश्व-सर्वेक्षण। Php #czech (अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

प्राधिकरण आभासी मुद्राओं के रूप में अर्हता प्राप्त करता है

13. जर्मनी

जर्मन

" लेखा की इकाइयाँ "और इसलिए",

संघीय

उपकरण "।

वित्तीय

लेकिन बिटक्वाइन को क्रिप्टोक्यूरेंसी टोकन माना जाता है।

पर्यवेक्षी

जर्मन बुंडेसबैंक द्वारा (क्योंकि यह नहीं है)

प्राधिकरण

मुद्रा के विशिष्ट कार्यों को पूरा करें)। 30

संसद के समक्ष मान्यता प्राप्त है कि क्रिप्टोकरेंसी

के मंत्री

14. लक्समबर्ग

मुद्राएँ वास्तविक मुद्राएँ हैं। 31

वित्त

आभासी मुद्राओं को "लघु" माना जाना चाहिए।

15. स्लोवाकिया

मंत्रालय

मुद्रा के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ "। 32

वित्त,

स्लोवाकिया

प्रकाशित किया गया

मार्गदर्शन

अनुच्छेद 3 (18): ' आभासी मुद्राओं का अर्थ है

16. यूरोपीय

यूरोपीय

मूल्य का डिजिटल प्रतिनिधित्व जो नहीं है

संघ का

संघ

केंद्रीय बैंक द्वारा जारी या गारंटीकृत

निर्देशात्मक

सार्वजनिक प्राधिकरण, आवश्यक रूप से संलग्न नहीं है

2018/843 से

कानूनी रूप से स्थापित मुद्रा के लिए और नहीं

30 मई 2018

मुद्रा या धन की कानूनी स्थिति रखने वाले,

(5 टी एंटी

लेकिन प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया जाता है

पैसा।

विनिमय का एक साधन और जो हो सकता है

लॉन्ड्रिंग

इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित, संग्रहीत और व्यापार किया गया।

निर्देश)

क्रिप्टोक्यूरेंसी (या 'क्रिप्टोक्यूरेंसी')

17. संयुक्त

एच. एम. राजस्व

यह भी जाना जाता है) क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित हैं

& सीमा शुल्क,

साम्राज्य

मूल्य या संविदात्मक का डिजिटल प्रतिनिधित्व

ब्रिटेन 34

अधिकार जो हो सकते हैं:

• स्थानांतरण• संग्रहित

इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार किया जाता है

एच. एम. आर. सी. गुप्त परिसंपत्तियों पर विचार नहीं करता हैमुद्रा या पैसा।

33 यूरोपीय संघ का निर्देश 2018/843 यहाँ उपलब्ध है: //यूर-एलेक्स। यूरोप। ईयू/कानूनी-सामग्री/ईएन/टीएक्सटी/पीडीएफ/? यूरी = सेलेक्स: 32018L0843 और से = EN (अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)। 34 पॉलिसी पेपर, क्रिप्टोकरेंसी: व्यक्तियों के लिए कर (दिसंबर 2019) यहां उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. गव. यू. के./सरकार/प्रकाशन/कर-पर-गुप्त परिसंपत्तियाँ/गुप्त परिसंपत्तियाँ-व्यक्तियों के लिए (अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)।

क्रिप्टोकरेंसी की एक विशिष्ट पहचान होती है।और इसलिए सीधे तुलना नहीं की जा सकती है

निवेश गतिविधि के किसी अन्य रूप में या

भुगतान तंत्र। 35

क्रिप्टोक्यूरेंसी शब्द के पहले भाग का अर्थ है

बैंक ऑफ

इंग्लैंड 3 6

' छिपा हुआ 'या' गुप्त 'सुरक्षित को दर्शाता है

किसके पास क्या है, यह रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक,

और उपयोगकर्ताओं के बीच भुगतान करने के लिए।

शब्द का दूसरा भाग, 'मुद्रा', हमें बताता है कि क्रिप्टोकरेंसी को क्यों बनाया गया था

सबसे पहले: एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक नकदी।

लेकिन क्रिप्टोकरेंसी उस नकदी की तरह नहीं है जो हम

सरकार प्रणाली का प्रबंधन करने या कदम उठाने के लिएअगर कुछ गड़बड़ हो जाए।

धारा 2 (पी): आभासी मुद्रा का अर्थ है किसी भी प्रकार की मुद्रा

न्यूयॉर्क

18. संयुक्त

डिजिटल इकाई जो एक माध्यम के रूप में उपयोग की जाती है

राज्यों के

[बिटलीसेंस

विनिमय या डिजिटल रूप से संग्रहीत मूल्य का एक रूप।

अमेरिका

नियम (23)

आभासी मुद्रा का व्यापक रूप से अर्थ लगाया जाएगा

सी. आर. आर.-न्यूयॉर्क

विनिमय की डिजिटल इकाइयों को शामिल करना जो: है।

200)]

एक केंद्रीकृत भंडार या प्रशासक; और

विनिर्माण प्रयास। आभासी मुद्राकिसी को भी शामिल करने के लिए नहीं माना जाता है

निम्नलिखित:

(1) अंकीय इकाइयाँ जो:

(i) केवल ऑनलाइन खेल के भीतर उपयोग किया जाता है

मंच;

((ii) बाहर कोई बाजार या अनुप्रयोग नहीं है।

उन खेल मंचों में से;

((iii) में परिवर्तित या मुक्त नहीं किया जा सकता है।

के लिए, फिएट मुद्रा या आभासी मुद्रा और

(iv) के लिए भुनाया जा सकता है या नहीं भी जा सकता हैवास्तविक दुनिया की वस्तुएँ, सेवाएँ, छूट, या

खरीदारी;

संक्षिप्त-9-2014-बिटक्वाइन-और-अन्य-क्रिप्टोकरेंसी/राजस्व-और-सीमा शुल्क-संक्षिप्त-9-2014-बिटक्वाइन-और-अन्य क्रिप्टोकरेंसी (अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)।36 क्रिप्टोकरेंसी क्या होती है? HTTPS पर उपलब्ध: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. बैंकफ़ेंगलैंड। को. यूके/नॉलेजबैंक/क्या-हैं-क्रिप्टोकरेंसी (अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

कार्यक्रम, लेकिन फिएट मुद्रा या आभासी मुद्रा में परिवर्तित या भुनाया नहीं जा सकता है; या (3) प्रीपेड कार्ड के हिस्से के रूप में उपयोग की जाने वाली डिजिटल इकाइयाँ;

आभासी मुद्रा-एक डिजिटल प्रतिनिधित्व

उत्तरी कैरोलिना

ऐसा मूल्य जिसका डिजिटल रूप से व्यापार किया जा सकता है और जो विनिमय के माध्यम, खाते की इकाई के रूप में कार्य करता है, या

[पैसा। ट्रांसमीटर

मूल्य का भंडार लेकिन केवल परिभाषित सीमा तक

अधिनियम (53)

इसके उपखंड (19) के तहत संग्रहीत मूल्य के रूप में

208.42)]

खंड, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त कानूनी निविदा स्थिति नहीं है।सरकार।

" आभासी मुद्रा का अर्थ है किसी भी प्रकार की डिजिटल मुद्रा।

कनेक्टिकट

इकाई जिसका उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में या डिजिटल रूप से संग्रहीत मूल्य के रूप में किया जाता है या जो है

[जनरल

भुगतान प्रणाली में निगमित।

की मूर्तियाँ

तकनीक।

कनेक्टिकट,

सेक. 36ए-596]

आभासी मुद्रा को विनिमय की डिजिटल इकाइयों को शामिल करने के लिए समझा जाएगा जिसमें (ए) एक केंद्रीकृत भंडार या प्रशासनिक है; (बी) विकेंद्रीकृत हैं और कोई केंद्रीकृत भंडार या प्रशासक नहीं है; या (सी) कंप्यूटिंग द्वारा बनाया या प्राप्त किया जा सकता है या

विनिर्माण प्रयास।

आभासी मुद्रा को उन डिजिटल इकाइयों को शामिल करने के लिए नहीं माना जाएगा जिनका उपयोग किया जाता है (i) केवल ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के भीतर, जिसमें ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म के बाहर कोई बाजार या अनुप्रयोग नहीं है, या (ii) विशेष रूप से उपभोक्ता आत्मीयता या पुरस्कार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, और इसे केवल जारीकर्ता या अन्य नामित व्यापारियों के साथ खरीद के लिए भुगतान के रूप में लागू किया जा सकता है, लेकिन इसे फिएट मुद्रा में परिवर्तित या भुनाया नहीं जा सकता है।

(2) (i) "आभासी मुद्रा" का अर्थ है -

फ़्लोरिडा

इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप में विनिमय जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सिक्का या मुद्रा नहीं है या

[फ़्लोरिडा

पैसा।

किसी भी देश में।

[2020] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम (फ्ला। स्टेट। §896.101)]

डिजिटल मुद्रा एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है।

इलिनोइस

वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए उपयोग किया जाने वाला विनिमय। एक डिजिटल मुद्रा का भी आदान-प्रदान किया जा सकता है

[डिजिटल

पैसा। एक डिजिटल मुद्रा, इसकी प्रकृति से

मुद्रा

नीचे वर्णित गुण, से अलग है

विनियामकमार्गदर्शन

पैसा।

(2017)] 3 7

आभासी मुद्रा एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है

लुइसियाना

विनिमय जिसमें सभी विशेषताएँ नहीं हैं

[उपभोक्ता

वास्तविक या फिएट मुद्राएँ। आभासी मुद्राएँइसमें क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं, जैसे कि बिटक्वाइन और

और इन्वेस्टर

लिटकोइन, जो कानूनी निविदा नहीं हैं और हैं

के बारे में सलाहआभासी

किसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी या समर्थित नहीं या

सरकारी प्राधिकरण। आभासी मुद्राएँ हैं

मुद्रा द्वारा का कार्यालय

संयुक्त राज्य या किसी द्वारा समर्थित नहीं

वित्तीय

अन्य राष्ट्रीय सरकार।

संस्थान

संघीय जमा द्वारा बीमाकृत नहीं

(2014)] 3 8

बीमा निगम या कोई भी

सरकारी एजेंसी;

किसी भी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं,

जैसे सोना या चांदी; और

ऋणों के लिए कानूनी निविदा नहीं।

आभासी मुद्राओं के वैध उद्देश्य होते हैं और इन्हें अन्य प्रकार की आभासी मुद्राओं या अमेरिकी डॉलर जैसी वास्तविक मुद्राओं के साथ खरीदा, बेचा और आदान-प्रदान किया जा सकता है। यह विभिन्न तंत्रों के माध्यम से हो सकता है जैसे कि विनिमायकर्ता, प्रशासक या व्यापारी जो इसके बदले आभासी मुद्राओं को स्वीकार करने के इच्छुक हैं

वास्तविक मुद्रा।परिवर्तनीय आभासी मुद्रा एक डिजिटल मुद्रा है

मिशिगन

मूल्य का प्रतिनिधित्व जिसका समतुल्य है वास्तविक मुद्रा में मूल्य, जैसे कि संयुक्त राज्य

[मिशिगन

राज्य डॉलर (यू. एस. डी.), और/या एक के रूप में कार्य करता है

विभाग

वास्तविक मुद्रा का विकल्प।

कोषागारमार्गदर्शन

37 डिजिटल मुद्रा नियामक मार्गदर्शन, इलिनोइस वित्तीय और व्यावसायिक विनियमन विभाग (13 जून, 2017) पर उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईडीएफपीआर। कॉम/फॉर्म/डी. एफ. आई./सी. सी. डी./आई. डी. एफ. पी. आर.% 20

% 20डिजिटल% 20 मुद्रा% 20 नियामक% 20 मार्गदर्शन। पी. डी. एफ. (अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)। 38 वित्तीय संस्थानों का कार्यालय, लुइसियाना राज्य, आभासी मुद्रा पर उपभोक्ता और निवेशक सलाहकार (अगस्त 2014) पर उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सबसे पहले। राज्य। ला। यू. एस./एस. ओ. सी. जी. गाइडेंस वर्चुअल करेंसी। पी. डी. एफ. (अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

परिवर्तनीय आभासी का एक प्रमुख उदाहरण

(जनवरी

मुद्रा बिटक्वाइन है, ई-मुद्रा का एक रूप जो

2015)] 3 9

यह 2008 से है।

वाशिंगटन

" आभासी मुद्रा "का अर्थ है डिजिटल मुद्रा। के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने वाले मूल्य का प्रतिनिधित्व

वर्दी

विनिमय, खाते की एक इकाई, या मूल्य का भंडार,

पैसा।

लेकिन कानूनी निविदा का दर्जा नहीं हैसंयुक्त राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त।

सेवा अधिनियम

(आरसीडब्ल्यू

" आभासी मुद्रा में शामिल नहीं है

19.230. 010)

हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर या प्रोटोकॉलमूल्य या अन्य के डिजिटल प्रतिनिधित्व का

आभासी वितरित लेगर प्रणालियों का उपयोग

डिजिटल में स्वामित्व या प्रामाणिकता का सत्यापन करें

क्षमता जब आभासी मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता है विनिमय के माध्यम के रूप में।

(xxii) "आभासी मुद्रा" का अर्थ है किसी भी प्रकार की

व्योमिंग

मूल्य का डिजिटल प्रतिनिधित्व जो: (ए) विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है, की इकाई

व्योमिंग

मूल्य का खाता या भंडार; और

पैसा।

(बी) द्वारा कानूनी निविदा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है

ट्रांसमीटर

संयुक्त राज्य सरकार।

अधिनियम [डब्ल्यू. एस. 40

22-102 (अ)]

6.59 . इसे ऊपर दी गई तालिकाओं की सामग्री से देखा जा सकता है।

कि सभी नियामकों और विभिन्न देशों की सरकारों के बीच सर्वसम्मति है कि हालांकि आभासी मुद्राएँ हैं उन्होंने कानूनी निविदा का दर्जा प्राप्त नहीं किया है, फिर भी वे मूल्य के डिजिटल प्रतिनिधित्व का गठन करते हैं और वे (i) विनिमय के माध्यम और/या (ii) खाते की इकाई और/या (iii) मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करने में सक्षम हैं। आई. एम. एफ., एफ. ए. टी. एफ., यूरोपीय केंद्रीय बैंक,

यूनाइटेड किंगडम के वित्तीय आचरण प्राधिकरण, संयुक्त राज्य अमेरिका की आंतरिक राजस्व सेवा, ट्रेजरी विभाग और कनाडाई राजस्व प्राधिकरण आभासी मुद्राओं को मूल्य के डिजिटल प्रतिनिधित्व के रूप में मानते हैं। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने आभासी मुद्रा को एक प्रकार की अनियमित डिजिटल मुद्रा के रूप में वर्णित करके एक कदम आगे बढ़ाया। संयुक्त राज्य अमेरिका की आंतरिक राजस्व सेवा, ट्रेजरी विभाग ने माना है कि एक आभासी मुद्रा किसी देश की पारंपरिक मुद्रा के समान ही काम कर सकती है।

प्रतिभूति और विनिमय आयोग, यू. एस. ए. यह भी मानता है कि आभासी मुद्राओं का उद्देश्य प्रदर्शन करना है।

39 आभासी मुद्रा, कर नीति प्रभाग, मिशिगन ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रकाशित ट्रेजरी अपडेट (वॉल्यूम। 1 (1) , नवंबर 2015) पर उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. मिशिगन। सरकार/दस्तावेज/कोषागार/कर-नीति नवंबर 2015-न्यूज़लेटर _ 504036 _ 7। पी. डी. एफ. (अंतिम बार 27-02-2020 पर पहुँचा गया)।

अमेरिकी डॉलर, यूरो या जापानी येन जैसी लंबे समय से स्थापित मुद्राओं के समान कई कार्य। संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की एक और शाखा वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क है।

आभासी मुद्रा को विनिमय के एक माध्यम के रूप में कहा जाता है जो एक की तरह काम करता है कुछ वातावरणों में मुद्रा, हालांकि इसमें वास्तविक मुद्रा की सभी विशेषताएं नहीं हो सकती हैं।

6.60 . अंतर्राष्ट्रीय बस्तियों का बैंक, जैसा कि में बताया गया है

इस निर्णय के भाग 2 ने भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति (सीपीएमआई) के भीतर एक उप-समूह को डिजिटल मुद्राओं का विश्लेषण करने के लिए नियुक्त किया। नवंबर 2015 में उनके द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में, इस उप-समूह ने माना कि हालांकि उस समय निजी डिजिटल मुद्राओं का उपयोग कुछ जोखिमों को पूरा करने के लिए बहुत कम था, लेकिन कुछ समय के लिए डिजिटल मुद्राओं के साथ बैंक नोटों के व्यापक प्रतिस्थापन से केंद्रीय बैंकों की गैर-ब्याज भुगतान देनदारियों में गिरावट आ सकती है और मौद्रिक नीति का संचालन प्रभावित हो सकता है।

6.61 . इसी तरह, लिकटेंस्टीन राज्य आभासी मानता है।

डिजिटल मौद्रिक इकाइयों के रूप में मुद्राएँ जिनका कानूनी रूप से आदान-प्रदान किया जा सकता है

निविदा और माल या सेवाओं को खरीदने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जिससे एक कानूनी निविदा की प्रकृति मानी जाती है। जर्मन संघीय वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण आभासी मुद्राओं को खाते की इकाइयों के रूप में और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय साधनों के रूप में मानता है। लक्समबर्ग ने एक आधिकारिक स्थिति ली है कि क्रिप्टोकरेंसी वास्तविक मुद्राएँ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्य

अमेरिका के राज्यों ने आभासी मुद्राओं को विनिमय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में मान्यता देने वाले कानून पारित किए हैं।

6.62 . उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सरकारें और पैसा

दुनिया भर के बाजार नियामक इस वास्तविकता से सहमत हो गए हैं कि आभासी मुद्राएं वास्तविक धन के रूप में उपयोग करने में सक्षम हैं, लेकिन वे सभी इनकार मोड में चले गए हैं (जैसे कि कहावत बिल्ली अपनी आंखें बंद कर रही है और सोच रही है कि पूरी तरह से अंधेरा है) यह दावा करके कि वीसी को कानूनी निविदा का दर्जा नहीं है, क्योंकि वे एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा समर्थित नहीं हैं। लेकिन माल की एक वस्तु किस रूप में काम करने में सक्षम है, यह कानून में मान्यता प्राप्त करने के तरीके से अलग है। यह उतना ही सच है जितना कि वीसी को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि यह सच है कि वे वास्तविक मुद्रा के कुछ या अधिकांश कार्यों को करने में सक्षम हैं।

6.63 . "मुद्रा" शब्द को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (इसके बाद, "फेमा") की धारा 2 (एच) में परिभाषित किया गया है, जिसमें भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन शामिल है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

“ सभी मुद्रा नोट, डाक नोट, डाक आदेश, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, यात्रियों के चेक, क्रेडिट पत्र, विनिमय पत्र और वचन पत्र, क्रेडिट कार्ड या ऐसे अन्य समान उपकरण जिन्हें रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। मुद्रा नोट "शब्द को फेमा की धारा 2 (i) में भी परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है सिक्कों और बैंक नोटों के रूप में नकदी। एक बार फिर, फेमा "भारतीय" को परिभाषित करता है। धारा 2 (क्यू) के तहत मुद्रा का अर्थ भारतीय रुपये में व्यक्त या खींची गई मुद्रा है, लेकिन जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 28ए के तहत जारी किए गए विशेष बैंक नोट और एक रुपये के विशेष नोट शामिल नहीं होंगे।

6.64 . परंपरागत रूप से 'धन' को हमेशा 3 कार्यों या सेवाओं के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जो यह प्रदान करता है अर्थात् (1) एक माध्यमविनिमय (2) खाते की एक इकाई और (3) मूल्य का भंडार। लेकिन समय के साथ, एक चौथा कार्य अर्थात् ऋण का अंतिम निर्वहन या आस्थगित भुगतान का मानक भी जोड़ा गया। यह चौथा कार्य सरकार/केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा कानूनी निविदा का दर्जा प्रदान करने के माध्यम से धन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसलिए, इस चौथे आयाम/कार्य का लाभ उठाते हुए और धन के बीच अंतर करते हुए

सामाजिक अर्थों और धन को कानूनी अर्थों में समझने के लिए, श्री नकुल दीवान, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा डेविड फॉक्स की पुस्तक 'प्रॉपर्टी राइट्स इन मनी' और मॉस बनाम में रानी की पीठ के निर्णय के विशेष संदर्भ के साथ तर्क दिया गया था। हैनकॉक 40 और विस्कॉन्सिन सेंट्रल लिमिटेड बनाम में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 1 कि जब तक वी. सी. कानूनी अर्थों में (कानूनी निविदा स्थिति नहीं होने) या सामाजिक अर्थों में (एक विशाल आबादी द्वारा व्यापक रूप से एक माध्यम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है) धन के रूप में योग्य नहीं हैं।

विनिमय), उन्हें अर्थ के भीतर मुद्राओं के रूप में नहीं माना जा सकता है 40 (1899) 2 क्यू. बी. 111

41 585 अमेरिका

2018 , 138 एस. सीटी. 2067 (2018)

[2020] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोई भी वैधानिक अधिनियम जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी शक्ति प्राप्त करता है और

शक्ति।

6.65 . लेकिन हमें नहीं लगता कि आर. बी. आई. की भूमिका और शक्ति कर सकती है।

पैसा। मॉस वी। हैनकॉक (ऊपर), जो अपने आप में एक सदी पुराना निर्णय (1899) है, एफ. ए. वॉकर द्वारा अपनी पुस्तक में दी गई 'धन' की परिभाषा पर निर्भर करता है। 1879 में प्रकाशित ग्रंथ 'धन, व्यापार और उद्योग' (पुस्तक का वास्तविक शीर्षक 'व्यापार और उद्योग के संबंध में धन' प्रतीत होता है) में कहा गया है कि "धन वह है जो ऋणों के अंतिम निर्वहन में पूरे समुदाय में स्वतंत्र रूप से हाथ से हाथ मिलाता है और पूर्ण रूप से प्रवाहित होता है।

वस्तुओं के लिए भुगतान, इसे प्रदान करने वाले व्यक्ति के चरित्र या ऋण के संदर्भ के बिना समान रूप से स्वीकार किया जाता है और इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के इरादे के बिना इसका उपभोग किया जाता है या इसे किसी अन्य उपयोग के लिए लागू किया जाता है, इसके अलावा कि इसे ऋण के निर्वहन या वस्तुओं के भुगतान में दूसरों को दिया जाता है।

6.66 . लेकिन 1879 की उस परिभाषा को आधुनिक समय में परिपूर्ण, अंतिम और शाश्वत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सीमा पार लेनदेन और

तकनीकी प्रगति ने पुरानी अवधारणाओं द्वारा बनाई गई कई बेड़ियों को हटा दिया है (शायद कानून अदालतों द्वारा बनाई गई बेड़ियों को छोड़कर)। इस तथ्य को विस्कॉन्सिन सेंट्रल (ऊपर) में ब्रेयर, जे. की असहमति में पहचाना गया है जब वे कहते हैं ". जिसे हम पैसे के रूप में देखते हैं वह समय के साथ बदल गया है। कौरी के गोले कभी एक ऐसा माध्यम था लेकिन अब नहीं है। हमारी मुद्रा में मूल रूप से सोना, सिक्के और सोना शामिल था, लेकिन उसके बाद

1934 , सोने का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में नहीं किया जा सकता था. शायद एक दिन कर्मचारियों को बिटक्वाइन या किसी अन्य प्रकार की मुद्रा में भुगतान किया जाएगा। भाषाई अर्थ में, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने पहले से ही धन की परिभाषा के भीतर "किसी भी प्रकार की संपत्ति या संपत्ति को धन में परिवर्तनीय माना जाता है" को शामिल किया है। इसलिए, ब्रेयर, जे., अपनी असहमति में बताते हैं, "तो, परिभाषाओं का यह द्वंद्व हमें कहाँ ले जाता है? कुछ बहुत संकीर्ण लगते हैं; कुछ बहुत व्यापक लगते हैं; कुछ अनिश्चित लगते हैं। परिणाम अस्पष्टता है "। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कर्मचारियों को दिए गए स्टॉक विकल्प प्रदान की गई सेवाओं के लिए धन पारिश्रमिक का गठन करते हैं।

लेकिन बहुमत इस आधार पर आगे बढ़ा कि जब कानून बनाया गया था, तो 'धन' शब्द का उपयोग व्यापक रूप से नहीं किया गया था।

भावना।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

6.67 . न तो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और न ही बैंकिंग विनियमन अधिनियम,

1949 न ही भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 और न ही सिक्का अधिनियम, 2011 'मुद्रा' या 'धन' शब्दों को परिभाषित करते हैं। लेकिन फेमा 'मुद्रा', 'मुद्रा नोट', 'भारतीय मुद्रा' और 'विदेशी मुद्रा' शब्दों को परिभाषित करता है। हमने इन परिभाषाओं पर ध्यान दिया है। दिलचस्प बात यह है कि प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, 1978 की धारा 2 (बी) में चेक, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट को शामिल करने के लिए धन को परिभाषित किया गया है। टेलीग्राफ हस्तांतरण या मनी ऑर्डर। की धारा 65 ख का खंड (33)

वित्त अधिनियम, 1994, जिसे वित्त अधिनियम, 2012 के माध्यम से जोड़ा गया है, 'धन' को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है "कानूनी निविदा, चेक, वचन पत्र, विनिमय पत्र, क्रेडिट पत्र, मसौदा, भुगतान आदेश, यात्री चेक, मनी ऑर्डर, डाक या इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण या कोई अन्य समान साधन, लेकिन इसमें कोई भी मुद्रा शामिल नहीं होगी जो इसके मुद्रा संबंधी मूल्य के लिए रखी गई हो"। यह परिभाषा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कई उपकरणों की पहचान करती है।

कानूनी निविदा के अलावा, जो की परिभाषा के भीतर आ सकता है पैसा।

6.68 . वस्तुओं की बिक्री अधिनियम, 1930 'धन' को परिभाषित नहीं करता है या

' मुद्रा 'लेकिन' माल 'शब्द की परिभाषा से धन को बाहर करता है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 धारा 2 (75) के तहत 'धन' को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है "भारतीय कानूनी निविदा या कोई विदेशी मुद्रा"। मुद्रा, चेक, वचन पत्र, विनिमय पत्र, क्रेडिट पत्र, मसौदा, भुगतान आदेश, यात्री चेक, मनी ऑर्डर, डाक या इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य साधन, जब किसी अन्य मूल्य के भारतीय कानूनी निविदा के साथ किसी दायित्व या विनिमय को निपटाने के लिए विचार के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी मुद्रा शामिल नहीं होगी जो इसके मुद्रा संबंधी मूल्य के लिए रखी गई हो।

6.69 सी. आई. टी. वी. में कस्तुरी एंड संस लिमिटेड, 42 के बारे में एक प्रश्न उठा

क्या बीमाकर्ता द्वारा उन खतरों में से किसी एक के द्वारा नष्ट की गई वस्तु का प्रतिस्थापन, जिसके खिलाफ कवरेज प्रदान की गई है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 41 (2) के अर्थ के भीतर "धन" माना जाएगा। इस अदालत ने कहा कि धारा 41 (2) में उपयोग किए गए "धन" शब्द की व्याख्या केवल

वास्तविक धन या नकदी के रूप में की जानी चाहिए, न कि किसी अन्य चीज या लाभ के रूप में जिसका मूल्यांकन धन के संदर्भ में किया जा सकता है। 6.70 . धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम। व्यापार कर आयुक्त, 43 यह न्यायालय इस सवाल से चिंतित था कि क्या लाइसेंस शुल्क की राशि से शीरे की कीमत का समायोजन होगा

42 (1999) 3 एससीसी 346

43 (2006) 5 एससीसी 624 [2020] 2 एस. सी. आर.

यू. पी. व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अर्थ में बिक्री। तर्क यह था कि एक विनिमय या वस्तु-विनिमय को बिक्री नहीं कहा जा सकता है। "नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल" वाक्यांश का उल्लेख करने के बाद, इस अदालत ने बताया कि "धन एक कानूनी मुद्रा है, लेकिन नकदी धन की तुलना में संकीर्ण है"। यही कारण है कि अधिनियम के उद्देश्य के लिए नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के प्रति विरोधाभास भी धन के अर्थ के भीतर आएगा।

6.71 . जिस तरह पिछले कुछ वर्षों में 'मुद्रा' या 'मुद्रा' की अवधारणा बदल गई है, और विभिन्न क्षेत्राधिकारों और विभिन्न कानूनों ने 'मुद्रा' और 'मुद्रा' की अलग-अलग परिभाषाओं को अपनाया है, जिस मुद्दे को संबोधित करने की मांग की गई है, उसी तरह वीसी की अवधारणा में भी बदलाव आया है, जिसमें विभिन्न नियामक और वैधानिक शामिल हैं।

अधिकारी अलग-अलग परिभाषाओं को अपना रहे हैं, जो पूरी तरह से विपरीत हैविभिन्न न्यायालयों से उभरते विचार। आइए अब देखते हैं कि अन्य न्यायालयों ने 'आभासी मुद्रा' शब्द की परिभाषा से कैसे निपटा है।

6.72 . संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एस. ई. सी.) ने ट्रेंडन शेवर्स नाम के एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाया, जो बिटक्वाइन सेविंग्स एंड ट्रस्ट (बी. टी. सी. एस. टी.) के संस्थापक और संचालक थे।

तर्क दिया कि बिटक्वाइन पैसा नहीं है और इसलिए, 'प्रतिभूतियाँ' नहीं है। लेकिन टेक्सास के शेरमेन डिवीजन पूर्वी जिला न्यायालय ने एसईसी बनाम में राय दी।ट्रेंडन शेवर्स, 44 जो: " यह स्पष्ट है कि बिटक्वाइन का उपयोग पैसे के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए और शेवर्स के रूप में किया जा सकता है।

कहा जाता है, व्यक्तिगत रहने के खर्चों का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता था। बिटक्वाइन की एकमात्र सीमा यह है कि यह उन स्थानों तक सीमित है जो इसे मुद्रा के रूप में स्वीकार करते हैं। हालांकि, इसे पारंपरिक मुद्राओं के लिए भी बदला जा सकता है जैसे कि

जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन और युआन। इसलिए, बिटक्वाइन एक मुद्रा है।

या पैसे का रूप।

चार गणनाओं को खारिज करने का प्रस्ताव अर्थात् (i) मादक पदार्थों की तस्करी की साजिश में भागीदारी (ii) एक निरंतर आपराधिक उद्यम (iii) कंप्यूटर 44 मामला संख्या 4: 13 - सीवी-416 (6 अगस्त, 2013) 45 31 एफ। सप. 3 डी 540 (2014)

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

हैकिंग साजिश और (iv) मनी लॉन्ड्रिंग साजिश, जिसके लिए ग्रैंड जूरी ने अभियोग वापस कर दिया। प्रतिवादी के खिलाफ आरोप था कि उलब्रिच्ट अवैध वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन बाज़ार के रूप में सिल्क रोड नामक एक वेबसाइट को डिजाइन, लॉन्च और प्रशासित करके इन अपराधों में शामिल था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आय का शोधन करने के लिए बिटक्वाइन का उपयोग किया गया था। वेबसाइट केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थी जो एक मुफ्त और खुला स्रोत टोर ('द ओनियन राउटर' का संक्षिप्त नाम) का उपयोग कर रहे थे।

सॉफ्टवेयर और एक नेटवर्क जो गुमनाम, अप्राप्य इंटरनेट ब्राउज़िंग की अनुमति देता है। भुगतान की अनुमति केवल बिटक्वाइन के माध्यम से दी गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का विरोध करते हुए, उलब्रिच्ट ने तर्क दिया कि बिटक्वाइन का उपयोग किया गया थाइसमें कानूनी रूप से संज्ञेय वित्तीय लेनदेन शामिल नहीं है। लेकिन अदालत ने कहा कि "बिटक्वाइन का मूल्य होता है-यही उनका उद्देश्य और कार्य है-और यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। बिटक्वाइन का कानूनी निविदा के लिए आदान-प्रदान किया जा सकता है, चाहे वह अमेरिकी डॉलर, यूरो या कोई अन्य मुद्रा हो।

6.74 . उलब्रिच्ट (ऊपर) में निर्णय का संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम में उसी अदालत के एक और निर्णय द्वारा बारीकी से पालन किया गया था। फाइला। 46 यह

यह एक ऐसा मामला भी था जिसमें प्रतिवादियों पर वेबसाइट सिल्क रोड के माध्यम से आभासी मुद्रा बिटक्वाइन में एक भूमिगत बाजार के संचालन का आरोप लगाया गया था। फाइला ने एक विशेष कानून का उल्लंघन करते हुए बिना लाइसेंस के धन संचारित करने वाले व्यवसाय के संचालन के आरोपों में से एक को खारिज करने के लिए जिला अदालत का रुख किया। प्रतिवादी का तर्क था (i) कि बिटक्वाइन धन के रूप में योग्य नहीं है (ii) कि बिटक्वाइन विनिमय का संचालन धन का "संचारण" नहीं है और (iii) कि वह धन संचारक नहीं है। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि

" सरल अर्थ परिभाषाओं के तहत बिटक्वाइन स्पष्ट रूप से धन या धन के रूप में योग्य है। बदले में आसानी से खरीदा जा सकता है बिटक्वाइन

साधारण मुद्रा, मूल्य के भाजक के रूप में कार्य करती है और इसका उपयोग किया जाता है

वित्तीय लेन-देन करें "। ट्रेंडन शेवर्स (ऊपर) में निर्णय पर भरोसा किया गया था। 6.75 . जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की जिला अदालतों ने यह विचार रखा कि आभासी मुद्रा का उपयोग धन के रूप में किया जा सकता है, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग

46 39एफ. सप. 3डी 544 (2014)47 सी. एफ. टी. सी. डॉकेट सं. 15-29 दिनांक 17-09-2015 [2020] 2 एस. सी. आर.

बिटक्वाइन विकल्प अनुबंधों के खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने के लिए व्युत्पन्न प्रस्ताव। दिलचस्प बात यह है कि प्रतिवादी ने प्रशासनिक कार्यवाही की प्रत्याशा में समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार किया।

6.76 . एक सप्ताह के भीतर, एक अन्य इकाई, तेरा एक्सचेंज एल. एल. सी. ने भी सी. एफ. टी. सी. के समक्ष निपटान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

टेराएक्सचेंज LLC.48 सी. एफ. टी. सी. ने उस मामले में भी दोहराया कि बिटक्वाइन प्रासंगिक क़ानून के तहत एक वस्तु है। बिटफिनेक्स नाम के एक अन्य बिटक्वाइन एक्सचेंज ने भी सी. एफ. टी. सी. के समक्ष स्थिति को स्वीकार कर लिया, जब उनके खिलाफ सार्वजनिक प्रशासनिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी। बी. एफ. एक्स. एन. ए. इंक., डी./बी./ए. बी. आई. टी. एफ. आई. एन. ई. एक्स. के मामले में, 49 सी. एफ. टी. सी. ने निपटान के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए दर्ज किया कि बिटक्वाइन और अन्य आभासी मुद्राएं कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वस्तुएं हैं।

6.77 . संयुक्त राज्य अमेरिका में वी। मुर्गियो, 5 0 जो यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एस. डी. न्यूयॉर्क के समक्ष भी था, प्रतिवादी पर आरोप लगाया गया था

18 यू. एस. सी. §1960 के तहत दंडनीय, बिना लाइसेंस के धन संचारित करने वाले व्यवसाय के संचालन में साजिश। धारा 1960 के तहत, एक व्यवसाय को बिना लाइसेंस के धन संचारित करने वाले व्यवसाय के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए (i) जनता की ओर से हस्तांतरण, (ii) धन और (iii) लाइसेंस और पंजीकरण आवश्यकताओं का उल्लंघन करना चाहिए। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि बिटक्वाइन शब्द के सादे अर्थ के भीतर धन हैं, क्योंकि "धन" शब्द का अर्थ धन संबंधी संसाधन होगा,

जिसे आम तौर पर विनिमय के माध्यम या विनिमय के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। भुगतान करें। दिलचस्प बात यह है कि प्रतिवादी का तर्क है कि बिटक्वाइन एक

सी. एफ. टी. सी. द्वारा धारित वस्तु को अदालत ने खारिज कर दिया था।

6.78 . हालांकि, पिछले चार मामलों में अन्य जिला अदालतों की राय के बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका जिला न्यायालय, न्यू यॉर्क का पूर्वी जिला

यॉर्क ने कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन बनाम में निषेधाज्ञा राहत के लिए प्रारंभिक सुनवाई में आयोजित किया। पैट्रिक मैकडॉनेल 5 1 51 (ज्ञापन)

48 सी. एफ. टी. सी. डॉकेट सं. 15-33 दिनांकित 24-09-2015 49 सी. एफ. टी. सी. डॉकेट सं. 16-19 दिनांकित 02-06-2016 50 209 एफ. सप. 3 डी 698 (2016)

51 18 - सी. वी.-361 दिनांक 03-06-2018 भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

6.79 . इसी तरह का दृष्टिकोण यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसाचुसेट्स द्वारा कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन में लिया गया था।वी. माई बिग कॉइन पे, इंक. आदि। , 52 यह मानते हुए कि चूंकि आभासी मुद्राओं में वायदा व्यापार होता है, वे क़ानून के अर्थ के भीतर 'वस्तु' का गठन करते हैं।

6.80 . फ्लोरिडा राज्य बनाम। मिशेल अबनेर एस्पिनोजा, 5 3 एक दिलचस्प मामला है जो ग्यारहवें न्यायिक सर्किट के समक्ष आया था।

और मियामी के लिए-डेड काउंटी, फ्लोरिडा। उस मामले में, मियामी पुलिस विभाग के एक जासूस ने संयुक्त राज्य गुप्त सेवा के मियामी इलेक्ट्रॉनिक अपराध कार्य बल के एक विशेष एजेंट के साथ मिलकर आभासी मुद्राओं की जांच शुरू करें। एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद जिसने स्थानीय बिटकोइन नाम से एक सहकर्मी-से-सहकर्मी बिटकोइन विनिमय द्वारा संचालित एक ऑनलाइन मंच में बिटकोइन की बिक्री का विज्ञापन किया था। कॉम, टीम

दिसंबर 2013/जनवरी 2014 में एक गुप्त अभियान का आयोजन किया। जासूस ने चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिटक्वाइन के लिए भुगतान करने की पेशकश की और जब लेन-देन होने वाला था, तो प्रस्तावक को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर धन सेवा व्यवसाय में गैरकानूनी रूप से शामिल होने और धन शोधन के 2 मामलों का आरोप लगाया गया था। प्रतिवादी ने बर्खास्तगी के लिए प्रस्ताव दायर किए और राज्य ने उन प्रस्तावों को रद्द करने के लिए प्रस्ताव दायर किए। प्रतिवादी के प्रस्ताव को इस आधार पर सभी 3 गणनाओं को खारिज करने की अनुमति देते हुए कि अदालत एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति दूसरे को बेचने के लिए दंडित करने के लिए तैयार नहीं होगी, जब उसकी कार्रवाई गिर जाएगी।एक

कानून के तहत जो इतना अस्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कानूनी पेशेवर भी। एकवचन अर्थ खोजने में कठिनाई होने पर, अदालत ने निम्नानुसार फैसला सुनाया:

" हमारे संदर्भों के ढांचे में कुछ भी हमें सटीक रूप से अनुमति नहीं देता है

बिटक्वाइन को परिभाषित या वर्णित करें। बिटक्वाइन में कुछ हो सकते हैं।

जिन विशेषताओं को हम आम तौर पर धन के रूप में संदर्भित करते हैं, उनके साथ समान हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण पहलुओं में भिन्न हैं। जबकि मूल्य की वस्तुओं के लिए बिटक्वाइन का आदान-प्रदान किया जा सकता है, वे विनिमय का आम तौर पर उपयोग किया जाने वाला साधन नहीं हैं। वे कुछ लोगों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं लेकिन सभी व्यापारियों या सेवा प्रदाताओं द्वारा नहीं। इस तरह की अस्थिरता के साथ वे मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करने की सीमित क्षमता, धन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। यह अदालत विशेषज्ञ नहीं है

52 18 - Cv-10077-RWZ दिनांक 26-09-2018 53 F 14-2923 ने 22-07-2016 [2020] 2 S. C. R. पर निर्णय लिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अर्थशास्त्र, हालांकि यह बहुत स्पष्ट है, यहां तक कि इस क्षेत्र में सीमित ज्ञान वाले किसी व्यक्ति के लिए भी, कि बिटक्वाइन को पैसे के बराबर होने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना है। फ्लोरिडा विधानमंडल भविष्य में आभासी मुद्रा को विनियमित करने वाले कानूनों को अपनाने का विकल्प चुन सकता है। हालाँकि, इस समय, मुद्रा सेवा व्यवसायों को विनियमित करने वाली एक वैधानिक योजना में बिटक्वाइन की बिक्री को फिट करने का प्रयास किया जा रहा है।

यह एक गोल छेद में एक वर्गाकार खूंटी लगाने जैसा है "

6.81 . लेकिन सर्किट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी

थर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ अपील, फ्लोरिडा राज्य। 30-01-2019 पर प्रस्तुत एक राय द्वारा, फ्लोरिडा राज्य बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया। मिशेल अबनेर एस्पिनोजा 3 4 अपील न्यायालय ने सर्किट न्यायालय के फैसले को उलट दिया और एफ. ए. टी. एफ. की जून 2014 की रिपोर्ट "आभासी मुद्राएँ: प्रमुख परिभाषाएँ और संभावित ए. एम. एल./सी. एफ. टी. जोखिम "

मुद्रा सेवा व्यवसायों और बिटक्वाइन की प्रकृति को नियंत्रित करने वाले फ्लोरिडा कानूनों की भाषा और यह कैसे काम करता है, एस्पिनोजा एक भुगतान उपकरण विक्रेता के रूप में काम कर रहा था और एक मनी ट्रांसमीटर के व्यवसाय में संलग्न था। अपील न्यायालय ने बताया कि

"भुगतान साधन" की परिभाषा में "एक चेक, ड्राफ्ट, वारंट, मनी ऑर्डर, यात्रियों का चेक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य शामिल हैं।

यंत्र। अपील न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि मियामी क्षेत्र के कई रेस्तरां ने भुगतान के रूप में बिटक्वाइन को स्वीकार किया और इसलिए बिटक्वाइन विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। (क्या है जरूरी इस निर्णय के बारे में ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक दंडात्मक क़ानून से संबंधित है। यही कारण है कि सर्किट अदालत ने सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण का पालन किया, ताकि किसी नागरिक पर धन सेवा व्यवसाय के बारे में अनुमानों के आधार पर मुकदमा चलाने की अनुमति न दी जा सके। लेकिन अपील न्यायालय ने बुनियादी बातों पर पाया कि व्यवसाय एक भुगतान साधन से संबंधित है और इसलिए, कोई अस्पष्टता नहीं थी।)

54 264 तो। 3 डी 1055 (2019)

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

मुद्रा को ऐसी संपत्ति माना जा सकता है जो धारण करने में सक्षम हो। विश्वास पर। यह मामला आभासी मुद्राओं में व्यापार करने वाले एक व्यक्ति और वी. सी. एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जिस पर वह व्यापार करता था, के बीच विवाद के कारण उत्पन्न हुआ। यह विवाद आभासी मुद्राओं की पहचान के बजाय अनुबंध के उल्लंघन और विश्वास के उल्लंघन के इर्द-गिर्द अधिक घूमता था। यह उस संदर्भ में था कि अदालत ने राय दी कि क्रिप्टोकरेंसी ने 'संपत्ति' की परिभाषा को संतुष्ट किया जैसा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा राष्ट्रीय प्रांतीय बैंक बनाम में प्रदान किया गया था। इस प्रभाव के लिए उपयुक्त है कि यह "परिभाषित, पहचान योग्य" होना चाहिए।

तृतीय पक्षों द्वारा, जो तृतीय पक्षों द्वारा अपनी धारणा की प्रकृति में सक्षम हैं, और कुछ हद तक स्थायित्व या स्थिरता रखते हैं। अदालत ने आगे कहा कि "क्रिप्टोकरेंसी सरकार द्वारा जारी एक विनियमित मुद्रा होने के अर्थ में कानूनी मुद्रा नहीं है, लेकिन इसमें अमूर्त संपत्ति की मौलिक विशेषता है।

मूल्य की पहचान योग्य चीज़ "। वाणिज्यिक न्यायालय का निर्णय अपील न्यायालय में अपील की गई थी। अनुबंध के दावे के उल्लंघन पर क्वाइन की अपील को खारिज करते हुए, लेकिन विश्वास के दावे के उल्लंघन पर इसे अनुमति देते हुए, अपील न्यायालय ने क्वाइन पीटीई लिमिटेड बनाम. बी2 सी2 लिमिटेड '7 कि हालांकि गुप्त मुद्राएं सामान्य अवधारणाओं में आत्मसात करने में सक्षम हैं

संपत्ति के संबंध में, संपत्ति के प्रकार के बारे में कठिन प्रश्न हैं। इसलिए, अपील न्यायालय ने इस प्रश्न पर अंतिम स्थिति नहीं ली, क्योंकि उसने महसूस किया कि संपत्ति के अधिकार की सटीक प्रकृति

क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों और स्मार्ट अनुबंधों की स्थिति पर वक्तव्य ", कि क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियां अंग्रेजी कानून के तहत संपत्ति का गठन करती हैं। तथ्य सामने आए यह निर्णय जो उत्पन्न हुआ, वह विचित्र था। एक कनाडाई बीमा कंपनी की आईटी प्रणाली को बिटपेमर नामक मैलवेयर के

माध्यम से हैक किया गया था, जिसने कंपनी के सभी डेटा को एन्क्रिप्ट किया था। डिक्रिप्शन के लिए हैकर्स द्वारा बिटक्वाइन में 950,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर फिरौती की मांग की गई थी।

[2019] एस. जी. एच. सी. (आई) 3

56 [1965] 1 1248 में ए. सी. 1175

57 [2020] एस. जी. सी. ए. (आई) 02

58 [2019] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 3556 (कॉम)

प्रतिक्रिया कंपनी, बीमा कंपनी ने एक बटुए में फिरौती का भुगतान किया और हैकर्स द्वारा प्रदान किए गए डिक्रिप्शन टूल के साथ डेटा को पुनर्प्राप्त किया। इसके बाद बीमा कंपनी ने चैनालिसिस इंक. के रूप में जाने जाने वाले एक ब्लॉकचैन जांच संगठन की सेवाओं को नियुक्त किया, जिसमें पाया गया कि फिरौती के रूप में स्थानांतरित किए गए कुल 109.25 बिटक्वाइन में से, 13.25 बिटक्वाइन (उस समय लगभग 120,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य के) को एक अप्राप्य फिएट मुद्रा में परिवर्तित कर दिया गया था। शेष 96 बिटक्वाइन हस्तांतरित किए गए थे। बिटफिनेक्स (ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में पंजीकृत) के रूप में जाने जाने वाले आभासी मुद्रा विनिमय से जुड़े "बटुए" के लिए। बीमा कंपनी ने तब उच्च न्यायालय के समक्ष वी. सी. एक्सचेंज पर मुकदमा दायर किया और सहायक का अनुरोध किया

विनिमय के बटुए में बिटक्वाइन रखने वाले व्यक्तियों की पहचान जानने के लिए प्रकटीकरण आदेश। कंपनी ने स्वामित्व की भी मांग की

निषेधाज्ञा। दिलचस्प बात यह है कि अदालत निजी तौर पर आवेदन पर सुनवाई करने और हैक किए गए बीमाकर्ता की पहचान की रक्षा करने के लिए सहमत हो गई, क्योंकि उन्हें जवाबी नकल के हमलों का डर था। अदालत के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या क्रिप्टोकरेंसी संपत्ति का एक रूप है जो स्वामित्व निषेधाज्ञा का विषय बनने में सक्षम है। औपनिवेशिक बैंक बनाम में फ्राय एल. जे. के बयान का उल्लेख करने के बाद। व्हिन्नी, 59 कि सभी व्यक्तिगत चीजें या तो कब्जे में हैं या कार्रवाई में हैं और कानून दोनों के बीच कोई तीसरी श्रेणी नहीं जानता है और संपत्ति के लिए चार क्लासिक मानदंडों का उल्लेख करने के बाद भी, [अर्थात् वे (i) परिभाषित हैं; (ii) तीसरे पक्ष द्वारा पहचाने जाने योग्य;

((iii) तीसरे पक्ष द्वारा अपनी धारणा की प्रकृति में सक्षम; और (iv) कुछ हद तक स्थायी होने में सक्षम] राष्ट्रीय में लॉर्ड विल्बरफोर्स द्वारा निर्धारित

कार्रवाई में लागू होने में सक्षम अधिकार को मूर्त रूप देना) और न ही कब्जे में चुनना (आभासी और कब्जे में होने में असमर्थ होना)। हालांकि, अदालत ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय प्रांतीय बैंक और लॉ टेक

डिलीवरी में निर्धारित 4 मानदंडों को लागू करके वीसी को अभी भी संपत्ति के रूप में माना जा सकता है। पैनल का कानूनी बयान, हालांकि यह कानून का बयान नहीं था। ब्रायन जे. आश्वस्त थे कि क्रिप्टोकरेंसी की स्वामित्व स्थिति का बयान का विस्तृत कानूनी विश्लेषण "सम्मोहक" था और इसे अदालत द्वारा अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार, अदालत के साथ जो प्रबल था वह लॉ टेक डिलीवरी पैनल के यूके क्षेत्राधिकार द्वारा प्रदान की गई परिभाषा थी।

कार्यबल, जिसे आर. बी. आई. के विपरीत वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिनयह केवल एक उद्योग-संचालित सरकार समर्थित पहल थी।

59 [1885] 30 भारत का सी. एच. डी. इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

6.84 . स्केटेवर्केट बनाम में यूरोपीय न्यायालय का निर्णय। डेविड हेडक्विस्ट, 60, की पहचान के विशेष संदर्भ के साथ था

आभासी मुद्राएँ। इस मामले में ई. सी. जे. को स्वीडन के सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय से एक संदर्भ पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था कि क्या 'बिटक्वाइन' आभासी मुद्रा के लिए एक पारंपरिक मुद्रा का आदान-प्रदान करने के लिए लेनदेन या इसके विपरीत, जिसे श्री हेडक्विस्ट एक कंपनी के माध्यम से करना चाहते थे, मूल्य वर्धित कर के अधीन थे। न्यायालय की राय इस आशय की थी कि:(i) विनिमय लेनदेन के संदर्भ में पारंपरिक मुद्राओं के लिए आदान-प्रदान किए जाने वाले द्विदिशात्मक प्रवाह के साथ बिटक्वाइन को मूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि आभासी मुद्रा का भुगतान के साधन होने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है।

(ii) वी. सी. लेनदेन वस्तुओं की आपूर्ति की अवधारणा के अंतर्गत नहीं आते हैं क्योंकि उनमें भुगतान के विभिन्न साधनों का आदान-प्रदान होता है और इसलिए, वे सेवाओं की आपूर्ति का गठन करते हैं।

(iii) बिटक्वाइन आभासी मुद्रा भुगतान का एक संविदात्मक साधन होने के कारण इसे चालू खाता या जमा खाता नहीं माना जा सकता है।

भुगतान या हस्तांतरण, और ऋण, चेक और अन्य परक्राम्य उपकरणों (ईयू वैट निर्देश के अनुच्छेद 135 (1) (डी) में संदर्भित) के विपरीत, बिटक्वाइन उन ऑपरेटरों के बीच भुगतान का एक सीधा साधन है जो स्वीकार करते हैं।

((iv) बिटक्वाइन आभासी मुद्रा न तो कोई प्रतिभूति है।

सम्पत्ति अधिकार और न ही तुलनीय प्रकृति की प्रतिभूति।(v) जारी किए गए लेन-देन वैट के भुगतान से छूट के हकदार थे क्योंकि वे लेन-देन की श्रेणी में आते थे।

' मुद्रा [और] बैंक नोट और सिक्के कानूनी निविदा के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

(vi) अनुच्छेद 135 (1) (ई) ई. यू. परिषद वैट निर्देश 2006/112/ई. सी. गैर-पारंपरिक मुद्राओं यानी मुद्राओं पर लागू होता है।

उन मुद्राओं के अलावा जो एक या अधिक देशों में कानूनी निविदा हैं जहाँ तक उन मुद्राओं को कानूनी निविदा के विकल्प के रूप में लेनदेन के लिए पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है और उनका कोई उद्देश्य नहीं है।

भुगतान का एक साधन होने के अलावा।

तदनुसार न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आभासी मुद्राएँ गैर-पारंपरिक मुद्राओं की इस परिभाषा के अंतर्गत आएंगी।

6.85 . इस प्रकार (i) मामले में शामिल क़ानून के पाठ के आधार पर और (ii) संदर्भ के आधार पर, विभिन्न न्यायालयों में 60 मामला सी-264/14 दिनांक 22-10-2015 [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्षेत्राधिकारों ने संपत्ति से लेकर वस्तु से लेकर गैर-पारंपरिक तक विभिन्न श्रेणियों से संबंधित आभासी मुद्राओं की पहचान की है।

मुद्रा से भुगतान उपकरण से धन तक। जबकि प्रत्येक

ये विवरण सत्य हैं, इनमें से कोई भी संपूर्ण सत्य नहीं है। प्रत्येक अदालत जिसने आभासी मुद्राओं की पहचान तय करने का प्रयास किया, केवल

जैन धर्म के अनेकांतवाद दर्शन में 4 अंधे पुरुषों के रूप में कार्य किया, 6 1

(गैर-निरंकुशता का सिद्धांत जो सापेक्षवाद और बहुलवाद की स्वीकृति को प्रोत्साहित करता है) जो एक हाथी का वर्णन करने का प्रयास करता है, लेकिन अंत में वर्णन करता है

हाथी की केवल एक शारीरिक विशेषता है।

6.86 . आर. बी. आई. भी इस दुविधा में फंस गया था। इस श्रेणी के तहत वी. सी. को अधिसूचित करके किसी भी चीज़ ने आर. बी. आई. को शॉर्ट सर्किट अपनाने से नहीं रोका।

फेमा की धारा 2 (एच) में इंगित "अन्य समान उपकरणों" का,

1999 जो 'मुद्रा' को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है "सभी मुद्रा नोट, डाक

नोट, डाक आदेश, धन आदेश, चेक, मसौदा, यात्री '

चेक, ऋण पत्र, विनिमय पत्र और वचन पत्र,

क्रेडिट कार्ड या ऐसे अन्य समान साधन जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता हैरिजर्व बैंक "। आखिरकार, वचन पत्र, चेक, विनिमय पत्र आदि भी बिल्कुल मुद्रा नहीं हैं, बल्कि वैध भुगतान (या

केवल 2 व्यक्तियों या समकक्षों के बीच ऋण का निर्माण। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि वीसी हैं

केवल सामान/वस्तुएँ और इन्हें कभी भी वास्तविक धन नहीं माना जा सकता है।

6.87 . एक बार जब हम उपरोक्त भ्रम के बारे में स्पष्ट हो जाते हैं, और एक बार यह स्वीकार हो जाता है कि कुछ संस्थान आभासी मुद्राओं को वैध भुगतान के रूप में स्वीकार करते हैं

वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं हैनिष्कर्ष यह है कि आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ता और व्यापारी एक

ऐसी गतिविधि जो पूरी तरह से रिजर्व बैंक के दायरे में आती है

भारत। एक केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक का वैधानिक दायित्व (i) मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करना, (ii) वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करना है।प्रणाली और (iii) देश की भुगतान प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए

रास्ते पर, उन्हें स्वाभाविक रूप से उन सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए मजबूर करेगा जो

मौद्रिक, मुद्रा, भुगतान के लिए संभावित जोखिमों के रूप में माना जाता है,देश की ऋण और वित्तीय प्रणालियाँ। यदि कोई अमूर्त संपत्ति है

कुछ परिस्थितियों में पैसे के रूप में कार्य कर सकते हैं (यहां तक कि एक नकली के बिना भी) मुद्रा) तब भारतीय रिज़र्व बैंक निश्चित रूप से इस पर ध्यान दे सकता है और इससे निपट सकता है। इसलिए

याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि वे ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जिस पर आर. बी. आई. को वैधानिक रूप से कोई अधिकार नहीं है।

61 इस सिद्धांत के अनुसार, सत्य और वास्तविकता को अलग-अलग दृष्टिकोण से अलग-अलग माना जाता है और कोई भी एक बिंदु पूर्ण सत्य नहीं है।

6.88 . केशवलाल खेमचंद एंड संस प्रा. लि. लिमिटेड वी. भारत संघ, 62 इस अदालत ने बताया कि "भारतीय रिजर्व बैंक एक विशेषज्ञ निकाय है जिसके लिए आर्थिक प्रणाली की निगरानी की जिम्मेदारी है। आर. बी. आई. अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 जैसे विभिन्न अधिनियमों के तहत देश को सौंपा गया है। इसलिए, (i) इन अधिनियमों की वैधानिक योजना के अनुसार (ii) विभिन्न न्यायालयों और विभिन्न क्षेत्राधिकारों के नियामकों ने वीसी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है और (iii) वीसी की विशेषताओं से, यह स्पष्ट है कि उनके पास उन मामलों में हस्तक्षेप करने की क्षमता है जिन्हें प्रतिबंधित करने या विनियमित करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। इसलिए, हमें याचिकाकर्ताओं के पहले तर्क को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि विवादित निर्णय अधिकार से बाहर है।

6.89 . यह तर्क दिया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की प्रस्तावना केवल मुद्रा और ऋण प्रणाली के संचालन में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका के बारे में बताती है देश के लाभ के लिए और यह कि चूंकि आभासी मुद्राएं देश की ऋण प्रणाली का हिस्सा नहीं हो सकती हैं क्योंकि उन्हें मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों का आह्वान इसके बाहर था।

संदर्भ।

6.90 . लेकिन जैसा कि अन्यत्र बताया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 3 के तहत मुद्रा के प्रबंधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एकमात्र अधिकार का भंडार है।एक्ट करें। भारतीय रिज़र्व बैंक को धारा 22 (1) के तहत बैंक नोट जारी करने और भारत सरकार द्वारा उसे आपूर्ति किए गए मुद्रा नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार भी निहित है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्षय को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत दर निर्धारित करने के लिए सशक्त मौद्रिक नीति समिति में भागीदारी द्वारा देश की मौद्रिक नीति को विकसित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए, जो कुछ भी देश की वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा पैदा कर सकता है या उस पर प्रभाव डाल सकता है, उसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित या प्रतिबंधित किया जा सकता है, बावजूद इसके कि उक्त गतिविधि ऋण प्रणाली या भुगतान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। धारा 3 (1) में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "मुद्रा का प्रबंधन" आवश्यक रूप से उस मुद्रा के प्रबंधन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए जिसे कानून में मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त है, बल्कि इसमें वह भी शामिल होगा जो नकली मुद्रा बनाने या मुद्रा की भूमिका निभाने में सक्षम है।

6.91 . यह विडंबना है कि आभासी मुद्राएँ जो चलन में आईं

(इसके निर्माता सतोशी के अनुसार) एक केंद्रीय प्राधिकरण (जैसे कि RBI) के राक्षस को मारने के लिए, उसी केंद्रीय प्राधिकरण से बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच की तलाश करें ताकि अवतार का उद्देश्य पूरा हो सके। जैसा कि हमने कहीं और बताया है, डिजिटल मुद्रा का निर्माण /62 (2015) 4 एससीसी 770 [2020] 2 एस. सी. आर.

बिटक्वाइन मौद्रिक प्रणाली को केंद्रीय प्राधिकरण के गुलाम होने और निजी हितों के लिए प्रतिकूल तरीके से संचालित होने से मुक्त करने के लिए था। इसलिए, अधिकार से बाहर के तर्क को तब स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब लंबे समय तक केंद्रीय प्राधिकरण के किसी भी हस्तक्षेप के बिना बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के प्रावधान को केंद्रीय प्राधिकरण के अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में माना जाता है। इसलिए, हमारा मानना है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इस तरह की किसी गतिविधि को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने की आवश्यक शक्ति है।

प्रकृति।

यदि कुछ भी हो, तो शक्ति केवल विनियमित करने की है, निषेध करने की नहीं।

6.92 . अगला तर्क कि यदि बिल्कुल भी हो, तो आर. बी. आई. को केवल विनियमित करने की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन निषेध करने की नहीं, जैसा कि एक्सप्रेस से देखा गया है

आर. बी. आई. अधिनियम की धारा 45 जे. ए. की भाषा हमें पसंद नहीं आती है। स्टार इंडिया प्रा. लि. लिमिटेड। वी. विभाग. औद्योगिक नीति और संवर्धन और अन्य। , 63 इस न्यायालय ने राय दी कि "विनियमन" शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है जिसमें निषेध करने की शक्ति भी शामिल है। के से निम्नलिखित मार्ग।

रामनाथन बनाम। तमिलनाडु राज्य 64 को स्टार इंडिया (ऊपर) में उद्धृत किया गया था:

19. यह अक्सर कहा गया है कि विनियमित करने की शक्ति में आवश्यक रूप से निषेध करने की शक्ति शामिल नहीं है, और आम तौर पर"विनियमन" शब्द "निषेध" शब्द का पर्याय नहीं है। यह सामान्य अर्थों में और इस अर्थ में सच है कि केवल

विनियमन पूर्ण निषेध के समान नहीं है। साथ ही, विनियमन की शक्ति अपने साथ विनियमन के अधीन चीज़ पर पूरी शक्ति रखती है और प्रतिबंधात्मक शब्दों के अभाव में, शक्ति को पूरे विषय पर पूर्ण माना जाना चाहिए। इसका तात्पर्य शासन करने, निर्देशित करने और नियंत्रित करने की शक्ति से है और इसमें शामिल हैं

पालन किए जाने वाले नियम या मार्गदर्शक सिद्धांत को अपनाना या विनियमित किए जाने वाले विषय के संबंध में नियम बनाना। विनियमित करने की शक्ति का तात्पर्य जाँच करने की शक्ति से है और हो सकता है कुछ परिस्थितियों में निषेध करने की शक्ति को दर्शाता है, जैसा कि

जहाँ सर्वोत्तम या एकमात्र प्रभावी विनियमन में शामिल हैं -

दमन। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि शब्द " "निषेध" को बाहर करने के लिए विनियमन का कोई अपरिवर्तनीय अर्थ नहीं हो सकता है। इसके अर्थ के अलग-अलग रंग हैं और इसका रंग उस संदर्भ से लेना चाहिए जिसमें इसका उपयोग कानून के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, और

न्यायालय को अनिवार्य रूप से उस शरारत को ध्यान में रखना चाहिए जो

विधायिका सुधार करना चाहती है।

63 (2019) 2 एससीसी 104

64 1985 (2) एस. सी. सी. 116 भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

6.93 . यह तर्क कि अतिरिक्त वाणिज्य के रूप में कुछ प्रतिबंधित करने की शक्ति हमेशा एक विधायी नीति होती है और इसलिए

ऐसा एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, आर्थिक क्षेत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपी गई महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान देना छोड़ दिया जाता है। यह सच है कि गोडावत पान मसाला प्रोडक्ट्स आई. पी. लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ, 65 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि क्या किसी अनुच्छेद को अतिरिक्त वाणिज्य के रूप में निषिद्ध किया जाना है, यह विधायी नीति का विषय है और यह विधायिका के एक अधिनियम से उत्पन्न होना चाहिए न कि केवल एक कार्यकारी अधिसूचना से। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम। की स्थिति कर्नाटक, "शराब पर प्रतिबंधों से निपटने के दौरान यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किन वस्तुओं और वस्तुओं को उत्पादित करने, रखने, बेचने और उपभोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए, यह विधायी के निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए और

कार्यकारी ज्ञान।6.94 . किसी भी मामले में, किसी गतिविधि के पूर्ण निषेध के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के विवादित निर्णयों का अनुमान सही नहीं हो सकता है। विवादित परिपत्र वीसी के उपयोग या व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। यह केवल आर. बी. आई. द्वारा विनियमित संस्थाओं को निर्देश देता है कि वे व्यापार में लगे लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान न करें या वी. सी. में व्यापार को सुविधाजनक न बनाएं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (1) (ए) बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ प्रकार के लेनदेन या लेनदेन के वर्ग में प्रवेश करने के खिलाफ बैंकिंग कंपनियों को सावधान करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है। यह प्रतिबंध वी. सी. में व्यापार के खिलाफ नहीं है। इसके खिलाफ है।

लेन-देन के एक वर्ग के संबंध में बैंकिंग कंपनियां। तथ्य यह है कि

आक्षेपित परिपत्र के कारण वी. सी. ई. की कार्यप्रणाली स्वतः ही लकवाग्रस्त या अपंग हो जाती है, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि यह पूर्ण निषेध के समान है। जब तक वी. सी. में व्यापार करने वाले

उन्हें भारत में फिएट मुद्रा में परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं और जब तक वी. सी. ई. बैंकिंग चैनलों के माध्यम से फिएट मुद्रा में अपने सेवा शुल्क या कमीशन एकत्र नहीं करना चाहते हैं, तब तक वे इस परिपत्र से प्रभावित नहीं होंगे। मान लीजिए, पीयर-टू

बैंकिंग चैनल की भागीदारी के बिना सहकर्मी लेनदेन अभी भी हो रहे हैं। वास्तव में, जो लोग वास्तव में फिएट मुद्रा को वी. सी. में या इसके विपरीत बदलने की कोशिश किए बिना वी. सी. खरीद और बेचते हैं, वे इस परिपत्र से प्रभावित नहीं होते हैं। यह केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो व्यापारियों को वीसी खरीदने और बेचने के लिए एक स्थान या माध्यम प्रदान करते हैं, जो परिपत्र से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि व्यापार को सुविधाजनक बनाकर वे जो कमीशन कमाते हैं, उसे फिएट मुद्रा में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। दिलचस्प बात यह है कि याचिकाकर्ता एक ओर तर्क देते हैं कि पूर्ण निषेध है और तर्क देते हैं

65 (2004) 7 एससीसी 68

6 66 (1995) 1 एस. सी. सी. 574 [2020] 2 एस. सी. आर.

दूसरी ओर यह कि परिपत्र वास्तविक व्यापार को कम करने के अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता है, हालांकि यह विनिमय को पंगु बना देता है। यदि इस प्रस्तुति का पहला भाग सही है, तो दूसरा नहीं हो सकता है और यदि दूसरा भाग सही है, तो पहला नहीं हो सकता है।

6.95 . राजस्थान राज्य बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर याचिकाकर्ताओं द्वारा इस संबंध में दी गई निर्भरता। बसंत नाहटा 67 मई

उचित नहीं है। उक्त निर्णय एक चुनौती से उत्पन्न हुआ

राजस्थान राज्य द्वारा राज्य संशोधन के माध्यम से अंत:स्थापित पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 22 ए की संवैधानिक वैधता। उक्त संशोधन द्वारा, राज्य सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी राज्य का पंजीकरण घोषित करने की बेलगाम शक्तियां प्रदान की गई थीं।

सार्वजनिक नीति के विपरीत दस्तावेज़ या दस्तावेज़ों का वर्ग। इस प्रकार प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर एक अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी या पावर ऑफ अटॉर्नी के पंजीकरण को एक निश्चित अवधि से अधिक समय के लिए लागू घोषित किया, जिसमें अटॉर्नी को सार्वजनिक नीति के विपरीत किसी भी अचल संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस अदालत ने पाया कि धारा 22 ए द्वारा बनाया गया प्रतिनिधिमंडल अमान्य और निर्देशित नहीं था।

इसके अलावा, अदालत ने पाया कि अनुबंध में प्रवेश करने में सक्षम दो व्यक्तियों के बीच एक लेनदेन, जो उल्लंघन नहीं करता है

कोई भी कानून, कानून में वैध होगा और जब राजस्थान राज्य ने इस तरह के लेनदेन को अवैध नहीं बनाया है, तो वह इस तरह के लेनदेन को दर्ज करने वाले दस्तावेजों पर हमला नहीं कर सकता है। अदालत ने कहा कि धारा 22 ए एक अधीनस्थ कानून के माध्यम से अधिनियम के दायरे से बाहर आने वाले लेनदेन को नियंत्रित नहीं कर सकती है।

6.96 . लेकिन उक्त निर्णय याचिकाकर्ताओं के लिए कोई सहायता नहीं है,

क्योंकि आर. बी. आई. अधिनियम या बैंकिंग विनियमन अधिनियम के किसी भी प्रावधान को हमारे सामने चुनौती नहीं दी गई है। प्रतिनिधिमण्डल स्वयं हमारे सामने विचाराधीन नहीं है। पंजीकरण अधिनियम के विपरीत, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (1) (ए) भारतीय रिजर्व बैंक को विशेष रूप से लेनदेन को लक्षित करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, देश की अर्थव्यवस्था में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका किसी अन्य प्रतिनिधि की शक्ति के समान नहीं है।

6.97 . यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मूल्य निर्धारण आम तौर पर एक विधायी अधिनियम हो सकता है, इस न्यायालय ने भारत संघ और ए. एन. आर. वी. में इंगित किया। साइनामाइड इंडिया

लिमिटेड। & अनर: 68

67 (2005) 12 एस. सी. सी. 77 68 (1987) 2 एस. सी. सी. 720 इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

" ..... प्रत्यायोजित विधान के प्रसार के साथ, विधान और प्रशासन के बीच की रेखा एक भ्रम में गायब होने की प्रवृत्ति है। प्रशासनिक, अर्ध-न्यायिक निर्णय विधायी गतिविधि में विलय हो जाते हैं और इसके विपरीत, विधायी गतिविधि में कमी आती है और एक

प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक गतिविधि की उपस्थिति। यह कहा गया है कि विधायी और प्रशासनिक कार्यों के बीच एक अलग रेखा खींचने का कोई भी प्रयास 'सिद्धांत रूप में कठिन और व्यवहार में असंभव' है। ..... के बीच अंतर

दोनों को आम तौर पर सामान्य और विशेष 'के बीच एक के रूप में व्यक्त किया गया है। एक विधायी अधिनियम विशेष मामलों के संदर्भ के बिना आचरण के एक सामान्य नियम का निर्माण और उद्घोषणा है; एक प्रशासनिक अधिनियम नीति की आवश्यकताओं के अनुसार एक विशिष्ट निर्देश का निर्माण और जारी करना या किसी विशेष मामले में एक सामान्य नियम का अनुप्रयोग है। विधान विशेष मामलों के संदर्भ के

बिना आचरण के एक सामान्य नियम तैयार करने की प्रक्रिया है औरआम तौर पर भविष्य में काम करना; प्रशासन विशेष कार्य करने की प्रक्रिया है, विशेष आदेश जारी करने या

ऐसे निर्णय लेना जो विशेष रूप से सामान्य नियमों को लागू करते हैं

मामले '। (जोर दिया गया)6.98 . प्रत्यायोजित विधान के प्रभाव और बल पर, यह न्यायालय

सेंट जॉन्स शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाम। क्षेत्रीय निदेशक,

सीटीई: 69

" कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत बनाए गए नियम कानून का समर्थन कर रहे हैं और यदि वैध रूप से बनाए जाते हैं, तो सक्षम विधायिका द्वारा पारित अधिनियम के रूप में बल और प्रभाव रखते हैं। .

उदय सिंह डागर बनाम में भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए थे। भारत संघ, 7 0 जब अदालत ने निर्णय दिया: " ..... विधायी अधिनियम को बनाए गए ई विनियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। एक अधीनस्थ विधान, जैसा कि सर्वविदित है,

जब वैध रूप से तैयार किया जाता है, तो वह अधिनियम का हिस्सा बन जाता है।

6.99 . कानून अच्छी तरह से तय है कि जब RBI शक्तियों का प्रयोग करता है

एक नीति तैयार करने और उसके प्रवर्तन के लिए निर्देश जारी करने दोनों के लिए, इस तरह के निर्देश अधिनियम के पूरक बन जाते हैं। ईयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड v. रिजर्व बैंक

(2003) 3 एस. सी. सी. 321 (2007) 10 एस. सी. सी. 306 [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत का, "1 इस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम में निर्णयों का पालन किया। बाबू राम उपाध्याय 1 2 और डी. के. वी. प्रसाद राव बनाम। सरकार. यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि किसी कानून के तहत बनाए गए नियमों को इस तरह माना जाना चाहिए जैसे कि वे अधिनियम में निहित थे और इसलिए उन्हें उन्हीं सिद्धांतों द्वारा शासित किया जाना चाहिए जैसे कि कानून स्वयं। इस संबंध में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम में निम्नलिखित टिप्पणियों का भी उपयोगी संदर्भ दिया जा सकता है। एपीएस स्टार इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आधिकारिक परिसमापक: 7

74

" 40. जब एक प्रतिनिधि को संसद द्वारा एक अधिनियम बनाने का अधिकार दिया जाता है

नीति बनाना और ऐसे निर्देश जारी करना जिनके पास एक वैधानिक बल हो

और जब प्रतिनिधि (आर. बी. आई.) वैधानिक बल वाले ऐसे दिशानिर्देश (नीति) जारी करता है, तो ऐसे दिशानिर्देशों को बी. आर. अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के पूरक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। द. " बैंकिंग नीति का प्रतिपादन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस तरह की नीति को अधिनियम के अधिकार से बाहर नहीं कहा जा सकता है। (जोर दिया गया)

6.100 . प्रशासनिक कानून पर अपने ग्रंथ में, दुर्गा दास बसु 75

कहते हैं:

न्यायिक समीक्षा का दायरा तब कम हो जाता है जब कोई क़ानून

कानून के उद्देश्यों या किसी अन्य निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे नियम या विनियम या आदेश 'जो उसे आवश्यक प्रतीत हों' या 'समीचीन' बनाएँ। ऐसे मामले में, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अल्ट्रा वायर्स की जांच गायब हो जाती हैचूंकि आवश्यकता या समीचीनता का निर्धारण न्यायालयों के हाथों से ले लिया जाता है और एकमात्र आधार जिस पर न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं, वह यह है कि प्राधिकरण ने दुर्भावनापूर्ण कार्य किया या मामले में कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाया, या वैधानिक आदेश बनाने में एक अप्रासंगिक सिद्धांत लागू किया। (जोर दिया गया)

6.101 . जयंतीलाल अमृत लाल शोधन बनाम। 76 वर्षीय एफ. एन. राणा, बहुमत ने बताया कि इस बात की कोई धारणा नहीं हो सकती है कि विधायी कार्य विशेष रूप से विधायिका द्वारा किए जाते हैं, कार्यकारी कार्य कार्यकारी द्वारा और न्यायिक कार्य केवल न्यायपालिका द्वारा किए जाते हैं। अदालत ने संकेत दिया कि संविधान ने पूर्ण या कठोर विभाजन नहीं किया है

74 (2010) 10 एससीसी 175 च. 4 , पेज।

121 , 6 संस्करण, 2004 76 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 648 इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

राज्य की तीन एजेंसियों के बीच कार्यों का निर्धारण और कभी-कभी विधायी या न्यायिक कार्यों का संचालन कार्यपालिका को सौंपा जाता है। संविधान पीठ द्वारा जयंतीलाल (ऊपर) में की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी इस प्रकार थी:

" ..... इनके अलावा अर्ध-न्यायिक और अर्ध-विधायी

कार्य, कार्यपालिका को कानून द्वारा उन कार्यों का प्रयोग करने का भी अधिकार दिया गया है जो विधायी और न्यायिक चरित्र के हैं और कुछ उदाहरणों में, शक्तियों का प्रयोग किया जाता है।

जो विधायी कार्य के उसी समय भाग लेते प्रतीत होते हैं,

कार्यकारी और न्यायिक विशेषताएँ "।

6.102 . श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड और अन्र बनाम भारत संघ और अन्य, इस अदालत की संविधान पीठ ने कहा कि चाहे किसी आदेश को विधायी या प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक के रूप में चिह्नित किया गया हो या चाहे वह कानून या तथ्य का निर्धारण हो, विशेषज्ञ निकाय का निर्णय।

सौंपी गई शक्ति को आम तौर पर अंतिम माना जाता है और न्यायिक कार्य तब समाप्त हो जाता है जब इसे "रिकॉर्ड में वारंट" और कानून में एक तर्कसंगत आधार पाया जाता है।

6.103 . यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आर. बी. आई. की शक्ति केवल उपचारात्मक ही नहीं बल्कि निवारक भी है। यह इस अदालत द्वारा गणेश बैंक ऑफ कुरुनवाड़ लिमिटेड और अन्य बनाम में स्वीकार किया गया है। भारत संघ और अन्य। , 78 जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक को परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए पूर्व-खाली कार्रवाई करने का अधिकार है।

" ऐसा नहीं है कि जब बैंक पर दबाव होता है तो केवल आर. बी. आई. को ही हस्तक्षेप करना चाहिए या उसे केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब बैंक पर दबाव हो।

बैंक के खिलाफ बड़ी संख्या में अदालती कार्यवाही

चिंतित हैं। आर. बी. आई. को समग्रता को ध्यान में रखना होगा

परिस्थितियाँ और तदनुसार अपनी राय बनानी होती है।

6.104 . विवादित परिपत्र का उद्देश्य बैंकिंग कंपनियों को कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकना है। परिपत्र वास्तव में आर. बी. आई. द्वारा विनियमित संस्थाओं को संबोधित किया जाता है न कि उन लोगों को जो आर. बी. आई. के शुद्ध दायरे में नहीं आते हैं। लेकिन आर. बी. आई. द्वारा अपने द्वारा विनियमित संस्थाओं पर इस तरह की शक्ति के प्रयोग से याचिकाकर्ताओं जैसे कुछ प्रतिष्ठानों को संपार्श्विक नुकसान हुआ है, जो आर. बी. आई. की पहुंच के भीतर नहीं आते हैं।

77 (1990) 3 एससीसी 223 78 (2006) 10 एससीसी 645 [2020] 2 एस. सी. आर.

6.105 . कुछ करने के लिए एक सांविधिक प्राधिकारी की शक्ति का परीक्षण सामान्य रूप से उन व्यक्तियों/संस्थाओं के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिनके शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऐसे मामलों में यह सवाल उठाया जाना चाहिए कि क्या

प्राधिकरण के पास उस कार्य को करने या ऐसा निर्देश जारी करने की शक्ति थी, जिस व्यक्ति को यह संबोधित किया जाता है। जबकि संपार्श्विक क्षति का सामना करने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से कार्रवाई

को चुनौती दे सकते हैं, इस तरह की चुनौती बिजली की उपलब्धता के लिए एक बहुत ही कमजोर चुनौती होगी।

विनियमित करने की शक्ति, याचिकाकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (i) के तहत "भुगतान प्रणाली" अभिव्यक्ति की परिभाषा का उल्लेख करते हैं और तर्क देते हैं कि वी. सी. ई. कोई भुगतान प्रणाली संचालित नहीं करते हैं और चूंकि धारा 18 के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति केवल भुगतान को विनियमित करने के लिए है

प्रणाली, किसी ऐसी चीज के लिए उक्त शक्ति का आह्वान जो भुगतान प्रणाली के दायरे में नहीं आता है, मनमाना है।6.107 . लेकिन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 18 इंगित करती है कि (i) भारतीय रिजर्व बैंक क्या कर सकता है (ii) वे व्यक्ति जो ऐसा कर सकते हैं।

धारा 18 के तहत जिन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, वे हैं (i) प्रणाली प्रदाता (ii) प्रणाली प्रतिभागी और (iii) आम तौर पर कोई अन्य व्यक्ति या ऐसी कोई एजेंसी। "सिस्टम प्रदाता" अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है - धारा 2 (1) (क्यू) का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो एक अधिकृत भुगतान प्रणाली संचालित करता है। "प्रणाली प्रतिभागी" अभिव्यक्ति को धारा 2 (1) (पी) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक बैंक या भुगतान प्रणाली में भाग लेने वाला कोई अन्य व्यक्ति,

6.108 . यह सच है कि जिन उद्देश्यों के लिए धारा 18 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, वे भी धारा 18 में इंगित किए गए हैं। वे हैं।(i) भुगतान प्रणालियों का विनियमन (ii) किसी भी भुगतान प्रणाली के प्रबंधन और संचालन का हित और (iii) सार्वजनिक हित।

6.109 . जैसा कि हमने कहीं और बताया है, विवादित परिपत्र मुख्य रूप से उन बैंकों को संबोधित है जो धारा 2 (1) (पी) के अर्थ के भीतर "प्रणाली प्रतिभागी" हैं। बैंकों के पास निश्चित रूप से एक दाता और एक लाभार्थी के बीच भुगतान की एक प्रणाली है, जो अभिव्यक्ति भुगतान प्रणाली के अर्थ के भीतर आती है।

6.110 . "भुगतान निर्देश" और "भुगतान दायित्व" अभिव्यक्तियों की परिभाषा पर ध्यान देना भी प्रासंगिक हो सकता है।

धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (जी) और (एच) में जो निम्नानुसार है:

2 (1) (छ) "भुगतान निर्देश" का अर्थ है भुगतान को प्रभावी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों सहित किसी भी रूप में कोई साधन, प्राधिकरण या आदेश,

-

((i) किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रणाली प्रतिभागी को; या

((ii) एक प्रणाली प्रतिभागी द्वारा दूसरे प्रणाली प्रतिभागी के लिए;

2 (1) (ज) "भुगतान दायित्व" का अर्थ एक ऋण है जो - धन, प्रतिभूतियों या विदेशी मुद्रा या व्युत्पन्न या अन्य लेनदेन से संबंधित एक या अधिक भुगतान निर्देशों के समाशोधन या निपटान के परिणामस्वरूप एक प्रणाली प्रतिभागी द्वारा दूसरे प्रणाली प्रतिभागी के स्वामित्व में;

6.111 . इसलिए, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की समग्र योजना में, यह कहना असंभव है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास नीतियों को तैयार करने और उन बैंकों को निर्देश जारी करने की शक्ति नहीं है जो प्रणाली भागीदार हैं, उन लेनदेनों के संबंध में जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत आते हैं।

भुगतान दायित्व या भुगतान निर्देश की श्रेणी, यदि भुगतान प्रणाली नहीं है। इसलिए, धारा 18 के इर्द-गिर्द घूमता तर्क विफल होना चाहिए।

II. शक्ति के प्रयोग की विधि:संतुष्टि/मन का अनुप्रयोग/प्रासंगिक और अप्रासंगिक

विचार-विमर्श

6.112 . यह हमें अगले सवाल पर ले जाता है कि क्या शक्ति थी

आर. बी. आई. के पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए (1) के तहत आवश्यक शक्ति है कि उसने जो किया है उसे करने के लिए "संतुष्टि" आवश्यक है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए (1) के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेए और 45एल भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार देती है कि वह कुछ [2020] 2 एस. सी. आर. के अस्तित्व के बारे में "यदि यह संतुष्ट है" निर्देश जारी करें।

मापदंड। संतुष्टि केवल (i) तथ्यों को इकट्ठा करके (ii) उन लोगों से प्रासंगिक सामग्री की छान-बीन करके जो अप्रासंगिक हैं और (iii) प्रासंगिक सामग्री और लिए जाने वाले प्रस्तावित निर्णय के बीच कारण और संबंध के बारे में एक राय बनाकर ही प्राप्त की जा सकती है। इनमें से प्रत्येक के संबंध में

आवश्यकता के अनुसार, विद्वान वकील ने कुछ न्यायिक उदाहरणों पर भरोसा किया।

6.113 . लेकिन हमें नहीं लगता कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम आर. बी. आई. को विवेक का उपयोग न करने का दोषी ठहरा सकते हैं। वास्तव में, आभासी मुद्राओं से कैसे निपटा जाए, यह मुद्दा लंबे समय से बना हुआ है

जून 2013 से भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ, जब वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

नियामक, कानूनी और परिचालन जोखिमों के रूप में आभासी मुद्राओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान दिया गया। जून 2013 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ने आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को आभासी मुद्राओं से जुड़े संभावित वित्तीय, परिचालन, कानूनी और उपभोक्ता संरक्षण और सुरक्षा संबंधी जोखिमों के बारे में आगाह करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसके बाद दिसंबर 2015 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आई जिसमें वीसी के मूल्य में अत्यधिक उतार-चढ़ाव और उनकी गुमनाम प्रकृति के बारे में चिंता जताई गई जो वैश्विक धन शोधन नियमों के खिलाफ थी जिससे उनका अस्तित्व ही बदल गया।

संदिग्ध है। दिसंबर 2016 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भी यह जानकारी दी गई थीडेटा सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के लिए आभासी मुद्राओं से जुड़े जोखिमों पर ध्यान दें। रिपोर्ट में दूर के बारे में भी चिंताएं दर्ज की गईं

मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के संभावित प्रभाव तक पहुँचना। इसलिए, रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि रेगटेक को फिनटेक के साथ सौदा करना चाहिए।

6.114 . बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के चौराहे पर काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित आई. डी. आर. बी. टी. ने जनवरी 2017 में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें डिजिटल मुद्राओं के लाभों के साथ-साथ नुकसान को भी सूचीबद्ध किया गया। इस श्वेत पत्र पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2017 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में ध्यान दिया था। इस बीच, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 01-02-2017 पर एक बार फिर आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को आगाह करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की।

6.115 . वित्तीय स्थिरता की उप-समिति और

विकास परिषद ने अप्रैल 2016 में एक निर्णय लिया, जिसके अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर एक अंतर-नियामक कार्य समूह का गठन किया। इस कार्य समूह ने नवंबर 2017 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 05-12-2017 पर एक तीसरी प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार को 02-04-2018 पर एक मेल भी भेजा, जिसमें गुप्त संपत्तियों को विनियमित करने पर एक नोट संलग्न किया गया था। आर. बी. आई. के लिए निष्पक्ष होने के लिए, इस नोट में भी गुप्त मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें विनियमित करने के फायदे और नुकसान की जांच की गई।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

6.116 . जून 2013 से 02 04-2018 तक की घटनाओं के उपरोक्त सभी क्रम से पता चलता है कि RBI इस मुद्दे पर विचार कर रहा था।

लगभग पाँच साल, बिना चरम कदम उठाए। इसलिए, आर. बी. आई. को शायद ही दिमाग का उपयोग न करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। यदि कोई मुद्दा बार-बार किसी वैधानिक प्राधिकरण के सामने आया था और इस तरह के प्राधिकरण ने उन लोगों को चेतावनी भी जारी की थी जिनके प्रभावित होने की संभावना है, तो यह शायद ही कहा जा सकता है कि कोई दिमाग का उपयोग नहीं था। ए तक पहुँचने के लिए

" बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए (1) और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 जेए और 45 एल के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक को शोध प्रबंध लिखने या निर्णय लिखने की आवश्यकता नहीं थी।

6.117 . वास्तव में, आर. बी. आई. पर प्रासंगिक विचारों पर ध्यान नहीं देने या अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में नहीं रखने का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने केवल उन विचारों को ध्यान में रखा है जिन्हें एफ. ए. टी. एफ., बी. आई. एस. आदि जैसे विभिन्न देशों के बहुराष्ट्रीय निकायों और नियामकों ने ध्यान में रखा है। यह दिनांकित 24-12-2013 की प्रारंभिक प्रेस विज्ञप्ति से भी देखा जा सकता है, जो दिनांकित 06-04-2018 के विवादित परिपत्र से अधिक विस्तृत है। 24-12-2013 दिनांकित प्रेस विज्ञप्ति इस प्रकार है:

आर. बी. आई. ने आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं को जोखिमों के प्रति आगाह किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बिटक्वाइन सहित आभासी मुद्राओं (वी. सी.) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को संभावित वित्तीय, परिचालन, कानूनी, ग्राहक सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी जोखिमों के बारे में आगाह किया है।

खुद को उजागर करना।

रिजर्व बैंक ने उल्लेख किया है कि वह "विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा" या "आभासी मुद्रा" (वीसी) होने का दावा करने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जैसे कि बिटक्वाइन, लाइटक्वाइन, बीबीक्यूकाइन, डॉगक्वाइन आदि, देश में उनके उपयोग या व्यापार और विभिन्न मीडिया से संबंधित घटनाक्रमों को देख रहा है।

इस संबंध में रिपोर्ट।

भुगतान के माध्यम के रूप में बिटक्वाइन सहित वीसी का निर्माण, व्यापार या उपयोग किसी भी केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है। ऐसी गतिविधियों को चलाने के लिए संबंधित संस्थाओं द्वारा कोई नियामक अनुमोदन, पंजीकरण या प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया गया है। इस प्रकार, वे अपने उपयोगकर्ताओं के लिए कई जोखिम पैदा कर सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• डिजिटल रूप में होने वाले वी. सी. डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संग्रहीत किए जाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट कहा जाता है। इसलिए, वे [2020] 2 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हैकिंग, पासवर्ड खोने से होने वाले नुकसान की संभावना,

अभिगम साख, मैलवेयर हमला आदि का समझौता। तब से वे किसी भी अधिकृत द्वारा नहीं बनाए जाते हैं या उनका व्यापार नहीं किया जाता है।

केंद्रीय रजिस्ट्री या एजेंसी, ई-वॉलेट के नुकसान के परिणामस्वरूप उनमें रखे गए वीसी का स्थायी नुकसान हो सकता है।वी. सी. द्वारा भुगतान, जैसे कि बिटक्वाइन, बिना किसी अधिकृत केंद्रीय एजेंसी के, जो इस तरह के भुगतानों को नियंत्रित करती है, सहकर्मी से सहकर्मी के आधार पर किया जाता है। इस तरह, कोई स्थापित नहीं है

ग्राहक की समस्याओं/विवादों के समाधान के लिए ढांचा /

चार्ज बैक आदि।• वीसी के लिए किसी भी संपत्ति का कोई अंतर्निहित या समर्थन नहीं है। इस प्रकार, उनका मूल्य अटकलों का विषय प्रतीत होता है। विशाल।

वीसी के मूल्य में अस्थिरता हाल के दिनों में देखी गई है। इस प्रकार, उपयोगकर्ताओं को खाते में संभावित नुकसान का सामना करना पड़ता है

मूल्य में ऐसी अस्थिरता।

• यह बताया गया है कि वीसी, जैसे कि बिटक्वाइन, का व्यापार विभिन्न क्षेत्राधिकारों में स्थापित विनिमय प्लेटफार्मों पर किया जा रहा है, जिनकी कानूनी स्थिति भी अस्पष्ट है। इसलिए, ऐसे प्लेटफार्मों पर वी. सी. के व्यापारियों को कानूनी के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

वीसी के उपयोग की कई मीडिया रिपोर्टें आई हैं,

कई में अवैध और अवैध गतिविधियों के लिए बिटक्वाइन सहित

अधिकार क्षेत्र। समकक्षों की जानकारी का अभाव

विदेशी मुद्रा और भुगतान प्रणाली कानूनों और विनियमों सहित देश।6.118 . जब एक वैधानिक प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदमों की एक श्रृंखला

लगभग पाँच वर्षों में विस्तार से पता चलता है कि उनकी कार्रवाई की वजह क्या थी, या श्रृंखला के अंतिम आदेशों को अलग-थलग देखना संभव है और यह दर्शाता है कि प्राधिकरण द्वारा प्राप्त संतुष्टि स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित नहीं होती है। किसी भी मामले में, इस अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुसार

8-2019 , भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत के इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. को एक विस्तृत बिंदुवार जवाब दिया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व। इन अभ्यावेदनों में, याचिकाकर्ताओं ने उन सभी विचारों पर प्रकाश डाला है जिन्हें वे प्रासंगिक मानते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04-09-2019 और 18-09-2019 पर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया दी है। इसलिए, यह तर्क कि दिमाग का कोई उपयोग नहीं था और प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखने के लिए छोड़ दिया गया था, बाद के विकास को देखते हुए अपनी शक्ति खो देता है।

कानून/रंगीन अभ्यास में द्वेष

6.119 . आर. बी. आई. द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रश्न के लिए दिनांक 26 04-2017 पर दिए गए उत्तर और उत्तर की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना।

याचिकाकर्ताओं में ऐसे व्यक्ति और कंपनियाँ हैं जो आभासी मुद्रा विनिमय चलाते हैं। यदि उनके अन्य व्यवसाय हैं, तो विवादित परिपत्र अन्य व्यवसायों से संबंधित उनके बैंक खातों को बंद करने का आदेश नहीं देता है। विवादित परिपत्र के पैराग्राफ 2 के तहत निषेध किसी भी व्यक्ति या संस्था को वीसी के साथ व्यवहार करने या निपटान करने में सुविधा प्रदान करने के लिए सेवाओं के प्रावधान के संबंध में है। यह प्रतिबंध नहीं हैयाचिकाकर्ताओं के अन्य उद्यमों के संबंध में उनके खातों को बंद करने या फ्रीज करने तक का विस्तार।

6.121 . आर. बी. आई. के जवाबी हलफनामे में निहित कथन से इस आशय का संकेत लेते हुए कि "वी. सी. इसके दायरे से बाहर हैं।

केंद्रीय प्राधिकरण के नियंत्रण और प्रबंधन के प्रभावी क्षेत्र "और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांकित अपने पत्र में इस प्रभाव के लिए लिए गए रुख का भी उल्लेख करते हुए कि" न तो वीसी और न ही वीसी आधारित सेवाएं प्रदान करने में शामिल व्यवसाय भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक दायरे में आते हैं ", यह [2020] 2 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्री असीम सूद ने तर्क दिया कि विवादित परिपत्र शक्ति का एक रंगीन अभ्यास है और कानून में द्वेष से दूषित है, जितना कि यह उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है जो उस उद्देश्य से पूरी तरह से अलग है जिसके लिए शक्ति सौंपी गई है। पंजाब राज्य और अन्र बनाम गुरदियाल सिंह और अन्य, 79 कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) इलाहाबाद और अन्र बनाम। राजा राम जयसवाल, 80 और कलाभारती विज्ञापन बनाम। इस संबंध में हेमंत विमलनाथ नरीचनिया और ओआरएस 81 पर भरोसा किया जाता है।

6.122 . लेकिन उपरोक्त तर्क पूरी तरह से गलत है। इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि आर. बी. आई. के पास पर्याप्त शक्ति है

जमाकर्ताओं के हित में, बैंकिंग नीति के हित में या बैंकिंग कंपनी के हित में अपनी विनियमित संस्थाओं को निर्देश जारी करना।

या जनहित में। यदि इन उद्देश्यों में से किसी एक को प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शक्ति का प्रयोग संयोग से किसी संस्था की कई गतिविधियों में से एक को संपार्श्विक क्षति पहुंचाता है जो वैधानिक प्राधिकरण के दायरे में नहीं आता है, तो इसे शक्ति के एक रंगीन प्रयोग के रूप में या कानून में द्वेष द्वारा दूषित होने के रूप में नहीं माना जा सकता है। शक्ति के रंगारंग प्रयोग का गठन करने के लिए, कार्य बुरी भावना से किया गया होना चाहिए और शक्ति का प्रयोग विनियमित संस्थाओं या सामान्य रूप से जनता की रक्षा के उद्देश्य से नहीं किया गया होना चाहिए, बल्कि लक्षय बनाने वालों को मारने के उद्देश्य से किया गया होना चाहिए। कानून में द्वेष का गठन करने के लिए, यह कार्य बिना किसी उचित या संभावित कारण के गलत तरीके से और जानबूझकर किया गया होना चाहिए। विवादित परिपत्र उनमें से किसी की श्रेणी में नहीं आता है।

6.123 . यह तर्क कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'जनहित' का आह्वान एक हथियार के रूप में, कथित रूप से उपयोगकर्ताओं, उपभोक्ताओं या व्यापारियों के लाभ के लिए किया गया है

2013 से आर. बी. आई. द्वारा जारी किए जाने से संकेत मिलता है कि आर. बी. आई. नहीं चाहता था कि जनता के सदस्य, जिनमें वी. सी. के उपयोगकर्ता, उपभोक्ता और व्यापारी शामिल हैं, दूर से यह सोचें कि आभासी मुद्राओं को कानूनी निविदा का दर्जा प्राप्त है या वे किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा समर्थित हैं। वीसी वास्तव में क्या करते हैं या नहीं करते हैं, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि वे वास्तविक मुद्राओं के कुछ कार्यों को करने में सक्षम हैं। इसलिए, अगर RBI 79 (1980) 2 एस. सी. सी. 471

80 (1985) 3 एससीसी 1

81 (2010) 9 एस. सी. सी. 437 इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

भोली-भाली जनता को भ्रम में पड़ने से रोकने के लिए कदम उठाता है जैसे कि वीसी एक वैध कानूनी निविदा का गठन कर सकते हैं, इस तरह उठाए गए कदम वास्तव में अच्छे विश्वास में उठाए जाते हैं। दिसंबर 2013 के बाद से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बार-बार चेतावनी देना भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से एक वास्तविक प्रयास का संकेत देता हैजनता के हितों की रक्षा करना। इसलिए, यह तर्क कि विवादित परिपत्र कानून में द्वेष से दूषित है और यह शक्ति का एक रंगीन प्रयोग है, बनाए नहीं रखा जा सकता है।

6.124 . (i) मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम में निर्णय पर भरोसा करना। एसोसिएशन। प्रबंधन अध्ययन और अन्र, 82 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "लोक हित" शब्द को पूरी योजना,

उद्देश्य और अधिनियम के उद्देश्य के आलोक में समझा और व्याख्या की जानी चाहिए (ii) बिहार लोक सेवा आयोग बनाम बिहार लोक सेवा आयोग में निर्णय। सैयद हुसैन अब्बास रिज़वी और अन्र, 83, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "जनहित" शब्द का कोई कठोर अर्थ नहीं है और यह उस क़ानून से अपना रंग लेता है जिसमें यह आता है (iii) उत्कल ठेकेदार और जॉइनरी (पी) लिमिटेड में निर्णय।

ओआरएस वी। उड़ीसा राज्य और अन्य, 84 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी कानून के शब्द उसके कारण से अपना रंग लेते हैं और (iv) महारानी मिल्स बनाम में निर्णय। नगरपालिका समिति, वर्धा, 85 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सामान्य शब्दों और वाक्यांशों को आम तौर पर माना जाना चाहिए

अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य तक सीमित, यह तर्क दिया गया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए (1) (ए) में दिखाई देने वाली 'जनहित' अभिव्यक्ति को एक विस्तृत अर्थ नहीं दिया जा सकता है।

6.125 . लेकिन उक्त तर्क याचिकाकर्ताओं को कहीं नहीं ले जाता है। जैसा कि हमने कहीं और संकेत दिया है, धारा 35ए के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति का प्रयोग चार आकस्मिकताओं के तहत किया जाना है - (i) लोक हित (ii) बैंकिंग नीति का हित (iii) जमाकर्ताओं का हित और (iv) बैंकिंग कंपनी का हित। अभिव्यक्ति "बैंकिंग"

"नीति" को धारा 5 (सीए) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई भी नीति (i) बैंकिंग प्रणाली के हित में (ii) मौद्रिक स्थिरता के हित में और (iii) मजबूत आर्थिक विकास। जनहितइन तीनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। यही कारण है कि धारा 35ए (1) (ए) को विवादित परिपत्र में लागू किया गया है। इसलिए हम इस तर्क को खारिज करते हैं।

कि विवादित निर्णय शक्ति का एक रंगीन प्रयोग है और यह कानून में द्वेष से दूषित है।

82 (2009) 6 एससीसी 171 83 (2012) 13 एससीसी 61 84 (1987) 3 एससीसी 279 85 (1958) एससीआर 1102 [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. एस. गिल रीजनिंग

किसी आदेश की वैधता की जांच करने के लिए देखा गया। पी. आर. पी. निर्यात और अन्य बनाम में इसका अनुसरण किया गया। मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार और 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में। & ओआरएस वी। भारत संघ और अन्य, 89 इस अदालत ने स्पष्ट किया कि हालांकि कोई व्यापक प्रस्ताव

नहीं है कि एमएस गिल परीक्षण लागू नहीं होगा जहां व्यापक सार्वजनिक हित शामिल है, बाद की सामग्री जो तथ्यों के रूप में विचाराधीन आदेश पारित होने के बाद हुई है, हमेशा एक प्रशासनिक आदेश का समर्थन करने के लिए व्यापक सार्वजनिक हित में देखी जा सकती है। इस मामले में एम. एस. गिल के हथियार के धुँधले होने का दूसरा कारण यह है कि इस मामले के लंबित रहने के दौरान इस अदालत ने 21-08-2019 पर अंतरिम आदेश पारित किया। आर. बी. आई. को रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए विस्तृत अभ्यावेदन का बिंदुवार जवाब देने का निर्देश देना। उक्त आदेश के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने 04-09-2019 और 18-09-2019 पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी। इसलिए, एम. एस. गिल परीक्षण पर आधारित तर्क अपनी शक्ति खो चुका है।

अंशांकन/आनुपातिकता

6.127 . अगला तर्क यह है कि विवादित उपाय चरम है और यह आनुपातिकता की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा। के उद्देश्य के लिए हम इस तर्क को प्रतिबंध की तर्कसंगतता से निपटने के दौरान अनुच्छेद 19 (1) (जी) के इर्द-गिर्द घूमने वाले तर्क के साथ उठाएंगे।

III. अन्य हितधारकों का प्रतीक्षा करें और देखें दृष्टिकोण

6.128 . यह तर्क कि प्रवर्तन निदेशालय जैसे अन्य हितधारक जो धन शोधन से संबंधित हैं,

राज्य की आर्थिक नीतियों से संबंधित आर्थिक कार्य विभाग, सुरक्षा अनुबंधों से संबंधित एस. ई. बी. आई. और वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित कर व्यवस्था से संबंधित सी. बी. डी. टी. को कोई गंभीर खतरा नहीं दिखाई दिया और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया घुटने टेकने वाली है, जो स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय कर सकता है

86 एम एस गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त (1978) 1 एस. सी. सी. 405 87 (2010) 6 एस. सी. सी. 61488 (2014) 13 एस. सी. सी. 692

89 (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 624 इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

केवल तभी कदम उठाया जाता है जब वास्तविक धन शोधन होता है, क्योंकि धन शोधन निवारण अधिनियम की वैधानिक योजना एक ऐसी प्रक्रिया से संबंधित है जो अर्ध-आपराधिक है। एस. ई. बी. आई. तभी कदम उठा सकता है जब लेन-देन में प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एच) के अर्थ के भीतर प्रतिभूतियां शामिल हों। सीबीडीटी तभी सामने आएगा जब कर योग्य वस्तुओं/वस्तुओं की बिक्री और खरीद से संबंधित लेन-देन होगा। इन हितधारकों में से प्रत्येक के पास प्रदर्शन करने के लिए एक अलग कार्य है और वे उस चश्मे के आधार पर एक दृष्टिकोण रखने के हकदार हैं

जिसके माध्यम से वे इस मुद्दे को देखने के लिए बाध्य हैं। इसलिए, उसी दृष्टिकोण को नहीं अपनाने के लिए आर. बी. आई. को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

दूसरों से।

IV. अन्य देशों का प्रकाश-स्पर्श दृष्टिकोण

6.129 . यह तर्क कि चीन, वियतनाम, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात जैसे बहुत कम देशों को छोड़कर अधिकांश देशों ने प्रतिबंध (कुल या आंशिक) नहीं लगाया है, याचिकाकर्ताओं को कहीं भी नहीं ले जा सकता है। उन देशों की सूची जहां हाथ पर प्रतिबंध के समान प्रतिबंध लगाया गया है और बहुत कुछ एक समानता का खुलासा करता है। भारत के पड़ोस के लगभग सभी देशों ने एक ही या इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है (संक्षेप में भारत में घेराबंदी की गई है)। किसी भी मामले में, हमारे न्यायिक निर्णय को अन्य देशों ने जो किया है या नहीं किया है, उससे रंग नहीं दिया जा सकता है। तुलनात्मक परिप्रेक्षय केवल न्यायिक निर्णय लेने के सिद्धांतों के संबंध में मदद करता है न कि मौजूदा वैधानिक योजना के आधार पर की गई कार्रवाई की वैधता का परीक्षण करने के लिए।

6.130 . अपनाए गए दृष्टिकोण की तुलना भी नहीं की जा सकती है।

ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि जैसे देशों द्वारा, क्योंकि उनके पास अधिक से अधिक झटकों को अवशोषित करने में सक्षम विकसित अर्थव्यवस्थाएँ हैं। भारतीय आर्थिक स्थितियों को बराबरी पर नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, हम अन्य देशों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए उपायों की शुद्धता का परीक्षण नहीं करेंगे, हालांकि हमने इसमें शामिल मुद्दों की जटिलताओं की बेहतर समझ के लिए एक सर्वेक्षण किया है कि अन्य देशों के नियामकों और अदालतों ने वीसी के साथ कैसा व्यवहार किया है।

V. याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए एहतियाती कदम

6.131 . याचिकाकर्ताओं का अगला तर्क यह है कि उनके द्वारा संचालित वीसी एक्सचेंज ने पहले से ही कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू कर दिया है जैसे (i) नकद लेनदेन से बचना (ii) केवाईसी मानदंडों में वृद्धि और (iii) केवल भारत के भीतर व्यक्तियों के लिए अपनी सेवाओं को सीमित करना।

यह तर्क दिया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को पहले ही हल कर लिया गया है और इसलिए, नियमित बैंकिंग चैनलों से व्यापार को अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन तथ्य यह है कि बढ़े हुए केवाईसी मानदंड ग्राहक की गुमनामी को हटा सकते हैं, लेकिन

वी. सी. का नहीं। यहां तक कि यूरोपीय संसद ने भी अपनी रिपोर्ट के उस हिस्से में, जिस पर श्री असीम सूद ने भरोसा किया था, स्वीकार किया है कि उपयोगकर्ताओं के अनिवार्य पंजीकरण की पर्याप्तता (कम आक्रामक उपाय के रूप में), चाहे वह पूरी तरह से गुमनाम हो या छद्म गुमनाम हो।

इसमें, कम से कम जब पूरी तरह से अनाम वीसी का संबंध हो। किसी भी मामले में, हम यह कहने के लिए विशेषज्ञ नहीं हैं कि क्या सुरक्षा वाल्व लगाए जा सकते हैं।आर. बी. आई. द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान किया है।

VI. विभिन्न प्रकार के वी. सी. को विभिन्न उपचारों की आवश्यकता होती है।

6.132 . जुलाई 2018 में जारी 'क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन' शीर्षक के तहत यूरोपीय संसद की एक रिपोर्ट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री असीम सूद ने तर्क दिया है कि सभी आभासी मुद्राएं पूरी तरह से गुमनाम नहीं हैं। जबकि डैश और मोनेरो जैसे कुछ पूरी तरह से गुमनाम हैं, अन्य जैसे कि बिटक्वाइन छद्म-गुमनाम हैं। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि केवल पूरी तरह से गुमनाम वीसी में लेनदेन पर प्रतिबंध लगाना एक बेहतर और कम घुसपैठ वाला उपाय हो सकता था। "आभासी मुद्रा योजनाओं" पर यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अक्टूबर 2012 की एक रिपोर्ट के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के लिए श्री नकुल दीवान विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा एक समान तर्क दिया गया है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, आभासी मुद्रा योजनाओं को पारंपरिक वास्तविक धन और वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ उनकी बातचीत के आधार पर तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे हैं (i) मूल रूप से एक ऑनलाइन खेल में उपयोग की जाने वाली बंद आभासी मुद्रा योजनाएं (ii) एक दिशात्मक प्रवाह (आमतौर पर एक प्रवाह) वाली आभासी मुद्रा योजनाएं।

आभासी मुद्रा खरीदने के लिए रूपांतरण दर जो कर सकती हैबाद में इसका उपयोग आभासी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किया जाता है, लेकिन असाधारण रूप से वास्तविक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए भी और (iii) द्विदिश प्रवाह वाली आभासी मुद्रा योजनाएं, जहां वे किसी भी अन्य परिवर्तनीय की तरह काम करती हैं।

दो विनिमय दरों (खरीद और बिक्री) के साथ मुद्रा जिसका उपयोग बाद में आभासी वस्तुओं और सेवाओं के साथ-साथ वास्तविक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किया जा सकता है।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

6.133 . आइए पहले श्री नकुल दीवान के समर्पण के बारे में बात करते हैं। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की उसी अक्टूबर 2012 की रिपोर्ट में,यह स्वीकार किया जाता है कि आभासी मुद्राएँ (i) मुद्रा से मिलती-जुलती हैं और (ii) अनिवार्य रूप से अपनी समर्पित खुदरा भुगतान प्रणालियों के साथ आती हैं।

"आभासी मुद्रा योजना" शब्द द्वारा कवर की जाने वाली रिपोर्ट में इन दो पहलुओं का संकेत दिया गया है।

6.134 . लेकिन जिस पूरे आधार पर याचिकाकर्ताओं ने अपना मामला विकसित किया है, वह यह है कि वे न तो धन हैं और न ही भुगतान प्रणाली का गठन करते हैं। इसलिए, यदि यूरोपीय केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट

इसे स्वीकार किया जाना है, इसे कुल मिलाकर स्वीकार किया जाना चाहिए और इसे चुनिंदा रूप से नहीं लिया जा सकता है।

6.135 . यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अक्टूबर 2012 की रिपोर्ट में दिए गए उदाहरणों से पता चलता है कि उनके द्वारा स्थापित वी. सी. योजनाएं हैं।

निन्टेन्डो जैसी संस्थाएं, जिनमें उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके या खुदरा दुकानों में निन्टेन्डो अंक कार्ड खरीदकर ऑनलाइन अंक खरीद सकते हैं, जिसे वास्तविक धन में वापस परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट भीयह दर्शाता है कि लिंडेन डॉलर नाम का एक वी. सी. "सेकंड लाइफ" नामक आभासी दुनिया में जारी किया जाता है, जहाँ उपयोगकर्ता अवतार (डिजिटल वर्ण) बनाते हैं, जिन्हें अनुकूलित किया जा सकता है। सेकंड लाइफ की अपनी अर्थव्यवस्था है जहाँ उपयोगकर्ता

एक-दूसरे से सामान और सेवाएं खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन उन्हें पहले फिएट मुद्रा का उपयोग करके लिंडेन डॉलर खरीदने की आवश्यकता है। बाद में वे फिएट मुद्रा के बदले में लिंडेन डॉलर भी बेच सकते हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक ही आभासी मुद्रा में एक दिशात्मक या जिस योजना के साथ इकाइयाँ आती हैं, उसके आधार पर द्विदिश प्रवाह। इसके अलावा, यह सवाल कि क्या अकेले गुमनाम वीसी को छद्म-गुमनाम छोड़ कर प्रतिबंधित किया जा सकता था, विशेषज्ञों के लिए है और नहीं।

इस न्यायालय के निर्णय के लिए। किसी भी मामले में, आर. बी. आई. का रुख यह है कि उन्होंने वी. सी. पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसलिए, यह सवाल नहीं उठता कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक को विभिन्न वीसी के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था।

VII. डी. एल. टी. की स्वीकृति और वी. सी. की अस्वीकृति एक विरोधाभास है

6.137 . उपरोक्त विवाद, कानूनी रूप से, विवादित निर्णय की अतार्किकता के बारे में है। लेकिन इसमें कुछ भी तर्कहीन नहीं है तकनीकी प्रगति/नवाचार की स्वीकृति, लेकिन अस्वीकृति [2020] 2 एस. सी. आर.

इस तरह के नवाचार का एक उप-उत्पाद। "इसे ले लो या छोड़ दो" विकल्प जैसा कुछ नहीं है।

VIII. आर. बी. आई. के निर्णय न्यायिक सम्मान के योग्य नहीं हैं।

6.138 . याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री असीम सूद द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विवादित परिपत्र को न तो कानून का दर्जा प्राप्त है और न ही कार्यकारी कार्रवाई का दर्जा प्राप्त है, बल्कि यह केवल एक सांविधिक निकाय कॉर्पोरेट को क़ानून द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग है।

इसलिए, यह उनका तर्क है कि सम्मान का न्यायिक नियम जैसा कि आर. के. गर्ग बनाम में व्यक्त किया गया है। भारतीय संघ, "बाल्को कर्मचारी"

संघ (विनियमित) v. यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस, 91 1 और स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और अन्य, 92 '2 भारतीय रिज़र्व बैंक जैसे सांविधिक निकाय द्वारा लिए गए निर्णय पर लागू नहीं होगा। यदि आर्थिक मामलों से संबंधित किसी कानून को उच्चतम स्तर पर रखा जाता है, तो समान मामलों के संबंध में एक कार्यकारी निर्णय केवल निचले स्तर पर रखा जाएगा और एक वैधानिक निकाय द्वारा लिया गया निर्णय इस तरह के किसी भी सम्मान या सम्मान का हकदार भी नहीं हो सकता है।

6.139 . लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की योजना को देखते हुए, उपरोक्त तर्क केवल

भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका। आर. बी. आई. विधायिका के एक अधिनियम द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य वैधानिक निकाय की तरह नहीं है। यह एक प्राणी है, जिसे अपने निर्माता से भी मुक्त होने के जनादेश के साथ बनाया गया है। यही कारण है कि इसे एक अधिदेश दिया गया है-(i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की प्रस्तावना के तहत, देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को उसके लाभ के लिए संचालित करने और मौद्रिक नीति को संचालित करने के लिए।

इसके माध्यम से, केंद्र सरकार के बहिष्कार के लिए। इसलिए, आर. बी. आई. को किसी अन्य वैधानिक निकाय के बराबर नहीं माना जा सकता है जो केवल अपनी सेवा प्रदान करता है।9 0 (1981) 4 एस. सी. सी. 675

91 (2002) 2 एस. सी. सी. 333

92 (2019) 4 एस. सी. सी. 17 भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

मास्टर। यह विशेष रूप से केंद्र सरकार को भी बाहर रखने के लिए कुछ चीजें करने के लिए सशक्त है। इसलिए, अपने निर्णयों को एक कार्यकारी निर्णय से भी नीचे रखने से अधिनियम की योजना के लिए हिंसा होगी।

6.140 . न्यायिक "साइलेंट मोड" या "हैंड्स ऑफ मोड", आर्थिक कानून पर स्विच करने के प्राथमिक प्रश्न पर, यह आवश्यक नहीं है।

इस न्यायालय के सभी निर्णयों को सूचीबद्ध करने के लिए जैसे कि गुजरात राज्य और ए. एन. आर. v. श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड और ए. एन. आर., 93 G.K.Krishnan वी. तमिलनाडु, 94 आर. के. गर्ग बनाम। भारत संघ (उपर्युक्त), एम. पी. राज्य बनाम नंदलाल जयस्वाल, रात 9 बजे। अश्वथनारायण सेट्टी बनाम। कर्नाटक राज्य, "पीयरलेस"

जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय रिजर्व बैंक (ऊपर), टी. वेलायुधन बनाम। भारत संघ, "दिल्ली विज्ञान मंच बनाम। भारत संघ, 9 8 भावेश डी. पैरिश बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया, "उगार शुगर वर्क्स लिमिटेड। वी. दिल्ली प्रशासन और अन्य, 100 बाल्को कर्मचारी संघ (विनियमित) v. भारत संघ (ऊपर), सरकार। आंध्र प्रदेश और अन्य बनाम। पी. लक्ष्मी देवी, 101 विलियनूर इयर्कई पडुकप्पु मैयम बनाम।

भारत संघ, 02 डी. जी. विदेशी व्यापार बनाम। कनक एक्सपोर्ट्स, 103 जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम। त्रिकुटा रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि. लिमिटेड, 104 और पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. भारत संघ, 05 लोच्नर युग से सम्मान के सिद्धांत के पूरे इतिहास के रूप में इस अदालत द्वारा स्विस रिबन्स प्राइवेट में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। लिमिटेड वी. भारत संघ (ऊपर)। वास्तव में, यहां तक कि याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील भी भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ सहमत हैं जो आर्थिक नियमों के लिए आवश्यक हैं। न्यायिक सम्मान। याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का वास्तविक तर्क यह है कि इस तरह का सम्मान एक वैधानिक प्राधिकरण के निर्णय के संबंध में बहुत कमजोर होने से लेकर विधायी अधिनियम के संबंध में बहुत मजबूत होने तक भिन्न हो सकता है।

96 (1989) एस. सी. सी. 696 97 (1993) 2 एस. सी. सी. 582 98 (1996) 2 एससीसी 405 99 (2000) 5 एससीसी 471 100 (2001) 3 एससीसी 635 101 (2008) 4 एससीसी 720 102 (2009) 7 एससीसी 561 103 (2016) 2 एससीसी 226 104 (2018) 11 एससीसी 260 105 (2019) 8 एससीसी 416 [2020] 2 एस. सी. आर.

6.141 . लेकिन जैसा कि हमने ऊपर बताया है, आर. बी. आई. केवल एक नहीं है।

अन्य वैधानिक प्राधिकरण। यह एक ऐसी धारा की तरह नहीं है जो स्रोत से बड़ी न हो। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 एक पूर्व-संवैधानिक विधान है, जो संविधान के अनुच्छेद 372 (1) के आधार पर अस्तित्व में रहा। अन्य वैधानिक जीवों और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच अंतर यह है कि वैधानिक जीव जो

कर सकते हैं, वह कार्यपालिका द्वारा भी किया जा सकता है। अन्य कानूनों में प्रतिनिधि को दी गई शक्ति के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, संशोधन किया जा सकता है या वापस भी लिया जा सकता है। लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 (1) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को मुद्रा के प्रबंधन को संभालने की शक्ति प्रदान की गई।

केंद्र सरकार को हटाया नहीं जा सकता है। जारी करने का एकमात्र अधिकार

राष्ट्रपति। यद्यपि राष्ट्रपति फेडरल रिजर्व के सात सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नियुक्ति करते हैं, सीनेट के परामर्श से, उनमें से प्रत्येक को चौदह साल के निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। केवल एक। उनमें से सात को चार साल की अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। 14 साल के निश्चित कार्यकाल के परिणामस्वरूप, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी सदस्य तीन से अधिक सरकारों में रहते हैं। यहां तक कि फ्रैंकफर्ट में मुख्यालय वाले यूरोपीय केंद्रीय बैंक में भी एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चार सदस्य हैं, जिन्हें यूरोपीय संसद के परामर्श से आठ साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। विश्व-व्यापी, केंद्रीय

प्राधिकरणों/बैंकों को एक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (4) पांच साल से अधिक का कार्यकाल नहीं देती है, क्योंकिकेंद्र सरकार नियुक्ति के समय तय कर सकती है। हालांकि कम कार्यकाल और कार्यकाल तय करने के लिए केंद्र सरकार को विकल्प दिया गया था,

कुछ हद तक, पद के अधिकारियों की पूरी तरह से स्वतंत्र होने की क्षमता को कम करता है, फिर भी वैधानिक योजना संस्थान को इस तरह की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसलिए, हम इस तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय का कोई औचित्य नहीं है।

सम्मान करते हैं।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

IX. अनुच्छेद 19 (1) (छ) चुनौती और आनुपातिकता

6.142 . हमले का अगला आधार अनुच्छेद 19 (1) (जी) के आधार पर है। अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध होना चाहिए।

अनुच्छेद 19 (6) के संदर्भ में तर्कसंगतता की परीक्षा उत्तीर्ण करना। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि बैंकिंग तक पहुंच किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था में ऑक्सीजन की आपूर्ति के बराबर है, इसलिए कानून द्वारा निषिद्ध व्यापार करने वालों को इस तरह की पहुंच से इनकार करना एक उचित प्रतिबंध नहीं है और यह भी बेहद असमान है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि बैंकिंग प्रणाली तक पहुँच का अधिकार वास्तव में किसी भी व्यापार या पेशे को जारी रखने के अधिकार का अभिन्न अंग है और इसलिए एक कानून, अधीनस्थ या अन्यथा जिसका प्रभाव या प्रभाव किसी व्यापार या व्यवसाय को

जारी रखने के अधिकार को गंभीर रूप से बाधित करता है, जो कानून द्वारा निषिद्ध नहीं है, अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन होगा। रिलायंस को इस संबंध में (i) मोहम्मद में इस अदालत के फैसलों पर रखा गया है। यासीन वी. नगर क्षेत्र समिति, 1 जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत अधिकार तब प्रभावित होता है जब "प्रभावी और सार रूप में", आक्षेपित उपायों ने व्यावसायिक अर्थों और व्यावहारिक दृष्टिकोण दोनों से व्यवसाय को पूरी तरह से रोक दिया, भले ही रूप में कोई निषेध नहीं था और (ii) बेनेट कोलमैन एंड कंपनी v. भारत संघ, जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उपाय का उद्देश्य नहीं बल्कि प्रभाव यह निर्धारित करेगा कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है या नहीं। यह आगे तर्क दिया जाता है, एम. डी. में निर्णय के बल पर। फारुक वी. मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, 3 कि किसी मौलिक अधिकार के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना नियंत्रण या निषेध के रूप में हो सकता है और जब

मौलिक अधिकार का प्रयोग निषिद्ध है, यह साबित करने का बोझ कि केवल अधिकार के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध सामान्य जनहित का रखरखाव सुनिश्चित कर सकता है, राज्य पर बहुत अधिक निर्भर करता है। उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक कानून जो सीधे गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन करता है

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत केवल तभी बरकरार रखा जा सकता है जब यह स्थापित हो जाए कि यह आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध लगाना चाहता है और कम कठोर प्रतिबंध आम जनता के हित को सुनिश्चित नहीं करेगा।

6.143 . एम. डी. में निर्धारित मापदंड। फारुक हैं।

अक्षम्य। किसी व्यवसाय या पेशे के संचालन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून की वैधता का परीक्षण करते समय, न्यायालय को, 106 (1952) एससीआर 572 107 (1972) 2 एससीसी 788 108 (1969) 1 एससीसी 853 [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. डी. में तैयार किया गया। फारुख ने (i) इससे प्रभावित नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर इसके प्रत्यक्ष और तत्काल प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास किया (ii) प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के आलोक में व्यापक सार्वजनिक हित सुनिश्चित करने की मांग की गई (iii) नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता (iv) निषिद्ध अधिनियम की अंतर्निहित हानिकारक प्रकृति या आम जनता के लिए हानिकारक होने की इसकी क्षमता या प्रवृत्ति और (v) कम कठोर संयम लागू करके उसी उद्देश्य को प्राप्त करने की संभावना।

6.144 . इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि बैंकिंग चैनल किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे की जीवन रेखा प्रदान करते हैं। यह विशेष रूप से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 एसएस और 269 टी में निहित नकद लेनदेन पर प्रतिबंधों के आलोक में है। जब सदियों से मुद्रा में बदलाव आया है, पत्थर से लेकर धातु तक, कागज से लेकर कागज तक और हमने डिजिटल युग की शुरुआत की है, तो नकदी रहित लेनदेन (बिना पैसे के लेनदेन नहीं) के लिए बैंकिंग चैनलों की आवश्यकता होती है। इसलिए, जिस क्षण कोई व्यक्ति बैंक खाता चलाने की सुविधा से वंचित हो जाता है, उसी क्षण उसके व्यापार या व्यवसाय की जीवन रेखा होती है

कट जाता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार या व्यवसाय स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। इसलिए, यह दिखाने का बोझ कि व्यापक सार्वजनिक हित में प्रतिबंध की सीमा से लगे इतने गंभीर प्रतिबंध की आवश्यकता है, भारतीय रिज़र्व बैंक पर बहुत अधिक है। 6.145 . 2018 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 528 में दायर जवाबी-हलफनामे में, आर. बी. आई. ने इस संबंध में 2 बुनियादी आपत्तियां उठाई हैं। पहली बात यह है कि

कॉर्पोरेट निकाय/संस्थाएं जो चुनौती के साथ आई हैं, वे 'नागरिक' नहीं हैं और इसलिए, अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत चुनौती बनाए रखने के हकदार नहीं हैं। यह आपत्ति इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर रिट याचिका के संबंध में अच्छी हो सकती है, जिसे उनके द्वारा व्यापार में शामिल कॉर्पोरेट संस्थाओं के गैर-लाभकारी संघ के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन यह आपत्ति अन्य रिट याचिकाओं के संबंध में अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि वीसी एक्सचेंज चलाने वाली कंपनियां अकेले सामने नहीं आई हैं। शेयरधारक और प्रवर्तक उन संस्थाओं के साथ दूसरी रिट याचिका लेकर आए हैं और इसलिए अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत चुनौती को बनाए रखने योग्य नहीं कहा जा सकता है। 6.146 . आर. बी. आई. की दूसरी आपत्ति यह है कि वी. सी. में खरीद, बिक्री, लेन-देन और/या निवेश करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और इसलिए याचिकाकर्ता अनुच्छेद 19 (1) (जी) का आह्वान नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस तर्क को दो कारणों से पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है, अर्थात् (i) कम से कम कुछ याचिकाकर्ता वीसी में खरीद, बिक्री या लेनदेन के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मंच प्रदान करने के अधिकार का दावा कर रहे हैं (उन व्यक्तियों/संस्थाओं के बीच वीसी में व्यापार जो भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन खरीदना और बेचना चाहते हैं।

संचार और समिति की रिपोर्ट जो उसी से पहले थी, वी. सी. में व्यापार है। वी. सी. में व्यापार पर प्रहार करने का उद्देश्य (i) उपभोक्ता संरक्षण (ii) धन शोधन कानूनों के उल्लंघन की रोकथाम सुनिश्चित करना है। (iii) आतंकवाद के वित्तपोषण के खतरे पर अंकुश लगाना और (iv) मौजूदा मौद्रिक/भुगतान/ऋण प्रणाली को प्रदूषित होने से बचाना। लेकिन लक्षय को सीधे मारना, भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और इसलिए

विवादित परिपत्र कथित तौर पर केवल विनियमित संस्थाओं की रक्षा करने का प्रयास करता है, उन्हें घेर कर। इस प्रक्रिया में, इसने वी. सी. एक्सचेंजों को प्रभावित किया है न कि वी. सी. के वास्तविक व्यापार को, हालांकि इसके परिणामस्वरूप,

वी. सी. में लेनदेन (शायद अकेले वी. सी. ई. के माध्यम से) में कमी आई है। जो लोग वी. सी. खरीदना और बेचना चाहते हैं, वे अभी भी वी. सी. एक्सचेंज के माध्यम का उपयोग किए बिना और बिना खरीदने की इच्छा के ऐसा कर सकते हैं। आभासी मुद्राओं को फिएट मुद्रा में परिवर्तित करें। यह इस संदर्भ में है कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) के इर्द-गिर्द घूमने वाले विवाद की जांच की जानी चाहिए।

6.147 . अनुच्छेद 19 (1) (जी) की कसौटी पर आक्षेपित कार्रवाई की वैधता का परीक्षण करने के लिए, हमें यह समझना होगा कि

दो व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा और उनके बीच की मुद्राएँ और (ii) ऑनलाइन विनिमय का व्यवसाय जो कुछ सेवाएं प्रदान करता है जैसे कि आभासी मुद्राओं को खरीदने और बेचने की सुविधा, आभासी मुद्राओं का भंडारण या सुरक्षा जिसे बटुए के रूप में जाना जाता है और आभासी मुद्राओं का रूपांतरण। आभासी मुद्राओं को फिएट मुद्रा में और इसके विपरीत। वी. सी. एक्सचेंज के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी की खरीद और बिक्री शौक के रूप में या व्यापार/व्यवसाय के रूप में हो सकती है। इन दोनों के बीच अंतर यह है कि पहले वाले में लाभ का उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी, जबकि बाद वाले में ऐसा ही होगा।

6.148 . वे व्यक्ति जो आभासी मुद्राओं को खरीदने और बेचने में संलग्न हैं, केवल एक शौक के रूप में अनुच्छेद 19 (1) (जी) पर अपना दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल पेशा, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय शामिल है। इसलिए शौकीनों, जो नागरिकों की तीन श्रेणियों (शौकीनों, वीसी और वीसी एक्सचेंजों में व्यापारियों) में से एक हैं, अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत चुनौती से तुरंत बाहर हो जाते हैं।

6.149 . नागरिकों की दूसरी और तीसरी श्रेणियाँ, अर्थात् वे जिन्होंने वी. सी. की खरीद और बिक्री को अपना व्यवसाय बनाया है या [2020] 2 एस. सी. आर.

निश्चित रूप से अनुच्छेद 19 (1) (जी) के आधार पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। तकनीकी रूप से, नागरिकों की दूसरी श्रेणी यह दावा नहीं कर सकती है कि भारतीय रिजर्व बैंक के विवादित फैसले से उनका व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया हैया पेशा। जिन नागरिकों ने आभासी मुद्राओं को खरीदने और बेचने का व्यापार किया है, उन्हें विवादित परिपत्र (i) द्वारा भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

तारामणि, चेन्नई में मेस आभासी मुद्राओं में भुगतान स्वीकार कर रहे थे (मुंबई और चेन्नई के भोजनालय अब बंद हो गए हैं और बैंगलोर में एक ने स्वीकार करना बंद कर दिया है) और (ii) कुछ मध्यस्थ हैं जो उपहार कार्ड के लिए बिटक्वाइन में भुगतान स्वीकार करते हैं जो बदले में लोकप्रिय साइटों से ऑनलाइन

खरीदारी की सुविधा प्रदान करते हैं। 6.150 . ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आभासी मुद्राओं को शब्द के वास्तविक अर्थ में कहीं भी संग्रहीत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे किसी भी भौतिक आकार या रूप में मौजूद नहीं हैं। वास्तव में जो संग्रहीत किया जाता है वह निजी कुंजी है, जिसका उपयोग सार्वजनिक पते और लेनदेन हस्ताक्षर तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है।

6.151 . जिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में आभासी मुद्राओं के मालिकों की निजी और सार्वजनिक कुंजी संग्रहीत की जाती है, उसे डिजिटल वॉलेट कहा जाता है।

विभिन्न प्रकार के बटुए होते हैं जैसे (i) कागजी बटुआ जिसमें अनिवार्य रूप से एक दस्तावेज होता है जिसमें मुद्रा प्राप्त करने के लिए एक सार्वजनिक पता होता है और एक निजी कुंजी जो मालिक को पते में संग्रहीत आभासी मुद्राओं को खर्च करने या स्थानांतरित करने की अनुमति देती है (ii) मोबाइल बटुआ, जो एक उपकरण है जो स्मार्टफोन पर एक ऐप के रूप में चलता है, जहां निजी कुंजी संग्रहीत की जाती है, जिससे मालिक सीधे फोन से क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान कर सकता है (iii) वेब बटुआ, जिसमें निजी कुंजी एक सर्वर पर संग्रहीत की जाती है जो लगातार ऑनलाइन होता है (iv) डेस्कटॉप बटुआ।

6.152 . डेस्कटॉप वॉलेट को छोड़कर उपरोक्त सभी प्रकार के वॉलेट बहुत अधिक लचीलेपन की अनुमति देते हैं, जिसमें उन्हें यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है।दुनिया में कहीं भी। उदाहरण के लिए, कागजी बटुए भारत के इंटरनेट और मोबाइल संगठन v में मुद्रित किए जाते हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

क्यू. आर. कोड का रूप जिसे स्कैन किया जा सकता है, और निजी कुंजी का उपयोग करके पूरा किया गया लेन-देन। इसी तरह, मोबाइल वॉलेट स्मार्टफोन पर एक ऐप के रूप में चलते हैं और इसलिए वे एक व्यक्ति को क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने की अनुमति देते हैं।

आदि। 6.153 . दूसरे शब्दों में, शायद डेस्कटॉप वॉलेट को छोड़कर अधिकांश वॉलेट में बहुत गतिशीलता होती है और वे सीमाओं को पार कर जाते हैं। इसलिए,

इस तथ्य के बावजूद कि आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को भी विवादित परिपत्र द्वारा बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने से रोका जाता है, विवादित परिपत्र ने कई अन्य तरीकों को पंगु नहीं बनाया है।कौन सी क्रिप्टोकरेंसी अभी भी बाजार में या उसके माध्यम से अपना रास्ता खोज सकती हैं।

6.154 . जिन व्यक्तियों को विवादित परिपत्र से घातक झटका लगा है, वे केवल वे हैं जो वीसी एक्सचेंज चला रहे हैं और वे भी नहीं जो वीसी में व्यापार कर रहे हैं। वी. सी. में व्यापार करने वाले व्यक्तियों के पास अब भी अलग-अलग विकल्प हैं, जिनमें से कुछ पर हमने ऊपर चर्चा की है (जादूगर)

6.155 . उन सभी मामलों में जहां अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन करने वाली विधायी/कार्यकारी कार्रवाई इस अदालत द्वारा शून्य निर्धारित की गई थी, यह अदालत किसी गतिविधि पर प्रतिबंध/निषेध से संबंधित थी। निषिद्ध/प्रतिबंधित गतिविधियों की संभावना का सवालएक

मौजूदा प्रणाली को अस्थिर करना, उन मामलों में उत्पन्न नहीं हुआ। एसोसिएशन द्वारा दायर पहली रिट याचिका में निहित दलीलों से पता चलता है कि तीन कंपनियां जो इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सदस्य हैं, उनके पूरे भारत में कुल मिलाकर लगभग 17 लाख सत्यापित उपयोगकर्ता थे। इन कंपनियों के पास कुल मिलाकर लगभग रु। 1365 ट्रस्ट में उपयोगकर्ता धन के करोड़। केवल इन तीन कंपनियों का अनुमानित मासिक लेनदेन लगभग था।

रु. 5000 करोड़। याचिकाकर्ता के अनुसार, क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्ति उद्योग का वैश्विक स्तर पर लगभग 430 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण होने का अनुमान है। विभिन्न अनुमानों के आधार पर भारत का योगदान 2 से 10 प्रतिशत के बीच होने का अनुमान है। 2018 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 373 में यह स्वीकार किया गया है कि भारतीय क्रिप्टोकरेंसी बाजार में निवेशकों की कुल संख्या लगभग थी।

20 लाख और औसत दैनिक व्यापार की मात्रा कम से कम रु।

150 करोड़, [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस समय जब रिट याचिका दायर की गई थी। इसलिए, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक जैसे केंद्रीय प्राधिकरण, विभिन्न कारकों के संदर्भ में, इस प्रवृत्ति को एक समानांतर अर्थव्यवस्था के विकास के रूप में देखते हैं और उस नाभि को अलग करते हैं जो आभासी मुद्रा में फिएट मुद्रा के साथ होती है, तो इसे अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करने के रूप में बहुत हल्के से रद्द नहीं किया जा सकता है।

6.156 . लेकिन फिर भी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए उपाय को आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, क्योंकि विवादित परिपत्र ने देश के औद्योगिक मानचित्र से वी. सी. एक्सचेंज को लगभग मिटा दिया है, जिससे

अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करना। आनुपातिकता के प्रश्न पर, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील आधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बनाम में बहुमत की राय में संक्षेपित चार-आयामी परीक्षण पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश राज्य। 109 ये चार परीक्षण हैं (i) कि उपाय एक उचित उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया गया है (ii) कि उपाय तर्कसंगत रूप से उद्देश्य की पूर्ति से जुड़े हैं (iii) कि कोई वैकल्पिक कम आक्रामक उपाय नहीं हैं और (iv) कि एक उचित उपाय है।

लक्षय को प्राप्त करने के महत्व और अधिकार को सीमित करने के महत्व के बीच संबंध। उक्त मामले में अदालत ने कहा कि "मनी लॉन्ड्रिंग" या "काले धन" का केवल अनुष्ठानिक जाप पहले परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है और वैकल्पिक तरीकों का पता लगाया जाना चाहिए था।

6.157 . आइए अब देखते हैं कि क्या आक्षेपित परिपत्र चार-आयामी परीक्षण में विफल हो जाएगा। वास्तव में, प्रिवी काउंसिल मूल रूप से एलोय डी फ्रीटास बनाम में निर्धारित की गई थी। कृषि मंत्रालय

के स्थायी सचिव, मत्स्य पालन, भूमि और आवास, 1 10 केवल तीन गुना परीक्षण अर्थात् (i) क्या विधायी नीति मौलिक अधिकार को सीमित करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है (ii) क्या विधायी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए गए उपाय तर्कसंगत रूप से इससे जुड़े हैं और (iii) क्या

अधिकार या स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक से अधिक नहीं हैं। इन तीन परीक्षणों को डी फ्रीटास परीक्षण के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन हुआंग बनाम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा "व्यक्तियों और समूहों के साथ समाज के हितों को संतुलित करने की आवश्यकता" नामक एक चौथी परीक्षा जोड़ी गई थी। गृह विभाग के लिए राज्य सचिव। 111 इन चार परीक्षणों को यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बैंक मेलेट बनाम में अधिक विस्तृत रूप से व्यक्त किया गया था। एच. एम. कोषागार (संख्या 2)। 1 1 2 112

109 (2016) 7 एससीसी 353 110 [1999] 1 एसी 69 1 1 [2007] यूकेएचएल 11 112 [2013] यूकेएससी 39 भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन बनाम।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

6.158 . बैंक मेलाट (उपरोक्त) एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह लगभग एक समान उपाय से संबंधित है जिसके द्वारा उसने

मेजेस्टीज ट्रेजरी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ अपने कथित संबंध के कारण एक प्रमुख ईरानी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ब्रिटेन के वित्तीय बाजारों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया। यह ट्रेजरी द्वारा काउंटर टेररिज्म एक्ट, 2008 की अनुसूची 7 के तहत एक निर्देश के माध्यम से किया गया था, जिसमें वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को बैंक मेलाट के साथ कोई वाणिज्यिक लेनदेन नहीं करने की आवश्यकता थी। अधिनियम की अनुसूची 7 "आतंकवादी वित्तपोषण और धन शोधन" से संबंधित है। इस अनुसूची 7 के कई भाग हैं, भाग 1 में "निर्देश देने के लिए शर्तों" का प्रावधान है, भाग 2 में "उन व्यक्तियों को इंगित किया गया है जिन्हें निर्देश दिया जा सकता है", भाग 3 में उन आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया है जो एक निर्देश द्वारा लागू की जा सकती हैं, भाग 4 में "प्रक्रियात्मक प्रावधान और लाइसेंस" शामिल हैं, भाग 5 प्रवर्तन और सूचना शक्तियों से संबंधित है, भाग 6 नागरिक दंड से संबंधित है, भाग 7 में अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है और भाग 8 में पूरक प्रावधान हैं। उक्त अधिनियम की अनुसूची 7 का अनुच्छेद 14 कोषागार को सभी व्यक्तियों को सामान्य निर्देश या वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों का विवरण जारी करने में सक्षम बनाता है। लेकिन कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय पैराग्राफ 14 (2) के साथ-साथ पैराग्राफ 9 (6) में प्रदान किए गए हैं। पैराग्राफ 14 (2) के तहत, वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को जारी किया गया एक सामान्य निर्देश आवश्यक है।संसद के समक्ष रखा जाएगा और 28 दिनों की समाप्ति से पहले संसद के प्रत्येक सदन के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित नहीं होने पर इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। पैराग्राफ 9 (6) के तहत, किसी निर्देश द्वारा या तो ग्राहक के उचित परिश्रम के रूप में या चल रही निगरानी के रूप में या

व्यवस्थित रिपोर्टिंग के रूप में या व्यवसाय को सीमित करने या बंद करने के रूप में लगाई गई आवश्यकताएं, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल द्वारा दी गई सलाह को ध्यान में रखते हुए या इस उचित विश्वास को ध्यान में रखते हुए कि ट्रेजरी में आतंकवादी वित्तपोषण या धन के जोखिमों के बारे में है, आनुपातिक होनी चाहिए।

धनशोधन गतिविधियाँ या रेडियोलॉजिकल, जैविक, परमाणु या रासायनिक हथियारों का विकास। इन प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के अलावा, उपरोक्त अधिनियम की धारा 63 में प्रभावित व्यक्ति के लिए उपचार का प्रावधान किया गया है।

कोषागार का ऐसा कोई निर्णय, उच्च न्यायालय या स्कॉटलैंड में, सत्र न्यायालय में लागू करने के लिए। धारा 63 (3) ने ऐसे उपायों के खिलाफ दायर आवेदनों पर न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों के अनुप्रयोग को विशेष रूप से मान्यता दी।

6.159 . यह उन विशिष्ट वैधानिक अनुदेशों के संदर्भ में है।

यू. के. में उपलब्ध न्यायिक समीक्षा के लिए (भारत के विपरीत) जिसे बैंक मेलाट ने कोषागार के फैसले को चुनौती दी थी। चुनौती प्रक्रियात्मक और मूल दोनों आधारों पर थी। 6 से 3 के बहुमत से, सर्वोच्च न्यायालय ने [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यूनाइटेड किंगडम ने प्रक्रियात्मक डी. एस. पर बैंक की अपील की अनुमति दी। मूल आधार पर, बैंक की अपील को अनुमति दी गई थी

5 से 4 का बहुमत।

6.160 . लॉर्ड रीड जिन्होंने प्रक्रियात्मक दोनों पर असहमति लिखी

डी. एस. और मूल आधार, सिद्धांत के इतिहास का पता लगाते हैं

आनुपातिकता:

68. यह विचार कि आनुपातिकता न्याय का एक पहलू है

उससे परे। आधुनिक समय में सार्वजनिक कानून में एक मानक के रूप में अवधारणा का विकास प्रबोधन से हुआ है, जब नागरिकों और उनके शासकों के बीच संबंध स्थापित हुए थे।एक नए तरीके से माना जाता है, जो सामाजिक अवधारणाओं में परिलक्षित होता है

अनुबंध और प्राकृतिक अधिकार। जैसा कि ब्लैकस्टोन ने अपनी किताब में लिखा है।

इंग्लैंड के कानूनों पर टिप्पणियां, 9 वीं (1783), खंड 1, पी।

125 , नागरिक स्वतंत्रता की अवधारणा में "प्राकृतिक स्वतंत्रता शामिल है जो अब तक मानव कानूनों द्वारा प्रतिबंधित है (और इससे आगे नहीं) जैसा कि आवश्यक है।

और जनता के सामान्य लाभ के लिए समीचीन "। द.

यह विचार कि राज्य को केवल प्राकृतिक अधिकारों को सीमित करना चाहिए

जर्मनी में आवश्यक न्यूनतम सीमा को एक सार्वजनिक कानून मानक के रूप में विकसित किया गया जिसे वेरहाल्टनिसमैगकिट के रूप में जाना जाता है, या

आनुपातिकता। जर्मन प्रशासनिक कानून में इसकी उत्पत्ति से,

जहां यह विधायी और प्रशासनिक अधिनियमों की वैधता के कठोर रूप से संरचित विश्लेषण का आधार बनता है, वहां आनुपातिकता की अवधारणा को राज्य के मामले के कानून में अपनाया गया।यूरोपीय न्याय न्यायालय और यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय। उत्तरार्द्ध से, यह कनाडा में स्थानांतरित हो गया, जहाँ यह है

विशेष रूप से सावधानीपूर्वक और प्रभावशाली विश्लेषण प्राप्त किया, और

कनाडा से यह कई अन्य सामान्य कानूनों में फैल गया।

अधिकार क्षेत्र।

69. आनुपातिकता यूरोपीय संघ के कानून के सामान्य सिद्धांतों में से एक बन गया है, और यूरोपीय संघ पर संधि ("टीईयू") के अनुच्छेद 5 (4) में दिखाई देता है। परीक्षण को जर्मन या कनाडाई कानून की तुलना में अधिक संपीड़ित और सामान्य शब्दों में व्यक्त किया जाता है, और प्रासंगिक न्यायशास्त्र हमेशा स्पष्ट नहीं होता है, कम से कम एक सामान्य कानून परंपरा के पाठक के लिए।

आर बनाम मिनिस्ट्री इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम। सर्विस बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य विभाग, पूर्व पी फेडेसा और अन्य

(मामला सी-331/88) [1990] ईसीआर I-4023, यूरोपीय न्यायालय ने कहा (पैरा 13):

" न्यायालय ने लगातार यह माना है कि

आनुपातिकता सामुदायिक कानून के सामान्य सिद्धांतों में से एक है। उस सिद्धांत के आधार पर, किसी आर्थिक गतिविधि के निषेध की वैधता इस शर्त के अधीन है कि विचाराधीन विधान द्वारा वैध रूप से

अपनाए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निषेधात्मक उपाय उचित और आवश्यक हैं; जब कई उपयुक्त उपायों के बीच एक विकल्प होता है तो कम से कम सहारा लेना चाहिए।

भारी, और होने वाले नुकसान पीछा किए गए लक्षयों के अनुपात में नहीं होने चाहिए।

जिस तीव्रता के साथ परीक्षण लागू किया जाता है-अर्थात,

मूल्यांकन के लिए दिए गए वजन या सम्मान की डिग्री

प्राथमिक निर्णय-निर्माता-संदर्भ पर निर्भर करता है।

70. जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, आनुपातिकता भी एक अवधारणा है।

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय द्वारा आवेदन किया गया। जैसा कि अदालत ने अक्सर कहा है, पूरे कन्वेंशन में निहित समुदाय के सामान्य हित की मांगों और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकताओं के बीच एक उचित संतुलन की खोज है (उदाहरण के लिए स्पोरोंग और लोनरोथ बनाम स्वीडन (1982) 5 ईएचआरआर 35, पैरा 69 देखें)। अदालत ने इस तरह के संतुलन बनाने के अपने दृष्टिकोण का वर्णन किया है

अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग तरीके, और व्यवहार में अक्सर मामले को अपेक्षाकृत व्यापक तरीके से देखते हैं। उदाहरण के लिए, ए. आई. पी. 1 से संबंधित मामलों में, अदालत ने अक्सर पूछा है कि क्या संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत और अत्यधिक बोझ उठाना पड़ता है (जैसे जेम्स बनाम यूनाइटेड किंगडम (1986) देखें। 8 ईएचआरआर 123, पैरा 50)। समीक्षा की तीव्रता मुद्दे के अधिकार और उस संदर्भ के अनुसार काफी भिन्न होती है जिसमें प्रश्न उत्पन्न होता है। आश्चर्यजनक रूप से, यह देखते हुए कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आनुपातिकता के लिए इसका दृष्टिकोण अनुबंध करने वाले राज्यों में अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुरूप नहीं है।

71. आनुपातिकता के मूल्यांकन में अनिवार्य रूप से उस स्तर पर एक मूल्य निर्णय शामिल होता है जिस पर एक शेष राशि [2020] 2 एस. सी. आर. होनी चाहिए।

निर्णय लेने वाले के लिए मूल्यांकन। जैसा कि मैंने नोट किया है, यूरोपीय संघ के कानून और सम्मेलन के तहत समीक्षा की तीव्रता दांव पर लगे अधिकार की प्रकृति और उस संदर्भ के अनुसार भिन्न होती है जिसमें हस्तक्षेप होता है। हालाँकि ये केवल प्रासंगिक कारक नहीं हैं। कन्वेंशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण कारक यह है कि स्ट्रासबर्ग अदालत यह मानती है कि यह तय करने के लिए एक राष्ट्रीय अदालत की तुलना में कम अच्छी तरह से रखा जा सकता है कि क्या विशेष रूप से एक उचित संतुलन बनाया गया है।

राष्ट्रीय संदर्भ। इस कारण से, कन्वेंशन मामले के कानून में आनुपातिकता का सिद्धांत अविभाज्य रूप से संबंधित है

प्रशंसा के मार्जिन की अवधारणा। यह अवधारणा उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं होती है, जहां आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करने में अदालतों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले संयम की मात्रा और वे प्राथमिक निर्णय निर्माता के फैसले का किस हद तक सम्मान करेंगे, यह संदर्भ पर निर्भर करेगा और कुछ हद तक राष्ट्रीय परंपराओं और संस्थागत संस्कृति को प्रतिबिंबित करेगा। इन कारणों से अपनाया गया दृष्टिकोण

राष्ट्रीय स्तर पर आनुपातिकता केवल स्ट्रासबर्ग अदालत को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती।72. मानवाधिकार अधिनियम के तहत हमारे घरेलू मामले कानून में आनुपातिकता के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण आम तौर पर नहीं है

यह स्ट्रासबर्ग दरबार को प्रतिबिंबित करता है। सामान्य कानून की विशेषता वाले कानूनी तर्क के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, आम तौर पर एक अधिक स्पष्ट रूप से संरचित दृष्टिकोण अपनाया गया है, जो राष्ट्रमंडल संविधानों और अधिकारों के बिलों के तहत मामले के कानून से लिया गया है, जिसमें विशेष रूप से 1982 का मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का कनाडाई चार्टर शामिल है। डी फ्रीटास बनाम कृषि, मत्स्य पालन, भूमि और आवास मंत्रालय के स्थायी सचिव [1999] 1 एसी 69,80 में लॉर्ड क्लाइड द्वारा निर्धारित तीन अंगों का परीक्षण प्रभावशाली रहा है:

" चाहे कि: ((i) विधायी उद्देश्य मौलिक अधिकार को सीमित करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है; (ii) उपाय

विधायी उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए तर्कपूर्ण हैं

इससे जुड़ा हुआ; और (iii) अधिकार को बाधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन या

स्वतंत्रता उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक से अधिक नहीं है। भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v.

सर्विस बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

डी फ्रीटास एंटीगुआ और बारबुडा के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों से संबंधित एक प्रिवी काउंसिल का मामला था, और यह उक्ति दक्षिण अफ्रीकी, कनाडाई और जिम्बाब्वे के अधिकार पर आधारित थी। हालाँकि इन तीनों मानदंडों का संबंध स्ट्रासबर्ग अदालत द्वारा अनुच्छेद 8 से 11 के तहत इस आवश्यकता से संबंधित मामलों में तैयार किए गए मानदंडों से है कि संरक्षित अधिकार में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

एक लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक (जैसे जेर्सिल्ड बनाम डेनमार्क)

(1994) ई. सी. टी. एच. आर. श्रृंखला ए. संख्या 298, पैरा 31) के प्रकाशन, बशर्ते कि परीक्षण के तीसरे अंग को प्राथमिक निर्णय निर्माता को एक ऐसे क्षेत्र की अनुमति देने के रूप में समझा जाता है जिसके भीतर उसके निर्णय का सम्मान किया जाएगा।

73. डी फ्रीटास सूत्रीकरण को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आनुपातिकता की परीक्षा के रूप में लागू किया गया है।

मानवाधिकार अधिनियम के तहत कई मामलों में। हालांकि यह हुआंग बनाम गृह विभाग के लिए राज्य सचिव [2007] यूकेएचएल 11; [2007] 2 एसी 167, पैरा 19 में देखा गया था कि सूत्रीकरण आर बनाम ओक्स [1986] 1 एससीआर 103 में डिक्सन सीजे के फैसले से लिया गया था, और उस फैसले में उल्लिखित एक और तत्व को संतुलित करने की आवश्यकता थी

व्यक्तियों और समूहों के साथ समाज के हित। यह कहा जाता था कि यह एक ऐसा पहलू था जिसे कभी भी नजरअंदाज या छूट नहीं दी जानी चाहिए। यह कि यह पहलू एक चौथा मानदंड था, लॉर्ड विल्सन द्वारा नोट किया गया था, जिसके साथ लॉर्ड फिलिप्स और लॉर्ड क्लार्क ने आर (एगुइलर किला) बनाम गृह विभाग के लिए राज्य सचिव [2011] यूकेएससी 45; [2012] 1 एसी 621, पैरा 45 में सहमति व्यक्त की थी।

74. ओक्स में डिक्सन सी. जे. का निर्णय कानूनी तर्क की सामान्य कानून परंपरा के भीतर आनुपातिकता का सबसे स्पष्ट और सबसे प्रभावशाली न्यायिक विश्लेषण प्रदान करता है। एक शोध उपकरण के रूप में इसका आकर्षण यह है कि, आनुपातिकता के मूल्यांकन को अलग-अलग तत्वों में विभाजित करके, यह इस तरह के मूल्यांकन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कर सकता है, और मूल्य निर्णयों को अधिक स्पष्ट कर सकता है। ओक्स में अपनाया गया दृष्टिकोण हो सकता है

संक्षेप में यह कहते हुए कि यह निर्धारित करना आवश्यक है कि (1) क्या उपाय का उद्देश्य एक संरक्षित अधिकार की सीमा को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है, (2) क्या उपाय उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जुड़ा हुआ है, (3) क्या [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उद्देश्य का महत्व, इस हद तक कि उपाय इसकी उपलब्धि में योगदान देगा, पहला बाद वाले से अधिक है। इनमें से पहले तीन डी फ्रीटास में लॉर्ड क्लाइड द्वारा सूचीबद्ध मानदंड हैं, और चौथा हुआंग में किए गए अतिरिक्त अवलोकन को दर्शाता है। मैंने चौथे मानदंड को लॉर्ड समप्शन की तुलना में अधिक विस्तार से तैयार किया है, लेकिन सार में कोई अंतर नहीं है। संक्षेप में, चौथे चरण में सवाल यह है कि क्या अधिकारों के उल्लंघन का प्रभाव हैआक्षेपित उपाय के संभावित लाभ के लिए अनुपातहीन।

75. इन मानदंडों में से तीसरे के संबंध में, डिक्सन सी. जे. ने आर बनाम एडवर्ड्स बुक्स एंड आर्ट लिमिटेड [1986] 2 एस. सी. आर. 713,781-782 में स्पष्ट किया कि संरक्षित अधिकार की सीमा "वह होनी चाहिए जो विधायिका के लिए लागू करना उचित हो", और यह कि अदालतों को "उस स्थान के बारे में विधायी लोगों के लिए न्यायिक राय को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं कहा गया था जिस पर एक सटीक रेखा खींचनी है"। यह दृष्टिकोण अपरिहार्य है, यदि अधिकारों की सीमा को उचित ठहराए जाने की कोई वास्तविक संभावना है: जैसा कि जे. ब्लैकमन ने एक बार कहा था, एक न्यायाधीश वास्तव में अकल्पनीय होगा यदि वह लगभग किसी भी स्थिति में कुछ कम कठोर या थोड़ा कम प्रतिबंधात्मक के साथ नहीं आ सकता है, और इस तरह खुद को कानून को निरस्त करने के लिए मतदान करने में सक्षम बनाता है (इलिनोइस चुनाव बी. डी. बनाम समाजवादी श्रमिक पार्टी (1979) 440 यू. एस. 173,188-189); विशेष रूप से, कोई जोड़ सकता है, अगर वह प्रासंगिक व्यावहारिकताओं से अनजान है और लागत के विचारों के प्रति उदासीन है। विधायिका को प्रशंसा के अंतर की अनुमति देने के लिए भी आवश्यक है यदि कनाडा जैसी संघीय प्रणाली, या यूनाइटेड किंगडम जैसी विकेंद्रित प्रणाली को काम करना है, क्योंकि "कम से कम प्रतिबंधात्मक साधन" परीक्षण के सख्त अनुप्रयोग से एक उद्देश्य के लिए केवल एक विधायी प्रतिक्रिया की अनुमति होगी जिसमें शामिल था।

एक संरक्षित अधिकार को सीमित करना।76. चौथे मानदंड के संबंध में, एक सार्थक अंतर निकाला जाना चाहिए (जैसा कि मैकलाचलिन सी. जे. ने अल्बर्टा बनाम विल्सन कॉलोनी के हटरियन ब्रदरन [2009] 2 में समझाया था।

एस. सी. आर. 567, पैरा 76) इस प्रश्न के बीच कि क्या कोई विशेष उद्देश्य सिद्धांत रूप में भारत के इंटरनेट और मोबाइल संगठन को सीमित करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

एक विशेष अधिकार (पहला चरण), और यह प्रश्न कि क्या

यह निर्धारित किया कि प्राप्त करने का कोई कम कठोर साधन नहीं है

उद्देश्य उपलब्ध हैं, अधिकारों के उल्लंघन का प्रभाव

विवादित के संभावित लाभों के लिए असमान है माप (चरण चार)।

6.161 . इस तथ्य के बावजूद कि ईरानी बैंक प्रक्रियात्मक आधार पर अधिक बहुमत से और मूल आधार पर कम बहुमत से सफल हुआ।

इस आधार पर, बहुमत की राय और अल्पसंख्यक की राय दोनों में एक समान धागा देखा जाता है। सबसे पहले, बहुमत भी इस बात पर सहमत था कि विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में आने वाले मामलों को कभी न्यायिक जांच के लिए अनुपयुक्त माना जाता था, लेकिन उन्हें 2008 के अधिनियम की स्पष्ट शर्तों द्वारा खोला गया है, क्योंकि वे नामित व्यक्तियों या अन्य लोगों के अधिकारों को शामिल कर

सकते हैं। मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन। इसलिए, इस बात पर सर्वसम्मति थी कि तर्कसंगतता और आनुपातिकता का कोई भी मूल्यांकन

यह स्वीकार करना चाहिए कि मुद्दे की प्रकृति के लिए कोषागार को निर्णय के एक बड़े अंतर की अनुमति देने की आवश्यकता है। यहां तक कि बहुमत के लिए प्रमुख निर्णय लिखने वाले लॉर्ड समप्शन ने भी सहमति व्यक्त की कि "सरकार और विधायी नीति के निर्माण को न्यायिक प्रक्रिया में नहीं बदला जा सकता है"। इलिनोइस इलेक्शन बी. डी. वी. में ब्लैकमुन जे. द्वारा दिया गया एक दिलचस्प बयान। सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी 1 1 3 113 को लॉर्ड रीड ने अपनी असहमति में उद्धृत किया था जिसमें कहा गया है कि "एक न्यायाधीश वास्तव में अकल्पनीय होगा यदि

वह लगभग किसी भी स्थिति में कुछ कम कठोर या थोड़ा कम प्रतिबंधात्मक के साथ आ सकता था और इस तरह खुद को कानून को निरस्त करने के लिए मतदान करने में सक्षम बना सकता था। संक्षेप में, इस तथ्य पर सर्वसम्मति थी कि प्रशंसा का अंतर निश्चित रूप से होना चाहिए

अधिकांश ने यू. के. कोषागार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को निरस्त कर दिया। जैसा कि स्वयं न्यायालय द्वारा तैयार किया गया है, निर्णय की मुख्य बातें इस प्रकार हैं: (i) अदालत के समक्ष आवश्यक प्रश्न यह था कि क्या ब्रिटेन में बैंक मेलाट के वाणिज्यिक लेन-देन में व्यवधान का ईरान द्वारा अपने परमाणु हथियार कार्यक्रमों की खोज में बाधा डालने के वैधानिक उद्देश्य के साथ कुछ तर्कसंगत और आनुपातिक संबंध था।

((ii) अधिकांश लोगों के लिए, निर्देश के साथ दो विशेष कठिनाइयाँ थीं, अर्थात् (ए) इसने एकल बैंक की व्याख्या या औचित्य नहीं बताया।

मेलात; और (ख) औचित्य वह नहीं था जिसे मंत्रियों ने संसद के समक्ष प्रस्तुत किया था, और कुछ मामलों में इसके साथ असंगत था।

113 (1979) 440 यूएस 173 [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तुलनीय बैंक।(iv) अदालत के अनुसार, बैंक मेलाट को अलग करना मनमाना और तर्कहीन था, और किसी भी योगदान के लिए अनुपातहीन था जो वह कर सकता था।

तर्कसंगत रूप से दिशा के उद्देश्य को पूरा करने की उम्मीद की जाए।

(v) इसके विपरीत, अल्पसंख्यक इस बात से संतुष्ट थे कि

इन मामलों में कोषागार को दी गई सराहना का व्यापक अंतर, दिशा तर्कसंगत रूप से उद्देश्य से जुड़ी थी और आनुपातिक थी।6.162 . हम उस हद तक नहीं जा सकते हैं और न ही जाने की आवश्यकता है जहां तक बैंक मेलेट में बहुमत गया था। यू. के. में एक क़ानून है जहाँ प्रक्रिया के मानक

न्यायिक समीक्षा निर्धारित की जाती है और बहुमत निर्णय उन मानकों के अनुप्रयोग पर था। लेकिन अपने स्वयं के मानकों से भी, हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि क्या कम घुसपैठ के उपाय उपलब्ध थे और क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने कम से कम इन विकल्पों पर विचार किया है। विकल्पों की उपलब्धता के सवाल पर, यूरोपीय संघ संसद की जुलाई 2018 की रिपोर्ट (जिसका शीर्षक 'क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन' है) पर श्री असीम सूद ने भरोसा किया है। प्रासंगिक भाग (पैराग्राफ 5.4 में) इस प्रकार है:

" इस संबंध में हम यह भी ध्यान देते हैं कि कुछ क्रिप्टोकरेंसी जो अब बाजार में हैं, जैसे डैश और मोनेरो, पूरी तरह से गुमनाम हैं, जबकि अन्य, जैसे कि बिटक्वाइन और इसी तरह के हैं।

छद्म-अनाम, मूल रूप से इसका अर्थ है कि यदि बहुत प्रयास किया जाता है और जटिल तकनीकों को तैनात किया जाता है, तो अधिकारियों के लिए उपयोगकर्ताओं की पहचान का पता लगाना संभव है। ये पूरी तरह से गुमनाम क्रिप्टोकरेंसी अंधेरे में और बाहर रहने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

अधिकारियों के दायरे में। ए. एम. एल. डी. 5 (पाँचवाँ एंटी-मनी) के बाद

यूरोपीय संघ का धनशोधन निर्देश) यह नहीं होगा

पूर्ण सीमा तक संभव हो सकता है: क्रिप्टोकरेंसी

उपयोगकर्ता जो अपनी क्रिप्टोकरेंसी को फिएट में बदलना चाहते हैं

आभासी मुद्रा विनिमय के माध्यम से मुद्रा या उनकी मुद्रा रखें

कस्टोडियन वॉलेट प्रदाता के माध्यम से पोर्टफोलियो, ग्राहक के उचित परिश्रम के अधीन होगा। लेकिन, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अभी भी इन नई बाध्य संस्थाओं के बाहर एक पूरी दुनिया है

एएमएलडी5। यह बिना कहे चला जाता है कि यह ध्वनि हो सकती है

नए तरीकों की तलाश करने वाले अपराधियों के लिए विशेष रूप से दिलचस्प

धनशोधन करें, आतंकवादियों को वित्त प्रदान करें या करों से बचें।

यदि भारत का एक इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. सर्विस बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

विधायक इन क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते हैं और इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए एक अच्छा तर्क यह है कि नकदी भी पूरी तरह से गुमनाम और वैध है-ऐसा करने का एकमात्र तरीका है।

पता लगाएँ कि उनका उपयोग कौन करता है, उपयोगकर्ताओं को पंजीकरण करने की आवश्यकता है

अनिवार्य रूप से। आनुपातिकता के कारणों से पंजीकरण को भौतिकता के अधीन बनाने पर विचार किया जा सकता है।

सीमा "। (जोर दिया गया)

6.163 . यूरोपीय संघ संसद की जुलाई 2018 की रिपोर्ट के पैराग्राफ 5,7 में चर्चा इस मुद्दे को भी संबोधित करती है कि क्या यह कुछ मुद्राओं से जुड़े कुछ पहलुओं के लिए एकमुश्त प्रतिबंध लागू करना है। यह अनुच्छेद इस प्रकार है:

5.7 . " क्या कुछ पहलुओं के लिए एकमुश्त प्रतिबंध लगाना सबसे अच्छा नहीं है?

कुछ क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा हुआ है?

सवाल यह उठता है कि क्या कुछ क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित कुछ पहलुओं को केवल प्रतिबंधित और आपराधिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए।

स्वीकृत किया गया। ध्यान में रखें कि मिश्रण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है

डैश की विशेषता प्राइवेटसेंड और मोनेरो की रिंगसीटी, स्टील्थ

पता और कोवरी-परियोजना। संक्षेप में, इन सुविधाओं को क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोगकर्ताओं को अप्राप्य बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन क्यों?

क्या इस तरह की अनामता वास्तव में आवश्यक है? क्या इसकी अनुमति देना अपराधियों के लिए बहुत दूर की बात नहीं होगी? क्रिप्टोकरेंसी के आसपास के ऐसे पहलुओं के लिए प्रतिबंध लगाना जिनका उद्देश्य है

अपने उपयोगकर्ताओं को सत्यापित करना असंभव बनाना और आपराधिक रूप से

इन पहलुओं को मंजूरी देना परिषद के अनुरूप प्रतीत होता है।

दुर्भावनापूर्ण का जवाब देने के तरीके पर अप्रैल 2018 के निष्कर्ष

साइबर गतिविधियाँ, जिनके तहत दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए आई. सी. टी. का उपयोग अस्वीकार्य है। जवाब चाहे जो भी हो, हमें फिर से नादान होने से बचना चाहिए: भले ही प्रतिबंध लगाया जाएगा, हम उल्लंघन का पता कैसे लगा सकते हैं, यह देखते हुए कि

प्रतिबंध का उद्देश्य सिर्फ पहचान को अस्पष्ट करना है? फिर भी,

प्रतिबंध लगाने पर विचार करना सार्थक होगा। अगर

अधिकारी तब निषिद्ध गतिविधियों से टकराते हैं, उनके पास अभियोजन के लिए एक कानूनी आधार है, जो अभी तक उपलब्ध नहीं है।

संभवतः, प्रतिबंध लगाने से भी निवारक प्रभाव पड़ सकता है।

बेशक, फिर से डेटा सुरक्षा के साथ तनाव है, लेकिन यकीनन चीजों के संतुलन में अधिकारियों और समाज के हित को अधिक प्रभावी ढंग से धन शोधन, [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अच्छी तरह से परिभाषित विशिष्ट प्रतिबंधों के माध्यम से आतंकवादी वित्तपोषण और कर चोरी उन व्यक्तियों के हितों से अधिक है जो अपनी पहचान पूरी तरह से छिपाना चाहते हैं। किसी भी स्थिति में, प्रतिबंध लगाने का ध्यान हमेशा क्रिप्टोकरेंसी के अवैध उपयोग को सुविधाजनक बनाने वाले विशिष्ट पहलुओं पर केंद्रित होना चाहिए। हम इसके पक्ष में नहीं हैं

क्रिप्टोकरेंसी पर सामान्य प्रतिबंध या क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय और औपचारिक वित्तीय के बीच बातचीत को प्रतिबंधित करना।

समग्र रूप से क्षेत्र, जैसे कि उदाहरण के लिए चीन में मामला है।

यह हमारी राय में बहुत आगे जाएगा। जब तक अच्छा है

औपचारिक वित्तीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

और समग्र रूप से सामान्य समाज में अधिक, जैसे नियम

धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण, कर चोरी का मुकाबला करना

और शायद नियमों का एक अधिक व्यापक सेट जिसका उद्देश्य है

वैध उपयोगकर्ताओं (जैसे सामान्य उपभोक्ता और निवेशक) की रक्षा करना पर्याप्त होना चाहिए। (जोर दिया गया)

6.164 . इस प्रकार, यूरोपीय संघ की संसद द्वारा ऊपर निकाले गए पैराग्राफ में की गई अंतिम सिफारिश है,क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यवसाय और समग्र रूप से औपचारिक वित्तीय क्षेत्र के बीच बातचीत पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाना। जाहिर है, आरबीआइ

विवादित परिपत्र जारी करने से पहले विकल्पों की उपलब्धता पर विचार नहीं किया। लेकिन आई. डी. 1 पर जारी एक अंतरिम निर्देश द्वारा इस अदालत ने आर. बी. आई. को याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का

एक विस्तृत बिंदु-वार जवाब देने का निर्देश दिया। उक्त आदेश के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 04 09-2019 का जवाब दिया। जवाब में, आर. बी. आई. ने याचिकाकर्ताओं की सभी दलीलों पर विचार किया है। प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

" सबसे पहले, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में वीसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। आर. बी. आई. ने अपने द्वारा विनियमित संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे उन व्यक्तियों या संस्थाओं को सेवाएं प्रदान न करें जो वी. सी. में काम कर रहे हैं या निपटान कर रहे हैं। जोखिम

जहां तक इसके द्वारा विनियमित संस्थाओं का संबंध है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उजागर किए गए वीसी से जुड़े मामलों को कम किया गया है। इस प्रकार, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने द्वारा विनियमित संस्थाओं को उन गतिविधियों में शामिल होने से रोकने में सक्षम रहा जो अन्य कानूनी और परिचालन जोखिमों के साथ-साथ प्रतिष्ठा और वित्तीय जोखिम पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए, वी. सी. का उपयोग उपभोक्ताओं को रुपये में धोखा देने के लिए किया गया है। 2000 भारत में एक करोड़ रुपये का घोटाला हुआ जिसमें उपयोगकर्ताओं को गेनबिटकॉइन में उनके निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दिया गया था और उन्हें वीसी के एक अन्य रूप में उनका रिटर्न दिया गया था, जिसका मूल्य गेनबिटकॉइन की तुलना में बहुत कम था।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. सर्विस बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

आर. बी. आई. द्वारा जारी चेतावनी। इसके अलावा, वीसी की आंतरिक प्रकृति को देखते हुए इसके किसी भी प्रभाव के परिणामस्वरूप जनता को भारतीय डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास नहीं खोना चाहिए। का ध्यान केंद्रित भारत में डिजिटल भुगतान विफल हो जाएगा यदि वी. सी. के उपयोग के परिणामस्वरूप प्रभाव पड़ता है। वी. सी. के उपयोग में कोई भी अप्रिय अनुभव सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों में जनता के विश्वास को प्रभावित कर सकता है।

यह इस संदर्भ में है कि आर. बी. आई. ने कुछ पर प्रकाश डाला था

भारतीय रिज़र्व बैंक में वी. सी. पर प्रतिबंध लागू करने के संभावित तरीके

प्रतिनिधित्व, जो इस प्रकार हैं:

प्रारंभिक सिक्का प्रस्ताव (आई. सी. ओ.) को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

((i)

और वी. सी. परिसंपत्ति निधियों को भारत के कानूनी अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थापित करने और/या संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है और साथ ही भारत में ऐसे लेनदेन भी किए जा सकते हैं। ICOs जो बहु-स्तरीय विपणन या पिरामिड योजनाओं की प्रकृति में थे

प्रतिबंधित किया जा सकता है;फेमा और इसके नियमों को बढ़ाया जा सकता है

((ख)

देश से बाहर बहने वाले वी. सी. में निवेश करने के उद्देश्य से प्रेषण को रोकें और ट्रैक करें

एलआरएस के तहत;

(iii) प्रवर्तन एजेंसियां उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकती हैं।

ऐसी संस्थाएं/प्रतिष्ठान जो वी. सी. को भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं, जब भी इन एजेंसियों का सामना करना पड़ता है

ऐसे मामले; और

((iv) नियामक जनता को चेतावनी जारी कर सकते हैं और

जहां तक संभव हो जनता को शिक्षित करें।

देश के सामने जो समस्या है, उसके प्रति भी सचेत रहना चाहिए। भारत किसी भी बाहरी घुसपैठ और आतंक से मुक्त सुरक्षित पनाहगाह नहीं है

हमला करते हैं। भारत सीमा पार आतंकवाद के खतरे से त्रस्त है

वित्तपोषण और धनशोधन। जबकि कानून बनाए गए हैं

सरकार ऐसी किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं दे सकती जो सुविधा प्रदान करे या हो।इस तरह के नापाक और अवैध कृत्यों को बढ़ावा देने की क्षमता

देश में। बेनामी सीमा पार निधि हस्तांतरण की सुविधा देने वाले किसी भी संभावित रास्ते पर तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए और

सख्ती से निपटा। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि वीसी ने

बंदूकों और गोला-बारूद से लेकर ड्रग्स तक अवैध और अवैध सामान खरीदने के लिए उपयोग किया जाता था। इसलिए, परिपत्र के तहत आर. बी. आई. के उपाय और भी अधिक आवश्यक हो जाते हैं। परिपत्र के आने के साथ

प्रभावी रूप से, बैंकिंग प्रणाली और आर. बी. आई. की विनियमित संस्थाएंअवैध व्यापार के लिए वी. सी. प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को सुविधा प्रदान नहीं करना।

परिपत्र के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए अतिरिक्त उपाय कई सावधानियों के बावजूद, 50 लाख भारतीय उपयोगकर्ता आवश्यक थे

प्रतिदिन 1 अरब भारतीय रुपये के वी. सी. कारोबार में लगे हुए हैं। (जोर दिया गया)

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

6.165 . दिनांक 18-09-2019 के अपने दूसरे जवाब के अनुलग्नक बी में, आर. बी. आई. ने प्रस्तावित सभी अतिरिक्त सुरक्षा उपायों पर भी विचार किया है।

एक रिट याचिकाकर्ता द्वारा, नाम से, डिसीडियम इंटरनेट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, और यह प्रदर्शित किया कि कैसे ये सुरक्षा उपाय विनियमित संस्थाओं को घेरने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं:

आरबीआइ की प्रतिक्रिया

द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा उपाय

याचिकाकर्ता

डैशबोर्ड की तकनीक और अवधारणा जो है

डैशबोर्ड का विकास

सभी संबंधित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा सुलभ

और केंद्रीय भंडार

भारत में अभी इसका परीक्षण किया जाना बाकी है और यह गारंटी नहीं दे सकता है कि यह अधिकारियों को वीसी, विशेष रूप से सीमा पार लेनदेन या अवैध और नापाक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाएगा। इस तरह के विकास के लिए अन्य नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर प्रभाव के साथ विभिन्न स्तरों पर विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के सहयोग की आवश्यकता होगी और इसे अकेले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह मानते हुए भी कि प्रस्तावित संरचना पर्याप्त है, इसके कार्यान्वयन के लिए अन्य प्राधिकरणों को अपने अधिकार क्षेत्र में उचित नियम या निर्देश तैयार करने होंगे, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण से बाहर है। किसी भी मामले में, इस तरह के विकास के अस्तित्व में आने के लिए, सरकार को इसकी बारीकियों को नियंत्रित करने के लिए उचित नियम बनाने और स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

इसके अलावा, वी. सी. की निगरानी करना मुश्किल है क्योंकि उनकी अपारदर्शी प्रकृति के कारण जानकारी एकत्र करना और उनके संचालन की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, किसी

विशेष वीसी लेनदेन या बाजार प्रतिभागी पर अधिकार क्षेत्र का दावा करना राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

सीमा पार पहुँच के आलोक में नियामक

तकनीक।

स्वयं का गठन

जारी करना और प्रबंधन पूरी तरह से नियामक संगठन और संप्रभु/केंद्रीय बैंक का कार्य रहा है।

इस संपत्ति को सफेद सूचीबद्ध करने के लिए गुप्त-निजी अधिकारों के व्यापार को प्रतिबंधित करने पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

भूमिका. इसके अलावा, जब ऐसे वीसी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो केंद्रीय बैंक की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने की क्षमता

पते

अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वास्तव में, वीसी बनाम उपभोक्ता संरक्षण, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के प्रभावों पर भी प्रकाश डाला गया। यह भी स्वीकार किया गया कि कई [2020] 2 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वी. सी. के आसपास की अनिश्चितताएँ, विशेष रूप से इस संबंध में कि वी. सी. कैसे सुरक्षित है, मूल्य के नाटकीय परिवर्तनों को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए किस हद तक उपाय हैं; और ऐसे वी. सी. के विक्रेताओं की विशेषताएँ। इसके अतिरिक्त, यह माना गया कि अमेरिकी मौद्रिक नीति पर प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि एक और 'मुद्रा' जो सरकार के नियंत्रण में नहीं है, वह फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है क्योंकि फेडरल रिजर्व प्रणाली में नकदी में हेरफेर करते हुए मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर अपना एकाधिकार खो देगा।

इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी की अनुमति वर्तमान में केवल बैंकों के लिए है।

आधार आधार को अपनाना

कोई लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए या

इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी

आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत अधिसूचित किसी भी योजना के तहत सब्सिडी या यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से पहचान के उद्देश्य से अपनी आधार संख्या का उपयोग करता है।

इसके अलावा, आधार आधारित इलेक्ट्रॉनिक के. वाई. सी. को अपनाना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में बताए गए जोखिमों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए ऐसे मानदंडों/उपायों को जारी करने के लिए जो वी. सी. में व्यवहार करने के बताए गए जोखिमों को पर्याप्त रूप से हल करते हैं और/या कम करते हैं, इसे विभिन्न प्रकार के वी. सी. की तकनीकीताओं, उनकी विशेषताओं और विशेषताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

कठिनाइयाँ और कमियाँ। वीसी को लेकर अभी भी उच्च स्तर की अनिश्चितता और अस्पष्टता है।

दुनिया भर में प्रत्येक क्षेत्राधिकार द्वारा लिया गया रुख और इसे अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा तक और नीति के अनुरूप लागू करने पर विचार करेगा। सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रूपरेखा

वी. सी. के संबंध में भारत का।

अनिवार्य

डी. आई. एल. पी. एल. लाभ या सुरक्षा निर्धारित करने में विफल रहा है।

पूँजीकरण

प्रस्तावित अनिवार्य पूँजीकरण द्वारा प्रदान किया गया

आवश्यकताएँ

आवश्यकताएँ। डी. आई. एल. पी. एल. द्वारा निर्धारित किसी भी लाभ के अभाव में, भारतीय रिज़र्व बैंक को इस सुझाव के कथित लाभों को ग्रहण करने के लिए अनुमानों और अनुमानों पर भरोसा करना पड़ता है। विशेष रूप से, यह तथ्य कि कुछ क्षेत्राधिकार अनिवार्य रूप से निर्धारित करते हैं

पूँजीकरण की आवश्यकताएं आवश्यक रूप से सुझाव को फायदेमंद या लागू करने योग्य नहीं बनाती हैं।

भारत।

भारत का मोबाइल संगठन v. एफ इंडिया [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

एकमात्र लाभ जो एक समझदार व्यक्ति को हो सकता है

उल्लेखनीय रूप से, सुझाव में वीसी में ही एक अनिवार्य पूंजीकरण आवश्यकता निर्धारित करना शामिल है। वी. सी. की अस्थिरता और कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए, आर. बी. आई. एक प्रस्ताव

प्रदान करने के किसी भी सुझाव को अस्वीकार करता है। वी. सी. में ही प्रतिभूति या पूँजीकरण की आवश्यकता। इसके अतिरिक्त, सुझाए गए अनिवार्य

पूंजीकरण की आवश्यकता न केवल धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाले उपभोक्ताओं के लिए जोखिम को कम करेगी, बल्कि वीसी के मूल्य में उतार-चढ़ाव और हेरफेर को देखते हुए मूल्य के संभावित नुकसान से भी कम होगी।

सबसे पहले, भारतीय बीमा सेवा प्रदाता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शासित नहीं होते हैं। बीमा प्रदाता बीमा नियामक और विकास एजेंसी (आई. आर. डी. ए.) के नियामक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए, आर. बी. आई. वी. सी. एक्सचेंजों के लिए अनुरूप बीमा पॉलिसियां तैयार करने का निर्देश देकर बीमा प्रदाताओं पर अधिकार क्षेत्र ग्रहण नहीं कर सकता है। ऐसे विनियामक पहलुओं के उद्देश्य से ही कुलपतियों का अध्ययन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उस समय अभ्यावेदन की एक प्रति अंतर-मंत्रालयी समिति को उनके उचित विचार के लिए भेज दी थी। दूसरा, भारतीय बीमा प्रदाता, जैसा कि आई. आर. डी. ए. द्वारा अनिवार्य है, उनके द्वारा दी जाने वाली बीमा पॉलिसियों के प्रति सतर्क दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसलिए, बीमा प्रदाता या तो स्वतः या आई. आर. डी. ए. के निर्देशों के कारण वी. सी. की सुरक्षा के लिए बीमा पॉलिसियों की पेशकश नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, इस सतर्क दृष्टिकोण में विभिन्न सीमाएं या बहिष्करण शामिल हैं।

दायित्व खंड। इसलिए, बीमा पॉलिसियाँ [2020] 2 एस. सी. आर. की स्थिति में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वी. सी. का कोई मूल्य ह्रास, हानि या चोरी। इसके अलावा,

वी. सी. का अत्यधिक सट्टा और उतार-चढ़ाव वाला मूल्य है

एक जोखिम जो बीमा द्वारा वहन नहीं किया जाना चाहिए

प्रदाता, जो पहले से ही विभिन्न से पीड़ित हैं

भारतीय मुद्रा और बैंकिंग में वित्तीय धोखाधड़ी

प्रणाली।डी. आई. एल. पी. एल. एक निवेशक संरक्षण स्थापित करने का सुझाव देता है और

निवेशक का गठन

शिक्षा कोष, जिसके लिए वीसी का आदान-प्रदान होगा

शिक्षा और संरक्षण

उनके लिए निर्धारित सभी आय को हस्तांतरित करें

कोष

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत। यह सुझाव इस प्रकार है आर. बी. आई. के अनुसार, ग्राहकों की सुरक्षा नहीं करेगा

डिसीडियम द्वारा दावा किया गया है कि कदम होंगेग्राहकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपर्याप्त।

विशेष रूप से, डिसीडियम ने यह सुझाव नहीं दिया है कि यह बनाता है

शिक्षा और संरक्षण के लिए कोई अतिरिक्त बफरअपने ग्राहकों के बारे में लेकिन इसके बजाय, केवल सुझाव दिया है

कि वी. सी. अपने मौजूदा कानूनी दायित्वों को हस्तांतरित करता है

वी. सी. में अंतर्निहित जोखिम अभी भी बने रहेंगे। यह दोहराया जाता हैकि वी. सी. के लेन-देन गुमनाम रहेंगे और

अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए खुला। इसकी संभावना नहीं है कि

ग्राहकों की शिक्षा इरादे को बदल देगी

वी. सी. में लेन-देन अनाम हैं क्योंकिछद्म नाम का पता या उपयोगकर्ता हैंडल। उदाहरण के लिए,

कथित तौर पर बिटक्वाइन का सबसे बड़ा हस्तांतरण, जिसकी कीमत लगभग

2019 , बेनामी खातों के बीच था। भले हीआदान-प्रदान साइबर हमलों के जोखिमों को कम करने का प्रयास करते हैं

बीमा उत्पादों की सदस्यता लेने से जोखिम होते हैं -

बैंकिंग के अलावा अन्य क्षेत्रों में फैलने की संभावना है।इसके अलावा, सीएसआर निधियों का उपयोग विनियमित नहीं है।

या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शासित। इसलिए, कार्यान्वयन

वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का मसौदा लंबित हैऔर आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019 का विनियमन।

114 HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. वाइस। कॉम/एन में/लेख/bjwipd/कोई-बस-स्थानांतरित-एक-अरब-डॉलर-में-बिटक्वाइन-और-कोई नहीं-जानता-क्यों; आखिरी बार 12 सितंबर, 2019 को एक्सेस किया गया था।

भारत का इंटरनेट और मोबाइल संगठन v. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

6.166 . हालाँकि जिस समय विवादित परिपत्र जारी किया गया था, उस समय स्पष्ट रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिट द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया था

याचिकाकर्ताओं, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वास्तव में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया, इस अदालत द्वारा 21-08-2019 पर पारित आदेश के अनुसार। आरबीआइ ने भी

ऊपर निकाले गए दिनांकित 18-09-2019 के उत्तर के लिए अनुलग्नक बी में विश्लेषण किया गया, याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाए गए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय, यह देखने के लिए कि क्या विवादित उपाय का उद्देश्य कम घुसपैठ के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

6.167 . लेकिन साथ ही हम तीन महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि नहीं छोड़ सकते हैं, अर्थात् (i) जो भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय में नहीं पाया है कि वीसी एक्सचेंज की गतिविधियों ने वास्तव में प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जिस तरह से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं कार्य करती हैं (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने दिनांकित उत्तर (ID1) तक और उसमें शामिल किया गया सुसंगत रुख यह है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश में वीसी को प्रतिबंधित नहीं किया है और (iii) यह कि अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति भी (ID2) पर गठित की गई है, जो शुरू में

क्रिप्टोक्यूरेंसी-टोकन विनियमन विधेयक 2018 नामक एक नए कानून की शुरुआत सहित एक विशिष्ट कानूनी ढांचे की सिफारिश की गई थी, यह राय थी कि प्रतिबंध एक चरम उपकरण हो सकता है और समान उद्देश्यों को नियामक उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 'नोट' का अनुच्छेद 7

रिपोर्ट करने के लिए अग्रदूत उसी पर प्रकाश डालता है और इसलिए इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है:

" विकल्प

7. समिति ने विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार किया है -

उद्देश्यों और टिप्पणियों को प्राप्त करना:

कुछ न करके लक्षयों को प्राप्त करना

आई. चेतावनी जारी करना गैर-आधुनिक उपभोक्ताओं को वी. सी. में लेनदेन करने से रोक सकता है, लेकिन यह वी. सी. सेवा प्रदाताओं या प्रारंभिक सिक्का प्रस्ताव (आई. सी. ओ.) के माध्यम से धन जुटाने वालों, गलत तरीके से बेचने या पोंजी योजनाओं को चलाने वालों को नहीं रोकेगा।

ii. ग्राहकों के लिए उपलब्ध साधन अपर्याप्त होंगे।

iii. वे व्यक्ति जो पूंजी और प्रौद्योगिकी सहित आवश्यक उपयुक्त और उचित मानदंडों के बिना वी. सी. सेवाएं प्रदान करते हैं,

एक बढ़े हुए जोखिम को जारी रखें।

[2020] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिबंध के माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त करनाआई. उपभोक्ता संरक्षण एक प्रमुख चिंता है लेकिन इसे दूर करने के लिए प्रतिबंध भी एक चरम सीमा हो सकती है। ऐसी कई चीजें/गतिविधियाँ हैं जो हानिकारक हो सकती हैं लेकिन वे सभी प्रतिबंधित नहीं हैं। परेशानियाँ

सूचना विषमता से संबंधित, बाजार जोखिमों के बारे में चिंता, कानून प्रवर्तन या वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा नहीं हो सकता है।

ii. एक प्रतिबंध वी. सी. में लेनदेन को अवैध बना देगा लेकिन साथ ही यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नियामकों की अवैध गतिविधियों को ट्रैक करने और रोकने की क्षमता को कम कर सकता है।iii. वास्तव में कुछ देशों ने वीसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति के अनुरूप नहीं हो सकता है।

विनियमन द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करना

आई. उन संस्थाओं या व्यक्तियों को दंडित करना जो इस अधिनियम के तहत विनियमन का विकल्प नहीं चुनते हैं और अवैध रूप से काम करने का विकल्प चुन सकते हैं

यह कठिन बना रहेगा। "

6.168 . शुरू में क्रिप्टोक्यूरेंसी-टोकन विनियमन विधेयक, 2018

अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा अनुशंसित एक प्रस्ताव था (i) क्रिप्टोक्यूरेंसी टोकन से संबंधित गतिविधियों से निपटने वाले व्यक्तियों को इन उत्पादों को प्रतिभूतियों या निवेश योजनाओं के रूप में गलत तरीके से पेश करने या मौजूदा नियामक ढांचे में अंतराल के कारण निवेश योजनाओं की पेशकश करने

से रोकने के लिए और (ii) वीसी एक्सचेंजों और दलालों को विनियमित करने के लिए जहां बिक्री और खरीद की अनुमति दी जा सकती है।

6.169 . क्रिप्टोक्यूरेंसी-टोकन विनियमन विधेयक, 2018 के प्रमुख पहलू, जो 'नोट-पूर्ववर्ती रिपोर्ट' के पैराग्राफ 13 में पाए गए हैं, से पता चलता है कि

अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर डिजिटल क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों की बिक्री और खरीद की अनुमति देने के विचार से सहमत थी। 'नोट-रिपोर्ट के अग्रदूत' का पैराग्राफ 13 (iii) और (vii) इस प्रकार है:

13. प्रमुख पहलुओं का सारांश नीचे दिया गया है:

((ख)।(iii) डिजिटल क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों की बिक्री और खरीद केवल

मान्यता प्राप्त विनिमयों पर अनुमति दी गई।

((iv)।(वी)।

(vi)।

(vii) मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर सभी होल्डिंग्स और लेनदेन की रजिस्ट्री मान्यता प्राप्त डिपॉजिटरी में रखी जाएगी।

6.170 . लेकिन एक साल के भीतर, उसी अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति की एक वैकल्पिक और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। फरवरी 2019 ने "क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा अधिनियम, 2019 का विनियमन" के रूप में जाने जाने वाले कानून के माध्यम से निजी क्रिप्टोकरेंसी मुद्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। विधेयक के मसौदे में खनन, उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव था।

भारत के क्षेत्र में क्रिप्टोक्यूरेंसी रखना, बेचना, सौदा करना, जारी करना, स्थानांतरित करना, निपटाना या उपयोग करना। साथ ही, विधेयक में (i) केंद्र द्वारा एक कानूनी निविदा के रूप में एक डिजिटल रुपये के निर्माण पर विचार किया गया।

सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और (ii) किसी भी आधिकारिक विदेशी डिजिटल मुद्रा को भारत में विदेशी मुद्रा के रूप में मान्यता दी। 6.171 . यदि उक्त अधिनियम (2019) पारित हो गया होता, तो निर्माण के लिए एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा होती और

जिसके प्रचलन पर भारतीय रिजर्व बैंक/केंद्र सरकार का एकाधिकार होता। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई थी। आज की तारीख में स्थिति यह है कि वी. सी. पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वी. सी. में व्यापार और वी. सी. एक्सचेंजों के कामकाज को विवादित परिपत्र द्वारा उनकी जीवन रेखा, अर्थात् नियमित बैंकिंग क्षेत्र के साथ इंटरफेस को डिस्कनेक्ट करके कोमा में भेज दिया जाता है। सबसे बुरी बात यह है कि ऐसा किया गया है (i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन विनिमयों के कार्य करने के तरीके के बारे में कुछ भी गलत नहीं पाए जाने के बावजूद और (ii) इस तथ्य के बावजूद कि वीसी पर प्रतिबंध नहीं है।

6.172 . जैसा कि हमने पहले बताया है, भारतीय रिज़र्व बैंक की चिंता उसके द्वारा विनियमित संस्थाओं के बारे में है और होनी चाहिए। आज तक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह रुख नहीं अपनाया है कि उसके द्वारा विनियमित किसी भी संस्था, राष्ट्रीयकृत बैंकों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों/एनबीएफसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी नुकसान या प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ा है।

उनमें से किसी के साथ वी. सी. आदान-प्रदान के इंटरफेस का लेखा-जोखा। जैसा कि इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम में अभिनिर्धारित किया है। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, 115 में कम से कम कुछ तो रहा होगा।

115 (2013) 8 एस. सी. सी. 519 [2020] 2 एस. सी. आर.

विनियमित संस्थाओं द्वारा नुकसान की डिग्री के बारे में अनुभवजन्य डेटा (यह स्थापित करने के बाद कि उन्हें नुकसान पहुंचाया गया था)। यह भारतीय रिज़र्व बैंक का मामला नहीं है कि उसके द्वारा विनियमित किसी भी संस्था को वीसी एक्सचेंज चलाने वाले ऑनलाइन प्लेटफार्मों को बैंकिंग सेवाओं के प्रावधान के कारण नुकसान हुआ है।

6.173 . इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास न केवल पहले बताए गए 3 अधिनियमों की वैधानिक योजना को देखते हुए बहुत व्यापक शक्तियां हैं।लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में इसके विशेष स्थान और भूमिका को देखते हुए भी। इन शक्तियों का प्रयोग दोनों रूपों में किया जा सकता है -

निवारक और उपचारात्मक उपाय। लेकिन शक्ति की उपलब्धता इसका उपयोग करने के तरीके और सीमा से अलग है। जबकि हमने इस क्रम में कहीं और मान्यता दी है कि भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व-खाली कार्रवाई करने की शक्ति, हम आदेश के इस हिस्से में ऐसे उपाय की आनुपातिकता का परीक्षण कर रहे हैं, जिसके निर्धारण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक

कम से कम अपनी विनियमित संस्थाओं को हुए किसी भी नुकसान की कुछ झलक दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन वहाँ कोई नहीं है। जब भारतीय रिज़र्व बैंक का लगातार यह रुख है कि उन्होंने कुलपतियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और जब भारत सरकार दो मसौदा विधेयकों सहित कई प्रस्तावों के साथ आने

वाली कई समितियों के बावजूद निर्णय लेने में असमर्थ है, दोनों ने बिल्कुल विपरीत स्थिति की वकालत की है, तो हमारे लिए यह मानना संभव नहीं है कि विवादित उपाय आनुपातिक है।

7. क्लाइमेक्स

7.1 . इसलिए, उपरोक्त चर्चा के आलोक में, याचिकाकर्ता सफल होने के हकदार हैं और विवादित परिपत्र दिनांक 06-04-2018 है

आनुपातिकता के आधार पर अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी। तदनुसार, रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है और 06-04-2018 दिनांकित परिपत्र को अलग कर दिया जाता है। 05-04-2018 दिनांकित वक्तव्य, हालांकि एक रिट याचिका में चुनौती दी गई है,

यह वैधानिक निर्देश की प्रकृति में नहीं है और इसलिए इसे अलग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

7.2 . एक और मुद्दा बाकी है। यह डिसीडियम इंटरनेट लैब्स प्राइवेट के खाते को फ्रीज करना है। लिमिटेड, जो याचिकाकर्ता नं। 6 2018 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 373 में। ऐसा लगता है कि इस कंपनी के पास रु। 12,05,36, 667.83 / - चालू खाते में सं। 3677101984 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वर्ली, मुंबई। जब याचिकाकर्ता ने खाता बंद करने और डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए 21-05-2018 पर अनुरोध किया, तो केंद्रीय बैंक ने जवाब दिया कि उन्होंने मामले को अपने उच्च अधिकारियों/नियामकों को भेज दिया है। इसलिए, याचिकाकर्ता नं। 6 उचित निर्देशों के लिए 2019 के आई. ए. सं. 110424 में एक आवेदन के साथ आया है।

7.3 . आर. बी. आई. ने इस आवेदन का जवाब यह स्वीकार करते हुए दायर किया है कि उसने बैंक को खाते को फ्रीज करने का निर्देश नहीं दिया था। यह विशेष रूप से कहा गया है

भारतीय रिजर्व बैंक के हलफनामे के पैराग्राफ 12 के जवाब में कहा गया है कि उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को खाते को फ्रीज करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया है। हालांकि, आर. बी. आई. ने यह रुख अपनाया है कि राशि जारी करने की प्रार्थना मुख्य रिट याचिका से उत्पन्न या आकस्मिक नहीं है।

7.4 . लेकिन हमें लगता है कि इस संबंध में आर. बी. आई. की उदासीन प्रतिक्रिया

यह पूरी तरह से अनुचित है। मान लीजिए, याचिकाकर्ता द्वारा की गई गतिविधियाँ नं। 6 उन्हें अवैध घोषित नहीं किया गया था। आर. बी. आई. का यह सकारात्मक मामला है कि उन्होंने वास्तव में याचिकाकर्ता नं. 6. इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को खाते को डीफ्रीज करने और धन जारी करने का निर्देश देने के लिए बाध्य है। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वर्ली शाखा को चालू खाता संख्या को तुरंत बंद करने के निर्देश जारी करे।

3677101984 याचिकाकर्ता नं. 6 2018 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 373 में और खाते में पड़ी निधियों को लागू दर पर ब्याज के साथ कंपनी को जारी करना। इस बारे में कोई आदेश नहीं होगा

लागतें।

7.5 . पर्दा उतारने से पहले, हम हर कलात्मक प्रदर्शन की तरह, कौशलपूर्ण तरीके के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करने के लिए बाध्य हैं।

जिसे श्री असीम सूद, विद्वान वकील ने विवादित परिपत्र पर हमले का नेतृत्व किया, लेकिन जिसके लिए, चरमोत्कर्ष एक नाखून काटने वाला अंत नहीं हो सकता था।

दिव्या पांडे

याचिकाओं की अनुमति दी गई।